दशम माला, खंड 46, अंक 17

मंगलवार, 19 दिसंबर, 1995
13 अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

PARLIAMENT LIBRARY
No. 54
Date 14.10.96

पन्द्रहवां-सत्र

(दसवीं लोक-सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 46 में अंक 11 से 20 हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रूपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।)

लोक सभा के 19 दिसम्बर, 1995 के वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय-सूची	8	347-49 का लोप करें ।	
205	प्रश्न सं.3466	शीर्षक "चीनी मिलों को प्रोत्साहन"	पढ़िए ।
211	प्रश्न सं.3472	शीर्षक "अजंता के भित्ति चित्र"	पढ़िए ।
297	19	में	मंत्री
379	17	शिक्षा विभाग	रक्षा विभाग
385	7	..... में राज्यमंत्री	..... के राज्यमंत्री
385	नीचे से 10	श्री एन.पी.चन्द्रशेखर मूर्ति	श्री एम.वी.चन्द्रशेखर मूर्ति
399	नीचे से 4	(ओश्री अरविन्द नेताम)	(श्री अरविन्द नेताम)
405	14 तथा नीचे से 10	(युवा मामले और खेल विभाग)	(युवा कार्य तथा खेल विभाग)
406	नीचे से 13	श्री एम.बी.सिदनाल	श्री एस.बी.सिदनाल
408	3	उन्नीसवां	उनतीसवां

विषय-सूची

दशम माला, खंड 46, पन्द्रहवां सत्र, 1995/1917 (शक)

अंक 17, मंगलवार, 19 दिसम्बर, 1995/28 अग्रहायण, 1917 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	1-337
तारांकित प्रश्न संख्या: 321 से 340	1-20
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3359 से 3531	21-337
ाद्यान्नों पर राज सहायता के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 5100 के दिनांक 9-5-1995 को 347-49 ए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण	337-33
लभूत दूरसंचार सेवाओं के परिचालन हेतु प्राइवेट कपनियों को लाइसेंस दिया जाना	338-37
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	343-345
श्री विद्याचरण शुक्ल	345-347
श्री शरद यादव	348
श्री मणि शकंर अय्यर	348-349
श्री सोमनाथ चटर्जी	350-357
कुमारी ममता बनर्जी	357-359
श्री रवि राय	360-362
श्री ए. चार्ल्स	362
श्री चन्द्र शेखर	363-364
श्री अर्जुन सिंह	365

विषय

श्री इन्द्रजीत गुप्त 366-36

श्री पी.जी. नारायणन 368-369

श्री अब्दुल गफूर 370

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन जारी रखने संबंधी राष्ट्रपति की उद्घोषणा की अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प—**स्वीकृत** 373-374

श्री एस. बी. चव्हाण

सभा-पटल पर रखे गये पत्र 375-405

प्राक्कलन समिति 406

चौवनवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश — **प्रस्तुत**।

प्राक्कलन समिति 406

की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण—**सभा पटल पर रखे गये**

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 407

पैंतालीसवां प्रतिवेदन — **प्रस्तुत**

याचिका समिति 407

चौबीसवां प्रतिवेदन — **प्रस्तुत**

सभा-पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति 407

उन्नीसवां और बीसवां प्रतिवेदन — **प्रस्तुत**

कृषि संबंधी स्थायी समिति 408

उनतीसवां, तीसवां, बत्तीसवां तथा चौंतीसवां प्रतिवेदन — **प्रस्तुत**

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति 408

आठवां, नौवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश — **प्रस्तुत**

विषय **कॉलम**

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति 408

बाईसवां प्रतिवेदन — **प्रस्तुत**

गृह-कार्य संबंधी स्थायी समिति 409

छब्बीसवां प्रतिवेदन—**सभा पटल पर रखा गया**

कार्य मंत्रणा समिति 409

सत्तावनवें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव — **स्वीकृत**

श्री विद्याचरण शुक्ल

कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक—**पुरःस्थापित** 410

श्री जगदीश टाइटलर

लोक सभा

मंगलवार, 19 दिसम्बर, 1995/28 अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

.....(व्यवधान).

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

विमानों द्वारा बीजों का छिड़काव

*321. श्री लक्ष्मण सिंह: क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की विमानों द्वारा बीजों का छिड़काव करके वन लगाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन राज्यों में इस योजना को लागू किया जा चुका है तथा किनमें प्रस्तावित है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक प्रत्येक वर्ष में इस योजना के अंतर्गत राज्य–वार शुरू किए गए कार्य तथा प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना पर राज्य–वार कितना व्यय किया गया है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, हां।

(ख) वायुयान द्वारा बीजों के छिड़काव की स्कीम को प्रयोग के आधार पर आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित किया गया था। इसके संतोषजनक परिणाम प्राप्त न होने के कारण इस योजना के कार्यान्वयन को रोक दिया गया है। ।

(ग) और (घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान वायुयान द्वारा बीजों के छिड़काव की योजना के अन्तर्गत खर्च की गई धनराशि और कितने क्षेत्र में स्कीम लागू की गई उसका विवरण नीचे दिया गया है।

(रु. लाखों में
(क्षेत्र हैक्टेयर में

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1992–93		1993–94		1994–95	
		वास्तविक उपलब्धि	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	वास्तविक उपलब्धि	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	वास्तविक उपलब्धि	जारी की गई केन्द्रीय सहायता
1.	आन्ध्र प्रदेश	5000	53.580	5000	13.00	–	–
2.	कर्नाटक	500	12.000	–	–	–	–
3.	मध्य प्रदेश	3820	10.000	–	–	–	–

क्र.सं.	राज्य/कन्द्र शासित क्षेत्र	1992–93		1993–94		1994–...	
		वास्तवित उपलब्धि	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	वास्तविक उपलब्धि	जारी की गई केन्द्रीय सहायता	वास्तविक उपलब्धि	जारी की गई केन्द्रीय सहायता
4.	तमिलनाडु	18500	119.815	10000	37.00	–	–
5.	पश्चिम बंगाल	–	4.000*	–	–	–	–
	योग	27820	199.395	15000	50.00	–	–

* उपयोग में नहीं लाई गई है।

[अनुवाद]

महिला सम्मेलन

*322. **श्री राम नाईक:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "बीजिंग महिला सम्मेलन" में किए गए वायदों को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) और (ख). चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन के दौरान भारत ने निम्नलिखित के संबंध में विशिष्ट प्रतिबद्धताएं कीं:

(1) राष्ट्रीय महिला नीति का निर्माण (2) सन 2000 ई. तक शिक्षा पर पूंजी–निवेश को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत करना (3) महिला अधिकारों के आयुक्त के कार्यालय की स्थापना करना (4) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के माध्यम स मातृ एवं बाल देखभाल कार्यक्रमों को सर्वसुलभ बनाना।

(2) राष्ट्रीय महिला नीति के प्रारूप के ब्यौरों पर इस समय गैर–सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, बुनियादी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ परामर्श किया जा रहा है। नवम्बर–दिसम्बर, 95 के दौरान इस प्रकार की कई परामर्श बैठकें आयोजित की गई।

(3) शिक्षा पर पूंजी–निवेश को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत अंश तक करने के संबंध में कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है।

(4) महिला अधिकारों के आयुक्त के कार्यालय के लिए संकल्पना प्रपत्र पर केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राज्यों के मुख्य सचिवों/गृह सचिवों/ समाज कल्याण सचिवों/महिला एवं बाल विकास सचिवों के साथ चर्चा की गई ताकि इसे अन्तिम रूप दिया जा सके।

(5) समेकित बाल विकास सेवा के माध्यम से मातृ एवं बाल विकास देखभाल कार्यक्रमों को सर्वसुलभ बनाने के संबंध में पहले से घोषणा की जा चुकी है। सभी सामाजिक क्षेत्रों के महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों का इन्टिग्रेटिड महिला योजना के माध्यम से संकेन्द्रण करने का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा इसके कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण तथा राष्ट्रीय शिशुगृह कोष की वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है जिससे माताएं तथा बच्चे लाभान्वित होंगे।

(6) प्रतिबद्धताओं के एक हिस्से के रूप में राष्ट्रीय स्तर का एक तंत्र बनाये जाने का प्रस्ताव है, जो विश्व सम्मेलन में स्वीकृत कार्रवाई मंच के कार्य बिन्दुओं के कार्यान्वयन का कार्य करेगा।

चावल उत्पादकता के लिए नए तरीके

*323. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटस्वरलु:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चावल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किन्हीं नये तरीकों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चावल उत्पादकता में बाधक विशिष्ट मिट्टी तत्वों का पता लगाने के लिए अब ऐसे तरीके विदेशों में विकसित कर लिए गए हैं; और

(घ) चावल की उत्पादकता को बढ़ाने हेतु इन नये तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): (क) जी, हां।

(ख) संकर चावल की तकनीक विकसित की गई है तथा 15–20% अधिक उपज देने वाले चार संकर जारी किए गए हैं। सिंचित और बारानी स्थितियों के लिए कीटों और रोगों की उच्च स्तर की प्रतिरोधी व अधिक पैदावार देने वाली किस्में विकसित की गई हैं। फसल प्रणाली में गहनता लाने के लिए कम समय में तैयार होने वाली किस्में भी तैयार की गई हैं। समेकित कीट–प्रबन्ध और समेकित पोषक प्रबन्ध जैसी प्रौद्योगिकियां व्यापक स्तर पर अपनाए जाने के लिए विकसित की गई हैं।

उत्पादन प्रौद्योगिकियों के प्रभावी ढंग से हस्तान्तरण के लिए पूरे देश में, विशेषकर पूर्वी भारत के बारानी क्षेत्रों तथा पर्यावरण की दृष्टि से अन्य नाजुक क्षेत्रों के लिए, बड़े पैमाने पर काम्पेक्ट ब्लाक अग्रिम पंक्ति के प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। संस्थान गांवों से जोड़ने संबंधी कार्यक्रमों के अंतर्गत खेतों पर होने वाले अनुसंधानों से खेती की विविध स्थितियों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को पहचानने में बहुत सहायता मिली है।

(ग) और (घ). अधिक निवेश लगाकर गहन खेती करने के कारण उत्पादकता में तथा संसाधनों के आधार के स्तर में कमी आनी शुरू हो गई है। इस संदर्भ में अनुसंधान संबंधी जो नई संकल्पना उभर कर सामने आई है, वह है स्वनिर्मित मिट्टी पोषत तत्वों की आपूर्ति क्षमता। इसके कम होने पर पौधों को नाइट्रोजन मिलनी कम हो जाती है। अब हमारे देश में चावल के पौधों की बढ़वार की अवस्था के अनुकूल नाइट्रोजन तथा अन्य उर्वरकों का आवश्यकता के अनुसार उपयोग करने की विधि अपनाई जा रही है।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

*324. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या:**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक राष्ट्रीय संस्कृति निधि स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक स्थापित कर लिये जाने की संभावना है; और

(घ) देश की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्द्धन करने के लिए सरकार ने कौनसे अन्य रचनात्मक कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय संस्कृति निधि के निम्नलिखित उद्देश्य हैं;

(1) निगमित सेक्टर (गैर–सरकारी एवं सार्वजनिक), न्यासों, सोसायटियों, व्यक्तियों आदि से अंशदान एवं चंदा एकत्रित करके निधि के लिए आय की व्यवस्था करना; और

(2) निधि से एकत्रित आय का संचालन व उपयोग स्मारकों के अनुरक्षण, संग्रहालयों की नयी व विशेष दीर्घाओं, अंतर–विषयक शोध, प्रलेखन, कलाओं के नवाचारी प्रयोगों के लिए करना तथा सांस्कृतिक सामग्रियों के संरक्षण, अनुरक्षण व संवर्द्धन के लिए सहायता प्रदान करना तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों में लगे स्वैच्छिक संगठनों/पंजीकृत सोसायटियों को उपयुक्त सहायता प्रदान करना;

संचित निधि में भारत सरकार का अंशदान 19.5 करोड़ रुपये तक प्रतिबंधित होगा।

(ग) कुछ ब्यौरे वित्त मंत्रालय, विधि मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से अभी भी तैयार किये जाने हैं। निधि को यथाशीघ्र प्रचालित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) देश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान को सुदृढ़ करने के लिए संस्कृति विभाग, कला व संस्कृति के परिरक्षण व संवर्द्धन में निरंतर लगा हुआ है। इस विभाग की स्कीमों व कार्यक्रमों में संस्कृति के प्रचार–प्रसार पर और इसको जन–जन तक पहुंचाने पर विशेष बल दिया गया है, जिससे देश की समृद्ध विरासत को परिरक्षित व पोषित किया जा सकेगा, जिसमें मानवीय सृजनात्मकता के विविध रूपों की अभिव्यक्ति शामिल होगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण युवकों के लिए कार्यक्रम

*325. **श्री हरि केवल प्रसाद:**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सेवा योजना और अन्य स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से ग्रामीण युवकों के विकास हेतु कोई व्यापक कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस कार्यक्रम से कितने ग्रामीण युवकों को लाभ पहुंचने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं। इस समय राष्ट्रीय सेवा योजना और अन्य स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से ग्रामीण युवाओं के विकास हेतु कोई भी नया व्यापक कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन नहीं है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ग्रामीण युवाओं के लाभ क लिए युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के पास पहले ही अनेक योजनाएं हैं। तथापि, युवाओं के लिए राष्ट्रीय भावी योजना (1995–2020) तैयार करने के लिए डा. एम. अराम, सांसद की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

खाद्यान्नों की खरीद

*326. **श्री नीतीश कुमार:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद की जाती है;

(ख) क्या इस प्रणाली के अन्तर्गत सीमान्त और छोटे किसानों को अपेक्षाकृत कम लाभ होता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां।

(ख) से (घ). किसानों की जोत के आकार के आधार पर किसी प्रकार का पक्षपात किए बिना सभी के लिए एक–समान न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध है। तथापि, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन खाद्यान्नों की बिक्री से की गई आय उनके द्वारा बेची गई खाद्यान्नों की मात्रा पर निर्भर करती है जो उनकी जोत के आकार, उत्पादकता और अपनी खपत के लिए उनके द्वारा रखी गई मात्रा जैसे कई घटकों पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

औषधीय पौधे

*327. **डा. एस. पी. यादव**: क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि भारतीय औषधीय पौधे लुप्त प्राय: होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इन पौधों को बचाने और इनके संरक्षण के लिए क्या योजनाएं बनाई गई है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख). भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार औषधीय पौधों की कुछ प्रजातियां असुरक्षित और संकटापन्न हो गई हैं। इन प्रजातियों को इस तरह के खतरे के कारणों में उनके प्राकृतिक वासस्थलों से अनधिकृत संग्रहण, प्राकृतिक आपदाएं विकासात्मक गतिविधियां तथा पारिस्थितिकीय कारकों एवं पारि–प्रणालियों में बदलाव आना शामिल है।

(ग) इन पौध प्रजातियों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रोत्साहनात्मक और नियामक उपाय किए हैं:–

(1) प्रोत्साहनात्मक उपाय

1. "औषधीय पौधों सहित बनेतर इमारती उत्पाद" स्कीम के अन्तर्गत पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वनीकरण और पारि–विकास बोर्ड, राज्य सरकारों द्वारा तैयार योजनाओं के आधार पर औषधीय पौधों की खेती के लिए निधियां प्रदान करता है।
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय औषधीय पौधों की स्थान बाह्य खेती के लिए निधियां प्रदान करता है।
3. वानस्पतिक उद्यानों को सहायता स्कीम के अन्तर्गत पर्यावरण और वन मंत्रालय देश के विभिन्न पादप भौगोलिक क्षेत्रों में वानस्पतिक उद्यानों में सुविधा बढ़ाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता देता है ताकि वे औषधीय पौधों सहित उस क्षेत्र की संकटापन्न और स्थानीय पादपों का संरक्षण और संवर्धन कार्य शुरू कर सकें। इन वानस्पतिक उद्यानों को उत्तक संवर्धन और बीज बैंकों के जरिए संकटापन्न पादप प्रजातियों में वृद्धि करने के लिए प्रोटोकोल तैयार करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है।
4. प्रजातियों में वृद्धि करने और जर्म–प्लाज्म के संरक्षण के लिए भारतीय वनस्पति संरक्षण के अन्तर्गत दो उत्तक संवर्धन प्रयोगशालाओं और सात प्रायोगिक उद्यानों की स्थापना की गई है।

(2) सुरक्षा और विनियमन के लिए उपाय

1. संकटापन्न प्रजातियों सहित वनस्पतिजात और प्राणिजात की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और जीवमंडल रिजर्वों जैसे सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।
2. 1991 में यथा संशोधित वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को लागू करना जो वन्य वासस्थलों में मानव हस्तक्षेप को विनियमित करता है।

3. प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार संबंधी कन्वेंशन और वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अनुसरण में विनियमों के जद्विए या इनके वाणिज्यिक दोहन और निर्यात पर प्रतिबंध।

मंत्रियों का क्षेत्रीय सम्मेलन

*328. श्री रवि राय: क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में बंगलौर में नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का कोई क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या सम्मेलन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पुनर्गठन संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों पर चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी, हां।

(ख) बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली/संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति, आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता और मूल्यों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों को राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रबंधन सूचना प्रणाली की मॉनीटरिंग के बारे में विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मिट्टी का तेल

*329. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू खपत के प्रयोजनार्थ मिट्टी के तेल का वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिट्टी के तेल को दो रंगों में बेचे जाने संबंधी अपने निर्णय को हाल ही में बदलकर एक ही रंग के मिट्टी के तेल को बेचने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) केंद्रीय सरकार को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से घरेलू खपत के लिए अधिप्रेत मिट्टी के तेल को वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए दिए जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मिट्टी का तेल काफी अधिक राजसहायता प्राप्त उत्पाद है तथा मिट्टी के तेल और डीजल तेल के मूल्यों में अन्तर के कारण डीजल के साथ मिट्टी के तेल की मिलावट की सूचनाएं मिली हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत थोक व्यापारियों से खुदरा व्यापारियों को मिट्टी के तेल का वितरण तथा आगे उपभोक्ताओं को उसका वितरण करना राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों को लागू करें तथा इस प्रकार का कदाचार करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करें।

(ग) और (घ). सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केवल नीले रंग के मिट्टी के तेल की आपूर्ति करने के निर्णय को उलटने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फूल

*330. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास 1993-94 और 1994-95 के दौरान फूलों के उत्पादन संबंधी कोई आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो किस्म-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फूलों की क्या स्थिति है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में फूलों के भंडारण हेतु की गई समुचित व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1994-95 के दौरान पुष्पकृषि उत्पादों के मामले में 5 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य के बराबर वार्षिक विश्व व्यापार में भारत का अंश 10 मिलियन अमेरिकी डालर का था।

(घ) फूलों सहित, जल्द खराब होने वाली बागवानी जिंसों के लिए उत्पादन वाले क्षेत्रों तथा चुने हुए हवाई -अड्डों पर शीत भण्डारण की सुविधाएं स्थापित करने के लिये सहायता प्रदान की जाती है। अभी तक उत्पादन वाले क्षेत्रों में 54 शीत भण्डारों तथा दिल्ली, बम्बई, बंगलौर, मद्रास, कलकत्ता तथा त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डों पर ऐसे छह वाक इन टाइप शीत भण्डारों, के लिये सहायता दी गई है।

चिड़ियाघरों में वन्य पशु

*331 श्री राजेन्द्र कुमार शर्माः क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न चिड़ियाघरों में रखे गये वन्य पशु चिड़ियाघरों की खराब व्यवस्था के कारण मर रहे हैं और इनमें से कुछ पशुओं को उनके करतब दिखाने के लिए विभिन्न सर्कसों को भी बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन वन्य पशुओं को संरक्षण देने हेतु कोई दिशा–निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख). कुछ चिड़ियाघरों में रखे गए पशुओं के लिए चिड़ियाघरों की मान्यता नियमावली, 1992 में यथा परिकल्पित उचित बाड़े नहीं हैं। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण विभिन्न चिड़ियाघरों के प्रबंधन का मूल्यांकन और निगरानी करता रहा है। चिड़ियाघरों को निर्धारित स्तर तक सुधार करने के लिए एक निश्चित समय सीमा बताई गई है।

प्रिंस आफ वालेस जूलॉजीकल गार्डन, लखनऊ ने जैमिनी सर्कस को दो दरियाई घोड़े बेचे। इसको रिट याचिका सी. डब्ल्यु न. 1858/95 में दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। यह मामला न्याय निर्णयाधीन है।

(ग) और (घ). चिड़ियाघरों को मान्यता नियमावली, 1992 में चिड़ियाघर के पशुओं के आवास, रख–रखाव, स्वास्थ्य देखभाल और नियोजित प्रजनन के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं।

[हिन्दी]

'यूनीसेफ' द्वारा सहायता

*332. श्री दत्ता मेघेः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए 'यूनीसेफ' की सहायता से चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं को शुरू करते समय क्या लक्ष्य रखे गए थे;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) अब तक इन योजनाओं पर राज्य–वार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री मा[illegible]सिंधिया): (क) यूनिसेफ की सहायता संचालन संबंधी मास्टर प्लान 1991–95 के कार्य ढांचे के अंतर्गत है, शिक्षा क्षेत्र में सहायता मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा, साक्षरता और बिहार शिक्षा परियोजना के लिए है।

(ख) और (ग). बिहार शिक्षा परियोजना को छोड़कर, अन्य कार्यक्रम प्रक्रियोन्मुख हैं तथा इनके कोई भौतिक लक्ष्य नहीं रखे गए हैं।

बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत 7 जिले शामिल किए गए हैं जबकि मूल रूप से 20 जिलों को शामिल करने की परिकल्पना की गई थी। बिहार शिक्षा परियोजना की मध्यावधि समीक्षा में इसको सुदृढ़ करने की सिफारिश की गई है।

(घ) संचालन संबंधी मास्टर प्लान की शुरूआत से लेकर अब तक शिक्षा क्षेत्र में संचयी व्यय 22.14 मिलियन अमरीकी डालर हुआ है।

इस अवधि के दौरान किया गया राज्यवार संचयी व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1991 से 1995 तक राज्यों में यूनिसेफ सहायता प्राप्त शिक्षा कार्यकलाप

(अमरीकी डालर में)

राज्य का नाम	1991–94	1995
आन्ध्र प्रदेश	409,000	
असम	36,300	
बिहार	9,051,900	
गुजरात	197,700	

राज्य का नाम	1991–94	1995
कर्नाटक	100	
केरल	10,300	4,940,377*
महाराष्ट्र	390,900	
मध्य प्रदेश	1,050,800	
उड़ीसा	190,400	
राजस्थान	168,300	
तमिलनाडु	100,500	
उत्तर प्रदेश	491,500	
पश्चिम बंगाल	439,300	
अन्य राज्य	171,400	
कुल	17,648,777	
राष्ट्रीय स्तर (जी सी)	4,491,000	
कुल योग	22,139,777,(22.14 मिलियन)	

* 1995 के संबंध में राज्यों के अलग–2 विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

मोनोक्रोटोफास

*333. डा. आर. मल्लू: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में किन–किन फसलों के लिये मोनोक्रोटोफास का उपयोग किया जाता है;

(ख) क्या किसान इस कीटनाशक का भारी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह किस सीमा तक लाभदायक है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): (क) यह कपास, चावल, दलहनों, तिलहनों, सब्जियों तथा फलों की फसलों पर लगने वाली कृमियां पर प्रयोग के लिए पंजीकृत है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1992–93 तथा 1993–94 में इसकी खपत क्रमश: 4,501 मीटरी टन तथा 4,245 मीटरी टन (तकनीकी ग्रेड) थी, जो देश में कृमिनाशी दवाओं की कुल खपत का क्रमशः 6.35 प्रतिशत और 6.66 प्रतिशत थी।

(घ) मोनोक्रोटोफॉस एक बहुउद्देश्यीय कृमिनाशी दवा है, जो बहुत सी फसलों में चूसने वाली तथा चबाने वाली कृमियों को मारने में प्रभावी है।

[हिन्दी]

बंजर भूमि

*334. डा. परशुराम गंगवार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी बंजर भूमि को खेती योग्य भूमि में परिवर्तित किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बंजर भूमि के विकास पर अनुमानत: कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या देश में अभी भी काफी बंजर भूमि पड़ी हुई है;

(घ) क्या हमारे वैज्ञानिकों ने बंजर भूमि को कम लागत पर खेती योग्य बनाने हेतु कोई अनुसंधान किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): (क) और (ख). बंजर भूमि में बर्फ से ढके बहुत ऊंचे पहाड़ी ढलाव, तथा अन्य ऐसे क्षेत्र सम्मिलित हैं जिनमें किफायत के साथ खेती नहीं की जा सकती। बंजर भूमि को कृषि के अधीन लाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन, परती भूमि विकास विभाग ने ईंधन की लकड़ी और चारे के उत्पादन हेतु बंजर परती भूमि के 1.32 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के सुधार की सूचना दी है। 1992-93 से इस प्रयोजन के लिये 112.41 करोड़ रुपये की रकम खर्च की जा चुकी है।

(ग) वर्ष 1992-93 में 1938 मिलियन हैक्टेयर बंजर और अकृष्य भूमि होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

हाकी टीम का प्रदर्शन

*335. कुमारी उमा भारती: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय हाकी टीम ने अंतराष्ट्रीय स्तर के कितने टूर्नामेंटों में भाग लिया और कितने टूर्नामेंटों में विजय प्राप्त की;

(ख) क्या गत एक दशक से भारतीय हाकी टीम का प्रदर्शन गिरता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष हाकी के प्रशिक्षण और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) वर्ष 1993 से 1995 के दौरान भारतीय टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 15 टूर्नामेंटों में भाग लिया और 4 टूर्नामेंटों में प्रथम स्थान, 4 टूर्नामेंटों में द्वितीय स्थान और 3 टूर्नामेंटों में तृतीय स्थान प्राप्त किया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार द्वारा तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि निम्नानुसार है:-

1993-94	62,02,246/-	रुपये
1994-95	70,65,982/-	रुपये
1995-96 (15.12.95 तक)	51,14,733/-	रुपये

[अनुवाद]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों की बैठक

*336. श्री प्रभू दयाल कठेरिया:
श्रीमती महेन्द्र कुमारी:

क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 1995 के पहले सप्ताह के दौरान नई दिल्ली में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों की एक द्वि-दिवसीय बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में भाग लेने वालों, इसमें चर्चित विषयों और लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप वर्तमान प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, हां। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों की एक बैठक 4–5 दिसम्बर, 1995 को नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) से (ङ). राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों की एक बैठक 4–5 दिसंबर, 1995 को दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने की थी और निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा प्रदूषण नियंत्रण समितियों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था:–

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दिल्ली।

उपर्युक्त बैठक में जिन विषयों पर चर्चा की गई, उनकी सूचना में निम्नलिखित शामिल हैं:–

1. उपकर प्रतिपूर्ति तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को सुदृढ़ किया जाना।

2. वायु और जल गुणवत्ता की मानीटरी के प्रचालन और अनुरक्षण लागत की हिस्सेदारी।

3. प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों के नियमित प्रचालन और अनुरक्षण को सुनिश्चित करने की कार्यनीति।

4. परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन तथा अपशिष्ट निपटान हेतु प्राधिकारपत्र का जारी किया जाना ।

5. प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 1995–96 के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों व समितियों को केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय से वित्तीय सहायता।

6. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों की भूमिका।

7. तटीय विनियमन क्षेत्र तथा तटीय क्षेत्रों में हॉट स्पाट्स का क्रियान्वयन।

8. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के तहत उपकर के मूल्यांकन के लिए सरलता से जैव अवक्रमणीय तथा गैर जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को परिभाषित करने के मानदण्ड।

9. राज्य बोर्डों के सुझावों पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंचलिक कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले कार्य–कलाप।

अध्यक्षों और सदस्य सचिवों की उपर्युक्त बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

1. प्रदूषण जागरूकता और सहायता केन्द्र

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों में प्रदूषण जागरूकता और सहायता केन्द्र स्थापित किए जाने हैं। ये केन्द्र सूचना के प्रचार–प्रसार तथा प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों हेतु सार्वजनिक अंतः क्रिया के लिए उत्तरदायी होंगे। ये केन्द्र, बोर्ड/समितियों द्वारा अथवा संबंधित प्राधिकारियों के जरिए आवश्यक कार्रवाई के लिए जनता से सुझाव और शिकायतें प्राप्त करेंगे। इन केन्द्रों की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

2. सामुदायिक कार्यवाही के माध्यम से प्रदूषण–उपशमन

सामुदायिक कार्यवाही के माध्यम से प्रदूषण उपशमन की एक स्कीम शुरू की जाती है। इस स्कीम का मूल उद्देश्य आस–पास के क्षेत्रों की सफाई के लिए जनता का समर्थन और उनकी भागीदारी प्राप्त करना है। इस स्कीम के तहत किए जाने वाले कार्यों में स्थानीय उत्सर्जन नियंत्रण, शोर–नियंत्रण तथा अपशिष्ट न्यूनीकरण जैसे कार्य हैं। प्रदूषण–रोधी अभियान आयोजित किए जाएंगे और प्रत्येक माह के पहले सप्ताह को प्रदूषण रोधी सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इस स्कीम के जरिए गैर–सरकारी संगठनों, आवास एसोसिएशनों, विद्यार्थियों और पूर्व सैनिकों को सहायता दी जानी है। इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रवार प्रदूषण नियंत्रण कार्य ग्रुप, प्रदूषण नियंत्रण वार्डन और प्रदूषण नियंत्रण स्काउट बनाए जाएंगे। इस प्रस्ताव पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

खाद्यान्नों की खपत

*337. श्री मोहन सिंह (देवरिया):
श्री विजय एन. पाटील:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994–95 के दौरान देश में कृषि उत्पादों के कुल उत्पादन की तुलना में कुल खपत कितनी है;

(ख) क्या खाद्यान्नों की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता/खपत की स्थिति को बनाए रखा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान वर्ष–वार खाद्यान्नों की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता/खपत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में यदि कोई कमी आई हो तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): (क) कृषि उत्पादों के कुल खपत के अनुमान तैयार नहीं किए जा रहे हैं। फिर भी, 1995 के दौरान, लगभग 187.8 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों की कुल खपत का अनुमान लगाया गया, जबकि उत्पादन 191.10 मिलियन मीटरी टन था।

(ख) जी, हां।

(ग) आठवीं योजना में वर्ष-वार खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता/खपत निम्नलिखित है:-

वर्ष	खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता (ग्राम/दिन)
1993	462.7(अ)
1994	469.5 (अ)
1995	501.9 (अ)

(अ) अनन्तिम

(घ) खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता

*338. **श्री रामेश्वर पाटीदार**: क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद तथा शिक्षण संस्थाओं को उनकी ज्ञानकी अनुसंधान क्षमता में वृद्धि करने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वित्तीय/तकनीकी सहायता उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सहायता से शुरू की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम "भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के सुदृढ़ीकरण" की एक परियोजना को सहायता दे रही है। यह परियोजना पांच सालों की अवधि अर्थात् वर्ष 1992-97 में कार्यान्वित की जा रही है।

भारत सरकार का अंशदान और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता क्रमशः 21.94 मिलियन रुपए और 2.56 मिलियन अमरीकी डालर की है। इस परियोजना में शामिल मुख्य घटकों में उपकरणों और सामग्री की खरीद, किसानों, महिलाओं और आदिवासियों के लिए प्रशिक्षण और प्रदर्शनियों का आयोजन, तकनीकी पैकेजों के प्रसार के लिए राज्य अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोग, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शी सेवाओं का उपयोग तथा वानिकी की समस्याओं से सम्बन्धित सर्वेक्षण और अध्ययन करना शामिल है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों के उद्देश्य

*339. **श्री विजय कृष्ण हाण्डिक**: क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न जीव-जन्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए 514 राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों को सुरक्षित क्षेत्रों के रूप में रखने के उद्देश्यों का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक इन उद्देश्यों की पूर्ति हुई है; और

(ग) यदि इसमें कोई कमी रह गई है तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग). राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत की जाती है ताकि उन क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास हो सके जो अपने पारिस्थितिकीय, प्राणिजातीय, वनस्पतिजातीय, भू-आकृति विज्ञानी अथवा प्राणि विज्ञानी विशेषताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून ने संरक्षित नेटवर्क से देश में भौगोलिक क्षेत्रों के 4.6 प्रतिशत तक वृद्धि करने की सिफारिश की है ताकि सभी जैव भौगोलिक अंचलों के प्रतिनिधिक क्षेत्रों को इसके तहत लाया जा सके। इस समय 521 संरक्षित क्षेत्र हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 4.52 प्रतिशत है। इस तरह हम अपने लक्ष्य से दूर नहीं हैं।

छोटे बंदरगाहों पर सुविधाएं

*340. **श्री सी. के. कुप्पुस्वामी**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के छोटे बंदरगाहों पर पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं जिसके कारण इन छोटे बंदरगाहों पर मछली पकड़ने संबंधी कार्य अच्छी प्रकार से नहीं हो पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): (क) से (ग). भारत के सम्पूर्ण समुद्र तट पर स्थापित 27 लघु मात्स्यिकी बंदरगाहों पर बुनियादी ढांचे की सुविधाएं सुलभ करायी जा चुकी हैं। इन मत्स्यिकी बंदरगाहों पर माल उतारने, नौका खड़ी करने, मछली की नीलामी, मरम्मत, जलपूर्ति, डीजल पूर्ति तथा अन्य कार्यकलापों के लिये कुछ या समग्र सुविधायें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त परंपरागत और यंत्रीकृत मत्स्यन बेड़े की जरूरतें पूरी करने के लिए 112 मछली उतारने के केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। अनुमान है कि अब लगभग आधी यंत्रीकृत नौकाओं के लिये लघु मात्स्यिकी बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्रों पर नौका खड़ी करने और मछली उतारने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी

3359. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य से स्वतंत्रता सेनानियों, कलाकारों, संगीतज्ञों, कवियों और प्रख्यात व्यक्तियों जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, की जीवनी लिखने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं,

(ख) इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम निकला,

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार ऐसे कितने प्रकाशन प्रकाशित किए गए और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) निकट भविष्य में ऐसे कितने प्रकाशनों के प्रकाशित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दलहन

3360. श्री सनत कुमार मंडल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल ऐसा क्षेत्र है जहां दालों की खेती का बड़े स्तर पर संचालन किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा क्या सहायता देने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां): (क) दालों के उत्पादन में 1987-88 से सामान्यतः कमी आई है। बहरहाल, रबी अरहर, मसूर तथा ग्रीष्म दलहन जैसे मूंग, उड़द आदि के उत्पादन में वृद्धि होने की कुछ गुंजाइश है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना का कार्यान्वयन पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद तथा नादिया जिलों में किया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत किसानों को बीजों के उत्पादन तथा वितरण, राइजोबियम कल्चर, छिड़काव यंत्रों, उन्नत कृषि उपस्कर आदि, फैरोमोन ट्रैप्स, समेकित कीट प्रबन्ध, प्रदर्शन, दाल प्रोसेसर्स/स्टोरेज बिन, सूक्ष्मपोषक तत्वों, खुदरा विक्रय केन्द्र खोलने तथा प्रशिक्षण हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित अग्रणी प्रदर्शनी तथा राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्रखण्ड प्रदर्शनी के माध्यम से उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार किया जाता है। इस परियोजना की लागत को भारत सरकार तथा राज्य द्वारा 75:25 के आधार पर वहन किया जा रहा है।

अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा

3361. श्री शिव शरण वर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में शिक्षा के आधारभूत ढांचे के विकास हेतु 4.57 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों में शिक्षा के प्रचार हेतु किए गए विशेष उपायों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, हां।

(ख) कार्य योजना, 1992 के अनुसरण में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए वर्ष 1993-94 में दो नई केन्द्रीय योजनाएं शुरू की गई थीं। इन योजनाओं के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी:

योजना	वर्ष	राशि (लाख रु में)
शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम	1993-94	45.00 रु.
	1994-95	83.51रु.
मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की योजना	1993-94	3.04 रु.

आशुलेखन के लिये वित्तीय अनुदान

3362. **प्रो. प्रेम धूमल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड" में आशुलेखन में कीर्तिमान स्थापित करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा वित्तीय अनुदान देने का कोई प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सूर्य मंदिर

3363. **श्री परसराम भारद्वाज:**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्णमासी की अवधि को छोड़कर रात के समय स्मारकों में कृत्रिम रूप से प्रकाश की व्यवस्था करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संदर्भ में सरकार को कोई टिप्पणी प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोणार्क (उड़ीसा) के सूर्य मंदिर में "फ्लड लाइट" की व्यवस्था होने के कारण उस ओर अनेक कीट आकर्षित होते हैं जिससे स्मारक को क्षति पहुंची है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) कोणार्क के सूर्य मंदिर के पर्यावरण और फ्लड लाइटिंग के कारण कुछ कीटों का कार्यकलाप कुछ क्षेत्रों में कतिपय अवधियों में देखा गया है।

(ङ) फ्लड लाइटिंग की तीव्रता और अवधि को सीमित करने के अलावा कैमिकल सफाई, कीटनाशी उपचार आदि जैसे अन्य उपचारी उपाय सावधिक रूप से किए जाते हैं।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवकों को उचित दर की दुकानों का आवंटन

3364. **श्री अर्जुन सिंह यादव:**
श्री हरि केवल प्रसाद:

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में सहकारिता के आधार पर बेरोजगार युवकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर की दुकानों को आबंटित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) उचित दर दुकानों का आवंटन करना राज्य सरकारों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे सहकारिताओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दें। उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के लिए उचित दर दुकानों का कुछ प्रतिशत आरक्षित करने की भी सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

सुन्दरवन के मैनग्रोव जंगल

3365. **श्री सुखेन्दु खां:** क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन के घने मैनग्रोव जंगलों की देखभाल संबंधी बेजोड़ कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय सहायता लम्बे समय से बन्द है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य को सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (घ). सुन्दरवन देश में उन पन्द्रह क्षेत्रों में से एक है जिसका चयन कच्छ वनस्पति कार्यक्रम के अन्तर्गत संरक्षण गतिविधियों के लिए किया गया है। इस मंत्रालय ने अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार को अवक्रमित कच्छ वनस्पति क्षेत्रों के सर्वेक्षण और सीमांकन, वनीकरण, नर्सरी विकास, सुरक्षा और पर्यावरणीय जागरूकता जैसी गतिविधियों के लिए 191 लाख रुपए का अनुदान दिया है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रबंध कार्यवाही योजनाओं को मंत्रालय द्वारा जांच की गई और वित्तीय सहायता रिलीज करने की कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

सोयाबीन की खेती

3366. **श्रीमती भावना चिखलिया:**
श्री एन. जे. राठवा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सोयाबीन खेती के क्षेत्र के विस्तार की अत्यधिक गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सोयाबीन की बिक्री हेतु विपणन सुविधायें प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां): (क) और (ख). जी, हां। 1991–92 से 1993–94 तक कवर किये गये क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ). सोयाबीन के लिये विपणन सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 1995–96 के लिये पीले और काले किस्म के सोयाबीन के लिये क्रमशः 680 रु. और 600 रुपये का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। इसके अलावा यदि बाजार मूल्य समर्थन मूल्य से नीचे रहता है तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) को मूल्य समर्थन कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी हैं।

विवरण

1991–92 से 1993–94 तक सोयाबीन के क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा

(हजार हैक्टेयर)

राज्य	1991–92	1992–93	1993–94
आन्ध्र प्रदेश	0.4	2.6	4.5
अरुणाचल प्रदेश	1.8	1.9	2.0
गुजरात	22.6	17.0	18.4
हिमाचल प्रदेश	0.6	0.9	0.8
कर्नाटक	31.9	41.3	37.8
मध्य प्रदेश	2648.8	3054.0	3289.5
महाराष्ट्र	273.7	365.0	501.7
मेघालय	0.9	0.9	0.9
मिजोरम	1.4	1.3	1.3

राज्य	1991–92	1992–93	1993–94
नागालैंड	3.2	3.5	4.0
उड़ीसा	0.9	0.9	0.9
राजस्थान	171.9	264.8	345.5
सिक्किम	5.4	3.6	3.6
उत्तर प्रदेश	20.9	20.4	36.1
पश्चिम बंगाल	0.4	0.6	0.5
अखिल भारत	3184.8	3788.7	4247.5

फल और सब्जी

3367. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार फल और सब्जी का उत्पादन बढ़ाने और अच्छे वातावरण में उनके प्राकृतिक विकास के लिये सुविधा प्रदान करने तथा रासायनिक तत्वों से उन्हें बचाने के उद्देश्य से उत्पादन केन्द्र गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक संगठन

3368. **श्री धर्मभिक्षम:** क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सहायता प्राप्त वनारोपण योजनाओं से किन–किन स्वैच्छिक संगठनों को लाभ हुआ है; और

(ख) प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन को राज्यवार कितनी धनराशि दी गई है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख). स्वैच्छिक संगठनों को वनीकरण योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1992–95 के तीन वर्षों के दौरान दी गई सहायता धनराशि को बताने वाली राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वनीकरण में जिन स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया गया है उनके राज्यवार नाम

राज्य	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	दी गई राशि (लाख रुपए)		
		1992–93	1993–94	1994–95
क. राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन				
आन्ध्र प्रदेश	प्रियदर्शिनी सोशल फारेस्ट्री डिवेलपमेंट सोसाइटी	1.20	–	–

राज्य	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	दी गई राशि (लाख रुपए)		
		1992–93	1993–94	1994–95
	पदमा वीडियो कल्चरल एसोसिएशन	2.03	–	–
	अनु.जा./अनु.जन जा./ पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण सेवा संगम	2.07	–	2.07
	सोशल एक्शन फॉर सोशल डिवेलपमेंट	0.82	–	–
	साउथ इंडियन ऐनर्जी प्लांटेशन सोसाइटी	2.39	–	–
	आं. प्र. ट्राइबल वेलफेयर यूनियन	–	1.00	–
	इंदिरा गांधी ऐनर्जा प्लांटेशन डिवेलपमेंट सोसाइटी	–	3.00	–
	"एक्टिव"	–	0.35	–
	रायलसीमा सोशल सर्विस समिति	–	–	2.00
	व्यावसायिक मरयू संघिका अभिवृद्धी संस्था	–	–	1.30
	वेंकटेश्वर रूरल सर्विस सोसाइटी	–	–	1.00
	शिव हरिजन महिला मण्डल	–	–	1.38
बिहार	सोसाइटी ऑफ हिल रिसोर्स मैनेजमेंट स्कूल	22.46	20.45	6.45
	ग्रामीण विकास परिषद	4.19	–	6.29
	संथाल परगना ग्राम उद्योग पर्यावरण समिति	3.00	–	–

राज्य	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	दी गई राशि (लाख रुपए)		
		1992–93	1993–94	1994–95
	विकास भारती	3.00	1.77	2.07
	ग्राम विकास केन्द्र	1.24	1.50	–
	बिहार ग्रामीण किसान विकास संघ	2.50	1.50	3.47
	बिहार रिलीफ कमेटी	0.72	–	–
	जन विकास केन्द्र	0.23	–	–
	अग्रेरियन एसिसटेंस एसोसिएशन	–	5.10	1.15
	आम्लागोड़ा सेवा फाउण्डेशन	–	0.72	1.47
	रांची कन्सोर्टियम फार कम्युनिटी फारेस्ट्री	–	1.75	–
	नव भारत जागृति केन्द्र	–	3.71	–
	मां दुर्गा विकास समिति	–	–	1.86
	सिंहभूम ग्राम उन्नयन समिति	–	–	0.53
	नेचर कन्जरवेशन सोसाइटी	–	–	2.00
गुजरात	वनवासी महिला गृह उद्योग उत्पादक सहकारी मण्डली	1.91	7.90	7.17
	आगा खांरल सपोर्ट पोग्राम	–	2.72	–
	इंटरनेशनल रूरल एजुकेशन एण्ड कल्चरल एसोसिएशन	0.50	0.50	–

राज्य	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	दी गई राशि (लाख रुपए)		
		1992–93	1993–94	1994–95
हरियाणा	भारत यात्रा ट्रस्ट	5.00	–	–
	खोरी सेन्टर	9.13	–	–
	चौधरी ग्रीनिंग एण्ड वेलफेयर सोसाइटी	3.00	–	–
हिमाचल प्रदेश	"रूचि"	2.42	–	–
	हिमालय वेस्टलैण्ड्स डिवेलपमेंट पॉल्यूशन कन्ट्रोल	–	2.00	1.83
	महिला मण्डल	–	0.42	–
जम्मू व कश्मीर	शिव ग्राम उद्योग मण्डल	1.00	–	1.80
कर्नाटक	तरलबालू रूरल डिवेलपमेंट फाउण्डेशन	1.53	–	–
महाराष्ट्र	जीवन संस्थान	1.48	–	–
	"निरिद"	–	0.99	–
मणीपुर	वालण्टियर्स फार सांईटिफिक एक्शन रूरल डिवेलपमेंट	2.39		–
	साउथ ईस्टर्न रूरल डिवेलपमेंट आर्गनाइजेशन	1.00	–	–
मिज़ोरम	मिजोरम वालण्टरी सोसाइटी	3.35	–	–
मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास मण्डल	3.95	–	–
	नेशनल सेंटर फार ह्यूमन सेटलमेंट एण्ड एनवायरनमेंट	3.82	1.70	–
	प्रयोग समाज सेवी संस्थान	–	–	1.76

राज्य	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	दी गई राशि (लाख रुपए)		
		1992-93	1993-94	1994-95
	सेवा निकेतन	-	-	0.68
नई दिल्ली	नौशील इण्टिग्रेटेड रूरल प्रौजेक्ट फार हैल्थ	2.39	-	-
	डिवेलपमेंट अल्टरनेटिव	0.37	0.48	-
	सेंटर फार इम्प्रूवमेंट आफ रूरल एम्प्लाईज	2.14	-	-
	ई एम ई एडवेन्चर स्पोर्ट्स एसोसिएशन	-	0.85	-
	सोसाइटी फार प्रमोशन आफ वैस्टलैण्ड डिवेलपमेंट	-	-	1.35
उड़ीसा	अरुण इन्स्टीट्यूट फार रूरल अफेयर्स	1.79	-	-
	कस्तूरीबाई महिला समिति	2.00	3.00	2.00
	विकास परिषद्	0.80	-	-
	शिक्षा निकेतन	2.53	-	-
	गांधियन इन्स्टीट्यूट फार टेक.एडवांसमेंट	-	3.00	1.00
	आल इंडिया हरिजन सेवक संघ	-	2.55	-
	विद्युत क्लब	-	0.55	-
	गोबीनाथ युवक सेवक संघ	-	0.64	-
	उड़ीसा सोशल रूरल टेक. इन्सटीट्यूट	-	2.72	3.63
	ग्राम सेवा मण्डल	-	0.23	-

राज्य	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	दी गई राशि (लाख रुपए)		
		1992–93	1993–94	1994–95
	इंडिया डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट	–	0.50	–
	सिशुराहजा क्लब	–	–	5.07
	अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद्	–	–	2.00
	आदर्श सेवा संगठन	–	–	3.40
	कटक जिला हरिजन आदिवासी सेवा संस्कार योजना	1.91	–	2.00
	इन्स्टीट्यूट फार सेल्फ इम्प्लायमेंट एण्ड रूरल डिवेलपमेंट	–	–	1.88
	आदिवासी हरिजन वेलफेयर एजेंसी	–	–	2.66
राजस्थान	विकास संस्थान	–	1.00	1.00
	मालमाथा वन श्रमिक सहकारी समिति	0.57	–	–
	विद्या भवन कृषि विज्ञान केन्द्र	2.00	–	–
	गायत्री शिक्षा सदन संस्थान	1.50	–	0.88
	श्री नाथवाड़ा टेम्पल बोर्ड	1.50	–	–
	वन्नद संस्था	2.20	1.99	1.04
	मोटा पोंढ़ा विभाग वृक्ष उत्पादक समिति	2.70	–	–
	सेवांजलि सोसायटी	–	0.58	–
	विध्यांचल पर्यावरण अभियान समिति	–	0.19	0.21

राज्य	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	दी गई राशि (लाख रुपए)		
		1992–93	1993–94	1994–95
सिक्किम	पर्यावरण संरक्षण समिति	–	1.50	1.50
तमिलनाडु	रूरल एजूकेशन एण्ड डिवेलपमेंट सोसायटी	2.48	–	–
	"आरकोड"	1.47	–	–
	सेंटर फार सर्विस एण्ड रिसर्च	0.40	–	–
	गांधीग्राम रूरल इन्स्टीट्यूट	2.00	2.50	–
	कम्यूनिटी एक्शन फार फूड एण्ड रूरल डिवेलपमेंट	0.49	–	2.00
	टी.एन. बोर्ड फार रूरल डिवेलपमेंट	3.00	–	–
	एक्टिवेस्ट्स फार सोशल अल्टरनेटिव्स	4.50	2.50	4.01
	सेम्पत्ती हिल इनिशियेटर्स फार इकालॉजिकल डिवेलपमेंट	1.00	–	1.17
	विलेज रिकन्स्ट्रक्शन्स एण्ड डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट	–	0.93	–
	सेंट जोसेफ एजूकेशन ट्रस्ट	–	3.00	4.87
	एस. वी. एस. एजूकेशन ट्रस्ट	–	–	1.75
	रूरल एजूकेशन फार एक्शन एण्ड डिवेलपमेंट	–	–	1.03
	एक्शन ग्रुप फार रूरल आर्गेनाइजेशन	–	–	3.00
	"ग्रामोदय"	–	–	1.83
	सेंटर फार पीस एण्ड रूरल डिवेलपमेंट	–	–	2.00

राज्य	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	दी गई राशि (लाख रुपए)		
		1992–93	1993–94	1994–95
	सस्टेनेवल एग्री. एण्ड एनवा. वाल. एक्शन	–	–	1.50
	पालनी हिल कन्जरवेशन काउंसिल	–	–	2.50
	सेंटर फॉर रूरल एजूकेशन रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट एसोसिएशन	–	–	1.00
	सेंट जोसेफ एजूकेशन ट्रस्ट	–	–	1.40
त्रिपुरा	त्रिपुरा आदिमजाति सेवक संघ	0.50	–	–
उत्तर प्रदेश	किसान वृक्षारोपण समिति	2.00	–	–
	यूनिक ग्रामोदय संस्थान	3.00	–	–
	इंदिरा विकास नर्सरी	2.99	5.31	3.64
3	माधव सेवा संस्थान	3.50	–	– 4
	सेंट्रल हिमालयन रूरल एक्शन ग्रुप	14.76	10.98	–
	"आरोही"	–	3.00	1.00
	पन हिमालयन ग्रासरूट डिवेलपमेंट फाउण्डेशन	–	3.15	2.00
	बाल भारती विद्या मंदिर समिति	–	–	1.50
	ग्रामीण विकास समिति	–	–	1.33
	नव युवक विकास संस्था	–	–	1.31
	भूतपूर्व सैनिक पारि–संरक्षण समिति	–	–	2.00
पश्चिम बंगाल	खायरवनी ग्राम उन्नयन समिति	0.09	2.73	3.78
	कमालपुर आदिवासी महिला उन्नयन समिति	0.40	–	–

राज्य	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	दी गई राशि (लाख रुपए)		
		1992–93	1993–94	1994–95
	विवेकानंद आदिवासी कल्याण समिति	0.47	–	–
	स्कूल आफ फण्डामेंटल रिसर्च	1.78	1.58	1.00
	लिबरल एसोसिएशन फार मूवमेंट आफ पीपुल	1.00	1.36	3.77
	अमर सेवा संघ	1.38	–	–
	मार्शल दाहर गुन्टा	0.54	–	–
	पुरूलिया पल्ली सेवा संघ	2.25	–	–
	इन्टीट्यूट आफ ट्रेनिंग एण्ड डिवेलपमेंट	0.50	0.22	–
	मानभूम जातिया पल्ली सेवा संघ	0.27	–	–
	आम्लातोरा पल्ली सेवा संघ	–	0.93	0.93
	चम्तागोरा आदिवासी महिला समिति	–	0.50	–
	विवेकानंद लोकशिक्षा	–	0.27	3.11
	घोरानी नगर रूरल डिवेलेपमेंट सोसायटी	–	1.50	3.60
	जमगोरिया सेवाव्रत	–	3.77	–
	रीजनल रिसर्च एण्ड स्टडी सेंटर	–	4.00	10.13
	पूर्वांचल निवेदिता महिला समिति	–	–	0.51
	मानव कल्याण खादी ग्राम उद्योग समिति	–	–	2.10
	डॉ. अम्बेडकर सोसायटी	–	–	1.00

राज्य	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	दी गई राशि (लाख रुपए)		
		1992–93	1993–94	1994–95
	दि वेव ऑफ एनवायरनमेंट	–	–	2.00
	"देरा"	–	–	0.30
	मैहसाना संतालपारा आदिवासी महिला समिति	–	0.56	–
	धोरानी राय मैमोरियल सेल्फ ट्रेनिंग स्कूल	–	–	1.00
ख.	**राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन**			
आन्ध्र प्रदेश				
	सोशल इकोनामिक्स एजुकेशनल डिवेलपमेंट सोसायटी	1.07	–	05.3
	प्रजा भारतीय सेवा समिति	1.50	–	–
	रूरल एजूकेशन एण्ड इकोनामिक डिवेलपमेंट सोसायटी	0.60	–	–
	कृष्णावेनी ट्री ग्रोवर्स सोसायटी	1.10	–	1.38
	स्वजन यूथ एसोसिएशन	0.97	–	–
	इन्ट्रीग्रेटिड रूरल डिवेलपमेंट वेलफेयर सोसायटी	1.05	–	–
	रूरल डिवेलपमेंट सोसायटी	1.50	–	–
	सोशल एक्शन फॉर सोशल डिवेलपमेंट	0.50	1.65	–
	वेंकटेश्वतर ट्री ग्रोवर्स कोआरेटिव सोसायटी	193	–	1.93
	ऋषि वेली स्कूल	4.00	–	–
	पीपुल्स आर्गेनाईजेशन फॉर रूरल पूअर	–	1.00	–
	इंदिरा इन्ट्रीग्रेटिड डिवलेपमेंट सोसायटी	–	1.00	–
	सेन्टर फॉर सोशल डिवलेपमेंट	–	0.36	–

राज्य	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	दी गई राशि (लाख रुपए)		
		1992–93	1993–94	1994–95
	पदमा वीडियो कल्चरल एसोसिएशन	–	2.00	–
	साधना	–	0.77	–
	गुंटूर रूरल एजुकेशनल डिवलेपमेंट सोसायटी	–	1.16	–
	सोसायटी फॉर इन्टीग्रेटिड रूरल डिवलेपमेंट प्रोग्राम	–	0.77	–
	ट्रस्ट फॉर रूरल अपलिफ्टमेन्ट एण्ड एजूकेशन	–	1.13	–
	यूथ एक्शन फॉर रूरल डिवलेपमेंट	–	1.16	–
	दक्कन डिवेलपमेंट सोसायटी	–	27.84	–
	श्री दुर्गा एजूकेशनल सोसायटी	–	–	1.99
	रूरल डिवलेपमेंट आर्गनाइजेशन	–	–	1.16
	संजय गांधी मेमोरियल एनर्जी प्लांटेशन सोसायटी	–	–	1.16
	रूरल एजूकेशनल एण्ड अवेयरनेस डिवलेपमेंट सोसायटी	–	–	1.12
	गुड समैरिटन इवाल्जलीकल एण्ड सोशल वैलफेयर एसोसिएशन	–	–	0.78
	चैतन्य रूरल डिवेलपमेंट एसोसिएशन	–	–	1.16
	पीपुल्स एक्शन इन डिवलेपमेंट	–	–	2.87
	सोसायटी फॉर एक्शन विद रूरल पूअर	–	–	1.08
	ब्राइट इन्टीग्रेटेड रूरल डिवलेपमेंट सोसायटी	–	–	1.96
	एक्शन ग्रुप फॉर रूरल आर्गेनाइजेशन (एग्रो)	–	–	1.55
	नवजीवन सेवा संगम	–	–	1.16
	मदर इंडिया कॉम्यूनिटी डिवलेपमेंट एसोसिएशन	–	–	0.54

राज्य	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	दी गई राशि (लाख रुपए)		
		1992–93	1993–94	1994–95
	रिसर्च इंटीग्रेटेड सोशल डिवलेपमेंट एक्शन	–	–	1.08
	वालंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटीग्रेटेड कॉम्यूनिटी इमैंनशीपेशन	–	–	1.52
	सेवा भारती		–	0.85
	श्री सीता रामजन्य उद्यानवना समिति		–	0.90
	दि मिराद्दा	–	–	5.28
	एक्शन फॉर गिरीजन डिवलेपमेंट	–	–	0.85
	यूथ फॉर एक्शन	–	–	2.87
	सोसायटी फॉर ह्यूमन डिवेलपमेंट एंड रूरल प्रवेसोंरिटी	–	–	0.97
बिहार	शिवानी वृक्षारोपण वन विकास ग्राम समिति	2.00	–	–
	कॉनसोरटीयम ऑफ हमून एनलार्जमेंट एंड टैक्नी.	0.75	–	–
	नेचर एसोसिएशन (चेतना)	–	–	–
	अदिति	1.76	2.92	–
	ग्रामीण विकास परिषद्	4.36	–	–
	बी. एन. कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी	–	0.40	–
	संथाल परगना ग्रामोद्योग समिति	–	3.23	–
	पूर्णिया जिला समग्र विकास परिषद्	–	3.00	–
	सर्वोदय सेवा संघ	–	2.38	–
	सोसायटी फॉर हिल रिसोर्सेस मैंनेजमेंट स्कूल	–	11.86	–
	डीआरडीए लोहारडगा (17 गैर–सरकारी संगठनों की (ओर से)	–	–	103.41

राज्य	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	दी गई राशि (लाख रुपए)		
		1992-93	1993-94	1994-95
	बिहार रिलीफ कमेटी	–	–	0.72
	संथाल परगना विकास एवं सेवा संस्थान	–	–	0.49
	बिहार ग्रामीण अंत्योदय विकास परिषद्	–	–	2.25
दिल्ली				
	ऑल इंडिया ग्राम प्रधान संघ	–	2.76	–
	रिसर्च एंड एक्सटेंन्शन एसोसिएशन	–	0.64	–
	रामजस स्कूल	–	0.13	–
	रूरल डिवेलपमेंट एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी	–	3.50	–
	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	–	–	3.59
गुजरात				
	सर्वोदय पशु विकास सहकारी मंडली लिमिटेड	–	1.63	–
	सेंटर फॉर एनवायरनमेंट ऐजूकेशन नेहरू फाउंडेशन	–	2.01	–
	सैल्फ एम्पलायड वीमेन एसोसिएशन	–	0.51	0.52
	आगा खां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम	–	0.78	–
	विक्रम साराभाई सेंटर फॉर डिवेलपमेंट इंटरैक्शन	–	–	0.77
	श्री आदिवासी मजदूर कारीगर एंड कामदार विकास मंडल	–	–	0.77
हरियाणा				
	भारत यात्रा सेंटर	–	–	2.91
	ग्रामीण एजूकेशन सोशल वैलफेयर	2.00	–	–

राज्य	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	दी गई राशि (लाख रुपए)		
		1992–93	1993–94	1994–95
	नवयुवक कला संगम	1.52	–	–
	चौबिसी विकास संघ	1.00	–	
	दीप युवा क्लब	–	1.25	
	हरियाणा नव युवक कला संगम	–	2.66	–
	ग्रामीण विकास अनुसंधान केन्द्र	–	–	0.70
	मानेसर प्रोजैक्ट	–	–	7.37
हिमाचल प्रदेश				
	हिमालय वेस्टलैंड डिवेलपमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन	–	0.58	–
जम्मू और कश्मीर				
	श्री माता वैष्णव देवी साइन बोर्ड	–	29.00	–
केरल				
	सोशल वर्क रिसर्च सेंटर	–	–	1.75
	पीरमेड डिवेलपमेंट सोसायटी	–	10.72	10.72
	सॉलीडैरिटी मूवमेंट ऑफ इंडिया	–	–	1.28
कर्नाटक				
	डिवेलपमेंट आल्टरनेटिव फॉर टुमकुर	–	17.98	–
मणीपुर				
	कायामेगी कोइकोरम लेइकइ वीमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन	2.51	–	–
	आर्गेनाइजेशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ जूम एंड शिफ्टिंग	0.60	2.00	0.58

राज्य	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	दी गई राशि (लाख रुपए)		
		1992–93	1993–94	1994–95
	कल्टिवेशन एन्ड एडवांसमेंट ऑफ स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज	–	– –	
	एसोसिएशन फॉर डिवेलपमेंट ऑफ रूरल एग्रीकल्चर एन्ड इन्डस्ट्रियल एडवांस टेक्नोलोजी	2.00	–	–
	दि थानलोन एरिया महिला मंडल	1.66	–	–
	पतजांग खादी एन्ड विलेज इन्डस्ट्रीज	2.35	–	–
	इन्टीग्रेटिड रूरल पिपुल डिवेलपमेंट	1.00	–	–
	इमगचेप मेमोरियल आरफेनेज एण्ड चिल्ड्रन होम	1.00	–	–
	नामाचिंग ट्राइबल वीमेन वीविंग एसोसिएशन	1.01	–	–
	डयूलोन ज्वाइंट फार्मिंग एसोसिएशन	1.08	–	–
	नाटोक काबुई मल्टी परपज को आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड	0.60	–	–
	द रूरल इन्डस्ट्रीज डिवेलपमेंट एसोसिएशन	2.00	–	1.98
	रूरल सर्विस एजेंसी	1.69	–	–
	रूरल डिवेलपमेंट एजेंसी	1.13	–	–
	सुर्माचिनवुय यूथ वेलफेयर एसोसिएशन	1.00	–	–
	रूरल डिवेलपमेंट सोसायटी	0.20	–	–
	मणीपुर ईस्टर्न रूरल पीपुल डिवेलपमेंट सोसायटी	0.89	–	–
	साउथ ईस्टर्न रूरल डिवेलपमेंट आर्गेनाइजेशन	–	2.32	2.32
	मणीपुर रूरल इन्टीग्रेटिड सोशल डिवेलपमेंट काउंसिल	–	1.59	–
	इन्टीग्रेटिड ट्राइबल डिवेलपमेंट सोसायटी	–	2.00	–
	वीकर सेक्शन डिवेलपमेंट एसोसिएशन	–	1.43	1.43
	दि रूरल रिकन्सट्रक्शन आर्गेनाइजेशन	–	0.95	–
	दि आइडियल मदर्स एसोसिएशन	–	1.00	–

राज्य	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	दी गई राशि (लाख रुपए)		
		1992–93	1993–94	1994–95
	यूनाईटेड ट्राइबल डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट	–	2.98	–
	यूनाईटेड ट्राइबल डिवेलपमेंट सोसायटी	–	–	1.00
	जेलोनअंगलोंग बैपतिस्त चर्चेज काउंसिल	–	–	0.79
महाराष्ट्र				
	ग्रामीण विकास मंडल	1.63	–	1.00
	प्रगति एग्रीकल्चरल इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग सेन्टर	4.50	–	–
	यवतमाल जिला शेतकारी उत्पादक संघ	–	1.00	–
	वाटर एंड लेन्ड मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट	–	1.17	–
	जीवन संस्था	–	3.68	–
	अमरावती यूनिवर्सिटी	–	0.88	–
	एग्रो फारेस्ट्री फाउन्डेशन	–	48.60	48.60
	सुविधे फाउन्डेशन	–	1.19	–
	नबलभाऊ प्रतिष्ठान	–	–	1.24
	आर्मी फाउन्डेशन फॉर एन्वायरमेंट कंजरवेशन	–	–	23.32
	धनवन्तरी मेडिकल फाऊन्डेशन	–	–	1.20
	संधि निकेतन शिक्षण संस्थान	–	–	1.16
	नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल इन्टीग्रेटिड डिवेलपमेंट	–	–	1.00
	जय मल्हार कृषि विकास प्रतिष्ठान	–	–	0.93
मध्य प्रदेश				
	पर्यावरण वानिकी सहकारी समिति	0.58	–	–

राज्य	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	दी गई राशि (लाख रुपए)		
		1992–93	1993–94	1994–95
	नेशनल सेन्टर फार ह्यूमन सेलमेंट एंड एन्वायरनमेंट	–	16.93	–
मिजोरम				
	मिजोरम रूरल ट्राइबल डिवेलपमें सोसाइटी	–	–	2.70
नागालैंड				
	इंमाल्पूयल सोसाइटी लोंगसा मोकॉकचुंग	–	1.99	–
	लिक्या वीमेन सोसाइटी	–	–	2.21
उड़ीसा				
	रूरल डिवेलपमें सेन्टर	1.50	–	–
	ग्राम उन्नयन समिति	–	–	0.77
	आदर्श शिक्षा केन्द्र	–	–	1.72
राजस्थान				
	नवयुलक मण्डल	–	1.00	1.00
	भौरका चेरीटेबल ट्रस्ट	–	2.65	–
	पर्यावरण समयआवाम अनुसंधान दल	–	1.99	–
	राजस्थान मानव विकास समिति	–	2.19	–
	नेहरू नव युवक मण्डल	–	–	2.00
सिक्किम				
	देंगजोंग वृक्षारोपण समिति	1.60	–	–
	पर्यावरण संरक्षण समिति	1.47	–	–

राज्य	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	दी गई राशि (लाख रुपए)		
		1992–93	1993–94	1994–95
	अम्बा दियोराली यूथ क्लब	–	1.20	–
तमिलनाडु				
	सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल एण्ड एन्वायरन्मेंट वान्ट्री एक्शन	0.67	–	0.90
	ग्रामधन भूदान डिवेलपमेंट संघ	0.80	–	–
	दि इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल डिवेलपमेंट	1.00	–	–
	दि एक्टीविट्स फार सोशल आल्टरनेटिवस	–	1.55	–
	"आरोमित्रा"	–	11.39	6.50
	सोशल वेलफेयर आर्गनाईजेशन ट्रस्ट	–	0.50	0.67
	हयूमन एक्शन फार रूरल पूंजर	–	0.85	–
	मद्रास लिटरेसा एसोसिएशन	–	0.54	–
	कम्युनिटी एक्शन फार रूरल डिवेलपमेंट	–	1.00	0.67
	रूरल कम्युनिटी ट्रस्ट	–	0.51	–
	गुडविल सोशल सेंटर	–	1.34	–
	एक्शन ग्रुप फार रूरल आर्गनाइजेशन	–	1.05	–
	अन्नई इन्द्रा साथिया सोंमुगा नाला माहालिर मन्द्ररम	–	1.12	–
	रूरल एजुकेशनल एण्ड इकोनामिक डिवेलपमेंट ऐसोसिएशन	–	–	1.13
उत्तर प्रदेश	उर्मिला ग्रामोद्योग समिति	1.51	–	–
	बंजारा विकास परिषद्	0.74	–	–
	बाबा श्रीनाथ शिक्षण संस्थान	1.12	–	–
	ग्रामीण विकास वृक्षारोपण समिति	2.07	1.93	1.93

राज्य	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	दी गई राशि (लाख रुपए)		
		1992–93	1993–94	1994–95
	द्रोणाचल ग्रामोदय एवं पर्यावरण संस्थान	–	1.68	–
	दयाल वृक्षारोपण समिति	1.68	3.69	3.69
	ग्रामोदय सेवा आश्रम	–	1.22	–
	नेहरू सेवा आश्रम	–	0.99	–
	किसान वृक्षारोपण समिति	3.54	6.68	6.68
	ग्रामोदय सेवा आश्रम	–	0.48	–
	यूपियस सोशल वेलफेयर सोसाइटी	2.25	2.00	–
	कृषक एवं समाज सेवी संस्था	–	2.30	–
	अखिल भारतीय विद्या परिषद्	–	1.66	–
	जन मानस विकास संस्थान	–	0.99	–
	हिमालयन इकोलोजी एण्ड ट्रीटमेंट ऑफ नेचर	–	1.16	–
	बांके बिहारी संस्कृत संस्थान	–	1.66	–
	रन्धोल वृक्षारोपण समिति	–	–	0.88
	हरित क्रान्ति सेवा संस्था	–	0.77	–
पश्चिम बंगाल				
	शेरपा देशबन्धु कबलव	5.38	–	–
	काउंसिल फार एनवायरनमेंट एण्ड अवेयरनेस डिवेलपमेंट	1.59	–	–
	भोरानीनगर रूरल डिवेलपमेंट सोसाइटी	0.55	–	–
	विलेज वेलफेयर सोसाइटी	1.44	1.87	–
	लिबरल एसोसिएशन फॉर मूवमेंट आफ पीपुल्स	–	1.00	–

राज्य	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	दी गई राशि (लाख रुपए)		
		1992–93	1993–94	1994–95
	श्रीकृष्ण क्लब	–	1.79	–
	आमोरंगोरी युवा संघ	–	1.00	–
	बालीटिकुरी विकास भवन	–	1.94	2.59
	"अगरागती"	–	1.00	1.46
	धरणी राय मेमोरियल सेल्फ–एम्पलॉयमेंट ट्रेनिंग स्कूल	–	0.65	–
	हन्सला हरा पर्वती क्लब	–	1.61	–
	लोक सेवा परिषद्	–	2.13	–
	विवेकानन्द आदिवासी कल्याण समिति	–	1.93	1.93
	मालिपूबर समाज उन्नयन समिति	–	2.65	–
	अमर सेवा संघ	–	–	0.69
	कन्चनजंगा ट्री प्लान्टेशन को–आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड	–	–	0.61

वेतनमान में विसंगति

3369. श्री संतोष कुमार गंगवार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के विभागों, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में सहायकों के वेतनमान में कोई विसंगति है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विसंगति को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). वित्त मंत्रालय के अनुसार चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा यथा–संस्तुत वेतनमान में विसंगति को ठीक करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सहायकों के वेतनमान 1.1.1986 से संसोधित किए गए थे। चूंकि स्वायत्त निकायों में सहायकों के वेतनमान में कोई विसंगति नहीं थी, अतः संशोधित वेतनमान उन पर लागू नहीं किए गए थे। इस सम्बन्ध में न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए, मामले पर पुनः विचार किया जा रहा है।

कालेजों में प्रवेश

3370. **श्री विश्वनाथ शर्मा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अगस्त, 1995 के चौथे सप्ताह में यह निर्णय दिया था कि ऐसे किसी भी छात्र अथवा छात्रा को उस विद्यालय की उच्चतर कक्षा में प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता जिसने उसी विद्यालय/महा विद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

(ख) क्या जुलाई, 1995 में उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में उन विद्यार्थियों द्वारा, जिन्हें उसी कॉलेज में अध्ययन करने के बावजूद भी आगे प्रवेश देने से मना कर दिया गया था, आंदोलन किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो भारत के उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई): (क) से (ग). विद्यालय/महाविद्यालय शिक्षा संबंधी प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। अतः इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के कथित अधिनिर्णय के परिप्रेक्ष्य में उसी संस्थान (विद्यालय/महाविद्यालय) में तथाकथित प्रवेश देने से मना करने के मामले की जांच करना तथा समुचित कार्रवाई करना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है।

असम में गोदाम

3371. **श्री द्वारका नाथ दास:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम के करीमगंज जिले के उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं को समय से प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; क्योंकि ये वस्तुएं 57 किलोमीटर दूर सिलचर से अनावश्यक खर्च कर लाई जा रही हैं;

(ख) सरकार द्वारा असम राज्य के करीमगंज में संपूर्ण भारतीय खाद्य निगम के गोदाम की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग). करीमगंज जिले के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के औसत मासिक आबंटन 2130 मीटरी टन है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने करीमजं में केन्द्रीय भण्डारण निगम से 476 मीटरी टन क्षमता का गोदाम किराये पर ले रखा है। यह करीमगंज से 22 किलोमीटर दूर बदरपुर घाट में अपने 5000 मीटरी टन क्षमता के एक अन्य गोदाम का प्रचालन भी करता है। फिलहाल भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भण्डारण सुविधाएं करीमगं जिले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। करीमगंज और बदरपुर घाट से स्टाक का उठान करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

नवोदय विद्यालय

3372. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवोदय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने हेतु मेधावी छात्रों को प्रवेश और प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) क्या वार्षिक परीक्षा परिणामों के मूल्यांकन से यह पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्तिम परीक्षाओं में छात्रों की उपलब्धियों/सफलताओं के स्तर में भारी रूप से गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त न किए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जवाहर नवोदय विद्यालय गति–नियामक संस्थाएँ हैं जिनमें दाखिले रा.शै. अनु.प्र.परि. द्वारा आयोजित एक प्रवेश–परीक्षा के आधार पर किए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण

3373. **श्री वसुदेव आचार्य:** क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण हेतु पूंजीगत कार्य को छोड़कर कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) पूंजीगत कार्य को छोड़कर अब तक कुल परिव्यय क्या था; और

(ग) परियोजनाओं/योजनाओं की कुल संख्या क्या है तथा इनमें से अब तक कितनी परियोजनाएं/योजनाएं स्वीकृत की गई है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में यथा निर्दिष्ट भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के लिए पूंजीगत कार्यों को छोड़कर निधियों का कुल आबंटन 900 लाख रुपए का है।

(ख) पूंजीगत कार्यों को छोड़कर 30.11.95 तक कुल 742. 26 लाख रुपए खर्च हो गए हैं।

(ग) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के शासनादेश में देश के पौध संसाधनों का सर्वेक्षण और अभिनिर्धारण तथा पौध नमूनों का संग्रहण, पौधों का वर्गीकरण विज्ञान संबंधी अध्ययन करना, राष्ट्रीय/राज्य/जिला मंचों के रूप में देश के पौध संसाधनों के लेखा जोखा का प्रकाशन, इसके नियंत्रणाधीन वनस्पति उद्यानों में जर्मप्लाज्म का अनुरक्षण तथा जागरूकता पैदा करने के लिए संग्रहालय का अनुरक्षण शामिल है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण को आबंटित निधियों का उपयोग इसके द्वारा शासनादेश के अनुसार अनवरत गतिविधियों के लिए किया जाता है।

ग्रहण का वन्य जीवों पर प्रभाव

3374. श्री अनादि चरण दास: क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर, 1995 के पूर्ण सूर्य ग्रहण के अवसर पर विशेषकर दिल्ली के चिड़िया घर में वन्य पशुओं/पक्षियों के व्यवहार पर कोई अनुसंधान कार्य कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग). पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान दिल्ली चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने मुक्त रूप से उड़ने वाले पक्षियों, स्तनपाइयों और सरीसृपों के व्यवहार में कुछ प्रेक्षण किए थे। मुक्त रूप से उड़ने वाले पक्षी विश्राम के लिए अपने घौंसलों में लौटने लगे थे और पक्षियों का चहचहाना पूर्णतः बंद हो गया था। स्तनपाई जीव अपने-अपने पिंजरों के कोनों में सिमट गए और मौन बैठे रहे। बंदी सरीसृपों के व्यवहार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। ग्रहण की अवधि के पश्चात् इन जीव जंतुओं में कोई असामान्यता नहीं देखी गई थी।

[हिन्दी]

गंगा कार्य योजना का दूसरा चरण

3375. श्री भगवान शंकर रावत: क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण में यमुना नदी की सफाई तथा अन्य कार्यक्रमों पर कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है;

(ख) उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन्हें ये कार्य सौंपे गए हैं;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय वित्त संगठनों द्वारा इस कार्यक्रम को लागू करने के लिये कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(घ) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ङ) इस निधि के कोष से धनराशि खर्च करने पर दण्ड के रूप में कितनी राशि दी गई है;

(च) क्या सरकार को आगरा में यमुना पर बांध बनाने संबंधी प्रस्ताव को शामिल करने हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) गंगा कार्य योजना चरण-II में यमुना नदी और अन्य नदियों की सफाई का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।

(ख) जिन एजेंसियों को कार्य सौंपे गए हैं उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ). यमुना कार्य योजना के लिए ओवरसीज इकोनामिक कारपोरेशन फंड आफ जापान से 17.77 बिलियन येन (भारतीय रुपये में वर्तमान मूल्य लगभग 600 करोड़) की राशि उपलब्ध है। यमुना कार्य योजना पर अब तक कुल 19.27 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। खर्च न की गई राशि के कारण धनराशि उपलब्ध करवाने वाली किसी भी एजेंसी को हर्जाना नहीं दिया गया।

(च) और (छ). उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत 60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर आगरा में बैराज निर्माण के प्रस्ताव के साथ नगर में जल आपूर्ति के लिए 32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत के प्रस्ताव को शामिल करने का अनुरोध किया है। केन्द्रीय जल आयोग ने प्रस्ताव पर तकनीकी टिप्पणियां मार्च, 1994 से नवम्बर, 1994 के बीच उत्तर प्रदेश सरकार को अनुपालन के लिए भेज दी थीं। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।

विवरण

कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम जिन्हें गंगा कार्य योजना चरण II के कार्य सौंपे गए हैं

क्र. सं.	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम
1.	हरियाणा	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग

क्र. सं.	राज्य		कार्यान्वयन एजेंसी का नाम
2.	दिल्ली		दिल्ली जलापूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान
3.	उत्तर प्रदेश		उत्तर प्रदेश जल निगम
4.	बिहार	(i)	बिहार राज्य जल परिषद
		(ii)	कोल माइनिंग एरिया डिवेलपमेंट अथॉरिटी
5.	पश्चिम बंगाल	(i)	कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण
		(ii)	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग

[अनुवाद]

राष्ट्रीय साक्षरता अभियान

3376. **श्री सैयद शहाबुद्दीन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता अभियान का लक्ष्य अशिक्षित व्यक्ति को उसकी मातृभाषा अथवा उस राज्य की मुख्य भाषा अथवा हिन्दी अथवा एक से अधिक भाषा में शिक्षित करना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख). संपूर्ण साक्षरता/उत्तर साक्षरता अभियान परियोजना के अन्तर्गत संपूर्ण देश में निरक्षरों को उनकी अपनी मातृभाषा में ही कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की कार्यनीति है। तथापि, किसी विशेष जिले के स्थानान्तरित समुदाय के शिक्षुओं की यदि कोई मांग हो तो उसके आधार पर संबंधित जिला साक्षरता समितियों द्वारा उनकी मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में भी शिक्षा प्रदान की जाती है।

आई. टी. डी. पी. तथा डी. पी. ए. पी. के अंतर्गत चावल पर राजसहायता

3377. **श्री अन्ना जोशी:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के प्रखण्डों में समेकित जनजातीय विकास परियोजना तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तियों को दो रुपए प्रति किलो चावल उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने परिवारों को शामिल करने का विचार है; और

(ग) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री श्री विनोद शर्मा: (क) केंद्रीय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता है।

केन्द्रीय विद्यालय के भवन

3378. **श्रीमती गिरिजा देवी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में कितने केन्द्रीय विद्यालय शिविरों में चल रहे हैं;

(ख) क्या प्रगति विहार (लोदी रोड़), नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय विद्यालय सबसे पुराना विद्यालय है जिसके भवन का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे सभी केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भवन निर्माण कब तक कर लिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित केन्द्रीय विद्यालय आंशिक रूप से टैन्टों में कार्य कर रहे हैं:–

(i) केन्द्रीय विद्यालय, प्रगति विहार (लोधी रोड़)।

(ii) केन्द्रीय विद्यालय, विकासपुरी।

(iii) केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक विहार।

(vi) केन्द्रीय विद्यालय, न्यू फ्रैंड्स सैंटर।

(v) केन्द्रीय विद्यालय, बी. एस. एफ. छावला कैम्प।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने विकासपुरी, सैनिक विहार और न्यू फ्रैंड्स सैंटर में स्कूलों के लिए भवन-निर्माण पहले ही आरम्भ कर दिया है। प्रगति विहार में स्कूल के सम्बन्ध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है कि वे झुग्गी निवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्यान में रखकर उप-नियमों के अनुसार, स्थानीय निकायों के साथ परामर्श करके स्कूल भवन की निर्माण-योजनाओं में संशोधन करें। छावला में केन्द्रीय विद्यालय के लिए बी. एम. एफ. ने जो प्रायोजक है, केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा स्कूल भवन के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि हस्तांतरित नहीं की है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रयत्नशील है कि स्कूल-भवन निर्माण का कार्य यथासंभव शीघ्र पूर्ण हो जाए।

पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण

3379. श्री राम पूजन पटेल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं में शैक्षिक और गैर-शैक्षिक पदों में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण लागू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस उपाय किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं में सरकार के समूह-क पदों के समकक्ष पदों तक को भरने तथा पदोन्नत करने में, 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत पद क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

पाम आयल की कृषि के लिये धनराशि

3380. श्री कोडीकुन्नील सुरेश: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में पाम आयल का राज्यवार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान पाम आयल को कृषि के लिये दी गई राज्यवार वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों विशेषकर केरल सरकार ने इस उद्देश्य के लिये और अधिक वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार को राज्य के अनेक स्थानों में पाम आयल की कृषि को बढ़ाने के लिये केरल सरकार से कोई मार्गदर्शी (पायलट) प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां): (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान पाम आयल का राज्यवार उत्पादन और आयल पाम की खेती के लिये दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) केरल सहित किसी भी राज्य सरकार से इस प्रयोजन के लिये और अधिक सहायता का अनुरोध नहीं मिला है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). केरल सरकार ने कुट्टानाड की कारो भूमि में 200 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में आयल पाम की खेती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कारी भूमि की कम उर्वरता के कारण राज्य सरकार को दस हैक्टेयर की एक प्रायोगिक प्रदर्शन परियोजना तैयार करने की सलाह दी गई थी । लेकिन, केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

(क) पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में पाम-आयल का राज्यवार उत्पादन :

कच्चे पाम आयल का उत्पादन (मी. टन में मात्रा)

क्र. स.	राज्य/वर्ष	1992-93	1993-94	1994-95	योग
1.	केरल	2232	2949	4378	9559

क्र. स.	राज्य/वर्ष	1992–93	1993–94	1994–95 योग	
2.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1266	1726	1922	4914
3.	आन्ध्र प्रदेश	–	186	727(अ)	913
4.	कर्नाटक	–	29	164	193
	योग	3498	4890	7191(अ)	15579(अ)

(अ)–अनंतिम

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयल पाम की खेती के लिए दी गई राज्यवार वित्तीय सहायता :

लाख रुपये में

क्र. स.	राज्य/वर्ष	1992–93	1993–94	1994–95	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	338.68	717.06	1165.56	2221.30
2.	कर्नाटक	235.55	421.53	496.82	1153.90
3.	तमिलनाडु	108.45	137.54	197.76	443.75
4.	गोवा	24.47	17.12	5.74	47.33
5.	गुजरात	44.35	67.42	–	111.77
6.	उड़ीसा	8.10	6.00	7.50	21.60
7.	असम	15.00	–	–	15.00
8.	त्रिपुरा	5.40	–	3.60	9.00
9.	केरल	–	–	25.72	25.72
	योग	780.00	1366.67	1902.70	4049.37

सांस्कृतिक दलों की विदेश यात्रा

3381. श्री पी. सी. थामसः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का आगामी वर्षों में सांस्कृतिक दलों को विदेशों में भेजने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान किन-किन देशों में ऐसे दल भेजे गए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख). दूसरे देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान एक सतत् प्रक्रिया है। दौरों की संख्या को पूर्व-निर्धारित कर पाना संभव नहीं है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य निगम के भण्डार

3382. श्री पवन कुमार बंसल: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम के पास अभी राज्यवार कितने गैर-सरकारी भण्डार हैं;

(ख) क्या इन भण्डारों का किराया वर्ष 1987 में तय किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) किराये में अब तक वृद्धि न करने के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) 1.10.1995 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास 331 निजी गोदाम हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ). भारतीय खाद्य निगम द्वारा निजी पार्टियों से किराये पर लिए गए गोदामों के किराये समय-समय पर बढ़ाए जाते हैं। किराये पर लिए गए गोदामों के लिए निजी पार्टियों को अदा किए जाने वाले किराये की वर्तमान सीमा 25.7.1994 से ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के लिए 85 पैसे प्रति वर्गफीट और शहरी क्षेत्रों में गोदामों के लिए एक रुपये प्रति वर्गफीट निर्धारित की गई है।

विवरण

1.10.1995 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के कब्जे में निजी गोदामों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य	गोदामों की संख्या
1.	बिहार	23
2.	उड़ीसा	2
3.	पश्चिम बंगाल	24
4.	असम	16
5.	त्रिपुरा	1
6.	मिज़ोरम	1
7.	हरियाणा	28
8.	हिमाचल प्रदेश	2
9.	पंजाब	104
10.	राजस्थान	14
11.	उत्तर प्रदेश	49
12.	आन्ध्र प्रदेश	17

क्र. सं.	राज्य	गोदामों की संख्या
13.	केरल	9
14.	कर्नाटक	5
15.	गुजरात	5
16.	महाराष्ट्र	6
17.	मध्य प्रदेश	25
	जोड़	331

शीतागार

3383. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय भांडागार निगम से ग्रामीण स्तर पर शीतागार और ताप नियंत्रण भंडारण सुविधाएं स्थापित करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य के लिए कितने भांडागार स्वीकृत किए गए हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता । तथापि, केन्द्रीय भण्डारण निगम के अगरतला (त्रिपुरा), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) और तुरभे (महाराष्ट्र) में तीन कोल्ड स्टोरेज और कलकत्ता में एक वातानुकूलित गोदाम है जिनकी कुल क्षमता 5205 मीटरी टन है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत चिकित्सकों की जवाबदेही

3384. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए सभी मरीजों/उपभोक्ताओं के हित में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2 (1) में "सेवाएं" का स्पष्टीकरण/व्याख्या करने और हमेशा की गलत फहमियों को दूर करने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख). जी, नहीं । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार किसी भी प्रकार की सेवाएं, जिसमें चिकित्सा सेवाएं शामिल है, यदि किसी प्रतिफल के लिए दी जाती हैं/प्राप्त की जाती हैं तो वे पहले से ही इस अधिनियम के तहत आती हैं तथा उसमें कोई अस्पष्टता नहीं है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल के फैसले में इस अधिनियम के उपबंधों को मान्य ठहराया है ।

[हिन्दी]

कृषि फसलों में बीमारियां

3385. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** :
डा. परशुराम गंगवार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान कृषि फसलों में व्यापक नुकसान पहुंचाने वाली कीटाणुजन्य बीमारियों के फैलने तथा इसके फलस्वरूप धान की फसल प्रभावित होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां फसलें प्रभावित हुई है;

(ग) इन राज्यों में फसलों को किस हद तक नुकसान पहुंचा है; और

(घ) सरकार द्वारा फसलों को ऐसी बीमारियों से बचाने के लिये क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). अनुकूल मौसमी स्थितियों कृषि फसलों को रोगों, कृमियों और कीटों के प्रकोप का खतरा बना रहता है। वर्तमान वर्ष के दौरान रोगों/कृमियों के किसी बड़े प्रकोप की कोई सूचना नहीं है । वैसे, आन्ध्र प्रदेश में चावल के टुंगरों वाइरस तथा राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा में कपास में लीफ–कर्ल वाइरस रोग का थोड़ा प्रकोप होने की सूचना मिली है । संबंधित राज्यों द्वारा इन फसलों को कोई खास क्षति की सूचना नहीं दी गई है ।

(घ) फसलों को ऐसे रोगों से बचाने के लिये निम्नलिखित कदरम उठाए गये हैं:–

(1) वाहक कृमियों के प्रति सही समय पर नियंत्रक उपाय करने के लिये वाइस रोग की घटनाओं पर नज़र रखने के लिये नियमित निगरानी ।

(2) जिन इलाकों में वाइरस रोग लगने का खतरा बना रहता है वहां पर फसलों की प्रतिरोधी/सहनशील किस्मों का उपयोग ।

(3) विस्तार कर्मचारियों और किसानों को समेकित कृषि प्रबन्ध अपनाने के लिये प्रशिक्षण देना जिसमें कृषि, यांत्रिक और जीव वैज्ञानिक नियंत्रक उपाय तथा सुरक्षित कृमिनाशी दवाओं का आवश्यकता पर आधारित उपयोग सम्मिलित है ।

(4) वाइरस रोग के बारे में उचित प्रबन्ध में किसानों को जानकारी देने के लिये जन प्रचार साधनों के माध्यम से प्रचार ।

[अनुवाद]

मांट्रियल निधि का वितरण

3386. श्री राम सिंह कस्वां : क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीकृत औद्योगिक एककों को ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों की चरणबद्ध समाप्ति संबंधी परियोजनाओं के लिये मांट्रियल निधि के अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए धन के वितरण हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की कार्यविधि संतोषपूर्ण है;

(ख) क्या कई औद्योगिक एककों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण उनकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भारी विलंब हो रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अनेक औद्योगिक एककों ने अपनी परियोजनाओं को प्राप्त स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों की चरणबद्ध समाप्ति की परियोजना के कार्यान्वयन हेतु पहले ही अपने संसाधनों से भारी धनराशि खर्च कर दी है;

(ङ) यदि हाँ, तो अई उद्योगों को मांट्रियल निधि के शीघ्र वितरण के लिये क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार को विहित औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अनुमति देकर कार्यविधि को सरल बनाने संबंधी कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां। यह व्यवस्था अब संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है ।

(ख) और (ग). मई, 1995 से पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ विलंब हुआ था क्योंकि आई. डी. बी. आई. और लाभभोगी उद्यमों के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले माडल विधिक करार को मई, 1995 में ही अंतिम रूप दिया जा सका था । इसके पश्चात् अनुमोदित परियोजनाओं को समय पर क्रियान्वित किया जा रहा है ।

(घ) अनेक मामलों में निधियां उन उद्यमों को अदा की गई हैं । जिनकी परियोजनाएं मई, 1995 से पूर्व अनुमोदित हुई थी और जिन्होंने व्यय को अपने ही संसाधनों से पूरा किया था ।

(ङ) अनेक उद्यमियों को परियोजना के तहत अधिप्राप्त किए जाने वाले उपस्करों के विनिर्देश तैयार करने में तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी । उद्यम विशिष्ट कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से आई. डी. बी. आई. और उद्यमों की बैठकें आयोजित की गई थीं।

(च) से (ज). मांट्रियल कोष की राशि का उपयुक्त रूप से उपयोग नहीं किए जाने पर आई. डी. बी. आई. को धन की वापसी अदायगी सुनिश्चित करने के लिए माडल विधिक करार में आवश्यक प्रतिभूति खंडों का उल्लेख है । कुछ उद्यमों ने सुझाव दिया था कि प्रतिभूति खंडों को निकाल दिया जाए अथवा तनुकृत कर दिया जाए । इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि ये खंड अनुदान के उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं । तथापि, उद्यमों द्वारा अंतिम प्रतिभूति सृजन तक अनुदान धनराशि का तीस प्रतिशत तक संवितरण संभव है ।

[हिन्दी]

आयोग में निरीक्षक का पद

3387. श्री पंकज चौधरी :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महिला आयोग से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की शिकायतें दर्ज करने के लिये आयोग में निरीक्षक स्तर के किसी पद के सृजन का अनुरोध प्राप्त हुआ

है ताकि प्रभावित महिलाओं की शिकायत दर्ज करते समय उन्हें होने वाली कठिनाइयों से उन्हें बचाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस विषय पर कोई अंतिम निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लेने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक

3388. **श्री सूरज मंडल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति हेतु सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों की मान्यता समाप्त करने तथा उक्त पाठ्यक्रमों की अवधि बढ़ाकर चार वर्ष करने का कोई प्रस्ताव है और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों के लिए तीन वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की है और यह सुझाव दिया है कि एक वर्ष की अवधि वाले सभी अल्पकालीन पाठ्यक्रम समाप्त कर दिए जाएं। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों के लिए तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों की मान्यता समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आई. सी. डी. एस. के प्रशिक्षण केन्द्र

3389. **श्री एन. जे. राठवा**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में समेकित बाल विकास सेवाओं के अधिकारियों के लिये आज की तिथि तक कुल कितने प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या ऐसे कुछ और केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य के जनजातीय जिलों में अब तक कितने बालवाड़ी केन्द्रों की स्थापना को स्वीकृति दी गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) बाल विकास परियोजना अधिकारियों और अपर बाल विकास परियोजना अधिकारियों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली और बंगलौर, लखनऊ, गुवाहाटी स्थित इसके तीन क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा आयोजित किया जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) गुजरात राज्य में, जिसमें आदिवासी जिले भी शामिल हैं 816 बालवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए जा चुके हैं ।

सहकारी चीनी कारखाने

3390. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कार्यरत सहकारी चीनी कारखानों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या लगभग सभी सहकारी चीनी कारखाने घाटे में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार इन कारखानों का अनुमानित वार्षिक घाटा कितना है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) दिनांक 30.9.1995 की स्थितिनुसार विभिन्न राज्यों में कार्यरत सहकारी चीनी कारखानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

राज्यों में कार्यरत सहकारी चीनी कारखानों की सूची (30.9.1995 की स्थितिनुसार)

क्र. सं.	कारखाने का नाम	क्षेत्र	
1	2	3	
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	*पालाकोल को–आपरेटिव शुगर लि. पूलारेल्लो, पालाकोल, जिला–प. गोदावरी	सहकारी	*1994–95 के दौरान कार्य नहीं किया।
2.	वैस्ट गोदावरी को–आपरेटिव शुगर लि., भीमाडोल, ताल्लुका, इल्लूरू जिला –प. गोदावरी	सहकारी	
3.	चोडावेरम को–आपरेटिव शुगर लि., दोडा, जिला–विशाखापट्टनम	सहकारी	
4.	अनाकापल्ली को–आपरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड इन्डस्ट्रीयल सोसायटी लि., अनाकापल्ली जिला–विशाखापट्नम	सहकारी	
5.	दि एटीकोपाका को–आपरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड इन्डस्ट्रीयल सोसायटी लि. एटीकोपाका जिला–विशाखापट्टनम	सहकारी	
6.	थंडावा को–आपरेटिव शुगर लि., पयाकारावपेटा, जिला–विशाखापट्टनम	सहकारी	
7.	श्रीविजयरामा गजपति को–आपरेटिव शुगर्स लि., कुमारम, ताल्लुका श्रृंगवरपुकोटा भोमासिंघी, जिला–विशाखापट्नम	सहकारी	
8.	अमादलवलासा को–आपरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड इन्डस्ट्रीयल सोसायटी लि., अमादलवलासा, जिला–श्रीकाकुलम	सहकारी	
9.	श्री हनुमान को–आपरेटिव शुगर फैक्ट्री, हनुमान जंक्शन, जिला–कृष्णा	सहकारी	
10.	दि निजामाबाद को–आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि., जिला–निजामाबाद	सहकारी	

क्र. सं.	कारखाने का नाम	क्षेत्र	
1	2	3	
11.	दि चित्तूर को–आपरेटिव शुगर्स लि., चित्तूर, डाकघर–सावतेपल्ली, जि–चित्तूर	सहकारी	
12.	श्री वेंकटेश्वर को–आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि., गजूलामंडयम (तिरूपति) रियोगुन्टा, जिला–चित्तूर	सहकारी	
13.	दि कुड्डप्पा को–आपरेटिव शुगर लि., ताल्लुका–दौलतपुरम्, जिला–कुड्डप्पा	सहकारी	
14.	दि कोऊर को–आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि., कोऊर, (जिला–निल्लौर)	सहकारी	
15.	मैसर्स नंद्याल को–आपरेटिव शुगर लि., पो.– पोन्नापुरम् नंद्याल जिला–कुर्नुल	सहकारी	
16.	दि नानापाणेनी, वेंकटराव को–आपरेटिव शुगर्स लि., तेनाली, जिला–गुंटूर	सहकारी	
17.	*दि नागार्जुन को–आपरेटिव शुगर लि., गुरूजाला, जिला–गुन्टुर	सहकारी	*1994–95 के दौरान कार्य नहीं किया।
18.	दि प्लेयर को–आपरेटिव शुगर लि., राजेश्वरपुरम, जिला–खम्मम	सहकारी	
	असम		
1.	दि असम को–आपरेटिव शुगर मिल्स, लि. डाकघर–बरुआबामनगांव, जिला–शिवसागर	सहकारी	
2.	नौगांव को–आपरेटिव शुगर मिल्स लि. कामपुर, जिला–नौगांव	सहकारी	
	गुजरात		
1.	श्री खेडुत सहकारी खाण्ड उद्योग मंडली लि., सरदार बाग, बाडरडोली, जिला–सूरत	सहकारी	
2.	श्री मढी विभाग खाण्ड उद्योग सहकारी मंडली लि., पो. मढी जिला–सूरत	सहकारी	

क्र. सं.	कारखाने का नाम	क्षेत्र	
1	2	3	
3.	श्री चलथान विभाग खाण्ड उद्योग सहकारी मंडली लि., चलथान, जिला–सूरत	सहकारी	
4.	श्री सायण विभाग सहकारी खाण्ड उद्योग मंडली लि., सायण, जिला–सूरत	सहकारी	
5.	श्री महूआ प्रदेश सहकारी उद्योग मण्डली लि. सरवावरा, जिला–सूरत	सहकारी	
6.	श्री उकाई प्रदेश, सहकारी खाण्ड उद्योग मण्डली लि., ग्राम तथा पो.–पनियारी, जिला–सूरत	सहकारी	
7.	दि सहकारी खाण्ड उद्योग मंडली लि., गदेवी, वाया बिलीमोरा, ज़िला–बुलसर	सहकारी	
8.	श्री मोरोली विभाग खाण्ड उद्योग सहकारी मंडली, लि., कल्याणनगर, पो.–मोरोली जिला–बलसाड़	सहकारी	
9.	श्री बलसाड़ सहकारी खाण्ड–उद्योग मंडली लि., पारनेर परधी जिला–बलसाड़,	सहकारी	
10.	*सिद्धेश्वर खाण्ड उद्योग सहकारी मंडली लि. पो.–तलजा, जिला–भावनगर	सहकारी	*1994–95 के दौरान कार्य नहीं किया।
11.	श्री बिलेश्वर खांड उद्योग सहकारी मंडली लि., कोडीनेर, जिला–अमेरेली	सहकारी	
12.	श्री उनातलवा सहकारी खाण्ड उद्योग मंडली लि., उना (सोराबा) जिला–जूनागढ़	सहकारी	
13.	श्री तलाला ताल्लुका–सहकारी खाण्ड उद्योग मण्डली लि., पो.–तलाला, जिला–जूनागढ़ (गिर)	सहकारी	
14.	श्री कमरेज विभाग खेतकरी खाण्ड उद्योग मण्डली लि., कमरेज, जिला–सूरत	सहकारी	
15.	चरोतर सहकारी खाण्ड उद्योग मंडली लि., गांव–पलज, ताल्लुका–पेटलाद, जिला–कैरा	सहकारी	

क्र. सं.	कारखाने का नाम	क्षेत्र	
1	2	3	
16.	सरदार वल्लभ भाई पटेल खाण्ड उद्योग को-आपरेटिव सोसायटी लि., पो.-धोराजी, जिला-राजकोट	सहकारी	
17.	*श्री गणेश खाण्ड उद्योग सहकारी मंडली लि., दसद, ताल्लुका, वल्लोया, जिला-भड़ौच (बटारिया)	सहकारी	वर्ष 1994-95 के दौरान कार्य नहीं किया।
18.	मैसर्स श्री रेव खाण्ड उद्योग सहकारी मंडली लि., गोव तथा पो. आमोद, ताल्लुका-आमोद जिला-भड़ौच	सहकारी	
	गोवा		
1.	संजीवनी सहकारी साखर कारखाना लि., दयानन्द नगर, तिसका, जिला-गोवा	सहकारी	
	हरियाणा		
1.	दि हरियाणा को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि., पो.-रोहतक, जिला-रोहतक	सहकारी	
2.	दि पानीपत को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि., पानीपत, जिला-करनाल	सहकारी	
3.	दि करनाल को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि. जिला-करनाल	सहकारी	
4.	सोनीपत को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि., सोनीपत, जिला-सोनीपत	सहकारी	
5.	शाहबाद, को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि., शाहबाद, तह.-थानेश्वर, जिला-कुरुक्षेत्र	सहकारी	
6.	दि जिंद को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि. तह.-तथा जिला-जींद	सहकारी	
7.	दि कैथल को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि., तह.-पलवल, जिला-फरीदाबाद	सहकारी	

क्र. सं.	कारखाने का नाम	क्षेत्र	
1	2	3	
8.	दि पलवल को–आपरेटिव शुगर मिल्स लि., कैथल, जिला–कुरुक्षेत्र	सहकारी	
9.	दि महम को–आपरेटिव, शुगर मिल्स लि., महम, जिला–रोहतक	सहकारी	
10.	दि भुना को–आपरेटिव शुगर मिल्स लि., भुना तह.–फतेहाबाद, जिला–हिसार	सहकारी	
	कर्नाटक		
1.	पाण्डवपुरा सहकारी साखर कारखाना लि., पाण्डवपुरा, जिला–मड्या	सहकारी	
2.	*दि कम्पनी को–आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि., पो.–कम्पली शुगर फैक्ट्री, जिला–बेल्लारी	सहकारी	*1994–95 के दौरान कार्य नहीं किया।
3.	श्री मलप्रभान को–आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि. मुगूथान, हुबली, जिला–बेलगांव	सहकारी	
4.	श्री दूधगंगा कृष्णा सहकारी साखर कारखाना नियमित, चिक्कोडी जिला–बेलगांव	सहकारी	
5.	रायबाग सहकारी साखर कारखाना नियमित ता.–रायबाग, जिला–बेलगांव	सहकारी	
6.	दि घटप्रभा सहकारी साखर कारखाना नियमित गोकाक, जिला–बेलगांव	सहकारी	
7.	गौरीबिदनौर सहकारी साखर कारखाना गौरी बिदनोर, जिला–कोलार	सहकारी	
8.	बीदर सहकारी साखर कारखाना लि. हल्लीखेड, जिला–बीदर	सहकारी	
9.	वाणीविलास को–आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि. हिरीयूर, जिला–चित्रदुर्ग	सहकारी	

क्र. सं.	कारखाने का नाम	क्षेत्र	
1	2	3	
10.	भद्र सहकारी कारखाना नियमित, डोडाबाथी, ता–देवगोरा जिला–चित्रदुर्ग	सहकारी	
11.	मैसर्स नन्दी सहकारी साखर कारखाना लि., निकट चिक्का गलागली, जिला–बिजापुर	सहकारी	
12.	मैसर्स श्रीराम सहकारी साखर कारखाना लि., चुन्चनाकट्टा, के. आर. नगर, जिला–मैसूर	सहकारी	
13.	कर्नाटक, सहकारी साखर कारखाना लि., हवेरी, जिला–धारवाड़	सहकारी	
14.	दि हेमवती सहकारी साखर कारखाना लि. हासन–573201, जिला–हसन	सहकारी	
15.	द. कन्नड सहकारी साखर कारखाना लि., मंगलौर, ता. एवं जिला–द. कन्नड	सहकारी	
16.	मैसर्स श्री हलसिद्धनाथ सहकारी साखर कारखाना लि. निपानी, तह.–चिक्कोडी, जि.–बेलगांव	सहकारी	
17.	मैसर्स सहकारी साखर कारखाना नियमित, तह.–आलन्द, जिला–गुलबर्गा	सहकारी	
18.	श्री हिरण्यकेश सहकारी साखर कारखाना नियमित शंकेश्वर, जिला–बेलगांव	सहकारी	
	केरल		
1.	*दि मन्नम शुगर मिल्स को–आपरेटिव लि. पन्डालम, जिला–अलैप्पी	सहकारी	*1994–95 के दौरान कार्य नहीं किया।
2.	दि को–आपरेटिव शुगर्स लि., चित्तूर, मैननपारा डाकघर, जिला–पालघाट	सहकारी	
	मध्य प्रदेश		
1.	मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाना लि., कैलारस, जिला–मुरैना	सहकारी	

क्र. सं.	कारखाने का नाम	क्षेत्र
1	2	3
2.	मालवा सहकारी शक्कर कारखाना लि. बरलई (काशीपारा), जिला–इन्दौर	सहकारी
3.	नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवलनगर, बुरहानपुर, जिला–खंडवा	सहकारी
	महाराष्ट्र	
1.	श्री पांडूरंग सहकारी साखर कारखाना लि. पो.–श्रीपुर, जिला–शोलापुर	सहकारी
2.	सहकार महर्षि शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी साखर कारखाना लि., अकलूज, जिला–शोलापुर	सहकारी
3.	श्री शंकर सहकारी साखर कारखाना लि. जिला–शोलापुर	सहकारी
4.	श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. पो.–टिकावाड़ी, जिला–शोलापुर	सहकारी
5.	बिठ्ठल सहकारी साखर कारखाना लि., गुरसाले, ता.–पंढरपुर, जिला–शोलापुर	सहकारी
6.	भीमा सहकारी साखर कारखाना लि. सिकन्दर तकली, तह.–माहौल, जिला–शोलापुर	सहकारी
7.	भोगवती सहकारी साखर कारखाना लि., इरले वैराग ता. बरसी, जिला–शोलापुर	सहकारी
8.	श्री संत दामाजी सहकारी साखर कारखाना लि. सिरानंदागी, ता.–मंगलवेढा, जिला–शोलापुर	सहकारी
9.	मैसर्स आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना लि., लवे बडवानी, तह.–करमाला, जिला–शोलापुर	सहकारी
10.	गोरना सहकारी साखर कारखाना लि., पो.–लोहाडी, ता.–मालेगांव, जिला–नासिक	सहकारी
11.	निफड सहकारी साखर कारखाना लि., पो.–भाऊसाहिब नगर, जिला–नासिक	सहकारी

क्र. सं.	कारखाने का नाम	क्षेत्र
1	2	3
12.	कर्मवीर काकासाहिब वाघ सहकारी साखर कारखाना लि., रणवाड, ता.–निफड, जिला–नासिक	सहकारी
13.	कडवा सहकारी साखर कारखाना लि. पातेरवाडी, ताल्लुका–डिंडोरी, जिला–नासिक	सहकारी
14.	नासिक सहकारी साखर कारखाना लि., पालसे, जिला–नासिक	सहकारी
15.	वसंत राव दादा पाटिल सहकारी साखर कारखाना लि., चिठेवाडी (लोहानेर) जिला–नासिक	सहकारी
16.	दि कोपर गांव सहकारी साखर कारखाना लि. कोलपेवाड, जिला–अहमदनगर,	सहकारी
17.	प्रवर नगर, सहकारी साखर कारखाना लि. प्रवर नगर, जिला–अहमदनगर	सहकारी
18.	अशोक सहकारी साखर कारखाना लि. अशोकनगर, पो.–श्रीरामपुर, जिला–अहमदनगर	सहकारी
19.	श्री गणेश सहकारी, साखर कारखाना जिला गणेशनगर पो.–राजनगांव खुर्द, जिला–अहमदनगर	सहकारी
20.	संजीवनी (तकली) सहकारी साखर कारखाना लि. ता.–कोपरगांव (जि–अहमदनगर)	सहकारी
21.	दि राहुरी सहकारी साखर कारखाना लि., पो. राहुरी फैक्ट्री, जिला–अहमदनगर	सहकारी
22.	दि श्रीगोन्डा सहकारी साखर कारखाना लि. पो.–श्रीगोंडा, जिला–अहमदनगर	सहकारी
23.	संगमनेर भाग सह. सा. कार. लि., अमृतनगर, ता.–संगमनेर, जिला–अहमदनगर	सहकारी
24.	ज्ञानेश्वर सह. सा. कार. लि. ता.–नेवास, जिला–अहमदनगर	सहकारी

क्र. सं.	कारखाने का नाम	क्षेत्र
1	2	3
25.	श्री जगदम्बा सह. सा. कार. लि. रामिन–तह.–कर्जत, जिला–अहमदनगर	सहकारी
26.	श्री वृद्धेश्वर सह. सा. कार. लि., पो.–वृद्धेश्वर सा. कार. ता. पाथर्डी जिला–अहमदनगर (पिपलगांव)	सहकारी
27.	दि मिला सह. सा. कारखाना सोनई, तालुका– नवास, जिला–अहमदनगर	सहकारी
28.	पारनेर, तालुका, सहकारी कारखाना, पारनेर जिला–अहमदनगर	सहकारी
29.	मैसर्स भाऊसाहिब महादेव हण्डे अगस्ती सह. सा. कार., जामगांव, तह.–अकोला, जिला–अहमदनगर	सहकारी
30.	भोगवती सह. सा. कार. साहुनगर, पो.–परते, जिला–कोल्हापुर	सहकारी
31.	श्री पंचगंगा, सह. सा. का. लिमिटेड, गंगानगर, इचलकरंजी, जिला–कोल्हापुर	सहकारी
32.	श्री वर्णा सह. सा. का. लि., पो.–वर्णानगर, जिला–कोल्हापुर	सहकारी
33.	कुम्भो केसरी सह. सा. का. लि., कुंदित्र, तालुका, करवरी, जिला–कोल्हापुर	सहकारी
34.	श्रीदुधगंगा वेदगंगा, सह. सा. कार. लि., बिदरी, पो. मोनानगर, तालुका–कगल जिला–कोल्हापुर	सहकारी
35.	श्रीदत्ता सहकारी सा. का. लि., असुरले पन्हाला, जिला–कोल्हापुर	सहकारी
36.	श्रीदत्ता सह. सा. कार. लि., सिरोल, जिला–कोल्हापुर	सहकारी

क्र. सं.	कारखाने का नाम	क्षेत्र
1	2	3
37.	दोलतपुर सेतकरी, सह. सा. कारखाना लि., पो.–हलकरनी, ता.–चांदगढ़, जिला–कोल्हापुर	सहकारी
38.	गड हिंगलाज, ताल्लुका सहकारी साखर का. लि., गड हिंगराज, जिला–कोल्हापुर	सहकारी
39.	छत्रपति साहू सह. सा. का. लि. कगल, जिला–कोल्हापुर	सहकारी
40.	जवाहर सेतकरी साखर कारखाना लि. ऊपारो, ताल्लुका–हटकंगले, जिला–कोल्हापुर	सहकारी
41.	इंदापुर सह. सा. कार. लि., बिजावाड़ी, ता.–इंदापुर, जिला–पुणे	सहकारी
42.	श्री छत्रपति सह. सा. का. लि., भवानीनगर, ता.–इंदापुर, जिला–पुणे	सहकारी
43.	दि मालेगांव, सहकारी सा. का. लि. मालेगांव बी. के. जिला–पुणे	सहकारी
44.	श्री शुमेश्वर सह. सा. का. लि. पो.–शामेश्वर नगर, जिला–पुणे	सहकारी
45.	यशवंत सहकारी साखर का. लि., चिन्तामणी नगर पो.–थेऊर, जिला–पुणे	सहकारी
46.	भोमा सहकारी का. लि. पाटस ता.–डौण्ड, जिला–पुणे	सहकारी
47.	विघ्ननगर स. सा. का. लि., जुन्नर, जिला–पुणे	सहकारी
48.	राजगढ सह. सा. का. लि. निगाडे ताल्लुका–थेर, जिला–पुणे	सहकारी
49.	गणगौर स. सा. का. लि. रघुनाथ नगर, जिला–औरंगाबाद	सहकारी

क्र. सं.	कारखाने का नाम	क्षेत्र
1	2	3
50.	सिद्धेश्वर सह. सा. कारखाना सिल्लोर, जिला–औरंगाबाद	सहकारी
51.	दि कन्नड सह. सा. का. लि., कन्नड, जि.–औरंगाबाद	सहकारी
52.	दि विनायक सह. सा. कार. लि. परसोडा, ता.–वैजापुर, जिला–औरंगाबाद	सहकारी
53.	श्री संत एक–नाथ सह. सा. का. लि., पैठण, जि–औरंगाबाद	सहकारी
54.	श्री नामदेव राव बी. गढकर देवगिरी एस. एस. के. लि., फुल्लाम्बरी, जिला–व तह.– औरंगाबाद	सहकारी
55.	कृष्णा एस. एस. के. लि. राठौर, बुदरूक पो.–शिवनगर, जिला–सतारा	सहकारी
56.	श्री राम एस. एस. के. लि., फाल्टन, जिला–सतारा	सहकारी
57.	दि सतारा एस. एस. के. लि., भुंज, ता.–वाई, जिला–सतारा	सहकारी
58.	बालासाहिब देसाई एस. एस. के. लि. दौलतनगर, मराली, ता. पाटन जिला–सतारा	सहकारी
59.	सहयाद्री एस. एस. के. लि., यशवन्तनगर ता.–कराड़, जिला–सतारा	सहकारी
60.	अंजिम यात्रा एस. एस. के. लि., सिन्धे जिला–सतारा	सहकारी
61.	बसंतदादा सेतकारी एस. एस. के. लि., पो.–और जिला–सांगली	सहकारी
62.	राजा राम बापू पाटिल, एस. एस. के. लि., राजा राम नगर, पो.–साखाराल्य ता.–वईवा, जिला–सांगली	सहकारी

क्र. सं.	कारखाने का नाम	क्षेत्र	
1	2	3	
63	विश्वास एस. एस. के. लि., यशवंतनगर पो.–चिलहाली, ता.–सिराला, जिला–सांगली	सहकारी	
64.	हुतात्मा किसान अहीर एस. एस. के. लि. वाल्वा, जिला–सांगली	सहकारी	
65.	यशवंत एस. एस. के. लि. नागेवाडी ता.–खानपुर, जिला–सांगली	सहकारी	
66.	महाकाली एस. एस. के. लि., कावथेमहाकल जिला–सांगली	सहकारी	
67.	तसगांव ता. एस. एस. के. लि. तसगांव (तुरचीफाटा) पो.–तुरची, तह.–तसगांव, जिला–सांगली	सहकारी	
68.	धमनगंगा एस. एस. के. लि., सोनारसिद्धनगर जिला–सांगली,	सहकारी	
69.	तेरना सेतकारी एस. एस. के. लि., तेरनानगर ता.–धोको, जिला–उस्मानाबाद	सहकारी	
70.	कालम्बर, विभाग एस. एस. के. लि. कालम्बर, पो.–गांधीनगर, जिला–नादेड़	सहकारी	
71.	गोदावरी मनार एस. एस. के. लि. पो.–रामतीर्थ, जिला–नादेड़	सहकारी	
72.	मैसर्स शंकर एस. एस. के. लि. फूलनगर, तह.–भोकर, जिला–नादेड़	सहकारी	
73.	श्री पंजाराकान, एस. एस. के. लि., भदने, तह.–साकरी, जिला–धुलिया	सहकारी	
74.	श्री सतपुडा तापो परिसर एस. एस. के. लि., ता.–सहादा, पो.–पुरुषोत्तमनगर, जिला–धुलिया	सहकारी	
75.	*मैसर्स संजय एस. एस. के. धुले सिनोखेडा, अमलनेर लि. विजय नगर, ता. व जिला–धुले	सहकारी	*1994–95 के दौरान कार्य नहीं किया।

क्र. सं.	कारखाने का नाम	क्षेत्र
1	2	3
76.	सिरपुर सेतकारी एस. एस. के. लि., दाहोवाड तह.–सिरपुर, जिला–धुले	सहकारी
77.	जीजी माता एस. एस. के. लि., दुसरबीड, तह.–मख्यार, जिला बुलदाना	सहकारी
78.	बसन्त एस. एस. के. लि. पुसाद, जिला यावतमल	सहकारी
79.	मैसर्स जयकिसान एस. एस. के. लि., बोरबाड़ो तह.–धारवा, जिला–यावतमल	सहकारी
80.	मै. श्री संकर सेतकारी एस. एस. के. लि., गांव मंगरूल, जिला–यावतमल	सहकारी
81.	दि अम्मा जोगत एस. एस. के. लि., पो.–अम्बाशखर तह.–अम्बाजोगई, जिला–बीड	सहकारी
82.	जयभवानी एस. एस. के. लि., जोराई जिला–बोड	सहकारी
83.	काडा एस. एस. के. लि., काडा ता.–अस्ती जिला–बीड	सहकारी
84.	गजनन सहकारी शुगर फैक्ट्री ताल्लुक व जिला–बीड	सहकारी
85.	मधुकर एस. एस. के. लि., पो.–फैजपुर, जिला–जलगांव	सहकारी
86.	बसंत एस. एस. के. लि. कसौडा, जिला जलगांव	सहकारी
87.	वेलंगाना, एस. एस. के. लि., ता.–चालीसगांव दि.–जलगांव (ध्रोरस)	सहकारी
88.	मै. एस. चौपाड़ा एस. एस. के. लि., मछले तह.–चौपाड़ा, जिला–जलगांव	सहकारी
89.	मराठवाड़ा एस. एस. के. लि., पो.–दुगंरखाडा ता.–पथरो, जिला–फैरवानी	सहकारी

क्र. सं.	कारखाने का नाम	क्षेत्र
1	2	3
90.	दि गोदावरी दुधाना सहकारी सा. कारखाना देवनन्द्रा, ता. पथरो, जिला–फेरबानी	सहकारी
91.	पूर्णा एस. एस. के. लि., बासमत नगर जिला–परभानी,	सहकारी
92.	समर्थ एस. एस. के. लि., महाकाला, ता.–अम्बाद, जिला–जालना	सहकारी
93.	जय जवान जय किसान एस. एस. के. लि., नाले गांव, ता.–अहमदपुर, जिला–लातूर	सहकारी
94.	सेतकार एस. एस. के. लि., किल्लारी जिला–लातूर	सहकारी
95.	मै. मंजारा सेतकार एस. एस. के. लि., ता.–चिंचौली राव, जिला–लातूर	सहकारी
96.	मैसर्स चुल्मा भवानी सेतकारी एस. एस. के. लि., नालदुर्ग, ताल्लुक–तुलजापुर, जिला–उस्मानाबाद	सहकारी
97.	मै. सेतकारी एस. एस. के. लि., धमनगांव ता.–चन्दूर रेलवे, जिला अमरावती	सहकारी
98.	मै. जालना एस. एस. के. लि., विलेज रामनगर, तह. व जिला–जालना	सहकारी
99.	मै. श्रीराम एस. एस. के. लि. बाबदेव तह.–मौदा, जिला–नागपुर	सहकारी
100.	मै. महा एस. एस. के. लि., जमानी तह.–सेलू, जिला–वर्धा	सहकारी
101.	मजल गांव एस. एस. के. लि. मिथड्ड तह.–मजल गांव, जिला–बीड	सहकारी
102.	दि पैन गंगा, एस. एस. के. लि., तह.–महौली रोड, जिला–भण्डारा	सहकारी

क्र. सं.	कारखाने का नाम	क्षेत्र
1	2	3
103.	मैसर्स बाला जी, एस. एस. के. लि., मसालापैन, ता.–रिसोल्ड, जिला–अकोला	सहकारी
104.	मैसर्स सिंधखेडा एस. एस. के. लि. देगांव तह.–सिंधखेड़ा, जिला– धोलिया	सहकारी
	एस. एस. के.–सहकारी साखर कारखाना के लिए है।	
	उड़ीसा	
1.	दि असका सह. शुगर मिल्स लि., जिला–गंजम	सहकारी
2.	दि बारागढ़ सहकारी शुगर मिल लि., (पोनी शुगर व कैमिकल लि. के प्रबन्धन के अधीन), पो.–तोरा (बारागढ़) जिला–सम्भलपुर	सहकारी
3.	मैसर्स दि सह. शुगर उद्योग लि. (धारानी शुगर व कैमिकल लि. के प्रबन्धन के अधीन) तह.– नयागढ़, जिला–पुरी	सहकारी
4.	बादम्बा सहकारी शुगर उद्योग लि., (शक्ति शुगर लि. के प्रबन्धन के अधीन) तह.–बंकी, जिला–कटक	सहकारी
	पंजाब	
1.	दि मारिंडा सहकारी शुगर मिल लि., मारिंडा, जिला–रोपड	सहकारी
2.	दि भोगपुर सह. शुगर मिल लि., भोगपुर जिला–जालंधर	सहकारी
3.	दि दोआबा सहकारी शुगर मिल लि., नवांशहर जिला–जालंधर	सहकारी
4.	दि बटाला सहकारी शुगर मिल लि., बटाला, जिला–गुरदासपुर	सहकारी

11

क्र. सं.	कारखाने का नाम	क्षेत्र	
1	2	3	
5.	गुरदासपुर सहकारी शुगर मिल लि. (पनियार) जिला–गुरदासपुर	सहकारी	
6.	जिरा सहकारी शुगर मिल लि., जिरा जिला–फिरोजपुर	सहकारी	
7.	मै. फाजिल्का सहकारी शुगर मिल लि. फाजिल्का जिला–फिरोजपुर	सहकारी	
8.	मै. दि पटियाला सहकारी शुगर मि. लि., गांव–राखड़ा, तह. व जि. पटियाला	सहकारी	
9.	मै. बुद्धेवाल सहकारी शुगर मिल लि. दोराहा तह.–समराला, जिला–लुधियाना	सहकारी	
10.	मै. तरनतारन सहकारी शुगर मिल लि., सेरोन तह.–तरनतारन, जिला–अमृतसर	सहकारी	
11.	मै. सतलुज सहकारी शुगर मिल लि., तह.–नकोदर, जिला–जालंधर	सहकारी	
12.	दि जगरा सहकारी शुगर मिल लि., हाथुर, कमलपुर, जिला–लुधियाना	सहकारी	
13.	*दि बुदलाडा सहकारी शुगर मि. लि., बुदलाडा तह.–मनसा, जिला–भटिन्डा	सहकारी	*1994–95 के दौरान कार्य नहीं किया।
14.	दि अजनाला सहकारी शुगर मिल लि. भालापिन्ड, तह.–अजनाला, जिला–अमृतसर	सहकारी	
15.	दि फरीदकोट सहकारी शुगर मिल लि., रोडो चेतसिंह वाला, जिला–फरीदकोट	सहकारी	
16.	मैसर्स दि पंजाब स्टेट फेडरेशन ऑफ को–आपरेटिव शुगर मिल लि., गांव व तहसील–दसुवा., जिला–होशियारपुर	सहकारी	
	पाण्डिचेरी		
1.	दि पाण्डिचेरी सहकारी शुगर मिल लि., लिंगरेडोपलायम, कट्टेरीकुपम, पाण्डिचेरी	सहकारी	

क्र. सं.	कारखाने का नाम	क्षेत्र
1	2	3
	राजस्थान	
1.	श्री किशोरियापाटन, सहकारी शुगर मिल लि. किशोरियापाटन, जिला–बूंदी	सहकारी
	तमिलनाडु	
1.	कल्लाकुरुची सहकारी शुगर मिल लि., पो.–मोगिलथुरीपट्टू, ता.–कल्लाकुरुची जिला–साउथ आरकोट	सहकारी
2.	मैसर्स चेंगल रायन, सहकारी शुगर मिल, लि. पैरियासेवलसी, ऊलून्दरपेट ता., जिला–साऊथ आरकोट	सहकारी
3.	दि नेशनल को. शुगर मिल लि., मेटुपट्टी अलंगा नल्लूर, जिला–मदूरे	सहकारी
4.	अमरावती सहकारी शुगर मिल लि., पो.–कृष्णापुरम, जिला–कोयम्बटूर	सहकारी
5.	दि अम्बूर को. शुगर मि. लि., बडापुडुपेट, अम्बूर	सहकारी
6.	त्रिपट्टूर शुगर मि. लि., को, कोथण्डीपट्टी गांव, बनियाबाडी ताल्लुक जिला–नार्थ आरकोट	सहकारी
7.	दि वेल्लूर सहकारी को. शुगर मि. लि., अमूडी पो. वेल्लूर शुगर मिल्स, जिला–नार्थ आरकोट	सहकारी
8.	दि मधुरन्तकम को–आपरेटिव शुगर मि. लि., पडलाम जिला–चेंगलपटटू	सहकारी
9.	चिस्टानो को–शुगर मि. लि. तिस्टानो, जि–चेंगलपटटू	सहकारी
10.	दि सलेम को. शुगर मिल लि., मोहनपुर, जिला–सलेम	सहकारी

क्र. सं.	कारखाने का नाम	क्षेत्र
1	2	3
11.	धर्मापुरी जिला सहकारी शुगर मिल लि. थिमनहाली, पालाकोट, जिला–धर्मापुरी	सहकारी
12.	तमिलनाडु सहकारी शुगर मिल. लि., तह.–मैक्कर, जिला–धर्मापुरी	सहकारी
13.	नाडिप्पिसायी पुलावर के. आर. रामासामो शुगर मिल लि., सं–2, महाराजा सूर्या रोड़, मद्रास (ता.–मैलादुथुरई में स्थित), जिला–तंजावर	सहकारी
14.	एम. आर. कृष्णामूर्ति को. शुगर मि. लि., शेथियाथोपे, तहसील– चिदम्बरम जिल–साउथ आरकोट	सहकारी
15.	तमिलनाडु को. शुगर संघ लि., चैय्यार/वन्डेवास, जिला–नार्थ आरकोट	सहकारी
	उत्तर प्रदेश	
1.	दी बागपत को–आपरेटिव शुगर मिल्स लि., बागपत, जिला– मेरठ	सहकारी
2.	दी रामाला सहकारी चीनी मिल्स लि., रामाला, जिला, मेरठ	सहकारी
3.	दि गंगा किशन सहकारी चीनी मिल्स लि., तह.–जनसथ जि. मुजफ्फरनगर	सहकारी
4.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., अनुपशहर पो. आ. जहांगीराबाद, जि. बुलन्दशहर	सहकारी
5.	किसान को आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि., सरसांवा, जिला सहारनपुर	सहकारी
6.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. नाठा, जिला सहारनपुर	सहकारी
7.	किसान चीनी सहकारी चीनी मिल्स लि., स्नेह रोड़, फाजलपुर, नजीबाबाद जिला–बिजनौर	सहकारी

क्र. सं.	कारखाने का नाम	क्षेत्र
1	2	3
8.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., गजरौला, जिला मुरादाबाद	सहकारी
9.	रुद्रबिलास किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., बिलासपुर, जिला रामपुर	सहकारी
10.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., सोमीखेड़ा तह. व जिला–बरेली	सहकारी
11.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., तिलहर, जिला शाहजहांपुर	सहकारी
12.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., कोबायान, जिला शाहजहांपुर	सहकारी
13.	किसान सहकारी सुगर फैक्ट्री लि., मजहोला, जिला पीलीभीत	सहकारी
14.	विशालपुर किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. विशालपुर, जिला पीलीभीत	सहकारी
15.	मै. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., तह.–पूर्णपुर, जिला पीलीभीत	सहकारी
16.	दि बाजपुर सहकारी सुगर फैक्ट्री लि., बाजपुर, जिला नैनीताल	सहकारी
17.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., राजपुर, पूर्णपुर, नदेही पो. आ. जसपुर, जिलाा नैनीताल	सहकारी
18.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., तह.–सीतारगंज, जिला नैनीताल	सहकारी
19.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., गदासपुर, जिला, नैनीताल	सहकारी
20.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., महमुदाबाद, जिला सीतापुर	सहकारी

क्र. सं.	कारखाने का नाम	क्षेत्र
1	2	3
21.	दी सरयू सहकारी चीनी मिल्स लि., बलेरायन जिला खीरी	सहकारी
22.	मै. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., सम्पूर्णनगर तह.– निघासन, जिला लखीमपुर खीरी	सहकारी
23.	सर्वस्थी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. मानपारा, जिला बहराइच	सहकारी
24.	काशी सहकारी चीनी मिल्स लि., उरई, जिला वाराणसी	सहकारी
25.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., रसड़ा, जिला बलिया	सहकारी
26.	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., कायमगंज, जिला फरुखाबाद	सहकारी
27.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., साथीआन, जिला आजमगढ़	सहकारी
28.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., घोसी, जिला मऊ	सहकारी
29.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., पो. आ.–साथा, जिला अलीगढ़ (हरदेवगंज)	सहकारी
30.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., बदायूं, जिला बदायूं	सहकारी
31.	दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., सुल्तानपुर (अवध)	सहकारी

[हिन्दी]

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

उपभोक्ता न्यायालय

3391. श्री छेदी पासवान :
श्री हरि केवल प्रसाद :

(क) देश के विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों में इस समय राज्यवार कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) क्या उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986 के अनुसार इन मामलों के निपटान हेतु निर्धारित समय–सीमा का पालन किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो निर्धारित समय–अवधि का पालन नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग). आमतौर पर मामले 90/150 दिन के भीतर निपटाने होते हैं। तथापि, बड़ी संख्या में मामलों के जमा हो जाने, बार–बार होने वाले स्थगनों, न्यायालय प्रक्रियाओं आदि के कारण कभी–कभी समय–सीमा का पालन नहीं हो पाता है ।

(घ) प्रतितोष अभिकरण को अधिक कुशल बनाने के लिए केंद्रीय सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित उपभोक्ता न्यायालयों के आधार–ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बार की वित्तीय सहायता की स्कीम अनुमोदित की है ।

विवरण

विभिन्न राज्य आयोगों तथा जिला मंचों में अनिर्णीत पड़े मामलों को दर्शाने वाला विवरण

	राज्य आयोग		जिला मंच	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनिर्णीत शिकायतों की संख्या	अनिर्णीत अपीलों की संख्या	अनिर्णीत शिकायतों की संख्या	निम्नलिखित की समाप्त अवधि
1	2	3	4	5
आंध्रप्रदेश	748	961	12965	30.9.95
अरुणाचल प्रदेश	5	6	9	31.3.95
असम	244	140	1582	30.6.95
बिहार	273	1012	9685	30.6.95
गोवा	21	38	615	30.9.95
गुजरात	529	293	16156	31.3.95
हरियाणा	53	1053	9020	30.9.95
हिमाचल प्रदेश	161	758	1248	30.6.95
जम्मू व कश्मीर	32	10	237	31.12.94
कर्नाटक	434	1003	11008	31.3.95
केरल	335	1495	8072	30.6.95
मध्य प्रदेश	82	631	10941	30.6.95
महाराष्ट्र	890	2437	13881	30.6.95

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य आयोग		जिला मंच	
	अनिर्णीत शिकायतों की संख्या	अनिर्णीत अपीलों की संख्या	अनिर्णीत शिकायतों की संख्या	निम्नलिखित की समाप्त अवधि
1	2	3	4	5
मणिपुर	1	24	19	30.6.95
मेघालय	8	7	55	30.6.95
मिज़ोरम	0	0	7	30.6.95
नागालैण्ड	4	0	7	30.9.94
उड़ीसा	555	932	4041	30.6.95
पंजाब	120	7	3859	30.9.94
राजस्थान	2737	2773	11984	30.9.95
सिक्किम	0	0	8	30.6.95
तमिलनाडु	270	689	8600	30.6.95
त्रिपुरा	4	14	168	31.3.95
उत्तर प्रदेश	850	6226	38434	31.12.94
पश्चिम बंगाल	2110	272	13979	30.9.95
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	6	4	11	30.9.95
चंडीगढ़	263	57	2912	30.6.95
दादरा व नागर हवेली	0	0	9	31.12.94
दमन व दीव	0	0	16	30.9.94
दिल्ली	951	1144	9315	30.9.95
लक्षद्वीप	0	0	1	30.6.95
पाण्डिचेरी	7	3	209	30.9.95
योग	11713	21989	189053	

राष्ट्रीय आयोग में 1.11.1995 को 1540 अपीलें, 504 पुनरीक्षण याचिकाएं तथा 405 शिकायतें अनिर्णीत पड़ी थीं ।

एग्रो–मैकेनाजेशन प्रोमोशन स्कीम

[अनुवाद]

3392. **श्री प्रबीन डेका** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एग्रो–मैकेनाइजेशन समवर्द्धन योजना के अंतर्गत असम में पिछले दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने किसानों को सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में किसानों की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए वहां और अधिक संख्या में किसानों को ये लाभ प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). "छोटे किसानों के लिए कृषि यन्त्री करण को बढ़ावा" नामक योजना के अंतर्गत, जो प्रायोगिक योजना के रूप में अनुमोदित की गई थी, असम राज्य में 1993–94 तथा 1994–95 में क्रमशः 14 और 21 किसानों को सहायता दी गई। जब इस योजना को आगे जारी रखने के लिये अनुमोदित किया जायेगा तो और अधिक किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

साक्षरता योजनाएं

3393. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में बारह क्षेत्रीय शैक्षिक योजनाएं चलाने हेतु स्थानों का चयन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों से कितनी सहायता मांगी गई है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि वितरित की गई/किये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सरकार के पास कोई प्रादेशिक शिक्षा योजना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पांडुलिपियों की सुरक्षा

3394. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सरकारी संग्रहालय में रखी हुई 15वीं शताब्दी की ताड़–पत्रों पर लिखी दुर्लभ पांडुलिपियां कीड़ों से नष्ट हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्लभ ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए केन्द्र सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार का उड़ीसा के सरकारी संग्रहालय से कोई सरोकार नहीं है। तथापि, उड़ीसा राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना मंगवाई गयी है, जो प्राप्त होने पर, सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्नों के मूल्य

3395. **श्री लाल बाबू राय**
श्री छेदी पासवान :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में बेचे जाने वाले गेहूं और चावल के मूल्यों में कमी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी तक कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की बिक्री की गई और उनके मूल्य क्या थे?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में गेहूं और चावल की निम्न मात्रा की बिक्री की गई है :–

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

वर्ष	गेहूं	चावल
1993–94	28.56	0.17
1994–95	50.29	4.54
1995–96 (नवम्बर, 95 तक) (अनन्तिम)	24.75	11.13

गेहूं और चावल की खुली बिक्री के मूल्यों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–I, II और III में दिया गया है।

विवरण–I

गेहूं की खुली बिक्री के लिए निर्धारित मूल्य

(दर रुपए प्रति मीटरी टन)

क्रम सं.	राज्य का नाम	नवम्बर, 93	दिसम्बर, 93 और जनवरी, 94	फरवरी और मार्च, 94	अप्रैल, 94	मई,जून और जुलाई 94	अगस्त और सितम्बर 94	अक्तूबर, और नवम्बर, 94	दिसम्बर, 94	जनवरी, 95 से मार्च, 95 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	पंजाब/हरियाणा/उत्तर प्रदेश	3850	3850	4100	4100	4100	4150	4200	4150	4100
2.	दिल्ली	4050	4050	4250	4250	4200	4250	4300	4200	4150
3.	राजस्थान	4000	3950	4150	4150	4150	4200	4250	4200	4150
4.	जम्मू और कश्मीर/हिमाचल प्रदेश	4000	4000	4200	4200	4200	4250	4300	4200	4150
5.	महाराष्ट्र	4450	4400	4650	4500	4500	4550	4600	4550	4500
6.	गुजरात	4300	4250	4450	4350	4350	4400	4450	4400	4350
7.	मध्य प्रदेश	4100	4000	4200 (4100*)	4100	4100	4150	4200	4150	4100
8.	पश्चिम बंगाल/उड़ीसा	4400	4250	4400	4350	4350	4400	4450	4400	4350
9.	बिहार	4300	4190	4350	4300	4300	4350	4400	4350	4300
10.	तमिलनाडु	4500	4500	4750	4600	4600	4650	4700	4650	4600
11.	आंध्र प्रदेश	4450	4450	4700	4550	4550	4600	4650	4600	4550
12.	कर्नाटक	4550	4550	4750	4600	4600	4650	4700	4650	4600
13.	केरल	4600	4600	4800	4600	4600	4650	4700	4650	4600

*मध्य प्रदेश में खुली बिक्री के अधीन गेहूं के मूल्य दिनांक 4.3.94 से घटाकर 4100/– रुपए कर दिए गए है ।

**पहली अगस्त से 27 अगस्त, 1995 तक खुली बिक्री नहीं की गई ।

विवरण–II

अप्रैल, 1995 से दिसम्बर, 1995 तक के महीनों के लिए गेहूं की खुली बिक्री के लिए निर्धारित मूल्य

(दर रुपए प्रति मीटरी टन)

क्रम सं.	राज्य का नाम	अप्रैल, से जुलाई, 95	28 अगस्त से सितम्बर, 95	अक्तूबर, 95	केन्द्र	नवम्बर, 95	दिसम्बर, 95
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पंजाब	4100	4150	4150	चण्डीगढ़	4150	4150
2.	हरियाणा	4100	4150	4150	चण्डीगढ़	4150	4150
3.	दिल्ली	4150	4200	4150	दिल्ली	4150	4150
4.	उत्तर प्रदेश	4100	4150	4150	लखनऊ	4300	4300
					कानपुर	4300	4300
					वाराणसी	4300	4360
5.	राजस्थान	4150	4200	4250	जयपुर	4300	4300
6.	हिमाचल प्रदेश	4150	4200	4200	शिमला	4250	4250
7.	जम्मू और कश्मीर	4150	4200	4200	जम्मू	4200	4200
					श्रीनगर	4200	4200
8.	बिहार	4300	4350	4400	पटना	4420	4420
					रांची	4450	4450
9.	असम	–	–	4450	गुवाहाटी	4450	4600
					कटक	4500	4500
10.	उड़ीसा	4350	4400	4475	भुवनेश्वर	4500	4500
11.	पश्चिम बंगाल	4350	4400	4475	कलकत्ता	4510	4510
					सिलीगुड़ी	4520	4520

क्रम सं.	राज्य का नाम	अप्रैल, से जुलाई, 95	28 अगस्त से सितम्बर, 95	अक्तूबर, 95	केन्द्र	नवम्बर, 95	दिसम्बर, 95
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य प्रदेश	4100	4150	4250	इन्दौर	4350	4350
					ग्वालियर	4280	4280
					रायपुर	4430	4430
13.	गुजरात	4350	4400	4500	अहमदाबाद	4570	4570
					सूरत	4570	4570
14.	महाराष्ट्र	4350	4450	4550	बम्बई	4600	4600
					नागपुर	4560	4560
15.	आंध्र प्रदेश	4550	4600	4600	हैदराबाद	4650	4650
					विशाखापट्टनम	4670	4670
16.	कर्नाटक	4550	4600	4650	बंगलौर	4670	4670
					मैसूर	4690	4690
					बेलगांव	4690	4690
17.	तमिलनाडु	4550	4650	4650	मद्रास	4680	4680
					कोयम्बटूर	4700	4700
					मदुरै	4710	4710
18.	केरल	4550	4650	4700	कोचीन	4740	4740
					त्रिवेन्द्रम	4740	4740

यदि अन्य केन्द्रों पर स्थित डिपुओं में खुली बिक्री की जाती है तो इनके लिए नवम्बर, 1995 से नजदीकी प्रमुख केन्द्र के लिए निर्धारित दर लागू होगी ।

विवरण–III

चावल (उत्तम) की खुली बिक्री के लिए निर्धारित मूल्य

(दर रुपए प्रति मीटरी टन)

क्रम सं.	राज्य का नाम	फरवरी/ मार्च/ अप्रैल, 94	मई, 94	जून/ जुलाई, 94	अगस्त/ सितम्बर, 94	अक्तूबर, 94 1.10.94 से 16.10.94 तक	17.10.94 से	नवम्बर/ दिसम्बर, 94	जनवरी, 95 से मार्च, 95	अप्रैल, 95 से अक्तूबर, 95	नवम्बर, 95
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	पंजाब	6600	6600	6550	6550	7150	7050	7050	7000	7000	7050
2.	हरियाणा	6600	6600	6550	6550	7150	7050	7050	6950	6950	7000
3.	उत्तर प्रदेश	6600	6600	6550	6550	7150	6800	6800	6800	6800	6900
4.	राजस्थान	6600	6600	6550	6550	7150	6900	6900	6800	6800	6850
5.	जम्मू और कश्मीर	6600	6600	6550	6550	7150	6900	6900	6800	6800	6800
6.	दिल्ली	6700	6700	6600	6600	7200	6900	6900	6700	6700	7000
7.	महाराष्ट्र	6800	6800	6700	6650	7250	6800	6800	6600	6600	6750
8.	गुजरात	6800	6800	6700	6650	7250	6800	6800	6600	6600	6750
9.	मध्य प्रदेश	6600	6600	6550	6550	7150	6700	6700	6600	6600	6750
10.	पश्चिम बंगाल	6600	6600	6550	6550	7150	6800	6800	6600	6600	6750
11.	बिहार	6600	6600	6550	6550	7150	6800	6800	6600	6600	6750
12.	उड़ीसा	6600	6600	6550	6550	7150	6750	6750	6650	6650	6750
13.	तमिलनाडु	7000	6900	6700	6650	7250	6800	6800	6600	6600	6750
14.	कर्नाटक	7000	6900	6700	6650	7250	6800	6800	6600	6600	6750
15.	आंध्र प्रदेश	6600	6600	6550	6550	7150	6700	6700	6600	6600	6750
16.	केरल	7100	7000	6700	6650	7250	6800	6800	6600	6600	6750

नोट : आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी क्षेत्रों में फरवरी, 94 से मई, 94 तक के दौरान बढ़िया चावल का मूल्य उत्तम चावल के मूल्य से 200 रुपए प्रति मीटरी टन कम था, आंध्र प्रदेश में बढ़िया चावल का मूल्य उत्तम चावल के मूल्य से 100 रुपए प्रति मीटरी टन कम था। जून से अक्तूबर, 94 तक बढ़िया चावल का मूल्य उत्तम चावल के मूल्य से 300 रुपए प्रति मीटरी टन कम है।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन संबंधी सम्मेलन

3396. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई देशों ने लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की सदस्यता त्याग दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या खाद्य राज्य मंत्री ने 1993 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बैठक में भाग लिया है;

(घ) क्या खाद्य मंत्री ने भारत के अन्य चीनी प्रौद्योगिकीविदों के साथ 1995 के दौरान कोलम्बिया में हुई चीनी प्रौद्योगिकीविदों की बैठक में भाग लिया था और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) भारत ने गत तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की सदस्यता के लिए वर्षवार कितना अंशदान दिया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, लंदन ने सूचित किया था कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी समझौता, 1992 पहली जनवरी, 1993 से प्रभावी हो गया था। पहली सितम्बर, 1994 को केवल एक सदस्य देश नामतः बारबाडोस समझौते से अलग हुआ है । अलग होने के कारण नहीं दिए गए थे । पहली जनवरी, 1994 से अब तक सात देश इस संगठन में शामिल हुए है ।

(ग) जी, हां। मई, 1993 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के सत्र में तत्कालीन खाद्य मंत्री ने भाग लिया था ।

(घ) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय गन्ना प्रौद्योगिकीविद सोसायटी की 22वीं कांग्रेस में खाद्य मंत्री सहित भारत के कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस कांग्रेस में भाग लेने वाले कुछ चीनी प्रौद्योगिकीविद/इंजीनियरों के नाम निम्नानुसार हैं :–

(1) श्री आर. पी. सिंहल (2) श्री जे. जे. भगत (3) श्री एस. सी. जौहरी

(4) श्री रंधीर सिंह (5) श्री विनय कुमार (6) श्री डी. के. गोयल

(7) श्री वी. के. मालिक (8) श्री एस. एस. सिरोही

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा भुगतान किए गए सदस्यता अंशदान का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	राशि (पौंड में)
1992	34,505
1993	19,570
1994	22,572

सांस्कृतिक कंप्लेक्स

3397. श्री तारा सिंह :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बहुद्देशीय सांस्कृतिक कंप्लेक्स स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कंप्लेक्स अब तक स्थापित कर लिये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्यों से उपयुक्त प्रस्तावों के प्राप्त होने पर परिसरों की मंजूरी दी जाती है । ये परिसर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, नागालैंड, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, उड़ीसा और असम में स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में हैं ।

(ग)

राज्य	संस्वीकृत राशि
1	2
सिक्किम	65 लाख रुपये
पश्चिम बंगाल	35 लाख रुपये
मणिपुर	10 लाख रुपये
नागालैंड	70 लाख रुपये
मध्य प्रदेश	70 लाख रुपये

राज्य	संस्वीकृत राशि
1	2
मिजोरम	25 लाख रुपये
उड़ीसा	25 लाख रुपये
असम	8 करोड़ रुपये
	(असम समझौते के तहत)

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

गुजरात में प्राणी उद्यान

3398. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कुल कितने प्राणी उद्यान हैं;

(ख) उनमें कितने जंगली जानवर हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) सरकार द्वारा इन प्राणी उद्यानों की स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) गुजरात में दो बड़े चिड़ियाघर, एक मध्यम चिड़ियाघर, पांच छोटे चिड़ियाघर तथा सात मिनी चिड़ियाघर हैं ।

(ख) 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार गुजरात के बड़े और मध्यम चिड़ियाघरों में वन्य पशुओं और पक्षियों की संख्या 4030 थी। लघु और मिनी चिड़ियाघरों के अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन इनमें लगभग 3000 पशु और पक्षी हैं।

(ग) विभिन्न चिड़ियाघरों द्वारा प्रतिवर्ष खर्च किए गए कुल व्यय के बारे में आंकड़ों का सरकार द्वारा मिलान तथा संकलन नहीं किया जाता है । तथापि, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने गुजरात के एक चिड़ियाघर के सुधार कार्यों के लिए 3.75 लाख रुपए रिलीज किए हैं।

(घ) सरकार विभिन्न चिड़ियाघरों के पशुओं के वासस्थलों के सुधार और अनुरक्षण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता दे रही है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

3399. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 क्रियान्वयन द्वारा इसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों द्वारा की गई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पैरा 10.9 में शैक्षिक विकास की प्रोन्नति में गैर–सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है।

(ख) और (ग). गैर–सरकारी संगठनों को अनौपचारिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा जैसी योजनाओं के लिए अनुदान प्रदान किए जाते हैं। योजनाओं तथा गैर सरकारी–संगठनों को दिए गए एक लाख रुपये से अधिक के अनुदानों का विस्तृत विवरण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है।

भुजंगराव समिति

3400. **डा. वसंत पवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों के संबंध में भुजंगराव समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). समिति की मुख्य सिफारिशें जमा 2 स्तर पर अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों को शुरू करने तथा इसके परिणामतः अपेक्षित शिक्षण पदों के सृजन, इन विषयों के वर्तमान शिक्षकों को यदि अर्हक हों तो, इन पदों पर पदोन्नत करने आदि के लिए व्यवस्था करने से सम्बन्धित है । क्योंकि सभी केन्द्रीय विद्यालयों में जमा दो स्तर पर अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों को आरम्भ करने में पर्याप्त अतिरिक्त निधियों की अपेक्षा होगी, अतः शासी–बोर्ड ने सिविल तथा रक्षा–क्षेत्रों के अधीन 20 केन्द्रीय विद्यालयों में तथा परियोजना–क्षेत्र के उपयुक्त स्कूलों में केवल "कम्प्यूटर विज्ञान को आरम्भ करने" के लिए अनुमोदन दिया है ।

[अनुवाद]

दूध वितरण के दौरान मदर डेयरी को क्षति

3401. **श्री वी. एल. शर्मा प्रेम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेयरी द्वारा अपने चालकों एवं बिक्रीकर्ताओं को दूध के वितरण में 0.5 प्रतिशत की क्षति की अनुमति दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो यह स्तर किस प्रकार और कब निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या इस क्षति के अनुमत्य स्तर को बढ़ाकर 0.65 प्रतिशत कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त वृद्धि से पूर्व की अवधि के दौरान तुलनात्मक वास्तविक क्षति कितनी थी;

(च) चालक एवं बिक्रोकर्ताओं की अनुपस्थिति के समय चालकों को भी दूध की बिक्री के लिए नियुक्त किया जाता है; और

(छ) यदि हां, तो क्या ऐसे कार्यों के लिए चालकों को भी दूध वितरण भत्ता दिया जाता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) जी, हां ।

(ख) चालक–सह–बिक्रीकर्ता को वितरण/आदान–प्रदान करने में 0.5 प्रतिशत के अनुमत्य घाटे की अधिकतम सीमा निम्नलिखित दो बातों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई थी :–

(1) दुग्ध टैंक के व्यास मापन में 0.3 प्रतिशत अतिरिक्त दूध का प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि दुग्ध पर वैंडिंग मशीन के जरिए किसी भी समय उपभोक्ता को दिया जाने वाले अपेक्षित दूध की मात्रा कम न हो ।

(2) डिलीवरी तथा धुलाई आदि के दौरान दूध के गिरने जैसे कारणों की वजह से होने वाली छीजन के लिए अधिकतम 0.2 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है ।

(ग) से (ङ). डेयरी क्षेत्र के सुयोग्य अधिकारियों तथा चालक–सह–बिक्रीकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से किए गए परीक्षण के दौरान वास्तविक घाटा 0.47 प्रतिशत से लेकर 0.87 प्रतिशत तक देखा गया है। ये परीक्षण बार–बार किए गए तथा कुल मिलाकर औसतन घाटा 0.65 प्रतिशत बैठता है। अतः 1986 में आदान–प्रदान/वितरण करने में इस घाटे की सीमा को 0.65 प्रतिशत तक संशोधित किया गया।

(च) जी, हां ।

(छ) जब चालकों को दूध की बिक्री के काम में लगाया जाता है, तो इन पर भी यही मानक लागू होते हैं।

[हिन्दी]

नई परियोजनाओं का मूल्यांकन

3402. **श्री सत्यदेव सिंह**:
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सभी नई परियोजनाओं का पारिस्थितिकी के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समिति के पुनर्गठन का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों द्वारा किन–किन विषयों पर विचार किये जाने की संभावना है;

(ग) समिति के सदस्यों के चयन हेतु वस्तुनिष्ट मानदण्ड क्या हैं; और

(घ) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए निर्धारित निवेश स्तर से अधिक नये संयंत्रों की स्थापना करने अथवा प्रदूषणवर्द्धक विस्तार और आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू करने से पहले पर्यावरण संबंधी प्रभाव का आकलन कराया जाना अनिवार्य है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). औद्योगिक, खनन, ताप विद्युत, नदी घाटी तथा जल विद्युत और आधारभूत ढांचा विकास एवं विविध परियोजनाओं के पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए हाल ही में विशेषज्ञ समितियों का पुनर्गठन किया गया है।

(ग) समिति के सदस्यों के चयन का मापदण्ड दिनांक 27.1.1994 की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना में दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पारिस्थितिकी, पारि–प्रणाली प्रबंध, जल संसाधन प्रबंध, वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण, भूमि उपयोग आयोजना, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणीय स्वास्थ्य आदि जैसे विषय आते हैं ।

(घ) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन निम्नलिखित श्रेणी के उन उद्योगों के लिए किया जाना अपेक्षित है जिनमें विस्तार और आधुनिकीकरण प्रस्तावों सहित 50.00 करोड़ और उससे अधिक रुपए का निवेश किया गया हो (यदि प्रदूषण भार विद्यमान से अधिक हो जाता हो) :–

–पेट्रोलियम कच्चा और उत्पाद पाइपलाइन्स सहित पेट्रोलियम रिफायनरी

–रासायनिक उर्वरक

–पेट्रोरसायन काम्पलेक्स एवं पेट्रो–रसायन इन्टरमीडिएट्स

–तेल और गैस की खोज तथा उनका उत्पादन, परिवहन और भण्डारण

–सिंथैटिक रबड़

–हाइड्रोसिनिकल अम्ल और इसकी उत्पत्तियां

–विद्युत चाप भट्टियों (लघु इस्पात संयंत्र) सहित प्राथमिक धातुकर्मीय उद्योग

–क्लोर–अल्कली उद्योग

–विस्कोस स्टेपल फाइबर और फिलामेन्ट यार्न

–स्टोरेज बैटरीज इन्टग्रेटेड

–लुगदी कागज और न्यूजप्रिन्ट

–सीमेन्ट

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना में उद्योगों की उन कतिपय श्रेणियों के संबंध । पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की शर्त भी है । जिनमें 50.00 करोड़ रुपए से कम का वेश है ।

पेय जल

3403. डा. रमेश चन्द तोमर :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
डा. वसंत पवार :

क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आपूर्ति किया जा रहा जल सुरक्षित नहीं है और वह संदूषित ;

(ख) यदि हां, तो लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या दिल्ली में एक चल उपचार संयंत्र स्थापित किया गया है;

(घ) इस कार्य पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च की गई है तथा उक्त संयंत्र में प्रतिदिन कितने पानी का उपचार होता है;

(ङ) क्या ऐसे और संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (च). चना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में गोदाम

3404. श्री सुधीर सावन्त : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल परियोजना के आरम्भ होने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरि जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न के भंडारण हेतु भारतीय खाद्य निगम का कोई गोदाम नहीं है; और

(ग) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में गोदामों के निर्माण की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) यह तय किया गया है कि कोंकण रेल परियोजना मार्च, 1996 तक पूरी कर दी जाए । यह परियोजना चरणों में चालू की जा रही है ।

(ख) और (ग). खाद्य निगम का महाराष्ट्र में रत्नागिरि में 10,000 मीटरी टन क्षमता का अपना गोदाम है परन्तु सिंधु दुर्ग जिले में इसका अपना कोई गोदाम नहीं है। खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए महाराष्ट्र में रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग जिलों में केन्द्रीय भण्डारण निगम का भी कोई गोदाम नहीं है। तथापि, राज्य के प्रत्येक जिले की खाद्यान्न संबंधी आवश्यकता भारतीय खाद्य निगम के अपने/किराये के निकटवर्ती डिपुओं से पूरी की जाती है। केन्द्रीय भण्डारण निगम की महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले में कुदाल और चिपलुन में तथा रत्नागिरि में क्रमशः भाण्डागार बनाने की योजना है।

चीनी मिलें

3405. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने सिफारिश की है कि नई चीनी मिलें लगाने के लिए सरकार द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहनों में भारी कटौती की जाये;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में चीनी उपलब्धता पर इन सिफारिशों का कोई असर पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ). खाद्य–मंत्रालय ने हाल ही में 1.4.1994 से 31.3.1997 की अवधि के दौरान लाइसेंसी/लाइसेंस दिए जाने वाली नई तथा विस्तारित परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो (बी. आई. सी. पी.) से चीनी प्रोत्साहन योजना पर एक रिपोर्ट प्राप्त की है। रिपोर्ट परीक्षणाधीन है।

घटिया चावल

3406. श्री वी. एन. विजयराघवन :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में दो वर्ष पुराने चावलों की कुछ बोरियाँ पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम इन घटिया किस्म के चावलों को उठाने के लिए केरल सरकार पर दबाव डाल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हाँ। भारतीय खाद्य निगम के केरल में स्थित डिपुओं में दो वर्ष पुराना चावल का स्टाक पड़ा है।

(ख) 30 नवम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार, केरल के नौ डिपुओं में दो वर्ष पुराने चावल की निम्नलिखित मात्रा उपलब्ध है :–

(1) सेला चावल	23955 मीटरी टन
(2) कच्चा चावल	11758 मीटरी टन
योग	35713 मीटरी टन

(ग) जी, नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए विनिर्दिष्टियों के अनुरूप ही चावल का स्टाक, चाहे वह पुराना हो अथवा नया हो, निर्मुक्त किया जाता है। यह स्टाक राज्य के नागरिक आपूर्ति प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत करने के बाद ही निर्मुक्त किया जाता है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जांच करने वाली एजेंसी

3407. श्री राम निहोर राय : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता को खाद्यान्नों के पुराने भंडार की आपूर्ति कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन खाद्यान्नों को मानवोपभोग हेतु उपयुक्तता संबंधी प्रमाण–पत्र देने के लिए सरकार की कोई एजेंसी है; और

(घ) यदि हां, तो उस एजेंसी का नाम क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु केवल निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप स्टॉक ही राज्य सरकार के नामितियों को जारी किए जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं कि जारी किया जाने वाला स्टॉक चाहे पुराना हो अथवा नया हो, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की विशिष्टियों के अनुरूप हो तथा उसमें कीड़े न हों।

(ग) और (घ). राज्य सरकार के अधिकारियों अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा, खाद्यान्नों के जारी होने से पहले खाद्यान्नों की गुणवत्ता जांच की जाती है।

राष्ट्रीय खेल संस्थान के मुख्यालय को स्थानांतरित करना

3408. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खेल संस्थान के मुख्यालय को पटियाला से बंगलौर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महिला अधिकार आयोग

3409. श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल :
श्री मंजय लाल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं को समान अधिकार देने के लिये "महिला अधिकार आयोग" गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रारूप तैयार किया गया है तथा उसे स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) से (ग). महिलाओं के अधिकारों के संरक्षक के रूप में महिलाओं के अधिकारों के आयुक्त के कार्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव राष्ट्रीय महिला आयोग सहित विभिन्न अधिकरणों के परामर्श से सरकार के विचाराधीन है ।

वन अधिकारियों का स्थानान्तरण

3410. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश से सरकार की जानकारी में ऐसे मामले सामने आये हैं जिनमें जंगलों की अनाधिकृत कटाई करने और वन्य जीवों की खाल, हड्डियों और अंगों की तस्करी करने वालों के अभियोजन से संबंधित वन अधिकारियों/संरक्षकों आदि का स्थानान्तरण किया गया है और उन्हें अन्यत्र भेज दिया गया है जिससे खतरनाक वन्य चोरों/तस्करों के अभियोजन में रुकावट पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). जी, हां । उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल से उन कुछ वन अधिकारियों के स्थानान्तरण का एक मामला अगस्त, 1995 में ध्यान में आया जो कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव अपराध मामलों की जांच और अभियोजन में शामिल थे ।

(ग) इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया जिसने अब रिपोर्ट दी है कि स्थानान्तरण प्रशासनिक और सार्वजनिक हित में किए गए और इसके कारण किसी अपराधी के अभियोजन में कोई बाधा नहीं पड़ी है क्योंकि उन पर उत्तराधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है ।

[हिन्दी]

यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं

3411. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :
डा. साक्षीजी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय और अन्य विदेशी एजेंसियों से वित्तीय सहायता प्राप्त चल रहीं कृषि परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिये निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

शारीरिक शिक्षा

3412. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता आबंटित/जारी की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

जमाखोरी के विरुद्ध अभियान

3413. श्री के. टी. वान्डायार : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जमाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) इससे संबंधित अधिनियम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दण्डित किये गये दोषी व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में जमाखोरों के लाइसेंसों को रद्द करके उन्हें कड़ा दण्ड देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल और कारगर बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर कुल कितनी धनराशि की राजसहायता दी जाती है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). राज्य सरकारों तथा

संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1975 के तहत आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा चोरबाजारी में लगे और समय-समय पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के तहत जारी नियंत्रण आदेशों के विभिन्न उपबंधों के दूसरे उल्लंघनों में लिप्त बेईमान तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि जब भी यह महसूस किया जाए कि किसी आवश्यक वस्तु की उपलभ्यता अथवा उसके मूल्य पर बेईमान तत्वों द्वारा सट्टेबाजी के लिए की जाने वाली जमाखोरी से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो वे विशेष जमाखोरी विरोधी अभियान चलाएं।

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह देती है और साथ ही आवधिक बैठकों के जरिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों के प्रवर्तन की समीक्षा भी करती है।

गत तीन वर्षों के दौरान इस अधिनियम के तहत दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :-

वर्ष	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या
1992	5186	6067	335
1993	4300	5754	3569
1994	9078	4846	4078
1995 (अक्तूबर 95 तक)	9014	2493	1971

राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जब कभी वे आवश्यक समझते हैं, अपने द्वारा जारी नियंत्रण आदेशों के तहत दोषी व्यक्तियों के लाइसेंस रद्द करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। उन्हें सलाह दी गई है कि वे चुनींदा मामलों में पूरी सावधानी तथा एहतियात के साथ अभियोजन चलाएं ताकि छोटे व्यापारी अनावश्यक रूप से तंग न हों।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना तथा उसे सुव्यवस्थित बनाना एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए सुझावों तथा उपायों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री समिति, जिसमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति के प्रभारी मंत्री सदस्य हैं, की बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है। केन्द्रीय नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री परामर्शदात्री परिषद के अध्यक्ष हैं। परामर्शदात्री परिषद की बैठकों के अलावा केन्द्रीय नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य की समीक्षा करने तथा उनमें सुधार करने/उन्हें सप्रवाही बनाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ समय-समय पर केन्द्रीय बैठकें करते हैं।

(ङ) 1994-95 के दौरान खाद्यान्न राजसहायता (चीनी को मिलाकर) की कुल राशि केन्द्रीय सरकार के संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार 5100 करोड़ रुपए थी। चालू वर्ष अर्थात् 1995-96 के लिए खाद्यान्न राजसहायता हेतु 5250 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। सुपीरियर मिट्टी के तेल तथा सॉफ्ट कोक जैसी वस्तुओं पर कोई बजटीय राजसहायता नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर राज्य सरकारों द्वारा भी प्रशासकीय और अन्य व्यय किए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर किए जाने वाले इन सभी व्ययों को परिमाप में बताना सम्भव नहीं है।

भारतीय खेल प्राधिकरण

3414. श्री शैलेन्द्र महतो : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय खेल प्राधिकरण के शासी निकाय में उन शिक्षाशास्त्रियों, शारीरिक शिक्षा कालेजों के प्राचार्यों और अनुसंधानकर्ताओं को शामिल करने का है जिन्होंने ओलंपिक विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता की है अथवा अन्य अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलनों में अपने अनुसंधान लेख प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण के शासी निकाय की बैठकें तीन महीनों में कम से कम एक बार होती हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल और शारीरिक शिक्षा के उन प्रमुख भारतीय अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षाशास्त्रियों की कोई सूची तैयार की है जिन्होंने विदेशों में खेल-कूद और शारीरिक शिक्षा अनुसंधान सम्मेलनों में भाग लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण के नियमों के अनुसार, शासी निकाय से प्रायः आवश्यकतानुसार और आमतौर पर, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक बुलाने की अपेक्षा की जाती है । चालू वित्तीय वर्ष में, अब तक ऐसी चार बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकीं हैं।

(घ) जी, नहीं ।

सुपर बाजार

3415. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार तथा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एन. सी. सी. एफ.) द्वारा नोट शीट पैड, बाउंड रजिस्टर तथा सैलोटेप इत्यादि जैसी अनेक वस्तुएं डिब्बाबंद वस्तु नियम, 1977 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं अर्थात् इन वस्तुओं की मात्रा तथा आकार एवं वस्तु निर्माताओं के नाम, निर्माण तिथि, अधिकतम खुदरा मूल्य इत्यादि जैसी जानकारी के बिना ही बिक्री की जा रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि जगतजीत इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, खेडे इंडिया लिमिटेड आदि जैसी शराब बनाने वाली कुछ कम्पनियां डब्बों पर अधिकतम खुदरा मूल्य संबंधी विवरण दिये बिना ही मिलिटरी कैन्टीन को शराब की आपूर्ति कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा नियमों के उल्लंघन किये जाने के संबंध में सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ तथा सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उनके द्वारा बेची जाने वाली पैकशुदा सभी वस्तुएं सामान्यतः बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के मानकों के अनुरूप होती हैं।

कापियां, नोट पैड, रजिस्टर, सैलो टेप आदि जैसी वस्तुओं पर पैकेज में रखी वस्तुएं नियम, 1977 के उपबंध तभी लागू होते हैं, यदि उन्हें पहले से पैकशुदा रूप में बेचा जाए।

(ख) और (ग). अल्कोहलयुक्त पेयों अथवा स्पिरिटयुक्त मययुक्त बोतलों को बाट तथा माप, मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के नियम 6 (1) (ग) (iii) के तहत अधिकतम खुदरा मूल्य की घोषणा से संबंधित उपबंधों से छूट है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा

3416. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा और अन्य राज्यों में "नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा" की स्थानीय शाखाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ स्थानों का चुनाव करने हेतु क्या मापदण्ड अपनाये गए है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास अपने कार्यकलापों को विकेंद्रित करने के अपने प्रयासों के एक अंग के रूप में क्षेत्रीय स्रोत केन्द्र खोलने तथा क्षेत्रीय विशेषज्ञों के घनिष्ठतर सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक योजनागत स्कीम है।

(ख) विद्यालय ने मई, 1994 में बंगलौर में अपना प्रथम क्षेत्रीय स्रोत सह–शोध केन्द्र खोल लिया है और यह केन्द्र चार दक्षिणी राज्यों अर्थात् कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और दो संघ शासित क्षेत्रों पांडिचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की शिक्षण और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन विद्यालय द्वारा पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों के सभी राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कलकत्ता, बम्बई और वाराणसी/लखनऊ में अपने क्षेत्रीय केन्द्र खोलने की योजना है। उड़ीसा पूर्वी क्षेत्र का अंग होगा।

(ग) स्थानों के चयन के लिए अपनाए जा रहे मापदण्ड ये है कि उस स्थान पर एक सुदृढ़ थियेटर आंदोलन होना चाहिए, यह क्षेत्र के केन्द्र में होना चाहिए और उस स्थान पर आसानी से पहुंचा जा सके।

उत्तर साक्षरता तथा सतत् शिक्षा अभियान

3417. श्री एन. डेनिस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ ग्रुप तथा सामाजिक अनुसंधान संगठन ने जिन्हें उत्तर साक्षरता तथा सतत् शिक्षा अभियान के संबंध में मूल्यांकन कार्य सौंपे गये थे, सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर साक्षरता योजना को सुदृढ़ बनाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हाँ । मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा श्री अरुण घोष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की गई थी जिसे साक्षरता अभियानों की प्रगति का निरीक्षण, समस्याओं तथा मूल्यांकन का अध्ययन करने का दायित्व सौंपा गया था । इस दल ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय में प्रस्तुत कर दी है। उत्तर साक्षरता तथा सतत् शिक्षा योजना (जन शिक्षण निलयमों) का मूल्यांकन कार्य भी दिल्ली स्थिति सामाजिक अनुसंधान संगठन के कार्य अनुसंधान दल को सौंपा गया था । कार्य अनुसंधान दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है ।

(ख) श्री अरुण घोष की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन तथा उसमें की गई सिफारिश के पश्चात् कार्य अनुसंधान दल द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्टों से प्राप्त निष्कर्षों तथा उनमें की गई सिफारिशों के अनुसार "उत्तर साक्षरता अभियान" तथा "सतत् शिक्षा" की योजना को सुदृढ़ करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है ।

जिन जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियानों के माध्यम से बेसिक साक्षरता कार्यकुशलता प्रदान करने का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है उन जिलों में उत्तर साक्षरता अभियानों को शुरू किया जा रहा है। उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के पहले वर्ष में ही शिक्षुओं को आत्मनिर्भर शिक्षा का स्तर उपलब्ध कराने की दिशा में लगभग 50 घंटे की निर्देशित शिक्षा के एक आधारभूत ढांचे का एक ब्रिज कार्यक्रम पेश करके संपूर्ण साक्षरता अभियानों को सुदृढ़ बनाया गया है। उत्तर साक्षरता अभियान के बाद वाले चरण में इसके दूसरे वर्ष में पुस्तकालय सेवाओं, चर्चा मंडलों तथा अन्य अनिर्मित कार्यकलापों में माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा दक्षता विकास जैसी स्वनिर्देशित शिक्षा सम्मिलित होगी।

कार्य अनुसंधान दल द्वारा प्रस्तुत की गई मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट से प्राप्त निष्कर्षों तथा उसमें की गई सिफारिशों और साक्षरता की जो तस्वीर सामने आयी, उन्हें ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक हो गया है कि जनशिक्षण निलयमों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही "उत्तर साक्षरता तथा सतत् शिक्षा" की सम्पूर्ण वर्तमान योजना में संशोधन किया जाय तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत नवसाक्षरों के लिए सतत् शिक्षा की एक संशोधित योजना तैयार की जाय । प्रस्तावित संशोधित योजना सतत् शिक्षा के प्रति विशेषरूप से समर्पित होगी । इस योजना को अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कार्य योजना के अनिवार्य अंग के रूप में तथा शिक्षण समुदाय के सृजन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यापक तौर पर स्वीकार किया जा रहा है । इस संशोधित योजना के कार्यान्वयन के लक्ष्य तथा तौर-तरीके भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

भूमि संरक्षण

3418. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि संरक्षण हेतु चलाये जा रहे विभिन्न केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन पर राज्यवार अब तक कितना खर्च किया गया है;

(ग) भूमि संरक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत अब तक राज्यवार वास्तविक रूप से कितना क्षेत्र शामिल किया गया है; और

(घ) भूमि संरक्षण को प्रोत्साहन देने हेतु आगे क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

(घ) विवरण में उल्लिखित योजनाओं को नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव किया जायेगा ।

विवरण

1. नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण–

यह योजना 18 राज्यों के 29 जलग्रहण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन–पनधारा आधार पर किया जा रहा है । विभिन्न मृदा तथा जल संरक्षण उपायों के माध्यम से सभी प्रकार की भूमि अर्थात् कृषि वन तथा बंजर भूमि का उपचार अवक्रमण की सीमा तक किया जा रहा है।

अब तक 543.76 करोड़ रुपये के व्यय से 30.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया जा चुका है । राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

2. बाढ़ प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध–

इस योजना का कार्यान्वयन 8 राज्यों के 10 जलग्रहण क्षेत्रों में किया जा रहा है । इस योजना का कार्यान्वयन पनधारा आधार पर किया जा रहा है। और सभी प्रकार की भूमि अर्थात् कृषि वन तथा बंजर भूमि का उपचार विभिन्न मृदा एवं जल संरक्षण उपायों द्वारा किया जा रहा है ।

अब तक 199.72 करोड़ रुपये के व्यय से 6.85 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया जा चुका है। राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

3. वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना–

यह परियोजना वर्ष 1990-91 में 25 राज्यों तथा 3 केन्द्र शासित प्रदेशों में चलाई गई थी । इस परियोजना में 1100 करोड़ रुपये की लागत से 28.00 लाख हैक्टेयर क्षेत्र

उपचार का लक्ष्य निर्धारित है। परियोजना लागत का केवल 30% मृदा तथा अन्य कृतिक संसाधनों के संरक्षण पर व्यय किया जाता है।

उपर्युक्त के अलावा, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय के अन्तर्गत बंजर भूमि विकास, विभाग द्वारा समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना नामक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें मृदा तथा नमी संरक्षण से संबंधित घटक भी शामिल है। अब तक 324.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से 128 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

अनुबंध

मृदा एवं जल संरक्षण संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत उपचारित क्षेत्र तथा व्यय धनराशि

(क्षेत्र 000में)
(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शा. क्षे.	नदी घाटी परियोजनाएं		बाढ़ प्रवण नदियां	
		क्षेत्र	धनराशि	क्षेत्र	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	184.93	2763.70	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
3.	असम	13.81	362.71	–	–
4.	बिहार	86.46	1593.93	66.35	2387.13
5.	गुजरात	82.16	2027.43	–	–
6.	हरियाणा	–	–	34.90	916.71
7.	हिमाचल प्रदेश	177.74	4370.33	59.97	2423.44
8.	जम्मू और कश्मीर	22.90	811.46	–	–
9.	कर्नाटक	362.84	4068.43	–	–
10.	केरल	23.05	1354.16	–	–
11.	मध्य प्रदेश	743.76	8491.65	65.91	1636.48
12.	महाराष्ट्र	79.37	2250.08	–	–
13.	मणिपुर	–	–	–	–
14.	मेघालय	–	–		
15.	मिजोरम	–	–	–	

क्र. सं.	राज्य/संघ शा. क्षे.	नदी घाटी परियोजनाएं		बाढ़ प्रवण नदियां	
		क्षेत्र	धनराशि	क्षेत्र	धनराशि
1	2	3	4	5	6
16.	नागालैंड	–	–	–	–
17.	उड़ीसा	220.92	2928.57	–	–
18.	पंजाब	26.69	187.15	0.33	15.85
19.	राजस्थान	312.06	4151.28	160.34	4461.74
20.	सिक्किम	19.00	1061.50	–	–
21.	तमिलनाडु	87.06	3195.01	–	–
22.	त्रिपुरा	7.50	246.98	–	–
23.	उत्तर प्रदेश	124.24	3590.93	274.34	6810.13
24.	पश्चिम बंगाल	72.37	1615.72	21.13	1189.77
25.	गोवा	–	–	–	–
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वी. स.	–	–	–	–
27.	चण्डीगढ़	1.74	95.27	–	–
28.	दादर एवं नागर हवेली	–8	–	–	–
29.	दिल्ली	–	–	2.41	48.47
30.	दमण और दीव	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
32.	पाण्डिचेरी	–	–	–	–
33.	डी. वी. सी.	364.37	9099.13		– –
34.	अन्य/मुख्यालय	–	24.37	–	83.01
35.	अतिरिक्त व्यय	–	86.88	–	–
	कुल :	3012.97	54376.67	685.68	19972.73

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के प्रदूषणकारी उद्योग

3419. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रदूषणकारी उद्योगों की पहचान का कार्य आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, 17 अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली अभिनिर्धारित उद्योग श्रेणियों के 224 में से 173 के पास उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां हैं, 19 बंद हैं और बाकी उद्योगों ने मानकों का पालन करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं ।

(ग) प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख उद्योग श्रेणियों के लिए उत्सर्जन और बहिस्राव मानक अधिसूचित किए गए हैं। उद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय-सीमा के अन्दर जरूरी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाएं तथा दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है ।

(2) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने तथा उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं ।

(3) प्रदूषण नियंत्रण/निगरानी उपकरणों के लिए उद्योगों को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट दी जाती है ।

(4) लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए एक स्कीम शुरू की गई है।

(5) प्रदूषण के प्रभाव के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग

3420. कुमारी क्रिडा तोपनो : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किये गये मुख्य कार्य क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आयोग द्वारा महिलाओं पर किये गये अत्याचारों के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान, आयोग द्वारा किये गए प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार है :-

– महिलाओं के मुद्दों से सम्बन्धित लोगों के साथ सम्बन्ध/संस्थागत सम्पर्क स्थापित करना;

– महिलाओं को प्रभावित करने वाले विधानों की समीक्षा शुरू करना;

– महिलाओं को हिरासत में न्याय दिलाने के लिए कार्यविधियों और कानूनों की जांच करना;

– बच्चों के साथ बलात्कार की समस्या के समाधान हेतु उपाय करने के लिए इसका अध्ययन करना;

– महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने/उन पर अत्याचारों सम्बन्धी शिकायतों की जांच करना;

– महिलाओं पर आर्थिक सुधारों के प्रभाव का अध्ययन प्रारम्भ करना;

– इलैक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों तथा पत्र-पत्रिकाओं के लिए महिलाओं सम्बन्धी परिप्रेक्ष्यों पर बल;

– विभिन्न क्षेत्रों में बैठकों और विचार-विमर्श के माध्यम से महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना;

– चुनिन्दा क्षेत्रों/विषयों में महिलाओं के विकास में हुई प्रगति का व्यापक मूल्यांकन करना;

(ख) जनवरी, 1955 से अब तक प्राप्त शिकायतों की संख्या लगभग 276 है ।

(ग) इन शिकायतों की राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 (1) (घ) के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधि के अनुसार जांच की गयी और उनसे उत्पन्न मुद्दों को, शिकायतों के निराकरण हेतु उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाया गया । जिन मामलों में शिकायतें निराधार पाई गई उनमें शिकायतकर्ताओं को तदनुसार सूचित किया गया ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

3421. डा. सुधीर राय :
श्री मुही राम सैकिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 28.11.95 के तारांकित प्रश्न संख्या 31 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995–96 के दौरान देश के केन्द्रीय विद्यालयों में नियमित दाखिलों की संख्या क्या थी;

(ख) 1995–96 सत्र के लिए मंत्रियों तथा संसद सदस्यों के लिए विशेष प्रबन्ध दाखिलों की संस्तुति के अंतर्गत निर्धारित कोटा क्या था;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्यों की संस्तुतियाँ उनके लिए निर्धारित कोटे के अलावा भी स्वीकृत की गई;

(घ) यदि हाँ, तो इनकी क्या संख्या थी तथा इनका औचित्य क्या था;

(ङ) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के बोर्ड ऑफ गवर्नर से यह प्राधिकृत किया गया है कि विशेष प्रबंध योजना के अंतर्गत दाखिलों के संबंध में सरकार के पूर्व निर्णय को बदल सकते हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित किए गए कोटे के अनुसार, प्रतिवर्ष एक संसद–सदस्य की सिफारिश पर दो छात्रों को तथा एक मंत्री की सिफारिश पर पाँच छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

(ग) से (च). केन्द्रीय विद्यालय संगठन का अध्यक्ष विस्तृत सामाजिक स्थितियों तथा अनुकम्पा के आधार पर प्रवेश में विशेष छूट दे सकता है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन पर मुकदमा

3422. श्री मुही राम सैकिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के खिलाफ आज की तारीख तक लम्बित विषय/मामलेवार न्यायिक मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपने कर्मचारियों द्वारा मुकदमेबाजी को कम करने के लिए किसी विभागीय मध्यस्थता का मंच तैयार करने का विचार किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई खाद्यान्न व्यापार कन्वेंशन

3423. श्री राम कापसे : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान विश्व व्यापार सम्मेलन के समाप्त होने पर 1 जुलाई से लागू होने वाली नई खाद्यान्न व्यापार कन्वेंशन, 1995 पर हस्ताक्षर करने और उसे अनुमोदित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। गेहूं व्यापार कन्वेंशन 1986, जिसमें भारत हस्ताक्षरकर्ता था, की समाप्ति पर सरकार ने नये अनाज व्यापार कन्वेंशन 1995 पर हस्ताक्षर किए हैं और इसका अनुसमर्थन भी किया है जो पहली जुलाई, 1995 से प्रभावी है। नये कन्वेंशन के उद्देश्य निम्नानुसार हैः

(1) अनाजों के व्यापार के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, विशेष रूप से जहां तक ये खाद्यान्नों की स्थिति को प्रभावित करते हैं;

(2) अनाजों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार को बढ़ावा देना, और इस व्यापार की यथासंभव गति को सुनिश्चित करना, जिसमें सभी सदस्यों, विशेषकर नये सदस्यों, के हित में व्यापार गतिरोधों और अनुचित तथा पक्षपातपूर्ण गतिविधियों को दूर करना भी शामिल है;

(3) सभी सदस्यों के हित में अन्तर्राष्ट्रीय अनाज बाजारों की स्थिरता के लिए यथासंभव सीमा तक सहयोग देना, विश्व खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, और उन देशों के विकास में सहयोग देना जिनकी अर्थव्यवस्था प्रमुखतया अनाज की व्यावसायिक बिक्री पर निर्भर है; और

(4) अनाज के व्यापार के संबंध में, संबंधित सदस्यों को सूचना का आदान–प्रदान करने और विचार–विमर्श करने के लिए मंच प्रदान करना।

उर्वरकों की बिक्री

3424. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फास्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरकों के उत्पादक अपने उर्वरकों को उन राज्यों में बेचने को इच्छुक हैं जहां इनकी कमी है ताकि वे अधिक मुनाफा कमा सकें तथा जिसके कारण से कुछ राज्यों के किसानों को इन उर्वरकों की उचित आपूर्ति नहीं हो पा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि जमाखोरी तथा कृत्रिम अभाव को समाप्त करते हुए इन उर्वरकों की सभी राज्यों में एक–समान मूल्य पर बिक्री हो?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) और (ख). चूंकि फास्फेटयुक्त और पोटासयुक्त उर्वरकों के मूल्य, वितरण तथा ढुलाई विनियंत्रित हैं इसलिए, भारत सरकार देश भर में उनकी समान मूल्यों पर बिक्री सुनिश्चित नहीं कर सकती। वैसे, किसानों को इन विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री की योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकारों से उर्वरक सप्लाई करने वाली एजेंसियों के साथ किसानों हेतु बिक्री मूल्य के बारे में बातचीत करके किसानों के लिये अनुकूलतम मूल्य निश्चित करने का अनुरोध किया गया है। किसी भी राज्य/संघ शासित प्रदेश से इन उर्वरकों की कमी की सूचना नहीं मिली है।

स्कूल भवन का निर्माण

3425. श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सरकारी विद्यालयों हेतु पक्का भवन निर्माण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार वर्ष 1995–96 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डॉ. कृपासिन्धु भोई) : (क) स्कूल भवनों के निर्माण की जिम्मेवारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। तथापि, स्कूल भवनों का निर्माण उन कार्यकलापों में से एक है जिनके लिए जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत अनुरूपयोजी (मैचिंग) आधार पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि संबंधी व्यापार का उदारीकरण

3426. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :
श्री राजेश कुमार :
श्री राम विलास पासवान :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि क्षेत्र में उदारीकरण के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने कृषि संबंधी व्यापार पर उदारीकरण के संभावित प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खाद्य और कृषि संगठन ने भी ऐसे उदारीकरण के कुप्रभाव के संबंध में चेतावनी दी है;

(ङ) यदि हां, तो खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इस संबंध में की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है कि कृषि क्षेत्र के व्यापार के उदारीकरण से भारतीय कृषकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) व्यापार का उदारीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसे सरकार समय–समय पर अपना रही है।

(ख) और (ग). उदारीकरण से कृषि व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है।

(घ) और (ङ). खाद्य एवं संगठन के दस्तावेज जुलाई, 1995 के "उरुग्वे चक्र का कृषि पर प्रभाव"–में अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा गया है कि विकासशील क्षेत्रों में उरुग्वे चक्र के सकारात्मक प्रभाव के कारण उनके कृषि जिन्सों के निर्यात में वृद्धि हुई है।

(च) सरकार की नीति भारतीय कृषि के हितों की रक्षा करने की रही है।

[हिन्दी]

वर्षा सिंचित क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

3427. श्री प्रेमचन्द राम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के वर्षा सिंचित क्षेत्रों विशेषकर नवादा जिले में वर्षा सिंचित क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन. डब्ल्यू. डी. पी. आर. ए.) के अन्तर्गत किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज तक इस जिले में इस परियोजना के अंतर्गत कितने क्षेत्र शामिल किए गए; और

(ग) इस परियोजना से प्राप्त लाभ का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). बिहार में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत 28.52 करोड़ रुपये की

अनुमानित लागत से 98978 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 191 छोटी पनधाराएं शामिल की गई है ।

नवादा जिले में 0.28 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1171 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 2 छोटी पनधाराओं को शामिल किया गया है ।

(ग) इस परियोजना से भरेलू उत्पादन प्रणालियों सहित विभिन्न संरक्षण तथा उत्पादन उपायों के माध्यम से स्वस्थाने नमी संरक्षण को बढ़ावा देने तथा बायोमास के बेहतर उत्पादन में मदद मिली है ।

[अनुवाद]

महिलाओं को कृषि संबंधी प्रशिक्षण

3428. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में महिला श्रमिकों को कृषि विस्तार और वैज्ञानिक कृषि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा प्रशिक्षण उड़ीसा में महिला कृषि श्रमिकों को भी प्रदान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा के किन जिलों में ऐसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हाँ ।

(ख) महिला विस्तार कर्मचारियों तथा कृषक महिलाओं को कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रशिक्षण निम्नलिखित के माध्यम से दिया जा रहा है ।

– डैनिश तथा डच सहायता प्राप्त परियोजनाएं

– "कृषि में महिलाएं" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

– भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के "कृषि विज्ञान केन्द्रों" के माध्यम से

– कृषक प्रशिक्षण केन्द्र

(ग) जी, हाँ । उड़ीसा में "कृषि में महिलाओं को प्रशिक्षण एवं विस्तार" नामक डैनिश सहायता प्राप्त परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

उड़ीसा में स्थापित 12 कृषि विज्ञान केन्द्र कृषक महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे है ।

(घ) (i) उड़ीसा में कृषि में महिलाओं को प्रशिक्षण एवं विस्तार के अन्तर्गत शामिल जिले इस प्रकार है :–

1. बोलंगीर 2. गंजाम 3. पुरी 4. ढेंकनाल 5. क्योंझर 6. कोरापुट 7. सम्बलपुर 8. सुन्दरगढ़ ।

(ii) वे जिले जहां कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई है इस प्रकार हैं :–

1. कटक

2. पुरी

3. बालासोर

4. गंजाम

5. फूलबनी

6. क्योंझर

7. कोरापुट

8. सम्बलपुर

9. कालाहांडी

10. केन्द्रपाडा

11. अंगुल

12. धेन्कनाल

मध्याह्न भोजन योजना

3429. **श्री गुरुदास कामत :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने मध्याह्न भोजन योजना हेतु भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों की आबंटित मात्रा नहीं उठायी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना को सभी राज्यों में पूर्णतया सफल बनाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डॉ. कृपासिन्धु भोई) : (क) और (ख). अरुणाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा पाण्डिचेरी ने 15 अगस्त, 1995 से 31 अक्टूबर, 1995 तक आबंटित खाद्यान्नों को अपनी राज्य योजनाओं को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण उठाया नहीं है ।

(ग) तथापि, ये राज्य तथा संघशासित क्षेत्र तब से ही कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे है ।

केरल में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

3430. श्री के. मुरलीधरन : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार का राज्य के 16 जनजातीय बहुत ब्लाकों तथा 40 तटीय ब्लाकों को पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाने संबंधी प्रस्ताव किस स्थिति में है; और

(ख) दलितों के लिए लाभकारी ऐसे अनुरोधों को स्वीकृत करने में विलंब के क्या कारण है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा) : (क) और (ख). सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार केवल सुनिश्चित रोजगार स्कीम के तहत आने वाले ब्लॉक ही संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किए जाने के पात्र हैं । केरल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव में शामिल ब्लॉक सुनिश्चित रोजगार स्कीम के तहत नहीं आते है। केरल में सुनिश्चित रोजगार स्कीम के तहत आने वाले सभी ब्लॉक संपुष्ठ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भी आते है ।

केन्द्रीय विद्यालय में प्राचार्य

3431. डॉ. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 1995 के दौरान प्राचार्यों के कुल कितने पद भरे गए हैं और इनमें से अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1995 में पदोन्नति तथा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे गए प्रिंसीपल के पदों की कुल संख्या नीचे दी गई है :–

क्र. सं.	पद्धति	अनु. जाति	अनु. ज. जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल
1.	पदोन्नति	–	–	–	37	37
2.	सीधी भर्ती	09	–	25	46	80
	कुल	09	–	25	83	117

नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

3432. डॉ. लाल बहादुर राजल : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में सहारनपुर स्थित डिस्टिलरी–नगीता चीनी मिल में 30 नवम्बर, 1989 को कितने नैमित्तिक श्रमिक कार्य कर रहे थे;

(ख) उनमें से कितने नैमित्तिक श्रमिकों को 30 नवम्बर, 1995 तक नियमित किया गया;

(ग) शेष श्रमिकों को नियमित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें जल्द से जल्द नियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रखी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में व्याख्याता

3433. श्रीमती सरोज दुबे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक समयावधि पूरी किए बिना ही इंटरमीडिएट कालेज के कुछ शिक्षकों को "सलेक्शन ग्रेड" प्रदान करने में अनियमितता के कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाए गए है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु कि केवल पात्र शिक्षकों को ही "सेलेक्शन ग्रेड" प्रदान किया जाए, क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य

मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) इस मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

चीनी की बिक्री

3434. श्री राम नाईक : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी बेचने की अनुमति हेतु राज्य सरकारों के लंबित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुमति नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सहकारी बैंकों द्वारा वित्त-पोषित विभिन्न चीनी मिलों में भारी मात्रा में स्टाक इकट्ठा होने की वजह से इन बैंकों की कार्यपूंजी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) लंबित प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या समयबद्ध कार्यक्रम हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों की ओर से चीनी बेचने की अनुमति प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). केन्द्र सरकार ने कुछ चीनी मिलों को तत्काल राहत देने के लिए अतिरिक्त खुली बिक्री कोटे की अनुमति दी है, जो गन्ना मूल्य बकाया के भुगतान सहित विभिन्न कारणों से आर्थिक संकट से ग्रस्त थी। चीनी की पर्याप्त उपलब्धता को भी देखते हुए, सरकार ने 5 लाख टन चीनी वाणिज्यिक निर्यात के लिए अधिसूचित की है ।

बहुराज्य सहकारी सोसायटी

3435. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 के अंतर्गत आने वाले बहुराज्य सहकारी सोसायटी/फेडरेशन को मुख्य कार्य क्या है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार राज्यवार देश में इस प्रकार की कितनी सोसायटी/फेडरेशन कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन सोसायटी/फेडरेशनों की कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सोसायटी/फेडरेशन को प्रदत्त धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में इन सोसायटी/फेडरेशनों द्वारा कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) बहु-राज्यीय सहकारी समितियां/संघ, जो कि बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के अंतर्गत आते हैं, के मुख्य कार्य वे हैं जो, जो कि ऐसी सहकारी समितियों/संघों द्वारा किये जा रहे कार्यकलापों के आधार पर उनके उपनियमों में परिभाषित किये गये होते है ।

(ख) बहुराज्यीय सहकारी समितियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) और (घ). जानकारी प्राप्त की जा रही है और जैसे ही प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) सहकारी समितियों/संघों को अपनी बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने/अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सहायता दी जाती है । ऐसी सहायता किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दी जाती है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	बहुराज्यीय सहकारी समितियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	8
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	दिल्ली	31*
5.	गुजरात	8*
6.	हरियाणा	6

क्रम सं.	राज्य	बहुराज्यीय सहकारी समितियों की संख्या
7.	कर्नाटक	4
8.	राजस्थान	5
9.	महाराष्ट्र	64*
10.	मध्य प्रदेश	1
11.	तमिलनाडु	64
12.	पश्चिम बंगाल	30
13.	पंजाब/संघ शासित प्रदेश चण्डीगढ	9
14.	दादर व नागर हवेली	1
15.	उत्तर प्रदेश	2
		235

*इनमें राष्ट्रीय सहकारी समितियाँ भी शामिल हैं।

बाल एवं प्रौढ़ निरक्षर

3436. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में सर्वाधिक बाल एवं प्रौढ़ निरक्षर भारत में हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रौढ़ निरक्षरों एवं स्कूल न जाने वाले बच्चों से संबंधित अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) क्या अब तक लागू की गई सभी योजनाओं से वांछित परिणाम प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इसके लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में निरक्षरों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को वर्ष 1997 तक 15–35 वर्ष आयु वर्ग के 100 मिलियन लोगों को साक्षर बनाने का दायित्व सौंपा गया है। इस शताब्दी के अन्त तक सम्पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने की दृष्टि से, भारत सरकार प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, आपरेशन ब्लैकबोर्ड और जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना जैसी कुछ मुख्य योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों को ध्यान में रखते हुए, यह आशा की जाती है कि यह देश वर्ष 2000 तक सम्पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने में सफल हो जाएगा।

विवरण

7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के निरक्षर पुरुष और महिलाओं की राज्यवार संख्या 1991

(हजारों में)

क्र. सं.	राज्य/संघराज्य प्रदेश	कुल	पुरुष	महिला
1.	आन्ध्र प्रदेश	31057	12641	18416

क्र. सं.	राज्य/संघराज्य प्रदेश	कुल	पुरुष	महिला
2.	अरुणाचल प्रदेश	398	181	217
3.	असम	8477	3592	4885
4.	बिहार	42206	17167	25039
5.	गोवा	253	86	167
6.	गुजरात	13348	4787	8561
7.	हरियाणा	5889	2214	3675
8.	हिमाचल प्रदेश	1566	539	1027
9.	कर्नाटक	16487	6264	10223
10.	केरल	2574	786	1788
11.	मध्य प्रदेश	29625	11460	18165
12.	महाराष्ट्र	22985	7943	15042
13.	मणिपुर	614	222	392
14.	मेघालय	703	332	371
15.	मिज़ोरम	100	42	58
16.	नागालैंड	385	174	211
17.	उड़ीसा	13397	4926	8471
18.	पंजाब	7043	3095	3948
19.	राजस्थान	21597	8290	13307
20.	सिक्किम	141	60	81
21.	तमिलनाडु	18075	6426	11649
22.	त्रिपुरा	893	342	551

क्र. सं.	राज्य/संघराज्य प्रदेश	कुल	पुरुष	महिला
23.	उत्तर प्रदेश	64769	26298	38471
24.	पश्चिम बंगाल	23907	9540	14367
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	63	28	35
26.	चंडीगढ़	121	56	65
27.	दादरा और नगर हवेली	65	26	39
28.	दमन और दीव	[illegible]	8	17
29.	दिल्ली	1931	777	1154
30.	लक्षद्वीप	9	3	6
31.	पांडिचेरी	176	57	119

राष्ट्रीय संग्रहालय

3437. श्री सनत कुमार मंडल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली में 1971–72 में उत्खनन किए गए भगवान बुद्ध के पांच पवित्र अवशेषों की एक पेटी है;

(ख) यदि हां, तो संग्रहालय के बाहर देश में और विदेश में इन्हें कितनी बार प्रदर्शित किया गया है;

(ग) संग्रहालय से बाहर ले जाते समय इसका कितनी राशि का बीमा किया जाता है;

(घ) क्या संग्रहालय से बाहर ले जाते समय इसकी सुरक्षा हेतु विस्तृत मार्गनिर्देश तैयार किए गए हैं;

(ङ) क्या हाल में इन मार्गनिर्देशों का कोई उल्लंघन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) संग्रहालय के बाहर पांच स्थानों पर इसे प्रदर्शित किया गया है।

(ग) 1,50,00,000/–रुपये (एक करोड़ पचास लाख रुपये)।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च). जी, नहीं। तथापि, हाल ही में कुछ आरोप लगाये गए हैं कि 5 जुलाई, 1994 को, जब भगवान बुद्ध के स्मृति–चिन्ह राष्ट्रीय संग्रहालय से सिंगापुर ले जाये जा रहे थे, तो कुछ सुरक्षा दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया। इन आरोपों की जांच की जा रही है।

असम में वनों की कटाई

3438. श्री द्वारका नाथ दास : क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेपर मिलों के लिए असम में वनों की अनियोजित कटाई के कारण पर्यावरण के लिए अनिश्चितकाल के लिए खतरा उत्पन्न हो जायेगा;

(ख) वनों की इस कटाई को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु कि इस क्षेत्र की पेपर मिलें अपनी बांस की खेती पर ही निर्भर रहें, क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग). सूचना असम राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण

3439. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 1984 के अपने पत्र संख्या 11/3/83–इ.एन.बी.–11 (बी) और 11/4/84–इ.एन.बी.–iii (बी) द्वारा हैदराबाद में दक्षिणी सर्किल, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और सोलन में पश्चिमी हिमालय सर्किल, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना हेतु स्वीकृति दी गई थी;

(ख) क्या ग्यारह वर्ष से अधिक समय बाद भी हैदराबाद और सोलन में सर्किलों की स्थापना का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चालू योजनावधि के दौरान इन सर्किलों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). हैदराबाद और सोलन में मंडल कार्यालयों की स्थापना की परिकल्पना 1984 में की गई थी। इन स्वीकृतियों पर कार्य शुरू करने से पूर्व 1987 में पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के कार्यों और संगठन की समीक्षा की गई और संगठन के लिए दीर्घावधि कार्यक्रम अनुमोदित किया गया। संशोधित दीर्घावधि कार्यक्रम में हैदराबाद और सोलन में मंडल कार्यालयों की स्थापना की परिकल्पना नहीं की गई है।

पारिस्थितिकीय कार्य दल

3440. **प्रो. प्रेम धूमल** : क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक स्थापित किये गये पारिस्थितिकीय कार्य दल का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक कार्य दल द्वारा कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक कार्य दल पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार का कोई नया पारिस्थितिकीय कार्य दल गठित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ). अभी तक पारिस्थितिकीय कार्य बलों की चार बटालियनों की स्थापना की जा चुकी है। धन की समग्र उपलब्धता को देखते हुए इस समय किसी अतिरिक्त पारिस्थितिकीय कार्य बल की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक पारिस्थितिकीय कार्य बल द्वारा वृक्षारोपित क्षेत्र तथा किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

वर्ष 1992–93 से 1994–95 के दौरान प्रत्येक पारिस्थितिकी कार्य बल द्वारा वृक्षारोपित क्षेत्र तथा किए गए व्यय का ब्यौरा

(लाख रुपए)
(हैक्टेयर क्षेत्र)

पा. का. बल	1992–93		1993–94		1994–95	
	वृक्षारोपित क्षेत्र	किया गया व्यय	वृक्षारोपित क्षेत्र	किया गया व्यय	वृक्षारोपित क्षेत्र	किया गया व्यय
127 बटा.	564	90.27	494	76.45	400	71.84

पा. का. बल	1992–93		1993–94		1994–95	
	वृक्षारोपित क्षेत्र	किया गया व्यय	वृक्षारोपित क्षेत्र	किया गया व्यय	वृक्षारोपित क्षेत्र	किया गया व्यय
128 बटा.	745	201.74	510	115.54	500	120.97
129 बटा.	170	56.75	353	50.98	200	48.04
130 बटा.	–	–	–	–	103	128.40

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

3441. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने देश में सभी मुक्त विश्वविद्यालयों से तथा अन्य दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं को आपस में जोड़ने के लिए एक व्यापक संचार नेटवर्क शुरू करने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय को दिया है;

(ख) यदि हां, तो दूरस्थ शिक्षा संबंधी अभ्येताओं को इससे प्राप्त होने वाले लाभ दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव के वित्तीय प्रभाव क्या हैं और क्या देश के अन्य विश्वविद्यालयों को इस व्यय के एक भाग का वहन करने को कहा जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के उपरोक्त प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने मुक्त शिक्षा नेटवर्क (ओपेनेट) के विकास के लिए एक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया है जिसका उद्देश्य देश में दूरस्थ और मुक्त अध्ययन संस्थानों के प्रयोगार्थ एकल एकीकृत प्रणाली तैयार करना है । इसमें शैक्षणिक कार्यक्रमों और सेवाओं द्वारा विश्वविद्यालय के भौतिक केन्द्रों, प्रसारण और कम्प्यूटर नेटवर्क में अपना–अपना योगदान देने और भागीदारी की परिकल्पना की गई है ।

(ग) से (ङ). इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने परियोजना के लिए लगभग 30 करोड़ रु. की अनन्तिम लागत तैयार की है । विश्वविद्यालय को यह आशा है कि इस लागत को अंतरिक्ष विभाग तथा इस मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा । ओपेनेट (ओ. पी. इ. एन. ई. टी.) के विकास के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को मुक्त शिक्षा और सुदूर शिक्षा के द्रुत प्रसार पर इस मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल के पास भेज दिया गया है ।

शेरशाह का मकबरा

3442. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सासाराम में शेरशाह के मकबरे में काफी अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मकबरा, उसके आसपास का तालाब और उसके चारों ओर की भूमि सहित कुल संरक्षित क्षेत्र तथा अतिक्रमण में कुल कितना क्षेत्र है;

(ग) क्या पूरे क्षेत्र का सीमांकन कर दिया गया है और बाड़ लगा दी गयी है;

(घ) क्या संरक्षित क्षेत्र में तालाब के पूर्वी किनारे पर गैर–कानूनी रूप से निर्माण किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो अतिक्रमण और गैर–कानूनी निर्माण को हटाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) यदि कोई कानूनी मामले लंबित हैं तो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मकबरे की मरम्मत और रख–रखाव पर कुल कितना खर्च किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) 52.80 एकड़ का कुल क्षेत्र संरक्षणाधीन है और 2.90 एकड़ क्षेत्र पर अनधिकृत कब्जा किया गया है ।

(ग) मकबरे और हौज के आस-पास के संरक्षणाधीन क्षेत्र पर बाड़ लगा दी गई है।

(घ) 1981 के दौरान हौज के दक्षिण पूर्वी कोने (कार्नर) में एक मंदिर का निर्माण अवैध रूप से किया गया था।

(ङ) अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण न्यायालय में विचाराधीन अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध मामलों पर कार्रवाई भी कर रहा है।

(च) बाल विकास विद्यालय तथा अन्य द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण के खिलाफ मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय निम्न प्रकार है :-

1992-93	रु. 2,51,696.00
1993-94	रु. 95,063.00
1994-95	रु. 49,438.00

भारत-चीन शैक्षणिक सहयोग

3443. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संस्कृति, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में चीन के साथ सहयोग करने का है;

(ख) क्या चीनी शिष्टमंडल की हाल ही में की गई नई दिल्ली यात्रा के दौरान इस मामले पर चर्चा हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई) : (क) फरवरी, 1995 में भारत गणराज्य तथा चीन जन-गणराज्य सरकार के बीच वर्ष 1995 से 1997 तक के लिए एक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें संस्कृति, उच्च तथा तकनीकी शिक्षा शामिल है।

(ख) और (ग). चीन के प्रतिनिधि मंडल के 25.11.95 से 2.12.95 तक भारत के दौरे के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा के संबंध में सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विचार-विमर्श किया गया था।

भारतीय खाद्य निगम

3444. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम की शक्तियों में कटौती की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निगम से सभी महत्वपूर्ण मामलों पर कोई निर्णय लेने से पहले उसे निदेशक मंडल और मंत्रालय के समक्ष रखने के लिए कहा गया है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह मंत्रालय की स्वीकृति के बिना किसी खाद्यान्न निर्यात और आयात के कोई समझौते न करे; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए सभी वायदे पूरी तरह से निभाए गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने 21 अगस्त, 1995 को भारतीय खाद्य निगम का निदेश जारी किए हैं जिसके अधीन भारतीय खाद्य निगम के लिए पदों का सृजन करने/दर्जा बढ़ाने; सीधे भर्ती की वर्तमान रिक्तियों को भरने; संवर्ग का पुनर्गठन करने; वेतनमान संशोधित करने और विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नए निर्माण का प्रस्ताव करने जैसे कुछ मामलों में बोर्ड और सरकार की अग्रिम मंजूरी लेना अपेक्षित है।

(ग) 1995-96 के दौरान सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को अपने स्टाक से 2.5 मिलियन मीटरी टन तक गेहूं, 3 मिलियन मीटरी टन तक बढ़िया और उत्तम किस्म के चावल का निर्यात करने/निर्यात के प्रयोजन के लिए बिक्री करने के लिए प्राधिकृत किया है, यह कुछ निबंधनों और शर्तों के अधीन है, जो जनहित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं। मौजूदा निबंधनों और शर्तों के आधार पर, मंत्रालय की सहमति प्राप्त कर लेने के बाद निर्यात के प्रयोजन के लिए भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की बिक्री के लिए समझौते में शामिल हो सकता है। खाद्यान्नों के आयात के लिए भारतीय खाद्य निगम को कोई प्राधिकार नहीं दिए गए हैं।

(घ) जी, हाँ।

[हिन्दी]

आइस-क्रीम उद्योग

3445. श्री नवल किशोर राय:
श्री नीतीश कुमार :

क्या कृषि मंत्री-यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के लिए गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने हाल ही में आइस-क्रीम उद्योग को लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची से अलग करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां) : (क) से (ग). जी, हां । आइसक्रीम उद्योग के अनारक्षण संबंधी सुझाव का आधार यह था कि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए निर्धारित निवेश सीमा के भीतर अच्छे किस्म की आइसक्रीम का विनिर्माण संभव नहीं है । सरकार द्वारा इस सुझाव पर निर्णय अभी लिया जाना है ।

[अनुवाद]

जल संबंधी खेलों हेतु सुविधाएं

3446. श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री जितेन्द्र नाथ दास :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों विशेषकर गुजरात सरकार ने जल संबंधी खेलों हेतु सुविधाएं विकसित करने के लिए सहायता पाने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है और कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) से (ग). जल संबंधी खेलों के लिए सुविधाओं का विकास करने हेतु गुजरात राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । केरल सरकार ने, जल संबंधी खेल परिसर का निर्माण करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है । चूंकि यह प्रस्ताव अधूरा था, इसलिए इसे पूरे ब्यौरों सहित दोबारा भेजने के लिए लौटा दिया गया है ।

पाम आयल का आयात

3447. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया के पाम आयल उत्पादक भारत के साथ व्यापार बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मलेशिया के निर्यातकों द्वारा सरकार से इस संबंध में सम्पर्क किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). उदारीकृत अर्थव्यवस्था में कोई भी देश अन्य देशों के विदेश व्यापार में भाग ले सकता है । भारत में खाद्य तेलों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के तहत किया जा रहा है, अतः कोई भी व्यापारी व्यापार की शर्तों पर निर्भर करते हुए किसी भी देश से आयात करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए पामोलीन के आयात हेतु राज्य व्यापार निगम को मार्गीकरण अभिकरण नामित किया है ।

गोविन्द वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालियन

एनवायरमेंट एण्ड डेवलपमेंट

3448. श्री लक्ष्मण सिंह: क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनों और बंजर भूमि के विकास के संबंध में गोविन्द वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालियन एनवायरमेंट एण्ड डेवलपमेंट द्वारा किए गए अनुसंधान के आधार पर कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना किन राज्यों में कार्यान्वित की गई है; और

(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख). गोविन्द वल्लभ पंत संस्थान ने एक अनुसंधान के आधार पर इस संस्थान ने "स्लोपिंग वाटरशेड इनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी (स्वीट)" नामक एक प्रौद्योगिकीय पैकेज तैयार किया है। यह प्रौद्योगिकी व्यवहार पारिस्थितिकीय उपागम पर आधारित अवक्रमित वनभूमि के पुनर्जनन के लिए वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक घटकों का एक व्यापक ढांचा है। इस प्रौद्योगिकी पैकेज के मुख्य घटक खुली चराई रोकना, अपशिष्ट जल संचयन, हरा चारा, फसल विविधता तथा कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि करना, वृक्ष प्रजातियों, नर्सरी का चयन, पौधरोपण और मृदा प्रबंध हैं। इसमें शामिल बुनियादी सिद्धांत ये हैं: लोगों का विश्वास प्राप्त करना, मध्यस्थताओं, विज्ञान/प्रौद्योगिकी निवेश से संतुष्ट स्थानी जानकारी और कौशलों का समायोजन तथा संपूर्ण ग्रामीण समुदाय की भागीदारी ।

(ग) यह प्रौद्योगिकी पैकेज इस समय सात हिमालयन राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) तीन वर्षों के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज प्रदर्शन के लिए किए गए आवंटन विभिन्न राज्यों में अप्रैल, 1995 से इस प्रकार है:–

उत्तर प्रदेश	4.55 लाख रुपए
जम्मू और कश्मीर	4.17 लाख रुपए
पश्चिम बंगाल	3.93 लाख रुपए

अरुणाचल प्रदेश	5.17 लाख रुपए
मिजोरम	5.97 लाख रुपए
हिमाचल प्रदेश	5.79 लाख रुपए
असम	4.09 लाख रुपए

[हिन्दी]

एस. पी. डी. ए. केन्द्र

3449. श्री एन. जे. राठवा:
श्रीमती भावना चिखलिया:
श्री प्रवीन ढेका:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों विशेषकर गुजरात के जनजातीय पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने "खेल परियोजना विकास क्षेत्र केन्द्र" कार्यरत हैं;

(ख) इन केन्द्रों के अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों तथा कितने लोगों को शामिल किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान आज तक राज्यवार राष्ट्रीय खेल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कितने लोगों को छात्रवृत्तियां दी गई, उनमें से गुजरात के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े क्षेत्र के कितने लोगों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): (क) विभिन्न राज्यों में 26 एस. पी. डी. ए. केन्द्र कार्य कर रहे हैं, गुजरात के जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में 2 केन्द्र कार्य कर रहे हैं, एक देवगढ़ बारिया में और दूसरा राजकोट में। तीसरा केन्द्र पतोन में अनुमोदित किया गया है। तथापि, इसे आस्थगित रखा गया है और उसे राज्य सरकार द्वारा समुचित बुनियादी सुविधाओं का सृजन करने और खेल संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के पश्चात् आरंभ किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक एस. पी. डी. ए. केन्द्र के अन्तर्गत 80 से 100 तक विकास ब्लाकों को शामिल किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खेल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राज्यवार छात्रवृत्तियों की संख्या और साथ ही साथ गुजरात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े क्षेत्रों को दी गई अनुमोदित छात्रवृत्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण–I और II में दिए गए हैं।

विवरण–I

1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान एन. एस. ओ. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की गई छात्रवृत्ति

राज्यवार आँकड़े

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992–93		1993–94		1994–95		1995–96
		नई	नवीकरण	नई	नवीकरण	नई	नवीकरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	05	07	07	02	03	03	
2.	असम	01	–	–	–	06	–	कभी निर्णय नहीं लिया गया है।
3.	बिहार	01	–	02	–	–	–	
4.	गुजरात	15	03	07	02	–	02	
5.	गोवा	01	02	09	02	–	01	

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992–93		1993–94		1994–95		1995–96
		नई	नवीकरण	नई	नवीकरण	नई	नवीकरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	हरियाणा	13	08	27	10	17	10	
7.	कर्नाटक	16	13	10	06	18	07	
8.	केरल	69	38	46	33	45	25	
9.	मध्य प्रदेश	22	14	13	06	25	09	
10.	महाराष्ट्र	45	36	37	25	48	35	
11.	मणीपुर	06	07	15	06	15	12	
12.	मेघालय	–	01	–	01	–	–	
13.	उड़ीसा	01	01	07	01	01	03	
14.	पंजाब	27	20	47	22	46	35	
15.	राजस्थान	01	03	01	02	09	03	
16.	तमिलनाडु	11	02	21	03	11	04	
17.	उत्तर प्रदेश	13	07	15	06	18	03	
18.	पं. बंगाल	12	02	03	–	–	01	
19.	चण्डीगढ़	12	06	11	02	08	08	
20.	दिल्ली	28	08	20	09	27	12	
21.	मिज़ोरम	01	–	–	–	–	–	
22.	हिमाचल प्रदेश	–	–	01	–	01	–	
23.	जम्मू और कश्मीर	–	–	01	–	02	–	
	कुल	300	178	300	138	300	173	

अ. जा./ अ. ज. जा. वर्ग से संबंधित व्यक्तियों सहित पिछले 3 वर्षों में गुजरात में एन. एस. ओ. कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की गई छात्रवृत्तियाँ :

विवरण–II

वर्ष	प्रदान की गई छात्रवृत्तियाँ		अ. जा./अ. ज. जा. और पिछड़े क्षेत्र
	नई	नवीकरण	
1992–93	15	03	–शून्य–
1993–94	07	02	02
1994–95	00	02	–शून्य–
1995–96	–	अभी निर्णय नहीं लिया गया है	–

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सब्जी बीज निगम

3450. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सब्जी निगम को विभाजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार एक राष्ट्रीय सब्जी बीज निगम स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका मुख्यालय कहां पर होगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खाँ): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

हीरों का खनन

3451. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या.**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:

क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों ने वन क्षेत्रों में निजी भागीदारी से हीरे का खनन करने संबंधी उन आवेदन पत्रों को मंजूरी दी है, जिसमें केन्द्र की स्वीकृति की आवश्यकता भी होती है;

(ख) क्या सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत इन खनन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के विरुद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (घ). हीरों के खनन सहित किन्हीं भी वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित है। मध्य प्रदेश या उड़ीसा में हीरों के खनन के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु इस मंत्रालय के पास 31.10.1995 की स्थिति के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। तथापि, संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट भेजें।

[हिन्दी]

हरा चारा

3452. **श्री अर्जुन सिंह यादव:**
श्री लाल बाबू राय:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पशु चारे और हरे चारे की भारी कमी है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पशु चारे और हरे चारे को उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) और (ख). पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एकीकृत पशुचारण नीति विषयक नीतिगत सलाहकार समूह (1993) द्वारा लगाए गए अनुमान से पता चलता है कि देश में सांद्रित पदार्थों की उपलब्धता 79.40 मिलियन मीटरी टन की आवश्यकता की तुलना में 41.98 मिलियन मीटरी टन तथा हरित चारे की उपलब्धता 744.73 मिलियन मीटरी टन की आवश्यकता की तुलना में 573.50 मिलियन मीटरी टन है। इसकी कमी के प्रमुख कारण अनाज उत्पादन के लिए कृषि, भूमि पर जनसंख्या का दबाव तथा पशुओं की अंधाधुंध चराई है, जिसके फलस्वरूप पशु चराई भूमि की उर्वराशक्ति का ह्रास तथा वर्ष भर में कतिपय आहार संघटकों की अपेक्षित मात्रा का उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने में दिक्कतें हुई हैं।

(ग) भारत सरकार राज्य सरकारों को (क) चारा फसलों की उपयुक्त किस्मों के आधारी तथा प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए उनके चारा बीज उत्पादन फार्मों को सुदृढ़ करने, (ख) अभाव की अवधि में उपयोग में लाये जाने के लिये आधिशेष चारे के संग्रह के लिए चारा बैंकों की स्थापना करने (ग) पंजीकृत उत्पादकों द्वारा चारा फसलों के बीज उत्पादन की व्यवस्था करने (घ) वर्षा सिंचित दशाओं में चारा उत्पादन करने के लिए गांवों में कृषकों को बंजर/कृषि के अयोग्य भूमि तथा सामान्य भूमि पर वन्य घास (सिलवी-पाश्चर) कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने और (ङ) अधिकांशतया वन विभाग के पास उपलब्ध उपयुक्त क्षेत्रों में मौजूदा घास के मैदानों तथा पशुचारण भूमि में सुधार लाने के लिए, जिसे पशुओं द्वारा चारण के लिए उपयोग में लाया जायेगा और अधिशेष भूमि का नमी वाले मौसम में उपयोग में लाये जाने के लिये संरक्षित किया जाएगा, सहायता दी है।

भारतीय खाद्य निगम

3453. श्री नीतीश कुमारः
श्री वृशिण पटेलः

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या खाद्यान्नों के पर्याप्त उत्पादन के बावजूद इनकी वसूली में गिरावट के कारण सरकार भारतीय खाद्य निगम का पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने निगम के पुनर्गठन हेतु सुझाव देने के लिए कोई अध्ययन दल बनाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य के संबंध में अनिवार्य शिक्षा

3454. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवालाः
श्री महेश कनोडियाः
श्री सत्यदेव सिंहः
श्री पंकज चौधरीः
श्री रामपाल सिंहः
श्री जितेन्द्र नाथ दासः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार विद्यालयों में स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इसे लागू किया गया है तथा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई): (क) से (ग). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को आधारतत्व मानते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 1988 में प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा तैयार किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को, स्कूल पाठ्यचर्या के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल करने की परिकल्पना की गई है। ढांचे के आधार पर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 1989-92 के दौरान अपनी पाठ्य पुस्तकों में संशोधन किया था।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकें राज्य सरकारों को उनकी संबंधित स्कूल पद्धतियों में अभिग्रहण या अनुकूलन के लिए पर्याप्त मात्रा में वितरित की गई थीं। देश में अत्यधिक संख्या में स्कूल राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकार के नियंत्रण में हैं तथा उन्हें पाठ्यचर्या अथवा पाठ्य-पुस्तकों की रूपरेखा का निर्धारण करने सहित स्कूल शिक्षा के सभी मामलों में स्वायत्ता प्राप्त है।

[अनुवाद]

जल परीक्षण प्रयोगशालाएं

3455. **श्री प्रबीन डेकाः** क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा राज्यों के प्रत्येक जिले में जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए क्या कदम कदम उठाए गए हैं; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस संबंध में प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गई है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक-एक जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करें। कुल मंजूर 287 स्थिर प्रयोगशालाओं में से, 167 प्रयोगशालाएं विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, 22 चलती-फिरती प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए हरियाणा को 4.0 लाख रुपये तथा दमन और दीव को 81,000/- रुपए प्रदान किए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई।

सांस्कृतिक योजनाएं

3456. श्री फूलचन्द वर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) धर्मार्थ स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता सहित सांस्कृतिक योजनाओं के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं हेतु कितना बजटीय प्रावधान किया गया तथा वास्तविक रूप से कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने हेतु क्या तरीका अपनाया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के बिल

3457. श्री मोहन रावले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे होटलों के बिलों के संबंध में भारतीय पर्यटन विकास निगम की कुछ राशि मंत्रालय की ओर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये बिल कब से बकाया है;

(घ) मंत्रालय द्वारा होटल के बिलों का भुगतान नहीं करने के क्या कारण है; और

(ङ) इन बिलों का भुगतान कब तक किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

फलों के लिए वृक्षारोपण

3458. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी:
श्री कुंजी लाल:

क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वन भूमि पर फलों के वृक्षारोपण का है जो केवल फलों के उत्पादन में ही नहीं बल्कि पारिस्थितिकीय की सुरक्षा में भी सहायक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग). बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की स्कीमों के द्वारा सारे देश में वनीकरण और वृक्षारोपण के कार्य किये जाते हैं। जिन प्रजातियों के वृक्षों को लगाया जाना होता है उसका निर्धारण स्थानीय कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा मृदा और जलवायु की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार वृक्षों की ऐसी प्रजातियां लगाने पर बल दिया जाता है जिनसे ईंधन लकड़ी, चारा, छोटी इमारती लकड़ी तथा इमारती लकड़ी से इतर वनोपज उपलब्ध होते हैं। फलदार वृक्षों की खेती के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होती है किन्तु यदि (i) संबंधित क्षेत्र में लगाई जाने वाली प्रजातियां स्वदेशी हों, और (ii) वृक्षारोपण का यह कार्य संबंधित वन क्षेत्र के समग्र वनीकरण कार्यक्रम का एक भाग हो तो यह स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान

3459. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कार्यरत भारतीय प्रबन्ध संस्थानों की संख्या कितनी है तथा ऐसे संस्थानों को कहाँ-कहाँ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान में ऐसा संस्थान स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हाँ, तो राजस्थान में इस संस्थान की स्थापना कब तक कर दी जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग). इस समय, चार भारतीय प्रबन्ध संस्थान है जो

अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता तथा लखनऊ में स्थित हैं। भारत सरकार ने कालीकट और इन्दौर में दो और भारतीय प्रबन्ध संस्थानों की स्थापना के लिए स्वीकृति दे दी है। राजस्थान सरकार से राजस्थान राज्य में एक भारतीय प्रबन्ध संस्थान की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना

3460. **श्री रतिलाल वर्मा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के क्रियान्वयन हेतु गुजरात को अब तक विश्व बैंक द्वारा कुल कितनी सहायता राशि प्रदान की गयी; और

(ख) गुजरात में इस परियोजना के अंतर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) यह परियोजना 278.87 मिलियन रुपये की कुल लागत से 1985 से 1993 तक चलाई गई। इस परियोजना के अन्तर्गत सहायता सीधे न दी जाकर प्रतिपूर्ति आधार पर दी गई, एवं परियोजना के समाप्त होने की तारीख तक कुल 227.85 मिलियन रुपये का ऋण संवितरित किया गया।

(ख) इस परियोजना में विभिन्न स्तरों पर अतिरिक्त संख्या में विस्तार कर्मचारियों की तैनाती, अनुसंधान विस्तार लिंकेजों में सुधार, प्रशिक्षण तथा सूचना सहायता प्रदान करने, विस्तार कर्मचारियों की गतिशीलता तथा सरकारी आवासीय सिविल कार्य के माध्यम से राज्य में विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करने का प्रावधान था।

परियोजना अवधि में विभिन्न घटकों के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विश्व बैंक की सहायता से गुजरात में राष्ट्रीय कृषि परियोजना के विभिन्न घटकों की प्रगति

क्र. सं.	परियोजना घटक	परियोजना अवधि के लिए लक्ष्य	परियोजना समाप्ति की तारीख तक प्रगति
1.	अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती	1124	1124
2.	सिविल कार्य	1355	259
3.	वाहनों की खरीद	211	201
4.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	32503	24414

मशरूम की खेती

3461. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुकरमुत्ते की खेती को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय कुकरमुत्ता अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, सोलन, ने कुकरमुत्ते के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुकरमुत्ते में चरबी और कारबोहाइड्रेट की मात्रा के कारण इसकी मांग में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो विशेष रूप से गांव/कस्बे के स्तर पर कुकरमुत्ते की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अमृत खी): (क) भारत सरकार "स्थान" और पास्च्युराइज्ड कम्पोस्ट खाद के उत्पादन के लिये तथा मशरूम के संसाधन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सृजन करने के लिये सहायता दे रही है। इसके अलावा किसानों को मशरूम की खेती में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) में उल्लेख किया गया है, इस प्रकार सृजित की जा रही सुविधाओं का उपयोग मुख्यतः गांवों और कस्बों के छोटे और सीमांत कृषक इकाइयों में मशरूम की खेती के लिये प्रयोग कर रहे हैं।

उर्वरकों पर राजसहायता

3462. **श्री सत्यदेव सिंहः**
श्री बालराज पासीः

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से उर्वरकों पर राजसहायता प्रदान करने के लिए कोई आग्रह प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां): (क) से (ग). जी, हां। स्वदेशी डी. ए. पी. पर मौजूदा 1000/– रुपये प्रति मीटरी टन की रियायत को बढ़ाकर 2000/– रुपये प्रति टन करने के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से अनुरोध प्राप्त हुआ था। इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

व्यावसायिक महाविद्यालय

3463. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में कितने महाविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किये गए हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान नवंबर, 1995 तक प्रत्येक महाविद्यालय को कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 28 कालेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं।

(ख) चालू वर्ष अर्थात् 1995–96 के दौरान प्रत्येक कालेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अब तक स्वीकृत तथा जारी की गई राशि का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:–

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	कालेज का नाम	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1.	ईश्वर सरन डिग्री कालेज, इलाहाबाद	9.00	4.50
2.	के. बी. डिग्री कालेज, इलाहाबाद	9.00	4.50
3.	आर्य कन्या पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, झांसी	9.00	4.50
4.	शिवहर्ष किशन पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, बस्ती	9.00	4.50
5.	डी. ए. वी. (पी. जी.) कालेज, देहरादून	9.00	4.50
6.	एम. के. पी. (पी. जी.) कालेज, देहरादून	6.00	3.00
7.	पं. एल. एम. एस राजकीय स्नातकोत्तर कालेज, ऋषिकेश, देरहादून।	9.00	4.50
8.	क्राईस्ट चर्च कालेज, कानपुर	6.00	3.00
9.	पी. पी. एन. कालेज, कानपुर	6.00	3.00
10.	आचार्य नरेन्द्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय, हर्ष नगर, कानपुर	9.00	4.50
11.	दयानंद गर्ल्स कालेज, कानपुर	12.00	6.00

क्र. सं.	कालेज का नाम	स्वीकृत–राशि	जारी की गई राशि
12.	फिरोज गांधी कालेज, रायबरेली	9.00	4.50
13.	इसाबेला थोबार्न कालेज, लखनऊ	15.00	7.50
14.	लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कालेज, लखनऊ	12.00	6.00
15.	शिया डिग्री कालेज, लखनऊ	3.00	1.50
16.	नवयुग कन्या महाविद्यालय, लखनऊ	3.00	1.50
17.	नानक चंद एंग्लो संस्कृत कालेज, मेरठ	9.00	4.50
18.	एम. एम. एच. कालेज, गाजियाबाद	3.00	1.50
19.	लाजपत राय पी. जी. कालेज, साहिबाबाद	12.00	6.00
20.	डी. एन. कालेज, मेरठ	3.00	1.50
21.	श्री बजरंग पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, बलिया	9.00	4.50
22.	तिलक धारी कालेज, जौनपुर	9.00	4.50
23.	पोस्ट ग्रेजुएट कालेज रवीन्द्रपुरी, गाजीपुर	9.00	4.50
24.	एस. आर. एस. पी. जी. वूमैन्स कालेज, बरेली	9.00	4.50
25.	के. जी. के. (पी. जी.) कालेज, मुरादाबाद	9.00	4.50
26.	एस. बी. डी. (पी. जी.) वूमैन कालेज, धामपुर (बिजनौर)	3.00	1.50
27.	एस. एस. कालेज, शाहजहांपुर	3.00	1.50
28.	गोकुलदास हिन्दु गर्ल्स कालेज, मुरादाबाद	12.00	6.00

[अनुवाद]

एक दिवसीय क्रिकेट मैच

3464. श्री पंकज चौधरी:
डा. मुमताज अंसारी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नागपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच के दौरान कोई दुर्घटना घटी थी;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गए और कितने घायल हुए;

(ग) क्या तब से दुर्घटना के कारणों की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(ङ) मृतकों और घायल व्यक्तियों के आश्रितों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): (क) जी, हां।

(ख) इस दुर्घटना में 13 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और 61 व्यक्ति घायल हुए थे।

(ग) और (घ). जिला मजिस्ट्रेट, नागपुर ने 28.11.1995 को प्रामाणिक जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रामाणिक जांच में सहायता करने के लिए एक तकनीकी समिति नियुक्त की है। उनकी रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) महाराष्ट्र सरकार ने निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की है:-

(1) मृत व्यक्तियों के कानूनी वारिस को 1.00 लाख रुपये,
(2) स्थायी रूप से विकलांग हुए व्यक्तियों को 25,000/-रुपये,
(3) अस्थायी रूप से विकलांग हुए व्यक्तियों को 10,000/- रुपये,
(4) घायल व्यक्ति जिन्हें, 24 घण्टे के लिए अस्पताल में रखा गया था उन्हें 5,000/-रुपये।

इसके अलावा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और विदर्भ क्रिकेट संघ ने भी मृत व्यक्तियों के प्रत्येक कानूनी वारिस को 50,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है।

[हिन्दी]

मछलीपालन उद्योग

3465. श्री दत्ता मेघे:
श्री एन. जे. राठवा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मछलीपालन में राज्य-वार कितने उद्योग लगे हैं;

(ख) मछलीपालन पर आधारित उद्योगों की स्थापना के संबंध में कितने आवेदन पत्र राज्य-वार विचाराधीन हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा ऐसे कितने आवेदन पत्र राज्य-वार मंजूर किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां): (क) से (ग). मत्स्यपालन उद्योगों की स्थापना शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों के रूप में की जाती है, जिनकी मंजूरी औद्योगिक मंजूरी सचिवालय, उद्योग मंत्रालय द्वारा दी जाती है। उद्योग मंत्रालय से प्राप्त सूचना के आधार पर इन यूनिटों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों के रूप में संस्वीकृत मत्स्यपालन उद्योग	उद्योग मंत्रालय के विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या	विगत दो वर्षों के दौरान संस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	55	4	
2. गुजरात	2		2
3. गोवा	1	-	-
4. कर्नाटक	3	-	1
5. केरल	2	-	1
6. महाराष्ट्र	4	1	3
7. उड़ीसा	2	-	1

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम		शतत्र प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों के रूप में संस्वीकृत मत्स्यपालन उद्योग	उद्योग मंत्रालय के विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या	विगत दो वर्षों के दौरान संस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या
1		2	3	4
8.	तमिलनाडु	10	–	5
9.	पश्चिम बंगाल	2	–	1
10.	पाण्डिचेरी	1	–	1
		82	5	58

[अनुवाद]

3466. श्री एस. एम. लालजान बाशाः क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल परिसंघ ने सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की संस्तुति की है; और

(ख) यदि हां, तो चीनी उद्योग में सहकारी क्षेत्र की मांगों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां।

(ख) प्रोत्साहन योजना के संबंध में इसमें मुख्यतः सामान्य सुझाव थे। निम्नलिखित दो सुझाव विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र के लिए दिए गए थेः

(i) सहकारी क्षेत्र में उन मिलों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिन्होंने निजी क्षेत्र के प्लांट को खरीदा है एवं बेहतर क्षमता एवं आशा के साथ नये स्थान पर लगाया है।

(ii) चूंकि परिभाषानुसार सहकारी मिलें बी. आई. एफ. आर. के समक्ष जाने की पात्र नहीं होती, अतः वित्तीय रुग्णता की स्थिति में सहायता के रूप में कुछ अतिरिक्त खुली बिक्री कोटे की, उनके द्वारा बिक्री के लिए अनुमति दी जा सकती है।

भारतीय खाद्य निगम के भण्डार

3467. श्री वी. एस. विजयराघवनः
श्री के. मुरलीधरनः
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः
श्री कोडीकुन्नील सुरेशः

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केरल सरकार की ओर से इदुक्कीवाड, पय्यानूर तथा पाथनमथिट्टा में भारतीय खाद्य निगम के नए भण्डारों की स्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हाँ।

(ख) 1996–97 वर्ष के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के निर्माण संबंधी वार्षिक योजना प्रस्ताव में शामिल करने के लिए निम्नलिखित केन्द्र विचाराधीन हैं:–

क्रम. सं.	केन्द्र (जिला)	क्षमता (मीटरी टन)
1.	मुन्नार (इदुक्की)	10,000
2.	कलपेटा (वाइनाड)	10,000
3.	पय्यानूर (कन्नूर)	25,000

क्रम. सं.	केन्द्र (जिला)	क्षमता (मीटरी टन)
4.	तिरुवैयया (मालापुरम)	25,000
5.	मरारीकुलम (अलापुजा)	10,000
6.	तिरुवैल्ला (पाथनमथिल्ला)	5,000
		85,000

खाद्यान्नों की खरीद

3468. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया:**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा):
श्रीमती वसुन्धरा राजे:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय पूल में गेहूं के भंडार के संबंध में कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1995-96 के दौरान गेहूं तथ चावल की खरीद के लिए क्या लक्ष्य निर्धारत किए गए हैं; और

(घ) वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए खाद्यान्नों की भण्डार की खाद्यान्न-वार क्या स्थिति है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख). जी, हां। बफर स्टाक संबंधी नीति के अधीन सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष की विभिन्न तारीखों को केन्द्रीय पूल के लिए रखे जाने वाले गेहूं का न्यूनतम स्टाक और इन तारीखों के प्रति गेहूं का वास्तविक स्टाक निम्नानुसार है:-

(मिलियन मीटरी टन में)

निम्नलिखित तारीख को	बफर मानदण्डों के अनुसार रखा जाने वाला न्यूनतम स्टाक	गेहूं का वास्तविक स्टाक (अनंतिम)
पहली जनवरी, 95	7.7	12.88
पहली अप्रैल, 95	3.7	10.17
पहली जुलाई, 95	13.1	19.17
पहली अक्तूबर, 95	10.6	16.78

(ग) मूल्य समर्थन योजना के अधीन केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों (गेहूं, धान और मोटे अनाजों) की वसूली पूर्णरूप से स्वैच्छिक होने और मिलमालिकों/व्यापारियों से लेवी चावल की वसूली उनके द्वारा खरीदे गये धान की मात्रा पर निर्भर होने के कारण 1995-96 सहित किसी वर्ष के लिए वसूली के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जा सकते हैं। तथापि, 1995-96 (नवम्बर, 1995 तक) के दौरान केन्द्रीय पूल में वसूल खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) की मात्रा लगभग 180.81 लाख मीटरी टन थी।

(घ) 1995-96 के दौरान केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की स्थिति निम्नानुसार है:-

(मिलियन मीटरी टन में)

निम्नलिखित तारीख को	चावल	गेहूं	जोड़
1.4.95 (अनंतिम)	18.50	10.17	28.67
1.7.95 (अनंतिम)	16.44	19.17	35.61
1.10.95 (अनंतिम)	13.00	16.78	29.78
31.3.96 (संभावित)	14.77	9.23	23.00

[हिन्दी]

पशु अनुसंधान संस्थान

3469. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्सः** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बंगलौर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कोई पशु अनुसंधान केन्द्र स्थित है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे बीजापुर या गुलबर्गा में स्थानान्तरित किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण

3470. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुलः** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उन अ. जा./अ. ज. जा. लोगों जोकि ईसाई धर्म अंगीकार कर चुके हैं के लिए सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, हां।

(ख) कल्याण मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु राज्यों तथा पांडिचेरी और दमन एवं दीव संघ शासित प्रदेशों में ईसाई धर्म को अपनाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में 8 सितंबर, 1993 से केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में आरक्षण के लिए पात्र होंगे।

एन. सी. ई. आर. टी. की पाठ्य पुस्तकें

3471. **श्री श्रवण कुमार पटेलः** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (एन. सी. ई. आर. टी.) कार्यकारी परिषद ने 20 जुलाई, 1995 की अपनी बैठक में पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाने की आवश्यकता पर विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विशिष्ट क्षेत्रों तथा विषयों में पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाने की आवश्यकता महसूस की गई थी; और

(ग) एन. सी. ई. आर. टी. के पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (डा. कृपासिंधु भोई): (क) से (ग). राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी समिति ने 19 जुलाई, 1995 को आयोजित अपनी बैठक में यह इच्छा व्यक्त की थी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रत्येक वर्ष कम्प्यूटर शिक्षा में पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम की शिक्षण/ अध्ययन सामग्री अद्यतन बनाई जानी चाहिए ताकि उसमें अद्यतन गतिविधियों को शामिल किया जा सके। प्रयोक्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद परिषद् का कम्प्यूटर शिक्षा में पाठ्यपुस्तक/अध्ययन सम्बंधी सामग्री को अद्यतन बनाने का विचार है।

[हिन्दी]

3472. श्रीमती गिरिजा देवी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अजंता के भित्ति चित्र विशेष प्रकार के फफूंद के कारण नष्ट हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख). जी, हां। कतिपय उन क्षेत्रों में फफूंदी वृद्धि की सूचना मिली है जहां काले वर्णकों (पिग्मेंट्स) का प्रयोग किया गया है।

(ग) चित्रित गुफाओं में भित्ति चित्रों के समुचित संरक्षण के जो उपाए किए उनमें सापेक्ष आद्रता और तापमान की मानीटरिंग के अलावा यात्रियों को नियंत्रित करना, चित्रित सतह की समय-समय पर सफाई, बढ़ते हुए जमाव को हटाना आदि शामिल हैं ।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली

3473. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम, उड़ीसा ने श्रम ठेकेदारों के माध्यम से श्रमिक नियुक्त करने की ठेका प्रणाली को 1973-74 में समाप्त कर दिया था;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम, उड़ीसा ने प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत श्रमिकों की नियुक्ति का करार किया था;

(ग) भारतीय खाद्य निगम की जगन्नाथपुर, उड़ीसा शाखा ने 1973-74 के करार का उल्लंघन करके कुछ श्रमिकों की छटनी की है;

(घ) क्या छटनी किए गए श्रमिकों के नाम पर आधी मजदूरी पर फर्जी श्रमिक काम पर लगाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख). जी, हां । भारतीय खाद्य निगम ने दिनांक 16.3.1973 को भारतीय खाद्य निगम कामगार यूनियन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें उन्होंने कटक, झारसुगुडा, धानकनाल और जगन्नाथपुर डिपुओं में हैंडलिंग ठेकों को समाप्त करने और श्रम यूनियनों के प्रतिनिधियों के माध्यम से नगदर दर आधार पर एबोव सड्यूल आफ रेट के हिसाब से सीधे भुगतान की प्रणाली लागू करने का समझौता किया था। यह समझौता पूर्णतया तदर्थ आधार पर किया गया था जो एक समय विशेष के लिए है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अपर्याप्त शिक्षण सुविधाएं

3474. श्री जगत बीर सिंह द्रोण: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के स्कूलों में विद्यमान अनियमितताओं अर्थात् कर्मचारियों को समय से भुगतान न करना, अपर्याप्त शिक्षण सामग्री, अपर्याप्त और अप्रशिक्षित कर्मचारी, प्रशिक्षणार्थियों की कम उपस्थिति आदि की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई): (क) और (ख). स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का विषय है। इसलिए उपचारी उपाय हेतु, यदि कोई हो, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कथित अनियमितताओं की जांच उत्तर प्रदेश सरकार ने करनी है।

अधिनियमों की समीक्षा

3475. कुमारी फ्रिडा तोपनो: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कतिपय अधिनियमों की पुनरीक्षा के बाद इन अधिनियमों में महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में वर्तमान अंतर, कमियों और खामियों को दूर करने के लिए इन अधिनियमों में संशोधन की सिफारिश की गई थी;

(ख) ये अधिनियम कौन-कौन से हैं और आयोग द्वारा इनमें किस तरह का संशोधन सुझाया गया है;

(ग) क्या इन अधिनियमों में आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). सरकार द्वारा समय-समय पर इन अधिनियमों की समीक्षा की जाती है तथा अधिनियमों में परिवर्तन करते समय राष्ट्रीय महिला आयोग सहित विभिन्न अभिकरणों द्वारा दिये गये सुझावों, की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संस्तुत विभिन्न कानूनों में संशोधन

क्रम सं.	कानून	आयोग द्वारा संस्तुत संशोधनों की प्रकृति
1.	सती (निवारण) अधिनियम, 1987 में संशोधन	1–2. सती (निवारण) अधिनियम और दहेज निषेध अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अपराधों से संबंधित स्थायी उपबन्धों को भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अन्तरण। सती (निवारण) अधिनियम और दहेज निषेध अधिनियम में केवल प्रावधान ही रहेंगे।
2.	दहेज निषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन	
3.	हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन	अधिनियम की धारा 5 में संशोधन, ताकि मिरगी के आधार पर तलाक पर रोक लगाई जा सके।
4.	आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 198 में संशोधन	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 और 495 के अन्तर्गत अपराधों के संबंध में शिकायत दर्ज कराने पर रोक की समाप्ति हेतु।
5.	आपराधिक प्रक्रिया संहिता	धारा 320 में संशोधन ताकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 में आने वाले अपराधों को समाधय बनाया जा सके।
6.	भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और बाल विवाह (निषेध) अधिनियम में संशोधन	नाबालिग लड़कियों की बिक्री की घटनाओं पर रोक लगाना।
7.	राष्ट्रीय महिला आयोग, 1990	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993, की धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में उपबन्ध शामिल किये जायें।
8.	शिशु दुग्ध विकल्प पोषण बोतलें और शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन अधिनियम 1992	आयोग ने इस अधिनियम की धारा 2 (घ), 3(क) 6, 12, 13 से 17, 19, (2), 21 और 23 में संशोधन का सुझाव दिया है।

जवाहर लाल नेहरू पत्तन पर टर्मिनल

3476. श्री अन्ना जोशी: क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यू मुम्बई स्थित जवाहर लाल नेहरू पत्तन पर खतरनाक, विषैले रसायनों की ढुलाई हेतु एक टर्मिनल का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो किस–किस प्रकार के रसायनों की ढुलाई की जाएगी;

(ग) क्या इस परियोजना का नियंत्रण महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख). जी, हाँ। क, ख और ग श्रेणियों के भारी द्रव रसायनों तथा प्रशीतित एवं दाबित द्रवीकृत गैसों को हैंडिल करने के लिए नवीनतम सुविधाओं सहित जवाहर लाल नेहरू पत्तन, नवीन बंबई में समुद्री रासायनिक टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ). कार्यान्वित होने पर उक्त परियोजना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित प्रदूषण के अनुज्ञेय स्तरों के मानदण्डों सहित केन्द्रीय तथा राज्य के सभी विद्यमान संगत कानूनों और विनियमों से विनियमित और अधिशासित होगी।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय

3477. डा. सुधीर राय:
श्री मुही राम सैकिया:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 28.11.1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 334 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. बी. डी. शर्मा समिति ने विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय खोलने/समूह बनाने के बारे में कुछ सिफारिशें की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्वालियर में केन्द्रीय विद्यालय संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय खोलते समय सेलजा समिति की सिफारिशों को माना गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसका क्या औचित्य है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख). डा. बी. डी. शर्मा समिति ने जून, 1988 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि क्षेत्रीय कार्यालय का नियन्त्रण 50 से अधिक केन्द्रीय विद्यालयों पर नहीं होना चाहिए, इस कार्यालय का गठन इस प्रकार से होना चाहिए कि इसका प्रबन्ध और पर्यवेक्षण करना भौगोलिक रूप से संभव हो और चूंकि केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ती है इसलिए क्षेत्रीय यूनिट को स्वतः ही द्विभाजित कर देना चाहिए।

(ग) से (घ). सैलजा समिति ने अप्रैल, 1995 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में नए क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने के संबंध में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने ग्वालियर में केन्द्रीय विद्यालयों के प्रभावी प्रशासन और शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता पर विचार करते हुए वहाँ एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का अनुमोदन किया। शुरूमें इस कार्यालय को 29 विद्यालयों का कार्य सौंपा जाएगा।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

3478. **श्री अनादि चरण दास:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भर्ती में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि अ. जा./अ. ज. जा. उम्मीदवारों को भर्ती तथा पदोन्नति में उनका समुचित हिस्सा मिले?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नीम का पेड़

3479. **श्री राम कापसे:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नीम के पेड़ से प्रजनन रोधी और शुक्राणुनाशित एजेन्ट विकसित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संस्थान ने इन गर्भनिरोधकों को तैयार करने के लिए पेंटेंट के लिए आवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खाँ): (क) जी, हाँ।

(ख) शरीर क्रिया विज्ञान एवं संबद्ध विज्ञान के सुरक्षा संस्थान के सहयो से एन. आई. एम.-76 नामक स्त्रियों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला गर्भ निरोधक विकसित किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और शरीर क्रिया विज्ञान एवं संबद्ध विज्ञान के सुरक्षा संस्थान द्वारा पेटेण्ट कार्यालय में संयुक्त रूप से पेटेण्ट की अर्जी दी गई है। पेटेण्ट कार्यालय में ये अर्जियाँ अभी तक लंबित पड़ी हुई हैं।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

3480. **श्री प्रेम चंद राम:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में उन जिलों के नाम क्या हैं जहां कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने का कार्य आरम्भ किया गया है; और

(ख) इन केन्द्रों के नाम क्या हैं और इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और इन पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां): (क) बिहार राज्य में निम्न 16 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए गए हैं:-

1. रांची
2. मुंगेर
3. सहरसा
4. नवादा

5. बांका
6. सिंहभूम
7. हजारीबाग
8. देवघर
9. बेगूसराय
10. बाढ़
11. नालन्दा
12. भभुआ
13. भोजपुर
14. धनबाद
15. जमुई
16. मधुबनी

(ख) वर्ष 1992–95 के दौरान हुए खर्च और वर्ष 1995–96 तथा 1996–97 के प्रस्तावित खर्चे का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कृषि विज्ञान केन्द्रों के अनुसार बिहार राज्य के लिए खर्चे का ब्यौरा

क्र. सं.	कृ. वि. के. का नाम	खर्चा (रुपये लाखों में)		
		1992–95 में हुआ खर्चा	प्रस्तावित खर्चा 1995–96	प्रस्तावित खर्चा 1996–97
1	2	3	4	5
1.	कृ. वि. के. अगवानपुर जिला–सहरसा	26.5	13.9	14.8
2.	कृ. वि. के., मुंगेर	28.8	16.9	16.9
3.	कृ. वि. के., बांका	20.3	12.0	13.0
4.	कृ. वि. के., खुदमालपुर जिला–बेगूसराय	14.2	11.7	12.9
5.	कृ. वि. के., अगवानपुर जिला–बाढ़	17.8	11.5	12.3
6.	कृ. वि. के., हरनौत जिला–नालन्दा	17.8	14.5	14.5
7.	कृ. वि. के., जगन्नाथपुर जिला–सिंहभूम	83.7	16.0	14.0
8.	कृ. वि. के., आर. के. मिशन आश्रम, मुराबाड़ी, जिला–रांची	70.5	42.1	23.2
9.	कृ. वि. के., सुजानी, जिला–देवघर	51.5	13.0	13.0
10.	कृ. वि. के., हौली क्रास वी. टी. जे., हजारीबाग	33.3	34.7	13.2
11.	कृ. वि. के., सोखोदेओढ़ा, जिला–नवादा	40.2	20.4	24.7

क्र. सं.	कृ. वि. के. का नाम	खर्चा (रुपये लाखों में)		
		1992–95 में हुआ खर्चा	प्रस्तावित खर्चा 1995–96	1996–97
12.	कृ. वि. के., बनवासी सेवा केन्द्र अधौरा, जिला– भभुआ	37.0	26.4	11.8
13.	कृ. वि. के., एस. सी. ए. डी. ए., आरा; जिला– भोजपुर	6.5	139.6	54.0
14.	कृ. वि. के., हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, सिंदडी, जिला– धनबाद	6.4	71.4	71.6
15.	कृ. वि. के., खादी ग्राम उद्योग संघ, खादीग्राम,जमुई	5.8	44.7	24.5
16.	एस. के. चौधरी, चौधरी शिक्षण ट्रस्ट, मधुबनी	16.2	44.7	25.5
		426.5	533.5	359.9

[अनुवाद]

सुपर बाजार

3481. श्री राजनाथ शेनकर शास्त्रीः क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री सुपर बाजार के बारे में 5 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1403 के उत्तर संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सुपर बाजार में बेची जा रही उपभोक्ता और किराना की चयनित 100 मदों के क्रय मूल्यों और विक्रय मूल्यों में क्या अंतर है तथा बेची गई वस्तुएं किस ग्रेड/ किस्म की हैं;

(ख) सुपर बाजार द्वारा ऊपरी व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं और क्या इसमें अभी भी अधिक मात्रा में ऊपरी व्यय किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपर्युक्त व्यय केन्द्रीय भंडार की तुलना में कितना है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भण्डार से प्राप्त सूचना के आधार पर एक विस्तृत तुलनात्मक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). सुपर बाजार ने यह सूचित किया है कि सुपर बाजार के व्यय का मुख्य भाग कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतनों/मजदूरियों तथा अन्य लाभों पर खर्च होता है। तथापि, ऊपरी खर्चों पर व्यय को नियंत्रित करने के लिए सुपर बाजार के प्रबंधन ने 1987 से कर्मचारी वर्ग की नई भर्ती पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।

(घ) उपर्युक्त (क) में दिए अनुसार।

विवरण

सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार में 100 चुनींदा वस्तुओं का लागत मूल्य–विक्रय मूल्य दर्शाने वाली सूची

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	पैक	लागत मूल्य	सुपर बाजार विक्रय मूल्य 14.12.95 की स्थिति	केन्द्रीय भंडार विक्रय मूल्य 15.12.95 को स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	पामोलीन	1 लीटर थैली	29.15	29.50	29.50

म संख्या	वस्तु का नाम	पैक	लागत मूल्य	सुपर बाजार विक्रय मूल्य 14.12.95 की स्थिति	केन्द्रीय भंडार विक्रय मूल्य 15.12.95 की स्थिति
	2	3	4	5	6
2.	धारा वनस्पति तेल	1 लीटर पैक	43.24	46.25	46.00
3.	रथ वनस्पति	1 लीटर थैली	35.76	36.85	35.90
4.	डालडा वनस्पति	1 लीटर थैली	36.14	37.25	35.50
5.	डालडा रिफाइन्ड मूंगफली का तेल	5 लीटर जार	295.41	307.25	386.90
6.	पोस्टमैन रिफाइन्ड मूंगफली का तेल	5 लीटर जार	290.74	303.80	302.40
7.	व्हीटा घी	1 कि. ग्रा. टिन	111.75	116.90	116.90
8.	कनौड़िया	1 लीटर थैली	47.61	50.00	–
9.	सफोला करडी तेल	5 लीटर थैली	322.85	338.80	337.40
0.	वीटा सोया तेल	5 लीटर जार	247.62	260.00	254.80
1.	सनड्रोप रिफाइन्ड सूरजमुखी	5 लीटर जार	247.62	259.75	257.50
2.	पैराशूट नारियल का तेल	500 मि.ली. टिन	44.88	49.35	–
.3.	एवरीडे शुद्ध घी	1 कि. ग्रा. टिन	107.74	113.15	118.00
14.	नेफेड सरसों का तेल	1 लीटर बोतल	40.00	42.00	42.00
15.	नं. 1 वनस्पति	15 कि. ग्रा. टिन	516.50	524.25	–
16.	अमूल होल दूध पाउडर	500 ग्राम टिन	49.08	54.00	–
17.	ब्रुक बांड स्पेशल चाय	500 ग्राम पैक	50.36	52.00	52.00
18.	एवरीडे डेरी दूध	500 ग्राम पैकेट	57.65	65.00	62.50
19.	लैक्टोजन	500 ग्राम पैकेट	73.15	81.20	78.27

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	पैक	लागत मूल्य	सुपर बाजार विक्रय मूल्य 14.12.95 की स्थिति	केन्द्रीय भंडार विक्रय मूल्य 15.12.95 की स्थिति
1	2	3	4	5	6
20.	नेस्कैफे	50 ग्राम रिफिल	44.86	48.45	48.00
21	कुक बाँड रेड लेबल	500 ग्राम पैकेट	45.88	47.25	47.20
22.	कुक बाँड ताज महल	500 ग्राम पैकेट	56.55	59.40	58.80
23.	टाटा चाय	500 ग्राम पैकेट	46.00	49.20	49.00
24.	किसान टमेटो कैचप	1 कि. ग्रा. बोतल	46.22	49.90	49.75
25.	मैगी टमैटो कैचप	1 कि. ग्रा. बोतल	42.24	46.65 (5 रु. की छूट)	45.00
26.	हॉरलिक्स	500 ग्राम जार	54.79	61.90	58.75
27.	बोर्नविटा	500 ग्राम रिफिल	55.03	58.00	57.50
28.	लक्स साबुन	100 ग्राम	6.35	6.70	6.70
29.	रेक्सोना साबुन	100 ग्राम	6.35	6.70	6.70
30.	लाइफब्वाय नहाने का साबुन	150 ग्राम	5.67	5.95	5.90
31.	ओ. के. नहाने का साबुन	150 ग्राम	5.25	5.65 (50 पैसे की छूट)	5.50
32.	हमाम नहाने का साबुन	100 ग्राम	6.35	6.80	6.75
33.	सर्फ डिटर्जेंट पाउडर	1 कि.ग्रा.	49.38	53.35	53.25
34.	एरियल ब्लू एम/सिस्टम	500 ग्राम	49.38	54.38	50.00 (रिफिल)
35.	फेना डिटर्जेंट पाउडर	1 कि. ग्रा.	12.69	14.60	13.35
36.	रिन डिटर्जेंट केक	250 ग्राम	9.70	10.60	10.50

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	पैक	लागत मूल्य	सुपर बाजार विक्रय मूल्य 14.12.95 की स्थिति	केन्द्रीय भंडार विक्रय मूल्य 15.12.95 की स्थिति
1	2	3	4	5	6
37.	व्हील डिटर्जेंट केक	250 ग्राम	3.78	4.35	4.00
38.	555 कपड़े धोने का साबुन	1 कि. ग्रा.	17.26	12.85	–
39.	बोबी कपड़े धोने का साबुन	1 कि. ग्रा.	16.96	19.50	18.50
40.	विम क्लीनिंग पाउडर	1 कि. ग्रा.	12.34	13.90	13.35
41.	बिज क्लीनिंग पाउडर	1 कि. ग्रा.	11.46	12.60	12.50
42.	विश्वास क्लीनिंग पाउडर	1 कि. ग्रा.	4.81	5.55	–
43.	पामोलिव शेविंग क्रीम	70 ग्राम	19.81	22.80	21.50
44.	गदरेज शेविंग क्रीम	70 ग्राम	21.65	24.90	23.25
45.	ओल्ड स्पाइस शेविंग क्रीम	60 ग्राम	22.94	26.25	24.75
46.	डाबर आंवला केश तेल	100 मि. ली	14.48	16.60	–
47.	क्लोज अप टूथ पेस्ट	100 ग्राम	19.48	21.80	21.00
48	कोलगेट टूथ पेस्ट	100 ग्राम	16.04	17.95	17.25
49.	मूंग साबुत	1 कि. ग्रा.	18.33	19.75	17.80
50.	मूंग छिलका	1 कि. ग्रा.	18.47	19.90	18.00
51.	मूंग धुली	1 कि. ग्रा.	20.53	22.15	20.60
52.	उड़द साबुत	1 कि. ग्रा.	20.19	21.80	19.00
53.	उड़द धुली	1 कि. ग्रा.	23.78	25.65	22.00
54.	दाल अरहर	1 कि. ग्रा.	26.41	27.95	26.70
55.	दाल चना	1 कि. ग्रा.	9.47	10.10	9.20

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	पैक	लागत मूल्य	सुपर बाजार विक्रय मूल्य 14.12.95 की स्थिति	केन्द्रीय भंडार विक्रय मूल्य 15.12.95 की स्थिति
1	2	3	4	5	6
56.	मल्का लाल	1 कि. ग्रा.	23.43	24.95	22.70
57.	काली मसूर	1 कि. ग्रा.	21.72	23.45	20.80
58.	चावल परमल	1 कि. ग्रा.	7.85	8.30	8.20
59.	चावल बासमती–I	1 कि. ग्रा.	18.63	19.90	15.00
60.	राजमा लाल	1 कि. ग्रा.	19.28	20.80	17.95
61.	राजमा चित्रा	1 कि. ग्रा.	21.80	22.80	20.00
62.	काबली चना	1 कि. ग्रा.	27.57	31.30	23.00
63.	काला चना	1 कि. ग्रा.	9.90	10.60	9.00
64.	चीनी	1 कि. ग्रा.	14.29	14.85	14.50
65.	टाटा नमक	1 कि. ग्रा.	3.76	4.15	4.10
66.	आटा एगमार्क	10 कि. ग्रा.	57.50	59.50	58.50
67.	धनिया पाउडर	1 कि. ग्रा.	25.89	38.00	27.50
		1 कि. ग्रा.	31.85	41.50	30 00
68.	हल्दी पाउडर	1 कि. ग्रा.	15.82	25.00	25.00
		1 कि. ग्रा.	17.59	23.75	23.50
69.	लाल मिर्च पाउडर	1 कि. ग्रा.	53.12	74.25	67.00
70.	काली मिर्च पाउडर	1 कि. ग्रा.	94.48	130.00	–
71.	जीरा	1 कि. ग्रा	68.11	70.00	70.00
72.	काली इलायची	1 कि. ग्रा.	108.66	136.50	118.00

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	पैक	लागत मूल्य	सुपर बाजार विक्रय मूल्य 14.12.95 की स्थिति	केन्द्रीय भंडार विक्रय मूल्य 15.12.95 की स्थिति
1	2	3	4	5	6
73.	हरी इलायची	1 कि. ग्रा.	315.67	400.00	–
74.	अमचूर पाउडर	1 कि. ग्रा.	45.90	67.00	–
75.	मुझसर	1 कि. ग्रा.	17.99	24.30	20.50
76.	सौंफ सादी	1 कि. ग्रा.	40.97	53.00	–
77.	सरसों	1 कि. ग्रा.	17.45	23.50	–
78.	मेथी दाना	1 कि. ग्रा.	13.97	19.25	17.35
79.	चिरुआ	1 कि. ग्रा.	9.92	14.30	–
80.	वीआईपी गिरकॉन सूटकेस (950) मोल्डेड लगेज	–	2111.40	2460.00	–
81.	नोवैक्स सूटकेस पैकर 80 डी. एल. डी.		105.00	1181.00	–
82.	जेन्टस जूते (चराऊकला)		96.30	120.00	120.00
83.	जेन्टस सैण्डल (चराऊकला)		80.25	100.00	100.00
84.	ऊतर सिंह स्कूल बैग (5 एम. जी. डी. क्वालिटी)		39.60	45.55	–
85.	के. के. स्कूल बैड ड्रिल डी. एल. एक्स		104.12	125.00	–
86.	फ्लोर डस्टर 30" X 30" प्रति दर्जन		115.00	139.20	124.20
87.	सफेद चादर 60" X 90" प्रत्येक		80.00	104.00	–
88.	जूट मैटिंग (जे. 2.36" प्रति मीटर)		49.45	61.80	–
89.	फिलीप्स ट्यूब 4" प्रत्येक		35.90	41.00	39.20

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	पैक	लागत मूल्य	सुपर बाजार विक्रय मूल्य 14.12.95 की स्थिति	केन्द्रीय भंडार विक्रय मूल्य 15.12.95 की स्थिति
1	2	3	4	5	6
90.	बजाज पोप–अप टोस्टर प्रत्येक		407.04	464.00	–
91.	हाकिन्स प्रेशर कुकर (5 लीटर)		675.00	743.00	–
92.	निप्पो सेल बड़ा प्रत्येक		7.50	8.25	8.00
93.	सनसाइन डुप्लीकेटिंग पेपर (ए–4)		74.85	82.35	82.20 (राइजिंग सूरज)
94.	कैन्सटर कम्प्यूटर पेपर (10 X 12 X 1		216.60	244.10	227.30
95.	मोदी जिरोक्स (ए–4–2–3 कि. ग्रा.)		141.25	155.40	148.30
96.	केमलीन स्याही नीली		37.68	45.25	42.50 चेलपार्क
97.	अप्सरा ड्राइंग पेंसिल (1 X 10)		15.00	18.00	13.30
98.	निपने फ्लापी डिस्क (5.25" 96 एम. पी. आई.)	332.50	382.40	288.00	अम्बेटा
99.	कोरस करेक्टिंग फ्लूड (टी/डब्ल्यू)		11.64	14.00	12.60
100.	उड़द छिलका	1 कि. ग्रा.	20.45	21.85	20.00

टिप्पणीः (सुपर बाजार द्वारा प्रदत्त)

जहां तक सुपर बाजार से बेची जाने वाली वस्तुओं के ग्रेड/गुणवत्ता का संबंध है, पहले से पैक की गई वस्तुएं, बिक्री की अवस्था में बेची जाती हैं तथा उनकी परीक्षण जांच की जाती है, जबकि चावल, दाल तथा मसाले जैसी वस्तुओं की सुपर बाजार की गुणवत्ता परीक्षण प्रयोशाला में खेपवार पूर्व जांच की जाती है और उन्हें निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप पाए जाने के बाद ही बिक्री के लिए जारी किया जाता है।

गंगा कार्य योजना के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश

3482. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के हाल के उस निर्णय का अध्ययन कर लिया है जिसमें गंगा परियोजना निदेशालय को इस नदी की सफाई हेतु सभी योजनाओं तथा परियोजनाओं को जांच तथा स्वीकृति हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं;

(ख) क्या न्यायालय ने गंगा परियोजना निदेशालय को इस कार्यक्रम पर और अधिक राशि खर्च न करने के निर्देश भी दिए हैं क्योंकि उसने नदी के प्रदूषण स्तर पर सुधार नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत शुरूकी गयी वर्तमान योजनाओं पर उच्चतम न्यायालय के आदेशों का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) उनके मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (घ). माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने 19 जनवरी, 1995 के आदेश में गंगा परियोजना निदेशालय को विदेशी विकास एजेंसी द्वारा गोमती परियोजना में लखनऊ के लिए सहायता और दक्षिण कानपुर परियोजना के लिए प्रस्तावित ऊच सहायता की राशि परियोजनाओं पर खर्च करने से पूर्व सीवेज प्रणाली और उपचार संयंत्रों के पूरा होने के विभिन्न चरणों के बारे में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निदेश दिया है। हालांकि माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि निदेशालय द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं पर धनराशि व्यय करने के बारे में न्यायालय द्वारा कोई भी सामान्य (ब्लैंकेट) स्वगत प्रदान नहीं किया गया था। माननीय न्यायालय स्वयं परियोजनाओं के निष्पादन और उन पर धन व्यय करने में सम्बद्ध होना चाहता है।

एशियाई अध्ययन संस्थान

3483. श्री सैयद शहाबुद्दीन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में कलकत्ता में एशियाई अध्ययन संस्थान की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो संस्थान का प्रयोजन क्या है और यह किस-किस क्षेत्र में कार्य करेगा;

(ग) 31.3.95 तक इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा वर्ष 1995-96 के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(घ) संस्थान के लिए कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत है तथा 1.10.95 तक इसमें कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) संस्थान के प्रकाशनों तथा उसके कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उन शोध-पत्रों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है तथा इनमें से कितने प्रकाशन और शोध-पत्र मौलाना आजाद के जीवन, कृतित्व तथा एशिया और विश्व के संबंध में उनकी दृष्टि से संबंधित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण -I में दिए गए है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण -II में दिए गए है।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण -III में दिए गए है।

(ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण -IV में दिए गए है।

विवरण-I

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति को चिन्हित करने के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एशियाई अध्ययन संस्थान की स्थापना की गयी है:-

(i) मौलाना के निवास स्थान 19 ए,, बॉलीगंज सर्कुलर रोड के अधिग्रहण के द्वारा जिसे एक वैयक्तिक संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय अध्येता अतिथिगृह के रूप में संगठिति किया जाएगा,

(ii) साल्ट लेक सिटी में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले। 1 एकड़ भूमि पर एक उन्नत शोध संस्थान और समकालीन आंकड़ा बैंक और प्रलेखन सुविधाओं वाले एक पुस्तकालय की स्थापना करना;

(iii) एशियाई अध्ययन में विशेषज्ञता के तीन मुख्य क्षेत्रों पर जोर दिया जायेगा:-

(क) पश्चिम एशिया - तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान के विशेष संदर्भ में,

(ख) मध्य एशिया - स्वतंत्र राष्ट्र मंडल (सी आई एस) के गणराज्यों के विशेष संदर्भ में,

(ग) दक्षिण एशिया - बंगलादेश।

संस्थान की स्थापना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

(I) (क) उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से आगे एशिया में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन पर फोकस, जिसमें विशेष जोर भारत और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जीवन और कृतियों के साथ उनके संपर्कों पर हो, के साथ एक शोध एवं शिक्षण केन्द्र होना;

(ख) 19 वीं सदी के उत्तरार्द्ध से आगे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलनों और घटनाओं के विशेष संदर्भ में आधुनिक भारत के धर्मनिरपेक्ष परम्पराओं पर प्रभाव डालने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं, समाचापत्रों, आवधिकियों, माइक्रो फिल्मों, स्थिर छायाचित्रों, चलचित्रों, ध्वनि रिकार्डिंग और अन्य सामग्रियों के एक पुस्तकालय की स्थापना और उसका रखरखाव;

(ग) कलकत्ता में मौलाना आजाद के पूर्व निवास स्थान पर एक वैयक्तिक संग्रहालय की स्थापना और उसका रख-रखाव। संग्रहालय एक लब्धप्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता और विचारक के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन और कृतियों पर प्रकाश डालेगा।

(घ) अध्ययन और शोध के लिए पत्रों और पुस्तकालयों स्रोतों के संग्रह को एक समुचित स्थान पर जनता को उपलब्ध कराना;

(ङ) धर्मनिरपेक्षता और विश्व–बन्धुत्व तथा मौलाना आजाद के जीवन और कृति के क्षेत्र में अध्ययन और शोध को आयोजित, प्रारंभ, संचालित, प्रोत्साहित और प्रोन्नत करना;

(च) मूल अनुसंधान पर आधारित अध्ययन अथवा अनुवाद अथवा संकलन प्रायोजित अथवा प्रारंभ करना और इस उद्देश्य के लिए मानदेय अथवा पारिश्रमिक अथवा रॉयल्टी प्रदान करना, अथवा पहले से प्रकाशित कृतियों की कॉपीराइट की अधिप्राप्ति के लिए भुगतान करना;

(छ) संस्थान के अहाते और/अथवा संस्थान द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर आयोजित अध्ययन एवं शोध परिणामों को शामिल करने वाली पुस्तकों, मोनोग्राफों, आवधिकियों एवं पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ करना एवं प्रोन्नयन करना;

(ज) कार्मिकों एवं शोध सामग्री के आदान–प्रदान के जरिए भारत के भीतर और अन्य देशों में अकादमिक संपर्कों को प्रोत्साहित करना,

(झ) संस्थान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत एवं विदेश में सदृश कार्यकलापों में लगी संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना,

(ञ) नियमों एवं उप–नियमों के अनुसरण में शिक्षावृत्तियां, अध्येतावृत्तियां और मौद्रिक सहायता संस्थापित करना और प्रदान करना;

(ट) ऐसे सारे कार्यकलाप प्रारंभ करना, जो कि सभी अथवा कुछ उपरोलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संयोगवश आवश्यक या अनुरूप है।

(ii) प्रशासनिक, अनुसचिवीय, तकनीकी, शोध एवं ऐसे ही अनिवार्य पदों को सृजित व संस्थापित करना तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अध्यधीन सोसायटी के नियमों एवं विनियमों के अनुसरण में उन पदों पर नियुक्तियां करना;

(iii) सोसायटी के प्रयोजनों के लिए अनुदान, चंदा, अंशदान, उपहार, सरकारों, निगमों, न्यासों अथवा किसी व्यक्ति के अनुरोध को प्राप्त अथवा स्वीकार करना;

(iv) चेकों, पत्रों अथवा अन्य परक्राम्य लिखत को आहरित करना, स्वीकार करवाना, पृष्ठांकित करना एवं भुनाना तथा इस प्रयोजन के लिए ऐसे आश्वासनों एवं विलेखों पर हस्ताक्षर करना, निष्पादित करना व प्रस्तुत करना, जो कि संस्थान के प्रयोजन की बाबत अनिवार्य हो।

(v) (क) संस्थान के प्रयोजनों के लिए किसी भी तरीके से सम्पत्ति का अधिग्रहण करना, धारण करना और विक्रय करना बशर्ते कि अचल सम्पति के अधिग्रहण अथवा विक्रय के मामले में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली गई हो,

(ख) संस्थान की अथवा उसमें निहित किसी भी सम्पत्ति की देखभाल इस तरीके से करना जैसा कि संस्थान अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए उपयुक्त समझे,

(ग) संस्थान के प्रयोजन के लिए, संस्थान की किसी भी अथवा सारी संपत्ति की प्रतिभूति सहित अथवा बिना प्रतिभूति के अथवा किसी भी रेहन–प्रभार या गिरवी के आडमान की प्रतिभूति पर केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से, अथवा किसी भी अन्य तरीके से धन उधार में लेना और एकत्रित करना,

(घ) घरों, छात्रावासों अथवा अन्य भवनों का निर्माण व रख–रखाव करना तथा प्रकाश, जल, अपवाह, फर्नीचर, उपस्कर, यंत्रों, उपकरणों व उपस्करों तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं से उनका परिवर्तन, विस्तार, सुधार, मरम्मत, परिवर्द्धन अथवा आशोधन करना जिससे संस्थान के वस्तुओं के संबंध में ऐसे भवनों का इस्तेमाल किया जा सके,

(ङ) संस्थान की अथवा इसके द्वारा धारित किसी भी अन्य अचल सम्पत्ति, किसी भी भूमि तथा पार्क का निर्माण करना अथवा अन्यथा उसका अधिग्रहण करना, अभिविन्यास–निर्धारण, मरम्मत, विस्तार, परिवर्तन, आवर्द्धन व सुधार करना और उसका इस्तेमाल करना।

(vi) संस्थान के उद्देश्यों को निष्पादित करने के लिए उपयुक्त समितियां अथवा उप–समितियां नियुक्त करना;

(vii) इसके द्वारा गठित कार्यकारिणी परिषद अथवा किसी समिति अथवा उप–समिति को अपनी सारी अथवा कुछ शक्तियां प्रत्यायोजित करना;

(viii) अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र के रूप में संस्थान के उद्देश्यों को और आगे बढ़ाने हेतु यथा अपेक्षित सभी विधिसम्मत कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के संदर्भ में आनुषंगिक हो अथवा नहीं ।

विवरण–II

दिनांक 31.3.95 तक किया गया व्यय निम्नानुसार है

वर्ष	व्यय
1992–93	75,000/–रुपये
1993–94	30,39,000/–रुपये
1994–95	25,54,000/–रुपये

वर्ष 1995–96 के लिए बजट 25,00,000/–रुपए है।

विवरण–III

स्टाफ–संख्या संबंधी विवरण (संवर्ग–वार)

क्रम सं.	संवर्ग	संस्वीकृत संख्या	दिनांक 1.10.95 तक की स्थिति के अनुसार स्टाफ की स्थिति
1.	निदेशक	1	1
2.	प्राध्यापकीय अध्येता	3	*
3.	अभ्यागत अध्येता	2	*
	अन्य अकादमिक स्टाफ		
4.	वरिष्ठ/सहयोगी अध्येता		
5.	शोध अध्येता		
	शोध सहयोगी	8	8
	वरिष्ठ शोध अध्येता		
	कनिष्ठ शोध अध्येता		
6.	संवादी अध्येता	6	*
7.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1
8.	प्रशासनिक अधिकारी	1	*

क्रम सं.	संवर्ग	संस्वीकृत संख्या	दिनांक 1.10.95 तक की स्थिति के अनुसार स्टाफ की स्थिति
9.	प्रलेखन–सह–सूचना अधिकारी	1	*
10.	लेखा अधिकारी	1	1
11.	निदेशक के निजी सचिव	1	
12.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	
13.	वरिष्ठ सहायक	1	*
14.	अपर श्रेणी सहायक–सह–रोकड़िया	1	*
15.	पुस्तकालय सहायक	1	1
16.	अवर श्रेणी सहायक		2
17.	टंकक	3	3
18.	चपरासी	2	2
19.	सफाई कर्मचारी	1	1

विवरण–IV

वर्ष 1994–95 से संस्थान वर्ष की प्रत्येक तिमाही में लगभग 32 पृष्ठों की एक समाचार पत्रिका (न्यूज लेटर) प्रकाशित करता आ रहा है। समाचार पत्रिका के पांच अंक प्रकाशित किए गए हैं और 19.12.95 तक एक और अंक प्रकाशित कर दिया जाएगा। समाचार पत्रिका के लिए लेख और अन्य सामग्री मुख्यतः संस्था के शोध अध्येताओं और अकादमिक स्टाफ द्वारा उपलब्ध कराई गई है, प्रत्येक अंक में एक अतिथि लेख प्रकाशित किया गया है। इनमें से सबसे पहला लेख श्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखा गया है।

संस्था ने निम्नलिखित आजाद संस्था–पत्र भी प्रकाशित किए:

1. डॉ. रणबीर समाद्दार (आजाद संस्थान पेपर 1) मैनी हिस्टरीज एण्ड फ्यू साइलेंसेज नेशनलिस्ट हिस्टरी ऑफ नेशनलिज्म इन बंग्लादेश।

2. डा. बरुण डे, (आजाद संस्थान पेपर 2): सेंट्रल एंड मार्थ–वेस्ट एशियन जियोपालिटिक्स इन पोस्ट यू एस एस आर इंटरनेशनल रिलेशन्स।

3. श्रीमती सुचान्दना चटर्जी (आजाद संस्थान पेपर 3): रिजनल राइवेलरीज इन ताजिक पालिटिक्सः दि करेंट सीन।

संस्थान ने बंगलादेश की वर्तमान समस्यायों पर "आइडेंटिटी, रिलीजन एंड रिसेंट हिस्टरी" शीर्षक से एक पुस्तक भी प्रकाशित की है, जिसमें बंगलादेश के ढाका विश्वविद्यालय के प्रो. अनीसुजामन द्वारा इस संस्थान में दिए गए व्याख्यानों की एक शृंखला को शामिल किया गया है।

उर्वरकों की बिक्री

3484. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:
श्री डी. वेंकटेश्वर राव:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय राज्यों, विशेषरूप से आन्ध्र प्रदेश में उर्वरकों को अत्यधिक मूल्यों पर बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई मार्गनिदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किन-किन राज्यों ने इन मार्गनिदेशों का पालन किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां): (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश सहित देश भर में यूरिया 3320/-रू. प्रति मीटरी टन के समान मूल्य पर बेचा जा रहा है। किसी भी राज्य से उच्चतर मूल्य पर बिक्री के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। अगस्त, 1992 में फास्फेटयुक्त और पोटासयुक्त उर्वरकों के मूल्यों, वितरण और परिवहन पर से नियंत्रण हटा लेने के परिणामस्वरूप उनके मूल्यों में भारी वृद्धि हुई। इस मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार किसानों को इन विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री की एक योजना चला रही है।

(ग) हाल ही में ऐसे कोई निर्देश नहीं जारी किए गये हैं।

(घ) से (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

बाल बंधुआ मजदूर

3485. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्क सम्मेलन में बाल बंधुआ मजदूरी से संबंधित मामला उठाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो बाल बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने और प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए सार्क देशों का क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा): (क) और (ख). दक्षेस देशों ने अनुमोदित प्रपत्र में राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए बच्चों पर राष्ट्रीय समिति स्थापित करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य और जनसंख्या गतिविधियों पर दक्षेस तकनीकी समिति की तेरहवीं बैठक में महसूस किया गया कि इस क्षेत्र में बच्चों की स्थिति में सुधार लाने के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सूचना आधार तैयार कर लिया गया है और इसमें और सुधार किया जा रहा है ताकि आवधिक समीक्षा की जा सके। यह भी नोट किया गया कि दक्षेस देशों में प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश की दर में सुधार हुआ है।

यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ इंडिया

3486. श्री राम नाईक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ इंडिया" को केन्द्रीय सरकार की राजनीतिक मामलों संबंधी केबिनेट समिति से विदेशी विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध होने की स्वीकृति मिल गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति देने के संबंध में सरकार की क्या नीति है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई): (क) से (ग). राजनीतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 5.2.1992 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित शर्तों व निबंधनों पर महाराष्ट्र में संयुक्त विश्व कालेज (यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज) स्थापित करने से संबंधित इस विभाग के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया था:

(i) निवासी भारतीय नागरिकों के बच्चों का चयन सभी स्कूलों के छात्रों की योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए।

(ii) इस संस्था के अधिकांश छात्र, अध्यापक और शिक्षणेतर कर्मचारी निवासी भारतीय नागरिक होने चाहिए।

(iii) भारतीय शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारियों को महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार द्वारा उनके प्रतिस्थानी स्तरों के लिए अनुमोदित वेतन व भत्ते से कम वेतन व भत्ते नहीं दिये जाने चाहिएं।

(iv) विदेशी शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से आवश्यक पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव की उसके गुणावगुण के आधार पर जांच की जाती है।

राष्ट्रीय बीज निगम

3487. प्रो. ठम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बीज निगम की भूमिका क्या है;

(ख) देश में राष्ट्रीय बीज निगम के विभिन्न कार्यालय कहां-कहां स्थापित किए गए हैं;

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा अब तक किए गए क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा 1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य में किस्मवार कितनी मात्रा में बीज की खरीद की गई;

(ङ) क्या राष्ट्रीय बीज निगम 1995–96 के दौरान और अधिक बीज खरीदने के लिए सर्वाधिक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां): (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की स्थापना मार्च, 1963 में की गई थी।

वैज्ञानिक साधनों एवं तकनीकों तथा आधुनिक प्रबंध प्रणाली तथा विधियों का प्रयोग करके देश में एक मजबूत बीज उद्योग का विकास करने के उद्देश्य से इसने जुलाई, 1963 में कार्य करना शुरू कर दिया। इस वृहद उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम देश भर में उपयुक्त कृषि मौसमीय अंचलों में सब्जी फसलों सहित फसलों की अनेक किस्मो के क्वालिटी बीजों का उत्पादन एवं वितरण कराता है। इस संबंध में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं:–

1. आधारी बीज उत्पादन
2. प्रमाणीकृत बीज उत्पादन
3. बीज प्रसंस्करण
4. बीज भण्डारण
5. बीज विपणन
6. बीज गुणवत्ता नियंत्रण
7. प्रशिक्षण एवं परामर्श सेवा

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम के विभिन्न स्थानों में स्थित कार्यालयों की सूची संलग्न विवरण –I में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम स्वयं के फार्मों पर तथा ठेके पर बीज उत्पादन करने वाले, भारतीय राज्य फार्म निगम, राज्य बीज निगमों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से आधारी/प्रमाणीकृत बीजों का उत्पादन कराता है। उत्पादित बीज संबंधित राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों द्वारा विधिवत प्रमाणित कराए जाते हैं। इसके अलावा निर्धारित बीज गुणवत्ता मानदण्डों से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम स्वयं भी आन्तरिक गुणवत्ता नियंत्रण उपाय करता है।

(ii) बीजों की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय बीज निगम देश के विभिन्न बीज उत्पादन अंचलों में बीज प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना तथा प्रचालन करता है।

(iii) उत्पादित/प्रसंस्कृत बीजों के भंडारण के लिए राष्ट्रीय बीज निगम के स्वयं के बीज भण्डारण हैं। निगम द्वारा केंद्रीय भंडारण गृह निगम, राज्य भंडारगृह निगमों तथा बीज भण्डारण के लिए उपयुक्त प्राइवेट गोदामों में भी बीजों का भण्डारण किया जाता है।

(iv) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों के विपणन/वितरण का कार्य राज्य सरकारों, डीलर नेटवर्क तथा इसके स्वयं के बिक्री काउण्टरों द्वारा किया जाता है। इसके डीलर नेटवर्क में देशभर में विभिन्न भागों में फैले लगभग 1800 डीलर शामिल हैं।

(v) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीज विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी बीज सुधार आदि के संबंध में प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अब तक विगत 30 वर्षों में निगम द्वारा 177 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये गए हैं जिनमें 220 विदेशी व्यक्तियों सहित 3000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(घ) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा वर्ष 1993–94 के दौरान लगभग 3,59,121 क्विंटल प्रमाणीकृत/क्वालिटी बीजों की खरीद की गई। राज्यवार/किस्मवार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिये गये हैं।

(ङ) और (च). जी, हां। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा अपने कार्यक्रम की योजना इस प्रकार बनाई गई है कि 1993–94 के दौरान खरीदे गए 3.59 लाख क्विंटल प्रमाणित/क्वालिटी बीजों की तुलना में वर्ष 1995–96 के दौरान 4.57 लाख क्विंटल प्रमाणित/क्वालिटी बीजों की खरीद की जा सके।

विवरण–I

राष्ट्रीय बीज निगम के मुख्यालय तथा कार्यालयों की स्थिति नीचे दी गई है:–

मुख्यालय

1. राष्ट्रीय बीज निगम बीजभवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली

2. राष्ट्रीय बीज निगम के क्षेत्रीय कार्यालय
अहमदाबाद, बंगलौर, चण्डीगढ, कलकत्ता, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे तथा सिकन्दराबाद में स्थित हैं।

3. राष्ट्रीय बीज निगम के एरिया कार्यालय निम्नलिखित स्थानों पर हैं:–

आन्ध्र प्रदेश

1. सिकन्दराबाद – 500017
2. कुरनूल – 518003
3. वारानगल – 506002
4. गनटूर – 522001

बिहार

1. भागलपुर – 812005

2. मुजफ्फरपुर – 842001
3. पुर्णिया – 854326
4. रांची – 834005
5. सिवान – 841226
6. समस्तीपुर – 848101
7. पटना – 800014

गुजरात

1. गोधराउ – 389001, जिला पंचमहल
2. हिम्मत नगर – 383001, जिला सबरकांठा
3. बडोदरा – 390001
4. राजकोट – 800014

हरियाणा

1. पानीपत – 132193
2. हिसार – 125001
3. जिंद – 120002
4. गुडगांव
5. पलवल – 121102

हिमाचल प्रदेश

1. सोलन – 173212
2. सैनज – 175134, जिला कुल्लू

जम्मू व कश्मीर

1. जम्मू – 160002

कर्नाटक

1. बेल्लारी – 583101
2. धावर – 580008
3. हस्सेन – 573217
4. हवेरी, पोस्ट, जिला धारवार – 571110
5. मैसूर – 570024
6. देवगी – 577002

केरल

1. त्रिवेंद्रम – 695002

मध्य प्रदेश

1. भोपाल – 462023
2. ग्वालियर – 474001
3. इन्दौर – 452003
4. निवडी जिला टिकमगढ – 472442

महाराष्ट्र

1. अकोला – 444001
2. अमरावती – 444602
3. औरंगाबाद – 431210
4. जलगांव – 425001
5. नागपुर – 440016
6. नासिक – 422001
7. सांगली – 416416

8. अहमदनगर – 414001

उड़ीसा

1. सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय बीज निगम
पंचेश्वर, भुवनेश्वर – 751010

2. एरिया मेनेजर एन एस सी
डाकघर बुद्धराजा जिला सम्बलपुर

पंजाब

1. जलंधर – 144004

2. लुधियाना

राजस्थान

1. अजमेर – 3005001

2. अलवर – 301030

3. भरतपुर – 321001

4. जोधपुर – 342006

5. कोटा – 324005

6. श्रीगंगानगर – 335001

7. उदयपुर – 313001

8. चित्तौड़गढ़ – 312001

तमिलनाडु

1. मद्रास – 600098

2. मधुराई – 625006

3. त्रिरूची – 620015

उत्तर प्रदेश

1. आगरा – 282007

2. अमेठी – 227405

3. बरेली – 243001

4. इटावा – 206003

5. गोरखपुर – 273007

6. हाथरस – 202001

7. हेमपुर – 244716 (जिला नैनीताल)

8. कानपुर – 208022

9. मेरठ – 250001

10. रूद्रापुर – 263153

11. शाहजहांपुर – 241001

12. वाराणसी –201001

पश्चिम बंगाल

1. हकीमपुरा, सोलीगुरी, जिला दार्जिलिंग – 734401

2. मालदा – 732101

3. बर्दवान – 713101

4. गांव ककोथा, पोस्ट अबास, जिला मिदनापुर – 723101

विवरण–II

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
1993–94 के दौरान प्रमाणित बीजों की राज्यवार खरीद

(मात्रा क्विंटल में)

क्षेत्र	अहमदाबाद	बंगलौर	चण्डीगढ	कलकत्ता	जयपुर	लखनऊ	पुणे	पटना	सिकन्दराबाद	कुल योग
राज्य	गुजरात व मध्य प्रदेश	कर्नाटक तमिलाडु केरल	पंजाब हरियाणा, दिल्ली हि. प्र.	पश्चिम बंगाल उड़ीसा	राजस्थान	उ.प्र.	महाराष्ट्र	बिहार	आन्ध्र प्रदेश	
फसल										
मक्का	53.06	6940.48							15254.14	22247.68
सॉरगम		1781.09					32.12		2683.6	4496.81
बाजरा	568.41	865.68			307.08	308.21	725.02		3001.75	5796.15
गेहूँ	18931.2		27968.6		38681	127121.2				212702
धान		17405.53	3246.78 228.36		1100	9599.46	400	1318..2	35333.1	68631.43
दालें	1629.9	647.8	751.28 39.2		1123.88	5589.31	823.06		2568.28	13172.71
तिलहन	214.62	369.87	105.9		250.8	976.7	137.05	4.78	5355.87	8715.59
चारा	450.31	4224.72	1117.91		360.16	3519.12	194.96		808.97	10676.15
रेशे	0.04	262.52		20.32			2081.94		3193.94	5558.76
सब्जियां	583.25	383.94	432.24 100.31		1016.18	1072.75	1821	9.15	1236.51	6655.33
आलू	300		171.5							471.75
अन्य		3								3
कुल योग	22730.79	32904.63	33794.46 367.87	1120.32	41739.1	148186.7	7515.15	1332.13	69436.16	359127.3

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा 1993–94 में अहमदाबाद क्षेत्र (गुजरात एवं मध्य प्रदेश) में प्रमाणित बीजों की खरीद

क्र. सं.		फसल/किस्म		मात्रा क्विंटल में
1.	गेहूं	एच. डी. 1553		5992.40
		के. सौना		2666.00
		एच. डी. – 2285		300.00
		एच. डी. 2329		156.00
		एच. डी. 2189		1536.00
		डब्ल्यू. एच.–147		2996.00
		लोक–1		5284.80
			योग	18931.20
2.	मक्का	वी कम्पोजित		53.06
3.	बाजरा	एम. एच.–179		145.11
		एम. एच.–169		423.30
			योग	568.41
4.	दालें	मूंग के – 851		0.70
		उरद टी–9		1427.28
		अरहर टी–21		189.32
		अरहर उपास–120		12.60
			योग	1629.90
5.	तेलहन सोयाबीन	जे. एस. 7244		44.00
		कैस्टर जी–4		5.80
		तोरियाएम–27		164.82
			योग	214.62

क्र. सं.		फसल/किस्म		माध्य क्विंटल में
6.	चारा बरसीम	जेबी–1		338.98
	लूसन	टी–9		104.71
	लूसर्न	ए–2		9.72
	काउपो	ई सी–4216		5.90
			योग	450.31
7.	कपास	हाइब 1		0.01
		एच–6		0.01
		एच–8		0.01
		ए एच–468		0.01
			योग	0.04
8.	सब्जी			
		पत्तीदार सब्जियाँ		18.00
		फल सब्जियां		1.12
		फलियां		544.75
		कंद एवं मूल		19.11
		कुकुटबीज		0.27
			योग	583.25
		आलू		300.00
		कुल योग		22730.79

बंगलौर क्षेत्र (तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल) में 1993–94 के दौरान प्रमाणीकृत बीजों की खरीद

क्र. सं.		फसल/किस्म		मात्रा/क्विंटल में
	मक्का	गंगा – 11		355.25
		हिम–123		589.75
		डेकन–103		1273.80
		किसान		126.35
		सी–15		21.49
		वी. कम्पोस्ट		1666.00
		लक्ष्मी		279.37
		जी. एस .2		230.79
		सी–6		925.68
		नवजीत		357.21
		सूर्या		105.84
		एल एल डी		395.78
		स्वीटकार्न		0.02
		सरताज		297.71
		अगेती–76		299.46
		डब्ल्यू–101		8.00
		पी. ए. सी. 9714		5.00
		पी. ए. सी.–9401		3.00
			योग	6940.48
2.	ज्वार	सी. एस. एच–5		439.26
		सी. एस. एच–6		52.71

क्र. सं.		फसल/किस्म		मात्रा/क्विंटल में
		एस. पी. वी. 86		11.04
		एम–35–I		1265.48
		एस. पी. एच. 388		6.60
		एस. पी. एच. 468		6.00
			योग	1781.09
3.	रागी	एम आर – 1		2.00
		बंगलौर–II		
4.	बाजरा	एम एच–179		487.65
		एच एच बी– 60		22058
		डब्ल्यू. सी. सी.–75		165.94
		एकान्त एच–3011		1.99.5
		एच एच बी–50		2.80
		एम एच–320		0.50
		एम पी–155		1.00
		आई सी पी टी–8203		8.40
		एम पी–221		0.40
		एम एच –356		0.30
		एम एच – 169		2.01
		एन एच बी–68		1.00

क्र. सं.	फसल/किस्म		मात्रा
	एच एच बी–67		2.00
	एम पी–171		2.00
	एम पी – 209		1.00
		योग	885.67.5
5. धान	आई आर–64		962.40
	जया		100.80
	ज्योती		10140.30
	आई ई टी–1444		2619.90
	आई आर – 36		2615.10
	बी पी टी–5204		2.50
	हब्रिड–I		1.24.5
	हब्रिड–II		0.19
	आई आर–20		16.50
	मंगला		30.60
	इनताम		10.00
		योग	17405.53
6. दलहन मूंग	पी एस–16		66.92
	के–851		32.10
	कोवपा सी–152		547.33
	होरसेगराम		.20

क्र. सं.	फसल/किस्म			मात्रा
	कोवपा ए. गरेमा			1.25
			योग	647.80
		बंगलौर–III		
	मेजा ए. टी.			3400.97
	सोरगम एम पी चेरी			823.75
			योग	4224.72
	जूट जे आर ओ–524			262.52
तिलहन				
	जी. नट जे एल–24			39.75
	सनफ्लेवर के बी एस एच–I			56.00
	सनफ्लेवर बी एस एच–I			262.82
	सनफ्लेवर ए पी एस एच –I I			3.90
	केसटोन अरंड			7.30
		योग तिलहन		369.87
	सब्जी			
	पत्तीदार सब्जी			2.46.55
		फ्रूट		7.11.6
		लेगम		230.21
		टमाटर (टी पी एस)		0.0044
		मूल		0.01

क्र. स.	फसल/किस्म		मात्रा (क्विंटल में)
	कुकाटबिटस		144.07
	फ्लोवर बीज		0.072
		योग	383.94
	कुल योग		32904.62

1993–94 के दौरान चंडीगढ़ क्षेत्र (हरियाणा व पंजाब) में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा खरीदे गये प्रमाणित बीज

क्र. सं.	फसल/किस्म		मात्रा (क्विंटल में)
1.	गेहूं	एच. एस–240	132.00
		एच. डी–2285	4787.20
		सोनालीक	17238.80
		एच. डी. –2189	443.60
		एच. डी.–2329	1970.00
		डब्ल्यू एच. –147	425.60
		एच. डी.–2380	1030.00
		पी. बी. डब्ल्यू–299	34.80
		पी. बी. डब्ल्यू–154	1617.60
		पी. बी. डब्ल्यू–233	1.00
		एच. डी–2009	288.00
		कुल	27968.60
2.	धान	जया	1139.10
		रतना	648.00
		पी–44–33	496.44

क्र. सं.	फसल/किस्म		माप्रा (क्विंटल में)
		पी. आर–103	187.08
		आई. आर–36	250.20
		पी. आर–106	525.96
		कुल	3246.78
3.	दलहन		
	अरहर	यू. पी. ए. एस.–120	642.84
		पी. –84	24.96
		आई. सी. पी. एल–151	83.48
		कुल	751.28
4.	तोरिया	टी. एल.–15	32.36
		टी–9	73.54
		कुल	105.90
5.		बाजरा, एल–74	67.28
6		लोबिया, एन. पी.–3	50.00
7.		ग्वार, एफ. एस. –277	2.13
8.		ग्वार, एच. एफ. जी. –75	50.00
9.		ओट केन्ट	948.50
		कुल चारा	1117.91
10.		पत्तेदार सब्जियां	19.34.5
		प्रूट	0.187
		कोल क्राप्स	49.45

क्र. सं.	फसल/किस्म		मात्रा (क्विंटल में)
	मूल सब्जियां		328.55
	कुकुर बेट		434.71
		कुल सब्जियां	32.24
	पोटाटो		171.75
	जी. कुल		33794.46

वर्ष 1993–94 के दौरान दिल्ली राज्य में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा खरीदे गए प्रभावित बीज

क्र. सं.	फसल/किस्म		मात्रा (क्विंटल में)
1.	धान, आई. आर.		228.36
2.	अरहर, यू. पी. ए. एस./120		39.20
3.	बंद गोभी	5.00	
4.	गाजर		5.00
5.	चुकन्दर		90.31
		कुल	367.87

वर्ष 1993–94 के दौरान पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा खरीदे गए प्रभावित बीज

क्र. सं.	फसल/किस्म		मात्रा
1.	धान/पंकज		300.00
2.	धान मसूरी		800.00
3.	मेस्ता एच. सी.–583		20.32
		कुल	11.20.32

जयपुर क्षेत्र राजस्थान के अन्तर्गत 1994–95 के दौरान प्रभावित बीज में स्पीड

खरीदी गई मात्रा (क्विंटल में)

क्र. सं.	फसल/किस्म		मात्रा
1.	बाजरा	डब्ल्यू. सी. सी.–75	307.08
2.	गेहूँ	कल्याण सोना	4025.60
3.		लोक–1	3852.20
4.		डब्ल्यू एच–147	1200.00
5.		एच. डी. 2189	6105.20
6.		सोनालीका	16219.60
7.		एच. डी. 2329	256.80
8.		राज–3077	2106.80
9.		यू.पी.–262	4914.80
			38681.00
10.	दलहन		
11.	मूंग	के–851	551.56
		टी–44	428.48
12.	उर्द	टी–9	143.84
			1123.88
13.	चारा		
14.	बरसीम	जे. बी.–1	94.46
15.	सोरगम	पी. सी.–6	164.10
16.	लुकरेन	टी–9	86.60

क्र. सं.	फसल/किस्म		मात्रा
17.	आउट केन्ट		15.00
			360.16
18.	तिलहन		
	सोयाबीन गोरव		250.80
19.	सब्जी		
	मेथी	पी. इ. वी.	3.85
20.	टमाटर	पी. आर.	0.53
21.	मटर	बी. वी	279.85
22.	उरद	अरकोल	295.28
23.	उरद	आजाद	3.25
24.	उरद	लिनकोलन	407.20
25.	फूलगोभी	पी. डी.	3.54
26.	मूली	पी. सी.	2.00
27.	मूली	पी. आर.	1.75
28.	गाजर	पी. के.	5.70
29.	बोटलेगोर्ड	पी. एन.	1.68
30.	टिंडा	अरोका	3.21
31.	खीरा	पी. एस.	7.12
32.	खरबूजा	एच. एम.	0.61
33.	मुश्कमेलोन	पी. एच. वाई. बी.	0.09
			1016.18
		कुल योग	41739.10

उत्तर प्रदेश में 1993–94 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा खरीदे गए प्रभावित बीज

सं.	फसल/किस्म		मात्रा
	बाजरा/डब्ल्यू. सी. सी.–75		308.21
	गेहूँ/सोनालिका		85410.80
	एच. डी. 2285		18078.00
	यू. पू.–2003		490.00
	एच. यू. डब्ल्यू–234		5005.20
	यू.पी.–262		13561.20
	एच. डी. 2329		4334.00
	एच. डी. –2380		242.00
		कुल	127121.20
3	धान/जया		2102.70
	आई. आर.–36		1657.80
	सीता		4911.60
	सुरेखा		121.50
	पी. बी.–I		197.40
	मैहसुरी		568.80
	आदित्या		39.60
		कुल	9599.40
4.	उड़द पी. यू–19		1.92
5.	अरहर उपास–120		777.49
6.	मटर/रचना		3980.60

क्र. सं.	फसल/किस्म		मात्रा
7.	लेमतिल के–75		829.30
		कुल	5589.31
8.	डेंचा		3080
9.	ओटकेन्ट		518.70
10.	सरसों/बाहर		18.02
11.	तोरिया टी–9		790.98
12.	सोयाबीन/पी. के.472		167.70 976.70 (तिलहन)
13.	पत्तीदार सब्जियां		228.98
14.	फलीदार सब्जियां		635.60
15.	कोल क्रोप्स		7.88
16.	मूल सब्जियां		167.69
17.	कुकरबिट		28349.00
	कुल योग		1,48,186.69+28349 के. जी पी

1993–94 के दौरान पुणे (महाराष्ट्र राज्य) में प्रभावित बीजों की खरीद

(मात्रा क्विंटल में)

क्र. सं.	फसल	मात्रा
1.	धान	400
2.	सोरघम	32.12
3.	बाजरा	725.02
4.	दलहन	823.06

	फसल/किस्म	मात्रा
	तिलहन	1437.05
	चारा	194.96
	रेशे वाली फसलें	2181.94
8.	सब्जियां	1821.00
	योग	7515.15

1993–94 के दौरान पटना क्षेत्र (बिहार) में प्रमाणीकृत बीजों की खरीद

मात्रा (क्विंटल में)

क्रम सं.	फसल/सब्जियाँ		मात्रा खरीद में
1.	धान	मसूल	483.90
2.		राजश्री	572.40
3.		सीता	261.90
		योग	1318.20
	तिलहन		
4.	नारियल	जे. एल–24	4.78
	सब्जियां		
5.	भिण्डी	पी. यू.	6.77
6.	लोबिया	पी. यू.	2.38
		योग	9.15
	कुल योग		1332.13

1993–94 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा सिकंदराबाद क्षेत्र के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में खरीदे गये प्रमाणित बीज

(मात्रा कि. ग्रा. में)

क्र. सं.	फसल/किस्म	मात्रा (कि.ग्रा. में)
1.	बाजरा एम. एच.–179	186903.000
	डब्ल्यु. सी. सी.–75	15901.000
	आई. सी. एम. वी.–155	9000.000
	एच. एच. बी.–60	67617.000
	एच. एच. बी.–59	20754..000
		300175.000
2.	मक्का हाई स्टार्च	82243.000
	जी–5	295101.000
	जी. एस. एफ.–2	1100827.000
	डी–103	47243.000
		1525414.000
3.	धान आई. आर.–64	112710.000
	आई. ई. टी.–1444	1520730.000
	आई. आर.–36	1403100.000
	बी. पी. टी.–5204	69240.000
	एम. टी. यू.–7029	233430.000
	महसूरी	132240.000
	आई. ई. टी.–5656	4980.000
	पंकज	13650.000
	सुरेखा	13830.000
	आई. आर.–20	29400.000
		3533310.000
4.	सोरघम सी. एस. एच.–1	92686.000

सं.	फसल/किस्म		मात्रा (कि.ग्रा. में)
		सी. एच. एच.–5	175674.000
			268360.000
	दलहन	मूंग पी बी	238828.000
		उड़द	18000.000
			256828.00
	तिलहन–कास्टर एम. पी. एच–1		8076.000
		सन फ्लावर–माडर्न	53364.000
		ए. पी. एस. वी–11	21577.000
	मूंगफली	आई. सी. सी. एस.–44	5040.000
		आई. सी. सी. एस.–76	450.000
		आई. एन. वी.–2	151250.000
		जे. एल.–24	295830.000
			535587.000
	चारा/रेशा फसल		
	मक्का	ए. टी.	45112.000
	सोरघम सुडेक्स वारी		35785.000
			80897.000
	जूट	जे. आर. ओ.–524	261146.000
		जे. आर. ओ.–632	36676.000
		जे. आर. ओ. –878	19920.000
		जे. आर. ओ. –7035	1652.000
			319394.000
	फल व सब्जी		
	भिण्डी पी. एस.		11769.000
		पी. के.	26351.000

क्र. सं.	फसल/किस्म		मात्रा (कि. ग्रा. में)
	बैंगन पी. पी. एल.		161.000
		पी. पी. सी.	402.000
	मिर्ची पी. जे.		9426.000
		एक्स–235	5490.000
		पी. एस. बी.	659.000
		एल. सी. ए.–305	289.000
	टमाटर	पी. आर.	9210.000
		पी. ई. डी.	6505.500
		एस–222	92.200
			70355.200
	फलियां–सेम पी. ई. पी.		525.000
	लोबिया पी. के.		25289.000
			25814.000
	खीरा जाति–घीया पी. एस. पी. एल.		16455.000
		पी. एल.	6519.000
	करेला	सी. एल.	1545.000
	काली तोरी	पी. एल.	1102.000
	तरबूज	एस. बी.	1860.000
			123651.000
		कुल	6943616.000

शिशु देखभाल कार्यक्रम

3488. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्याः
श्री गोपी नाथ गजपतिः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आकस्मिक निधि की रिपोर्ट में शिशु देखभाल कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे कुछ राज्यों का निष्पादन बहुत ही निराशाजनक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिशु देखभाल कार्यक्रमों का प्रत्येक राज्य में कार्यान्वयन हो क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). कतिपय मानदंडों जैसे बाल मृत्युदर, पोषण, स्वास्थ्य इत्यादि के क्षेत्र में बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का निष्पादन कम संतोषजनक है।

(घ) इन तीनों राज्यों में वर्ष 1994-95 के दौरान समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत 40 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है तथा कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नई सामुदायिक निगरानी प्रणाली का विकास किया गया है।

[हिन्दी]

घटिया खाद्यान्न

3489. श्री नीतीश कुमारः
डा. महादीपक सिंह शाक्यः

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 नवम्बर, 1995 के दैनिक "बिजनेस स्टैन्डर्ड" में "स्टाक्स आफ पूअर क्वालिटी ग्राम इन एफ. सी. आई. गोडाउन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भरे गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता की आकस्मिक जांच करने के लिए सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां। खाद्य मंत्रालय ने दिनांक 9 नवम्बर, 1995 के दैनिक "बिजनेस स्टैन्डर्ड" में प्रकाशित समाचार को देखा है लेकिन यह समाचार तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि भारतीय खाद्य निगम के पास महाराष्ट्र में चने की दाल का कोई स्टाक नहीं है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम ने महाराष्ट्र में न तो कभी चने की दाल खरीदी है और न ही कभी वितरित की है। यह समाचार महाराष्ट्र राज्य सरकार से संबंधित दिखाई देता है जैसाकि दिनांक 13.12.1995 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित अन्य समाचार से विदित होता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). खाद्य मंत्रालय के नई दिल्ली, कलकत्ता और हैदराबाद में स्थित गुण-नियंत्रण कक्षों के अधिकारियों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के खाद्य भंडारण डिपुओं की अचानक जांच की जाती है। पहली अप्रैल, 1995 से 30 नवम्बर, 1995 तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मेघालय, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में 271 खाद्य भण्डारण डिपुओं का निरीक्षण किया गया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

3490. श्री प्रवीन डेकाः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम में कृषि क्षेत्र के विकास हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वित की गई केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार और योजना-वार कितनी राशि आबंटित की गई; और

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत अभी तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) से (ग). वर्ष 1992-93 से 1993-94 के दौरान असम में चलाई गई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और उन योजनाओं पर हुए खर्च और उनके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

असम में केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें

क्र. सं.	योजना का नाम	जारी की गयी धनराशि (लाख रु. में)			वास्तविक उपलब्धियां
		1992–93	1993–94	1994–95	
1	2	3	4	5	6
1.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना	350.00	460.00	535.00	104913 हे. (लक्ष्य)
2.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	149.00	155.74	231.85	4.59 लाख टन (1992–93 से 1994–95 के दौरान)
3.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	14.51	8.00	शून्य	1.08 लाख टन (1992–93 और 1993–94 के दौरान)
4.	ताजा जल कृषि विकास	12.00	82.00	23.00	1893 हेक्टेयर 6818 कृषक प्रशिक्षण (1992–93 से 1994–95 के दौरान)
	मछुआरा कल्याण				
5.	माडल मछुआरा गांव	6.07	शून्य	19.95	114 घरों के लिए स्वीकृति दी गई (1994–95 के दौरान)
6.	नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	60.00	शून्य	50.00	1960 हे. (1992–93 और 1994–95 के दौरान)
7.	झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना	शून्य	शून्य	200.00	राज्य सरकार से प्रगति रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
8.	योजनाओं के बारे में सही समय पर रिपोर्टिंग	10.50	9.89	14.33	कोई लक्ष्य नहीं
9.	फसल सांख्यिकी में सुधार	2.20	2.93	1.85	कोई लक्ष्य नहीं
10.	पशु संगठनों में राज्यों की सहायता	1.94	4.00	शून्य	कोई लक्ष्य नहीं
11.	मसाला विकास	8.45	19.53	7.00	(क) काली मिर्च (1993–94)
					i) खेतों में प्रदर्शन–100
					ii) पौधरोपण सामग्रियों का

क्र. सं.	योजना का नाम	जारी की गयी धनराशि (लाख रु. में)			वास्तविक उपलब्धियां
		1992–93	1993–94	1994–95	
1	2	3	4	5	6
					उत्पादन और वितरण–2.00 लाख iii) अन्तर्वर्ती फसलों को बढ़ावा देना–1.00 लाख रु. iv) प्रोजेनी बगानों की स्थापना–1.00 (ख) अदरक: (1993–94) i) क्षेत्र विस्तार–80 हे. ii) मिनीकिटों का वितरण–500 iii) प्रदर्शन–सह–बीज बहुलीकरण प्लांट्स–250 iv) पादप संरक्षण प्रदर्शन–100 (ग) छोटे बीज वाले मसालों के मिनीटों का वितरण–500 (घ) वृक्षमूल के मसाले (1993–94) i) प्रदर्शन प्लाट्स–50 ii) बेहतर गुणवत्ता वाले पौध रोपण सामग्रियों का उत्पादन और वितरण– 10,000 (ङ) हल्दी (1993–94) i) क्षेत्र विस्तार–50 हे. ii) प्रदर्शन–सह–बीज बहुलीकरण प्लाट्स–50 (च) सामान्य (1993–94) पादप संरक्षण उपकरणों का वितरण –50
12.	कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग	5.00	16.76	19.90	ड्रिप प्रदर्शन–12 हे. (1993–94)
13.	समेकित चावल विकास कार्यक्रम	87.69	40.00	शून्य	i) क्षेत्रीय प्रदर्शन–130 हे. (1993–94) ii) आई. पी. एम. प्रदर्शन –3 (1992–93) iii) किसानों को प्रशिक्षण – 2100 (1993–94) iv) फार्म उपस्कर–19618 (1992–93 और 1993–94 के दौरान) v) प्रमाणित बीजों का वितरण–6000 क्विं. (1993–94) vi) पावर टिलरों का वितरण–966 सं.

क्र. सं.	योजना का नाम	जारी की गयी धनराशि (लाख रु. में)			वास्तविक उपलब्धियां
		1992–93	1993–94	1994–95	
1	2	3	4	5	6
					(1992–93 और 1993–94 के दौरान)
14.	विशेष जूट विकास	84.76	24.80	45.86	i) बीज भण्डारण/वितरण–1200 क्विं. (1993–94 और 1994–95 के दौरान) ii) उपकरणों का वितरण–200 (1994–95) iii) प्रदर्शन–3270 हे. (1993–94) iv) मिनीकिट–6500 (1993–94) v) प्रशिक्षण–80 (1993–94) vi) रेटिंग टैक–125 (1993–94) vii) पी. पी. केमिकल्स/फेलियर स्प्रे आफ यूरिया–12000 हे. (1993–94 और 1994–95 के दौरान)
15.	उर्वरकों का संतुलित और समेकित प्रयोग	5.00	3.00	57.20	i) एक मृदा परीक्षण प्रयोशाला का सुदृढ़ीकरण
16.	कम खपत और वर्षा सिंचित वाले क्षेत्रों में उर्वरकों के विकास की राष्ट्रीय परियोजना	–	–	3.83	लक्ष्य i) उर्वरकों के 50,000 छोटे थैलों की आपूर्ति ii) समेकित पोषक तत्व आपूर्ति प्रणाली का प्रदर्शन iii) कम्पोस्ट खाद तैयार करने की क्रिया में सुधार लाने का प्रदर्शन
17.	खराब कुओं के लिए प्रतिपूर्ति कोष की योजना	2.00	–	–	

सुपर बाजार

3491. श्री फूल चन्द वर्मा: क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर बाजार के लिए 1994–95 हेतु आबंटित गैर–योजनागत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कम है;

(ख) क्या इससे सुपर बाजार के कार्य–विस्तार और आधुनिकीकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाए जाने का विचार है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) जी, नहीं। सुपर बाजार को गैर–योजना सहायता देने का कभी भी कोई प्रावधान नहीं रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

फलों तथा सब्जियों की दुलाई

3492. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में फलों तथा सब्जियों का वार्षिक उत्पादन बढ़ कर 80,000 मीटरी टन हो गया है;

(ख) क्या कृषकों तथा उत्पादकों को इन उत्पादों को विपणन केन्द्रों तक पहुंचाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या के निदान हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) वर्ष 1992-93 के आंकड़ों के अनुसार देश में फलों और सब्जियों का कुल उत्पादन 1039.5 लाख मीटरी टन तक पहुंच गया है।

(ख) अधिकतम उत्पादन के मौसम को छोड़कर उत्पादों को मंडी तक पहुंचाने में कोई खास समस्या नहीं है।

(ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसके अन्तर्गत फसल कटाई के बाद का बुनियादी ढांचा सृजित करने के लिये जिसमें उत्पादों को उपभोक्ता हेतु सुलभ कराने के लिये उसकी दुलाई शामिल है, उदार सहायता दी जा रही है।

[अनुवाद]

गन्ने का उत्पादन

3493. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:
डा. परशुराम गंगवार:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राज्यवार प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन कितना है;

(ख) क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान गन्ने के उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की और प्रत्येक राज्य में कितना अनुमानित उत्पादन प्राप्त होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां): (क) 1994-95 में प्रमुख राज्यों में गन्ने की पैदावार के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग). वर्तमान वर्ष अर्थात् 1995-96 के दौरान गन्ने का उत्पादन 1994-95 के उत्पादन के रिकार्ड स्तर के बराबर होने की संभावना है।

विवरण

1994-95 के दौरान गन्ने की पैदावार

राज्य	पैदावार (मीटरी टन प्रति हेक्टेयर में)
आन्ध्र प्रदेश	76.51
असम	42.28
बिहार	46.00
गुजरात	69.72
हरियाणा	58.42
कर्नाटक	96.21

1994–95 के दौरान गन्ने की पैदावार

राज्य	पैदावार (मीटरी टन प्रति हेक्टेयर में)
केरल	84.68
मध्य प्रदेश	36.05
महाराष्ट्र	85.53
उड़ीसा	59.04
पंजाब	62.17
राजस्थान	45.06
तमिलनाडु	113.92
उत्तर प्रदेश	60.01
पश्चिम बंगाल	61.22
अखिल भारत	71.10

वन भूमि को अन्य प्रयोजनों हेतु देना

3494. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स: क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने हुंसुर तालुक, जिला मैसूर में कचाविनाहल्ली में टैंक बेड में लगभग 150 एकड़ वन भूमि को अन्य प्रयोजनों हेतु देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वन भूमि किस प्रयोजन हेतु मांगी गई है;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त वन भूमि कर्नाटक सरकार को दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह मामला कब से लंबित है और इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) कर्नाटक राज्य सरकार से मैसूर जिले के हुनसुर तालुक में कचाविनाहल्ली में टैंक बेड पर लगभग 150 एकड़ वन भूमि उपयोग में लाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिन्दी माध्यम में विधि पाठ्यक्रम

3495. श्री सत्यदेव सिंह:
श्री रामपाल सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम को हिन्दी माध्यम से पढ़ाये जाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सुझाव देने के लिए किसी समिति का गठन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस समिति द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (घ). दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विद्यार्थियों के एक वर्ग द्वारा विधि परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम से लिखने की मांग की गई थी। इस मांग को पूरा किए जाने के पश्चात् विद्यार्थियों ने हिन्दी में प्रश्न पत्र प्रदान करने की दूसरी मांग रखी। इस विशेष मांग की जांच के लिए नियुक्त की गई संकाय स्तरीय समिति ने अन्य बातों के साथ–साथ यह सिफारिश की थी कि विद्यार्थियों को एल. एल. बी. परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की अंग्रेजी प्रति के साथ हिन्दी प्रति भी प्रदान की जाए।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

3496. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा**:
श्री कोडीकुन्नील सुरेश:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हजारों अभ्यर्थी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए कठिनाई का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश की सुविधा के लिए देश में ऐसे और संस्थान खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संस्थानों को कहां–कहां और कब तक खोले जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) 6 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं जो खड़कपुर, बम्बई, मद्रास, कानपुर, दिल्ली और गुवाहाटी में स्थित हैं। प्रत्येक वर्ष संयुक्त प्रवेश–परीक्षा में बैठने वाले लगभग 75000 उम्मीदवारों में से, लगभग 2300 छात्रों को विद्यमान दाखिला क्षमता के अनुसार दाखिला दिया जाता है।

(ख) और (ग). फिलहाल, नया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

3497. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी**: क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं विशेषकर दालों, प्याज, आलू, चीनी, चाय, गेहूं एवं चावल के मूल्यों में असामान्य वृद्धि हुई है तथा इन वस्तुओं के मूल्य गत वर्षों की तुलना में भी बहुत ऊंचे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 नवम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार एवं 1993 और 1994 में इन वस्तुओं का खुदरा मूल्य दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने एवं उचित और वहन योग्य स्तर पर मूल्यों को स्थिर रखने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद खन्ना): (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है, जिसमें 1.11.95, 1.11.94 तथा 3.11.93 को आवश्यक वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं।

(ग) मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में, किसानों तथा विनिर्माताओं को अपनी उपज में वृद्धि करने के लिए दिए गए प्रोत्साहन, मांग और आपूर्ति में अन्तर को पूरा करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, खाद्य तेलों, दालों, चीनी, कपास का आयात करना, जमाखोरों तथा चोरबाजारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत सख्त कार्रवाई करना, शामिल हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के अलावा सहकारी भंडारों तथा राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों के जरिए भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दामों पर की जा रही है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने–अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर कड़ी नजर रखें।

विवरण

चुने केन्द्रों पर चुनींदा आवश्यक वस्तुओं के विभिन्न अवधियों की तुलना में 1.12.95 को खुदरा मूल्य

(मूल्य रु. प्रति कि. ग्राम)

वस्तुएं/केन्द्र	1.11.95 के मूल्य	(एक वर्ष पूर्व) 1.11.94	(दो वर्ष पूर्व) 3.11.93
1	2	3	4
दालें			
चना			
दिल्ली	14.00	20.00	18.00
बम्बई	15.00	22.00	20.00
कलकत्ता	16.00	20.00	18.00

वस्तुएं/केन्द्र	1.11.95 के मूल्य	(मूल्य रु प्रति कि. ग्राम) (एक वर्ष पूर्व) 1.11.94	(दो वर्ष पूर्व) 3.11.93
1	2	3	4
मद्रास	13.00	20.00	17.00
अरहर			
दिल्ली	30.00	18.00	17.00
बम्बई	29.00	20.00	19.00
कलकत्ता	28.00	19.00	17.50
मद्रास	28.00	22.00	17.50
प्याज			
दिल्ली	10.00	7.00	10.00
बम्बई	10.00	7.00	7.00
कलकत्ता	11.00	7.00	10.00
मद्रास	8.25	4.50	6.50
आलू			
दिल्ली	11.00	8.00	6.00
बम्बई	9.00	6.00	5.00
कलकत्ता	5.00	4.00	3.80
मद्रास	6.00	5.50	4.00
चीनी			
दिल्ली	14.50	15.00	12.70
बम्बई	13.80	13.40	12.20

वस्तुएं/केन्द्र	1.11.95 के मूल्य	(मूल्य रु प्रति कि. ग्राम) (एक वर्ष पूर्व) 1.11.94	(2 वर्ष पूर्व) 3.11.93
1	2	3	4
कलकत्ता	14.50	13.80	12.60
मद्रास	12.00	11.70	11.60
चावल			
दिल्ली	80.00	75.00	72.00
बम्बई	76.00	76.00	74.00
कलकत्ता	75.00	60.00	60.00
मद्रास	105.00	105.00	97.00
गेहूं			
दिल्ली	5.50	5.50	5.00
बम्बई	8.00	8.00	7.00
कलकत्ता	5.50	4.55	3.75
मद्रास	8.00	7.00	7.00

स्रोतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग।

चीनी की क्षमता का उपयोग

3498. श्री एस. एम. लालजान बाशा: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी के उत्पादन की क्षमता के पूरे लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षमता के उपयोग का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) लक्ष्य को कम रखने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या चीनी के उत्पादक क्षमता में वृद्धि के विरुद्ध हैं; और

(ङ) निकट भविष्य में चीनी उत्पादन की क्षमता के लक्ष्यों में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख). आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए चीनी उद्योग के लिए विकास कार्यक्रम बनाने हेतु गठित समिति ने इवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 1996–97 में चीनी उत्पादन के रूप में 155.66 लाख टन की संस्थापित क्षमता का लक्ष्य रखा है, जबकि चीनी उद्योग की संस्थापित क्षमता 30–9–1995 तक 122.1970 लाख टन की थी।

1994–95 मौसम (अक्तूबर–सितम्बर) के लिए चीनी उद्योग की राज्यवार क्षमता उपयोगिता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) उक्त समिति द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा चीनी की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इसे रखा गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ). उद्योग मंत्रालय द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992–93 से 1996–97) (30.9.95 तक) के दौरान नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए 76 आशय पत्र तथा वर्तमान चीनी मिलों में विस्तार के लए 35 आशय पत्र, जिसमें 34.8536 लाख टन की वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता शामिल है (नई 26.0366 लाख टन तथा विस्तार 8.8170 लाख टन), जारी किए गए हैं। ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं तथा समय पर पूरे कर लिये जाऐंगे।

विवरण

1994–95 चीनी मौसम (अक्तूबर से सितम्बर) के दौरान चीनी उद्योग की क्षमता उपयोगिता को राज्यवार दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	चीनी की संस्थापित क्षमता (लाख टन)	1994–95 मौसम के दौरान चीनी उत्पादन लाख टन में (अनंतिम)	क्षमता उपयोगिता %
1	2	3	4	5
1.	पंजाब	6.249	3.14	50.25
2.	हरियाणा	3.562	3.42	96.01
3.	राजस्थान	0.232	0.18	77.58
4.	उत्तर प्रदेश	32.058	35.83	111.76
5.	मध्य प्रदेश	0.987	0.69	69.91
6.	गुजरात	8.111	7.68	94.68
7.	महाराष्ट्र	38.341	50.08	130.62
8.	बिहार	4.122	3.75	90..97
9.	असम	0.184	0.06	32.61
10.	उड़ीसा	1.018	0.44	43.22
11.	पश्चिम बंगाल	0.067	0.06	89.55
12.	नागालैंड	0.064	0.01	15.625
13.	आन्ध्र प्रदेश	6.846	8.77	138.197
14.	कर्नाटक	8.366	12.24	146.306
15.	तमिलनाडु	11.844	18.61	157.13

1994–95 चीनी मौसम (अक्तूबर से सितम्बर) के दौरान चीनी उद्योग की क्षमता उपयोगिता को राज्यवार दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	चीनी की संस्थापित क्षमता (लाख टन)	1994–95 मौसम के दौरान चीनी उत्पादन लाख टन में (अनंतिम)	क्षमता उपयोगिता %
1	2	3	4	5
16.	पांडिचेरी	0.383	0.62	161.88
17.	केरल	0.170	0.12	70.59
18.	गोवा	0.093	0.15	161.29
		122.19	145.85	

विजिजम मत्स्य ग्रहण पत्तन

3499. श्री वी. एस. विजयराघवनः
श्री ए. चार्ल्सः

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल की सरकार ने केरल में विजिंजम मत्स्य–ग्रहण पत्तन के संबंध में कोई संशोधित आकलन भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या इस परियोजना के लिए अब तक कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां): (क) से (ग). जी, हां। भारत सरकार को हाल ही में नवम्बर, 1995 में विजिंजम मात्स्यिकी बन्दरगाह चरण II और III के लिए 1583.00 लाख रुपये की अनुमानित धनराशि की संशोधित लागत प्राप्त हुई है। 1988 में स्वीकृत चरण–I का मूल लागत अनुमान 173.00 लाख रु. था तथा चरण II और III के अनुमान जो फरवरी, 1987 में स्वीकृत हुए, 704 लाख रुपये के थे।

(घ) और (ङ). जी, हां। भारत सरकार ने 704 लाख रुपये के स्वीकृत लागत अनुमान में 352.00 लाख रुपये की अपने हिस्से की 50 प्रतिशत धनराशि निर्मुक्त कर दी है।

[हिन्दी]

चीनी विकास निधि के अंतर्गत इकट्ठा की गई धनराशि

3500. श्री नवल किशोर रायः
श्री के. टी. वान्डायारः

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी विकास निधि के अंतर्गत पेराई मौसम 1994–95 के दौरान आज तक राज्यवार कितनी राशि इकट्ठा की गई;

(ख) गन्ना उत्पादकों को उक्त अवधि के दौरान कितनी राशि आबंटित की गई;

(ग) वह राशि किस ब्याज दर पर उधार दी गई; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कोष से प्रत्येक वर्ष राज्य–वार दिए गए ऋण की किश्तों के रूप में उक्त अवधि के दौरान कितनी राशि की वसूली की गई?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) चीनी उपकर के संग्रह खाते वित्तीय वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं न कि पेराई मौसम के आधार पर। वित्तीय वर्ष 1994–95 के दौरान 143.64 करोड़ रुपए की कुल राशि उपर्युक्त उल्लिखित उपकर के रूप में विभिन्न चीनी फैक्ट्रियों से एकत्र की गई थी। वित्तीय वर्ष 1994–95 के दौरान एकत्रित उपकर के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ). ऐसे क्षेत्रों, जिनमें चीनी फैक्ट्रियां स्थित हैं, में गन्ने के विकास के लिए योजनाओं को चलाने के लिए चीनी विकास निधि अधिनियम में चीनी फैक्ट्रियों को ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है न कि सीधे गन्ना उत्पादकों को। इस कारण पेराई मौसम 1994–95 के दौरान चीनी विकास निधि से गन्ना उत्पादकों को किसी राशि के आबंटन का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1994–95 के दौरान चीनी उपकर के संग्रह को दर्शाने वाला विवरण

क्र. स.	राज्य	(राशि रुपये में)
1.	महाराष्ट्र	42,69,15,017
2.	कर्नाटक	11,63,57,433
3.	गुजरात	12,89,21,639
4.	उत्तर प्रदेश	39,43,09,054
5.	तमिलनाडु	15,30,61,537
6.	आन्ध्र प्रदेश	9,71,01,341
7.	गोआ	16,98,052
8.	नई दिल्ली	4,54,92,735
9.	मध्य प्रदेश	53,73,200
10.	राजस्थान	15,00,600
11.	बिहार	2,46,20,325
12.	मेघालय	4,05,288
13.	उड़ीसा	26,03,400
14.	पश्चिम बंगाल	5,44,400
15.	चण्डीगढ़	3,69,61,550
16.	केरल	5,70,800
		1,43,64,36,371

[अनुवाद]

खाद्य मंत्रालय

3501. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य मंत्रालय तथा उसके संबंद्ध कार्यालयों के "ए" तथा "बी" श्रेणियों के अधिकारियों के विरुद्ध 1994–95 तथा 1995 के दौरान आज तक कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं;

(ख) दर्ज किए गए मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) उनमें से कितने मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भेजे गए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या कुछ अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया में विलम्ब करके मामलों को रफादफा कराने का प्रयास किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग). खाद्य मंत्रालय और इसके सम्बद्ध कार्यालयों के कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त हुई श्रेणीवार शिकायतों की संख्या और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजे गए मामलों की संख्या तथा उन पर वर्ष 1994–95 के दौरान और 1995 में आज की तारीख तक की गई कार्रवाई को बताने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

खाद्य मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों के कर्मचारियों के विरुद्ध 1994–95 और 1995 के दौरान आज की तारीख तक प्राप्त हुई शिकायतों की श्रेणी–वार संख्या बताने वाला विवरण

खाद्य मंत्रालय और इसके सम्बद्ध कार्यालय

वर्ष	प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या (श्रेणीवार)		पंजीकृत मामलों की संख्या (श्रेणीवार)		केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजे गए मामलों की संख्या
	क	ख	क	ख	
1994*	3	5	1	4	–
1995**	3	3	2	2	–

(15.12.95 की स्थिति के अनुसार)

*पंचांग वर्ष 1994 के दौरान प्राप्त हुई कुल आठ शिकायतों में से तीन मामले फाइल कर दिए गए और पांच मामले पंजीकृत किए गए।

**1995 के दौरान आज की तारीख तक कुल छः शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से चार मामले पंजीकृत किए गए और दो शिकायतें फाइल कर दी गईं।

कृषि अनुसंधान केन्द्र

3502. कुमारी प्रिया तोषनीवाल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में इस समय कौन–कौन से कृषि अनुसंधान केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार के पास राज्य में विशेषतौर पर सुन्दरगढ़ जिले में कोई नया कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन केन्द्रों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबूब खां): (क): इस समय उड़ीसा में कार्य कर रहे कृषि अनुसंधान केन्द्रों के नामों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) लागू नहीं।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

विवरण

उड़ीसा में कार्य कर रहे कृषि अनुसंधान केन्द्रों के नाम

संस्थान

1. केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक
2. केन्द्रीय मीठा जल मछली पालन संस्थान, भुवनेश्वर

राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

1. राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र – कृषि में महिलाएं, भुवनेश्वर

क्षेत्रीय केन्द्र

1. केतकी (सिसल) अनुसंधान केन्द्र, जे. ए. आर. आई. बाम्बरा, सम्बलपुर
2. सी. टी. सी. आर. आई., क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर
3. मीठा जल मछली पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सी. आई. सी. एफ. आर. आई.) कौशल्यागंज
4. सी. आई. सी. एफ. आर. आई., अनुसंधान केन्द्र, पुरी
5. सी. आई. एफ. टी. अनुसंधान केन्द्र, बुरला

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना

(क) उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर

1. चावल, सम्बलपुर
2. चावल, जेयपोर
3. गेहूं, भुवनेश्वर (चिपलीमा)
4. छोटे–मोटे अनाज, सेमिलिगुडा
5. राष्ट्रीय बीज प्रायोजना, भुवनेश्वर (बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान एकक)
6. राष्ट्रीय बीज प्रायोजना, भुवनेश्वर (प्रजनक बीज उत्पादन)
7. तिलहन (तिल और वृक्ष वाली फसलें/छोटे तिलहन), भुवनेश्वर
8. तिलहन (मुंगफली), चिपलीमा
9. तिलहन (राम तिल), सेमिलिगुडा
10. जूट और संबद्ध रेशा, केन्द्रपाड़ा
11. चारा फसलें ओट, भुवनेश्वर
12. सोयाबीन, सेमिलीगुडा
13. आलू, भुवनेश्वर
14. सब्जियां, भुवनेश्वर
15. बहुराज्यीय काजू, भुवनेश्वर
16. बहुराज्यीय काजू, पटना
17. काजू, भुवनेश्वर
18. मसाले, पोट्टंगी
19. ताड़, कोणार्क
20. बीजों से पैदा होने वाली बीमारी, भुवनेश्वर
21. गोलकृमि कीट, भुवनेश्वर
22. पान रोग, भुवनेश्वर
23. बारानी कृषि, भुवनेश्वर
24. जल प्रबंध, चिपलीमा
25. दीर्घ अवधि के उर्वरक परीक्षण, भुवनेश्वर
26. सस्य विज्ञान अनुसंधान, भुवनेश्वर
27. सस्य विज्ञान अनुसंधान, चिपलीमा
28. सस्य विज्ञान अनुसंधान (ई. सी. एफ.), कालाहाण्डी
29. सस्य विज्ञान अनुसंधान (ई. सी. एफ.), कटक
30. सस्य विज्ञान अनुसंधान (ई. सी. एफ.), संबलपुर
31. सस्य विज्ञान अनुसंधान (ई. सी. एफ.) धेंकनाल
32. कृषि वानिकी, सेमिलीगुडा
33. कम प्रयुक्त पौधे, भुवनेश्वर
34. मधुमक्खी, भुवनेश्वर
35. गन्ना, चिपलीमा

36. तिलहनों (मूंगफली) के प्रजनक बीजों का उत्पादन, चिपलीमा

37. तिलहनों (तिल) के प्रजनक बीजों का उत्पादन, भुवनेश्वर

38. दालें, बेहरामपुर

39. खुरपका और मुंह पका रोग के महामारी विज्ञान का अध्ययन, भुवनेश्वर

(ख) भा. कृ. अनु. परिषद के संस्थान

केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक

1. राष्ट्रीय बीज प्रायोजना, कटक

2. जैव नियंत्रण, कटक

3. जल प्रबंध, कटक

4. जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कटक

5. कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकताएं, कटक

6. कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए नवीकरण ऊर्जा स्रोत, कटक (बायोगैस, सोलर, वायु)

7. कटाई और कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी, कटक

8. सस्य अनुसंधान, कटक (क्षेत्रीय समन्वयन इकाई)

9. खर-पतवार नियंत्रण (समन्वयन इकाई)

10. सी. टी. सी. आर. आई. क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर

11. कंद वर्गीय फसलें, भुवनेश्वर (समन्वयन समिति)

उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रयोजनाएं (नार्प)

1. उत्तर-पूर्वी पठार क्षेत्र

2. केओनझार

3. रानीताल

4. भुवनेश्वर

5. जी. उदयगिरी

6. सेमिलागुडी

7. जेयपोर

8. भवानीपटना

9. चिपलीमा

10. महिसपट

गेहूं की खरीद

3503. श्री राम कापसे: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा संस्तुत "स्टैण्डर्ड" आधार पर गेहूं की खरीद के प्रश्न पर विचार करने के लिए नवम्बर, 1995 के उत्तरार्द्ध में मंत्रियों के एक समूह ने बैठक की थी;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग). गेहूं की वसूली अलग-अलग समय में करने संबंधी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

भारतीय खाद्य निगम परिसर, गुड़गांव

3504. श्री अर्जुन सिंह यादव: क्या खाद्य मंत्री भारतीय खाद्य निगम, गुड़गांव में प्रशिक्षण परिसर के बारे में 23 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4064 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्त प्रशिक्षण परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली स्थित प्रशिक्षण केन्द्र को वहां स्थानांतरित कर दिया गया है अथवा इसे कब तक स्थानान्तरित कर दिया जाएगा; और

(ग) चौदह वर्ष के पट्टे की समाप्ति के पश्चात् भी ईस्ट आफ कैलाश परिसर को खाली न करने और सम्पत्ति स्वामियों को आर्थिक हानि पहुंचाने के लिए कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) गुड़गांव में प्रशिक्षण काम्प्लेक्स का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर ही ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली में स्थित प्रशिक्षण केन्द्र का स्थान बदला जाएगा।

(ग) इसके लिए कोई व्यक्ति विशेष उत्तरदायी नहीं है।

कपास बाजार

3505. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कपास निगम का विचार देश विशेषरूप से कर्नाटक में कपास बाजार खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बाजार को कब तक खोल दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबूब खां): (क) से (ग). वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय कपास निगम को कर्नाटक सहित देश में कपास मंडियों की स्थापना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उपभोक्ता आंदोलन

3506. श्री सवत कुमार मंडल:
श्री गोपी नाथ गजपति:

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से देश में उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता मामलों का एक अलग विभाग बनाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो एक अलग विभाग बनाए जाने के इस प्रस्ताव पर विभिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा मामलों को तेजी से निपटाने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है तथा गैर-सरकारी संगठनों को उपभोक्ता कल्याण कोष से कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में "उपभोक्ता संरक्षण" का विषय खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा देखा जा रहा है। एक अलग उपभोक्ता मामले विभाग बनाने के सुझाव पर विचार करने का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है।

(ग) राष्ट्रीय आयोग अनिर्णीत मामलों की आवधिक समीक्षा के जरिए मामलों के निपटान की स्थिति का अनुवीक्षण करता है। केंद्रीय सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत गठित उपभोक्ता न्यायालयों के आधार ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बार की वित्तीय सहायता देने की स्कीम भी अनुमोदित की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि की निर्मुक्ति मामलों के निपटान के साथ जोड़ दी गई है।

उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता के अनुवीक्षण के लिए मंत्रालय में एक अलग एकक बनाया गया है।

विकास परियोजनाएं

3507. श्री सैयद शहाबुद्दीन: क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान और आज की स्थिति तक राज्यवार यानिकी और पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कौन-कौन सी विकास परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं;

(ख) राज्यवार उनमें से कौन-कौन सी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ग) किन-किन परयोजनाओं को अस्वीकृत किया गया है और इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

कीटनाशकों संबंधी विशेषज्ञ समिति

3508. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा किन कीटनाशकों के प्रभाव और अन्य संबंधित पहलुओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है;

(ख) क्या सरकार प्रत्येक कीटनाशक के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु नियमित रूप से विशेषज्ञ समिति का गठन करती है; और

(ग) यदि नहीं, तो किसी कीटनाशक की उपयोगिता और खतरों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने संबंधी मानदण्ड क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) सरकार ने 15 कीटनाशियों पर, जिनपर अन्य देशों में पूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिबन्ध लगा हुआ है। प्रतिबन्ध लगाने या न लगाने पर विचार करने के लिए अगस्त, 1995 में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऐसे कीटनाशियों के जिनके प्रयोग पर कुछ अन्य देशों में पूर्णतया या आंशिक रूप से प्रतिबन्ध लगा हुआ है, प्रयोग को जारी रखने या न रखने पर विचार करने के लिए 1984 और 1989 में विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया था।

विवरण

ऐसे कीटनाशियों की सूची जिन पर प्रतिबन्ध लगाने या न लगाने पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति विचार कर रही है।

1. एलाक्लोर
2. बेनोमाइल
3. डयूरोन
4. फेनारिमोल
5. मध्योमाइल
6. आवसी फ्लूरोपोन
7. फास्फामिडान
8. थायोमिटान
9. ट्रायजोफास
10. ट्राइडो मार्फ
11. मोनो क्रोटोफास
12. जिराम
13. जिनाब
14. निकोटीन सलफेट
15. फेनाइल मर्करी एसीटेट

खाद्यान्नों का उत्पादन

3509. श्री बोल्ला बुल्ली रामचन्द्रा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में खरीफ मौसम के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट आती है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन में कुल कितनी गिरावट आई;

(ग) उन अन्य राज्यों के नाम क्या है जहां खाद्यान्नों के उत्पादन में खासी गिरावट आई है;

(घ) खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा वे राज्य हैं जहां खरीफ, 1995 के दौरान खाद्यान्नो की पैदावार खरीफ 1994 की अपेक्षा कुछ कम होने की आशा है।

(घ) पंजाब और हरियाणा जहां बाढ़ के कारण पैदावार कम हुई, को छोड़कर, इन सभी राज्यों में मानसून मौसम के दौरान मुख्यतः देरी से तथा कम वर्षा होने के कारण वर्तमान वर्ष में खाद्यान्नों की पैदावार में कमी आई।

(ङ) खाद्यान्नों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:-

(1) चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों के लिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई. सी. डी. पी.- चावल)

(2) गेहूं आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों के लिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई. सी. डी. पी.- गेहूं)

(3) मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई. सी. डी. पी.- मोटे अनाज)

(4) राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम (एन. पी. डी. पी.)

[हिन्दी]

कृषि व्यापार

3510. श्री नीतीश कुमार:
श्री बृजिश पटेल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय विश्व कृषि व्यापार में भारतीय कृषि क्षेत्र का हिस्सा मात्र 0.5 प्रतिशत है;

(ख) यदि नहीं, तो तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त हिस्से में वृद्धि करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गत कुछ वर्षों के लिए देश में हमारी घरेलू आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों की मात्रा उपलब्ध थी; और

(च) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय कृषि क्षेत्र की न्यूनतम हिस्सेदारी के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां): (क) और (ख). विगत कुछ वर्षों में विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा लगभग 0.9% रहने का अनुमान है।

(ग) और (घ). उक्त हिस्से में बढ़ोत्तरी करने के लिये कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये हैं। हालांकि हमारे कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

(ङ) और (च). विगत कुछ वर्षों से हो रहा खाद्यान्न उत्पादन हमारी घरेलू मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के कृषि क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 1991 के 0.85 % से बढ़कर 1993 में 0.98 % तक पहुंच गया था।

"स्रोतः एफ. ए. ओ. ईयर बुक (व्यापार) वाल्यूम 47–1993"

[अनुवाद]

नूनामती तेलशोधक कारखाना

3511. श्री प्रबीन डेकाः क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुवाहाटी में सल्फर डाई–आक्साइड नाइट्रोजन के आक्साइड एवं कार्बन डाई आक्साइड गैसों का कितना जमाव है;

(ख) गुवाहाटी में वायु प्रदूषण का सुरक्षित स्तर निर्धारित करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(ग) इन क्षयकारी गैसों में नूनामती तेलशोधक कारखाने का कितना अंशदान है; और

(घ) नूनामती तेलशोधक कारखाना द्वारा उत्सर्जित क्षयकारी गैस की मात्रा को कम करने के लिए कौन सी प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी अपनाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गुवाहाटी में की गई परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी से निलम्बित धूलकणों, सल्फर डाईआक्साइड और नाइट्रोजन के आक्साइडों के संबंध में 1994 के दौरान वायु प्रदूषण के निम्नलिखित स्तरों का पता चला;

दैनिक औसत के आधार पर विभिन्न केन्द्रों पर वायु प्रदूषण की रेंज (वार्षिक औसत संकेन्द्रण माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में)

निलम्बित धूलकण	सल्फर डाईआक्साइड	नाइट्रोजन के आक्साइड
31–139	0.4–9.4	7.9–39.4

कार्बनडाइआक्साइड के सम्बन्ध में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी नहीं की गई क्योंकि यह प्रदूषण के लिए एक मापदण्ड नहीं है।

(ख) परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी मानक दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है और आंकड़ों की तुलना औद्योगिक एवं मिश्रित, आवासीय–ग्रामीण और संवेदनशील क्षेत्रों जैसे विभिन्न श्रेणी के क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानकों से की जाती है। परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए मानक निम्नानुसार हैः

माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में संकेन्द्रण

श्रेणी	निलम्बित धूल कण	सल्फरडाई आक्साइड	कार्बनमोनो आक्साइड	नाइट्रोजन के आक्साइड
औद्योगिक एवं मिश्रित उपयोग	500	120	3000	120
आवासीय एवं ग्रामीण उपयोग	200	80	2000	80
संवेदनशील उपयोग	100	30	1000	30

(ग) 1995–96 के दौरान नूनामती तेलशोधक कारखाने के वायु गुणवत्ता निगरानी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कारखाने के परिसर के भीतर निलम्बित धूलकणों, सल्फर डाइआक्साइड और नाइट्रोजन के आक्साइडों के सम्बन्ध में परिवेशी वायु गुणवत्ता के स्तर (माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) क्रमशः 58, 14 और 14.7 हैं। ये स्तर औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निर्धारित परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अन्दर हैं।

(घ) संक्षारक गैसों सहित गैसीय उत्सर्जनों को कम करने के लिए नूनामती तेलशोधक कारखाने में प्रदूषण नियंत्रण उपाय किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

–गैस सहित कम सल्फर वाले ईंधन तेल जैसे स्वच्छ ईंधनों का प्रयोग;

–विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों का कार्यान्वयन करके समग्र शोधन क्षमता में सुधार;

–अद्यतन प्रौद्योगिकी और अन्तः आशोधनों को अपनाकर शोधन सुविधाओं का उन्नयन।

खाद्यान्नों का उत्पादन

3512. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्रीः क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों और दलहनों का उत्पादन बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों की तुलना में इन राज्यों में प्रमुख खाद्यान्नों और दलहनों का उत्पादन कितना कम है; और

(ग) इन राज्यों में खाद्यान्नों और दलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दलहनों की प्रति हेक्टेयर उपज पूरे भारत की औसत उपज से अधिक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुल खाद्यान्नों की औसत पैदावार भी सम्पूर्ण भारत की औसत पैदावार से अधिक है। लेकिन मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों की औसत उपज सम्पूर्ण भारत की औसत उपज से कम है।

(ख) 1994–95 में चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दलहनों और कुल खाद्यान्नों की राज्यवार प्रति हेक्टेयर पैदावार के तुलनात्मक ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के खाद्यान्नों और दलहनों के उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं:–

(1) चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई. सी. डी. पी. – चावल)

(2) गेहूं आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई. सी. डी. पी.–गेहूं)

(3) मोटे अनाजों पर आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई. सी. डी. पी.–मोटे अनाज)

(4) राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम

विवरण

1994–95 के दौरान प्रमुख खाद्यान्नों और दलहनों की पैदावार (कि./हे.)

राज्य	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	कुल दलहन	कुल खाद्यान्न
आन्ध्र प्रदेश	2625	636	1149	402	1749
असम	1350	1290	606	546	1308
बिहार	1305	2090	1701	833	1480
गुजरात	1543	2723	926	575	1249
हरियाणा	2801	3677	1240	1064	2730
हिमाचल प्रदेश	1358	1104	1899	267	1422
जम्मू व कश्मीर	1857	1419	1730	561	1637

1994–95 के दौरान प्रमुख खाद्यान्नों और दलहनों की पैदावार (कि./है.)

राज्य	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	कुल दलहन	कुल खाद्यान्न
कर्नाटक	2441	706	1091	382	1163
केरल	1921	–	714	1435	1878
मध्य प्रदेश	1187	1724	647	714	1079
महाराष्ट्र	1559	1449	828	472	852
उड़ीसा	1426	1436	945	576	1254
पंजाब	3383	4090	2090	878	3684
राजस्थान	1089	2417	579	546	906
तमिलनाडु	3289	–	1272	399	2131
उत्तर प्रदेश	1867	2509	1237	858	1921
पश्चिम बंगाल	2159	2287	2400	630	2109
अखिल भारत	1921	2553	934	809	1547

बाट और माप अधिनियम, 1977

3513. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए बाट और माप (पैक की गई वस्तुएं) नियम, 1977 में संशोधन किए गए हैं;

(ख) क्या निर्माता संशोधन के बाद भी पैकेटों पर मुद्रित मात्रा से कम मात्रा वाले पैकेटों की आपूर्ति कर उपभोक्ताओं को धोखा दे रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को कम मात्रा वाले पैकेटों की आपूर्ति के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 में उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही व्यापार और उद्योग की तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं को हल करने के लिए समय–समय पर संशोधन किया गया है।

(ख) से (घ). बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 में यह सुनिश्चित करने हेतु उपबंध हैं कि उपभोक्ताओं को निर्धारित छूट सीमाओं के भीतर किसी पैकशुदा वस्तु पर उत्पाद की घोषित मात्रा मिले। इन नियमों का प्रवर्तन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बाट तथा माप विभाग द्वारा किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जब कभी कोई शिकायत प्राप्त होती है या उनके द्वारा किए जाने वाले सामान्य/आकस्मिक निरीक्षणों के दौरान किसी उल्लंघन का पता चलता है तो उनके द्वारा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

3514. **श्री एस. एम. लालजान शाह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न प्रकार की स्वीकृति के लिए शैक्षिक संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिए 1994–95 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की कितनी बैठकें आयोजित की गई;

(ख) 1994–95 के दौरान आन्ध्र प्रदेश से कितने आवेदन प्राप्त किए गए;

(ग) अब तक उनमें से कितने आवेदन स्वीकृत किए गए हैं; और

(घ) 1994–95 के दौरान आन्ध्र प्रदेश से कितने संस्थानों को अ. भा. त. शि. परि. द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख). अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने वर्ष 1994–95 के दौरान नए पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों, तकनीकी संस्थाओं के अनुमोदन के लिए 14 बैठकें विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने के लिए आयोजित की हैं जिनमें आन्ध्र प्रदेश राज्य से 44 प्रस्ताव शामिल हैं।

(ग) अब तक 25 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है।

(घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 5 डिग्री तथा एक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं को अनुमोदित किया है।

गंगा का ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र

3515. श्री राम कापसे: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय उत्तर प्रदेश वन विभाग की सहायता से गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में व्यापक स्थल कटाव रोकथाम प्रबन्ध कार्य कर रहा है;

(ख) क्या प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). ऊपरी गंगा के जल ग्रहण क्षेत्र को बाढ़ प्रवणनदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में चलाय जाने वाल केन्द्रीय प्रायोजित मृदा संरक्षण योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। प्राथमिकता सर्वेक्षण के अनुसार 21.46 लाख है. के कुल जल ग्रहण क्षेत्र में से 8.70 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का गम्भीर रूप से क्षरण हुआ है, जिसके लिए तत्काल उपचार किये जाने की आवश्यकता है। 1994–95 तक 19780 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया जा चुका है जिस पर 1010.23 लाख रुपये का खर्च आया है।

नागरहोल आरक्षित वन में सड़क

3516. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स: क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बिल्लेहोसहाल्ली के निकट नागरहोल आरक्षित वन में सड़क बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव के लिए स्वीकृति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) कर्नाटक राज्य सरकार से नागर होल आरक्षित वन क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए वन भूमि उपयोग में लाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत औपचारिक प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

पटसन का उत्पादन

3517. श्री सैयद शहाबुद्दीन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995–96 के दौरान अनुमानत: कितनी मात्रा में पटसन रेशे के उत्पादन की संभावना है;

(ख) सरकार द्वारा पटसन का कितना समर्थन मूल्य घोषित किया गया है;

(ग) समर्थन खरीद के लिए भारतीय पटसन निगम को कितनी धनराशि दी गई है;

(घ) 30 नवम्बर, 1995 तक भारतीय पटसन निगम द्वारा कितना पटसन खरीदा गया और इसके लिए कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ङ) इस अवधि के दौरान कच्चे पटसन का औसत बाजार मूल्य क्या था?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबूब खाँ): (क) 1995–96 मौसम के दौरान पटसन का अनुमानित उत्पादन 83.1 लाख गांठे हैं और प्रत्येक गांठ 180 कि. ग्रा. की है।

(ख) असम में टी. डी.–5 ग्रेड के पटसन के लिए सरकार ने 1995–96 के लिए कच्चे पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 490.00 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया।

(ग) और (घ). कच्चे पटसन के थोक मूल्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों से बहुत अधिक हैं। भारतीय पटसन निगम ने मूल्य समर्थन कार्यों के अंतर्गत 30 नवम्बर, 1995 तक कच्चे पटसन की खरीद नहीं की है। जुलाई, 1995 में कपड़ा मंत्रालय ने, 1994–95 के मूल्य समर्थन कार्यों के अंतर्गत बिक्री में होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए 6.00 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की है।

(ङ) प्रमुख मण्डियों में वर्तमान विपणन मौसम (जुलाई–नवम्बर 95) के दौरान कच्चे पटसन के औसत थोक मूल्य नीचे दिए गए हैं:

मण्डियां	किस्म	औसत थोक मूल्य (रुपये/क्विंटल)
कलकत्ता	डब्ल्यू–5	1117
	टी. डी.–5	1146
पूर्णिया	टी. डी.–5	1008

कृषि को नया रूप देना

3518. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उद्देश्य भारत को नये कृषि प्रधान देशों में से एक अग्रणी देश बनाना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(ग) क्या सरकार ने उन देशों की कृषि स्थिति का अध्ययन किया है जिन्होंने अपनी कृषि को नया रूप दिया है;

(घ) क्या इन परिवर्तन का देश की प्रमुख खाद्य वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति में आत्मनिर्भरता के पारम्परित लक्ष्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) यदि हां, तो तीसरी दुनिया के अन्य देशों के नकारात्मक अनुभवों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) क्या भारत के किसानों की खुशहाली के लिये कृषि क्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) से (च). कृषि नीति संकल्प के प्रास्य का मुख्य उद्देश्य बुनियादी विकास में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देकर तथा अनुकूल कीमतों और व्यापार की स्थिति पैदा करके निजी निवेश को प्रोत्साहन देकर बागवानी, मात्सिकी तथा रेशम उद्योग सहित कृषि के चतुर्दिक विकास और आर्थिक व्यावहार्यता में वृद्धि करना है। कृषि विकास और अनुसंधान कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित किया जायेगा ताकि अन्य बातों के साथ–साथ कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो सके जिससे बढ़ रही जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

खाद्यान्न खरीद नीति

3519. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने विभिन्न राज्य सरकारों के साथ देश की खाद्यान्न खरीद नीति में किए जाने वाले परिवर्तनों के संबंध में विचार–विमर्श कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे जाने वाले उत्तम और अति उत्तम किस्म के चावलों के बीच के अंतर को समाप्त करना होगा;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसकी कब तक घोषणा की जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) खाद्यान्नों की वसूली करने के लिए सरकार की वर्तमान वसूली नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थी

3520. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न नवोदय विद्यालयों में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) वर्ष 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान उनमें से कितने छात्रों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) नवोदय विद्यालय समिति द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी नवोदय विद्यालयों में अनु. जाति/अनु. जनजाति के छठी कक्षा में दाखिला लेने वाले छात्रों का विवरण नीचे दिया गया है:–

वर्ष	दाखिला लेने वाले छात्र	
	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1992–93	4158	2482
1993–94	4855	3083
1994–95	4780	2820

(ख) वर्ष 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान, जवाहर नवोदय विद्यालय छोड़ने वाले अनु. जाति/अनु. जनजाति के छात्रों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1993–94	–	74
1994–95	129	135

जवाहर नवोदय विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी अथवा किसी अन्य विद्यालय में दाखिला लिया है, इस सन्दर्भ में समिति कोई रिकार्ड नहीं रखती।

आदर्श केन्द्रीय विद्यालय

3521. **डा. सुधीर राय:**
श्री मुही राम सैकिया:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में घोषित आदर्श केन्द्रीय विद्यालय की अवधारणा के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय विद्यालय द्वारा ऐसी शुरूआत किये जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख). केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने दिनांक 18 अक्टूबर, 1995 को हुई अपनी बैठक में 50 केन्द्रीय विद्यालयों को माडल स्कूलों के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा इस प्रयोजनार्थ विद्यालयों के चयन के लिए मानक तैयार करने तथा प्रस्तावित माडल स्कूलों के लिए कार्यक्रम आरम्भ करने के मानक तैयार करने के लिए एक दल गठित करने का निर्णय भी लिया है।

पर्यावरण में कार्बन डायोक्साइड का जमाव

3522. **श्री सक्त कुमार मंडल:** क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूर और भू–पारिस्थितिकी विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक दल ने उन निष्कर्षों का अध्ययन किया है जो विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा विज्ञान और जलवायु परिवर्तन विषयक दक्षिण एशियाई सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए थे और जिनके अनुसार भारतीय वानिकी द्वारा पर्यावरण में कार्बन डायोक्साइड जमा होने से उससे पृथ्वी के गर्म होने को रोकने की दिशा में कोई विशुद्ध योगदान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इन निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वन लगाने और पर्यावरण में कार्बन के उत्सर्जनों के बारे में कोई आंकड़े एकत्र किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में विकासशील देशों के बीच सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए क्या तंत्र अपनाया जा रहा है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख). जी, हाँ। संदर्भ वर्ष 1986 के अध्ययन से पता चलता है कि कार्बन का निवल पृथक्करण 5.4 मिलियन टन है। अध्ययन से साबित हुआ है कि वानिकी से कार्बन उत्सर्जनों का कार्बन पृथक्करण द्वारा लगभग प्रतिसंतुलन होता है।

(ग) और (घ). जी, हां। वानिकी से संबद्ध आंकड़े भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा एकत्र किए जाते हैं। सूचना और आंकड़ों के आधार पर समय–समय पर कार्बन उत्सर्जनों की सूचियां बनाई जाती हैं और उन्हें अद्यतन किया जाता है।

(ङ) वैज्ञानिकों को संगोष्ठियों, विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों और प्रकाशनों के जरिए उक्त सूचना/आंकड़े मुफ्त प्रदान किए जाते हैं।

चंदन की लकड़ी का निर्यात

3523. **श्री एस. एम. लालजान बाशा:** क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण के राज्यों तथा विभिन्न चंदन लकड़ी निर्यातक संघों ने चंदन की लकड़ी एवं लाल चंदन का निर्यात करने की अनुमति देने हेतु उनके मंत्रालय से सम्पर्क किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जा रही है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग). तमिलनाडु ओर कर्नाटक राज्यों तथा कुछ चन्दन निर्यातक संघों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर पर्यावरण और वन मंत्रालय ने विदेश व्यापार महानिदेशक, वाणिज्य मंत्रालय को सिफारिश की गई थी कि 1500 मीटरी टन चन्दन की अन्तः काष्ठ चिप्स, मिश्रित चिप्स तथा टुकड़ों और 500 मीटरी टन सैपवुड बुरादे के निर्यात के लिए प्रतिबंध में एक बारगी रिआयत दी जाए। विदेश व्यापार महानिदेशक, वाणिज्य मंत्रालय ने दिनांक 8.12.1995 को सार्वजनिक नोटिस सं. 74 और 75 जारी किया है जिसके द्वारा चन्दन के आठ श्रेणियों के अन्तः काष्ठ चिप्सों, टुकड़ों, सेपवुड, चन्दन का बुरादा तथा तेल निकली चन्दन की लकड़ी स्पेन्टडस्ट को लाइसेंस के तहत निर्यात की अनुमति दे दी गई है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पर्यावरण और वन विभाग मंत्रालय से अनुरोध किया है कि लाल चन्दन के निर्यात पर लगे प्रतिबंध पर एक बारगी रिआयत देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिश की जाए। आन्ध्र प्रदेश राज्य वन विभाग के पास 1675 मीटरी टन जब्त लाल चन्दन का भंडार जमा हो गया है। उनका प्रस्ताव है कि इसको आन्ध्र प्रदेश वन विकास निगम के जरिए निर्यात किया जाए। इस बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

अपशिष्ट पदार्थों का आयात

3524. **प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती:**
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री अजय मुखोपाध्याय:
श्री रूपचन्द पाल:

क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसमें ओ. ई. सी. डी. देशों से आयातित औद्योगिक विषैले अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जाता है, द्वारा भूमि के माध्यम से अवशिष्ट पदार्थों का फैल जाने के संबंध में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है जो प्राथमिक जिंक के उत्पादन में लगी है। यह अपनी किसी भी अपेक्षाओं के लिए ओ. ई. सी. डी. देशों से विषैले अपशिष्टों का आयात नहीं करती है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

ग्लोबल टाइगर फोरम

3525. **श्री गोपी नाथ गजपति :** क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व में बाघों को सुरक्षित रखने हेतु टाइगर रेंज के देशों के राजदूतों से एक संधि को मंजूर करने हेतु चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है;

(ग) क्या सरकार द्वारा एक ग्लोबल टाइगर फोरम शुरू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख). जी, हां। बारह बाघ रेंज देशों अर्थात् भूटान, बंगलादेश, कम्बोडिया, भारत, इण्डोनेशिया, कोरिया (उत्तरी), लाओस, मलेशिया, नेपाल, रूस, थाईलैण्ड, वियतनाम के प्रतिनिधियों की 20.11.95 को नई दिल्ली में एक अनौपचारिक बैठक हुई जिसमें अन्यों के साथ-साथ इन देशों (भारत से इतर) के मिशनों के चार राजदूत, एक हाई कमिश्नर और छः अधिकारी शामिल थे जिसमें विश्व बाघ मंच की प्रस्तावित संविधियों की औपचारिक अभिपुष्टि तथा संबंधित देशों द्वारा उक्त मंच में शामिल होने से संबंधित मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत, भूटान और म्यांमार पहले से ही उक्त मंच के सदस्य हैं । बाघ रेंज के अन्य देशों की सामान्य प्रतिक्रिया आशाजनक थी

(ग) से (ङ). जी, नहीं। विश्व बाघ मंच कतिपय बाघ रेंज देशों, गैर-सरकारी संगठनों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आदि के उन प्रतिनिधियों की निर्णीत सहमति का परिणाम है जो फरवरी 1993 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बाघ संगोष्ठी के दौरान उपस्थित थे। "दिल्ली घोषणा" इसी संगोष्ठी का परिणाम है जिसमें विश्व बाघ मंच स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। उक्त को अभी औपचारिक तौर पर स्थापित किया जाना है। तथापि, अंतरिम अवधि के लिए 3-4 मार्च, 1993 को नई दिल्ली में आयोजित बाघ रेंज देशों की पहली बैठक के प्रतिभागियों ने प्रस्ताव किया कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्री उक्त मंच के अध्यक्ष, म्यांमार के वन मंत्री उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करें तथा फिलहाल मंच का अंतरिम सचिवालय का कार्य भारत से संचालित हो। भारत उक्त मंच का सदस्य

है और वर्तमान में इसका अध्यक्ष भी है।

खाद्यान्नों की दुलाई

3526. **श्री डी. वेंकटेश्वर रावः** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र की खाद्यान्नों की निर्बाध दुलाई से संबंधित नीति को लागू करने पर कुछ राज्यों ने अपनी असहमति व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी असहमति के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इन राज्यों को सहमति वाले अन्य राज्यों की श्रेणी में लाने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख). फिलहाल गेहूं और मोटे अनाजों के लिए पूरा देश एकल खाद्य जोन है। तथापि, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश और जम्मू और कश्मीर ने धान/चावल के संचलन पर कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं। जम्मू और कश्मीर ने चावल को स्थानीय मोटी किस्मों के संचलन पर प्रतिबंध लगाए हैं। ताकि राज्य में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। पश्चिम बंगाल में खाद्यान्नों के संचलन पर प्रतिबंध केवल सांविधिक नियंत्रण के अधीन कवर किये जाने वाले क्षेत्रों और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पास के क्षेत्रों पर लागू है। राज्य सरकार महसूस करती है कि मूल्यों में संभावित वृद्धि को रोकने के लिए ऐसे प्रतिबन्ध आवश्यक हैं। आंध्र प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन के लिए चावल की अधिकतम वसूली करने के लिए धान/चावल के संचलन पर प्रतिबंध जारी रखना चाहती है जिसके अधीन ऊंची सब्सिडि प्राप्त दरों पर चावल का वितरण किया जाता है।

(ग) और (घ). संबंधित राज्य सरकारों से प्रतिबंध को हटाने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि वे संपूर्ण देश को एकल खाद्य जोन बनाने की राष्ट्रीय नीति की मुख्य धारा में शामिल हो सकें।

मदर डेरी

3527. **श्री बी. एल. शर्मा प्रेमः** क्या कृषि मंत्री में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष से भी अधिक समय से मदर डेरी में विभागीय जांच के अनेक मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं; और

(ग) उचित समय में जांच पूरी कर लेने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अयूब खां): (क) और (ख). मदर डेयरी नई दिल्ली में विभागीय जांच के तेईस मामले दो वर्षों से अधिक समय से लम्बित पड़े है।

(ग) जांच अधिकारियों से जांच की कार्यवाही को शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया गया है।

सुपर बाजार

3528. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्रीः** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में सुपर बाजार द्वारा वस्तुओं की खरीद के मामले में आपूर्तिकर्ताओं के चयन में, वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण में भ्रष्टाचार तथा कुप्रबंध के मामले आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) से (ग). केवल एक मामले के सिवाय, जिसे जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया है, सुपर बाजार द्वारा वस्तुओं की खरीदारी, सप्लायरों के चुनाव, सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण में भ्रष्टाचार तथा कुप्रबंध के कोई विशिष्ट मामले सरकार की जानकारी में नहीं आए हैं।

सुपर बाजार ने नवम्बर, 1993 के चुनावों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को स्टील के सन्दूक सप्लाई किए थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के सचिव (चुनाव) ने स्टील के सन्दूकों की गुणवत्ता तथा मूल्य के बारे में शिकायत की थी। सरकार ने मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो के जरिए जांच करवाने का निर्णय किया है।

सामाजिक लेखा-परीक्षा पैनल

3529. **श्री भरत घटवायकः** क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के अधीन कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के कार्यकरण की समीक्षा हेतु कोई सामाजिक लेखा-परीक्षा पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पैनल के सदस्यों के नाम और उसके उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पैनल की सदस्यता के बारे में निर्णय लेने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी, हां।

(ख) सामाजिक लेखा परीक्षा पैनल का गठन संलग्न विवरण में दिया गया है। इस पैनल का गठन मंत्रालय की गतिविधियों की पुनरीक्षा करने तथा उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए किया गया है। चूंकि मंत्रालय के कार्यक्रमों की सफलता जनता, विशेषकर स्थानीय

समुदायों तथा गैर-सरकारी संगठनों आदि की भागीदारी पर निर्भर है, अतः यह पैनल मंत्रालय के कार्यक्रमों और परियोजनाओं की सामान्य जागरूकता और महत्व का मूल्यांकन करेगा तथा आवश्यकता होने पर उपचारी सुझाव देगा ताकि इन्हें लोगों की अपेक्षाओं के अनुकूल बनाया जा सके और जन समर्थन एवं प्रतिभागिता जुटाई जा सके।

(ग) इस पैनल के सदस्य ख्याति प्राप्त नागरिक हैं जिन्हें अपने संबंधित व्यवसायों में विशिष्टता हासिल है।

विवरण

श्री न्यायमूर्ति आर. एस. पाठक, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, नई दिल्ली।	–	अध्यक्ष
डा. एम. एस. स्वामीनाथ, विख्यात कृषि वैज्ञानिक, मद्रास		सदस्य
श्री आबिद हुसैन, पूर्व सदस्य, योजना आयोग एवं पूर्व सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।		सदस्य
श्री आर. राजामणि, पूर्व सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, हैदराबाद।		सदस्य
डा. एन. भास्कर राव, विख्यात सामाजिक वैज्ञानिक, नई दिल्ली।	–	सदस्य संयोजक

पर्यावरण निगरानी दस्ता

3530. **श्री मोहन रावले:**
श्री श्रवण कुमार पटेल:

क्या पर्यावरण तथा वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में पर्यावरण निगरानी दस्ता गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने दस्ते गठित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग). माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने 28.7.1995 के आदेश में निदेश दिया है कि बंगलौर (कर्नाटक), बड़ौदरा (गुजरात), भोपाल (मध्य प्रदेश), कलकत्ता (पश्चिम बंगाल), कानपुर (उत्तर प्रदेश) और शिलांग (मेघालय) में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रत्येक अंचल कार्यालय में पर्यावरणीय निगरानी दस्तों का गठन किया जाए। इन निदेशों के अनुपालन के लिए कदम उठाए जा चुके हैं।

निगरानी दस्तों को आयोजना, संसाधन और सुविधाएं जुटाने तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, राज्य सरकारों और उद्योगों के साथ मिलकर कार्य करने में शामिल करने की अपेक्षा की जाती है। इन दस्तों को स्रोत पर प्रदूषण को रोकने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का सुझाव भी देना होता है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के सम्मुख निष्कर्ष भी प्रस्तुत करने होते हैं। इन दस्तों में अंचल कार्यालयों से एक और मुख्यालय से दो निम्नलिखित कार्मिक शामिल होंगे:

1. अतिरिक्त निदेशक
2. पर्यावरणीय इंजीनियर/वैज्ञानिक "सी"
3. कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक
4. कानूनी सहायक
5. कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक

इसके अलावा, मुख्यालय में निदेशक का एक पद है।

[हिन्दी]

महिला छात्रावासों की कमी

3531. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने ... कृपा करेंगे कि कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में महिला छात्रावासों की अत्यधिक कमी है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में महिला छात्रावासों के निर्माण के लिये सरकार के पास कोई योजना भेजी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तत्संबंधी निर्माण कार्य पर कितना खर्च आने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिन्धु भोई): (क) शिक्षा विभाग को उत्तर प्रदेश में बालिका छात्रावासों की कमी के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

खाद्यान्नों पर राजसहायता के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 5100 के दिनांक 9.5.95 को दिए गये उत्तर में शुद्धि करने वाला तथा उत्तर में शुद्धि में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): मैं खाद्यान्नों पर राजसहायता के संबंध में लोक सभा में 9.5.1995 को उत्तरित प्रश्न संख्या 5100 के दिए गए उत्तर के अंग्रेजी और हिन्दी पाठों की ओर ध्यान आकृष्ट करता हूँ। उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ख) और (ग) का उत्तर निम्नानुसार था:–

"खाद्यान्नो की 'इकनामिक' लागत और इसके निर्गम मूल्यों में जो अंतर होता है उसका भुगतान भारतीय खाद्य निगम को उपभोक्ता सब्सिडी के रूप में किया जाता है। इकनामिक लागत में प्राप्ति लागत और वितरण लागत शामिल होती है। सामान्यतया खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य प्राप्ति लागत को 'कवर' करते हैं और इसमें वितरण लागत शामिल नहीं होती है जिसका भुगतान भारतीय खाद्य निगम को सब्सिडी के रूप में किया जाता है। अतः गेहूं और चावल पर सब्सिडी की मात्रा वितरण लागत पर निर्भर करती है। क्योंकि चावल के मामले में वितरण लागत गेहूं से कम है, इसलिए चावल पर सब्सिडी की गेहूं पर दी जा रही सब्सिडी के बराबर नहीं बढ़ाया जा सकता है।"

2. उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ख) और (ग) का सही उत्तर निम्नानुसार पढ़ने की कृपा करें:–

गेहूं और चावल की इकनामिक लागत और उनकी बिक्री से प्राप्त वास्तविक धनराशि के बीच अन्तर की राशि को "राजसहायता" कहा जाता है और किए गए वास्तविक खर्च के आधार पर सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को इस राजसहायता का भुगतान किया जाता है। इकनामिक लागत के प्रमुख घटक न्यूनतम समर्थन मूल्य, वसूली प्रासंगिक खर्चे, आयात के मामले में उतरान लागत, ब्याज, दुलाई तथा भंडारण प्रभार और हानियां हैं। चूंकि ये लागतें परिवर्तनीय होती हैं और नियमित अन्तराल पर इनमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए गेहूं और चावल के लिए राजसहायता का घटक स्थिर नहीं रहता है और यह प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक जिन्स के मामले में भिन्न–भिन्न होता है। बिक्री से प्राप्त धनराशि भी केवल केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर निर्भर नहीं करती है और खुली बिक्री के मूल्यों, निर्यात और सरकार की अन्य योजनाओं, जिनके लिए केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है के आधार पर इनमें परिवर्तन हो सकता है।

1988–89 से 1990–91 तक चावल पर प्रति क्विंटल राजसहायता गेहूं पर दी गई राजसहायता से अधिक थी। तथापि, 1991–92 से चावल पर राजसहायता की तुलना में गेहूं पर प्रति क्विंटल राजसहायता अधिक थी। 'चावल और गेहूं पर राजसहायता' को बराबर करने विषयक कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

3. प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं है।

विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

उत्तर को सही करने में हुए विलम्ब का कारण यह है कि भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त हुई सूचना की आंध्र प्रदेश से प्राप्त विशिष्ट अभ्यावेदन के संदर्भ में जांच की जानी थी और उसका पुनर्मिलान किया जाना था।

मूलभूत दूर संचार सेवाओं के परिचालन हेतु प्राइवेट कंपनियो को लाइसेंस दिया जाना

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): महोदय, क्या कोई घोषणा करनी है? क्या सभा की कार्यवाही आज भी रोक दी गयी है? (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): इसके लिए आपको यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता मिलता है। (व्यवधान)

डा. असीम बाला (नवद्वीप): क्या आपको यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता नहीं मिलता? (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, वे सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने का यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता मिलता है लेकिन वे लोक सभा की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं । लोगों के हित में उन्हें सभा की कार्यवाही जारी रखने दी जानी चाहिए। इस संसद की कार्यवाही में काफी धन व्यय किया जाता है लेकिन इन लोगों के कारण सारा धन बर्बाद हो रहा है। यदि वे कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। वे अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। वे अपने प्रश्न सरकार के समक्ष रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वे गड़बड़ी उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं वह संसद की गरिमा के विरुद्ध है। अनेक ऐसे मामले हैं जिनके संबंध में हमने सूचनायें दी है।...(व्यवधान)

एक महत्वपूर्ण विधेयक लम्बित है। शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक अवरुद्धता से ग्रस्त लोगों को लाभ पहुंचाने से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मैंने पहले भी यह मुद्दा उठाया है। यह एक बहुत अच्छा विधेयक है और इसे इसी सत्र में पारित किया जाना है लेकिन इस हल्ला–गुल्ला के परिणामस्वरूप इसे अभी तक पुरःस्थापित ही नहीं किया गया है... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): इसको जे. पी. सी. के पास क्यों नहीं देते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय जे. पी. सी. के बारे में क्या हुआ ?....(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: क्या वह संयुक्त संसदीय समिति की मांग कर रही है। मुझे बहुत खुशी हुई है....(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री कहाँ है ? तथ्यतः उनके मुख्य मंत्री ने कहा है कि यह ठेकेदारों की, ठेकेदारों के लिए, ठेकेदारों द्वारा चलायी जाने वाली सरकार है (व्यवधान) वे लोग इसलिए चिल्ला रहे है क्योंकि उनके दोहरे मापदण्ड हैं....(व्यवधान) आज, हम मानसिक रूप से अवरुद्ध व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने हेतु विधेयक पर चर्चा करने जा रहे हैं। (व्यवधान) यह सदन के समक्ष है।..(व्यवधान)। सभा को हमें स्थगित नहीं करना चाहिए, सभा को हम क्यों स्थगित करें ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद): आप अब तो खामोश रहें।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी: मैं खामोश नहीं रहूँगी... (व्यवधान) ... जे पी सी में जाने की क्या जरूरत है...(व्यवधान) हम यहाँ जनता के लिए है। हमें यहां जनता की आवाज उठानी चाहिए (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर): अध्यक्ष महोदय, आप क्वश्चयन ऑवर स्टार्ट करें। इन लोगों ने पार्लियामेंट को हंसी बना दिया है, मखौल बना दिया है।

श्रीमती सरोज दुबे:...(व्यवधान) जे पी सी जरूर बननी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए।....(व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : आप केवल प्रचार के इच्छुक है...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे: तेज आवाज में चिल्लाने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता।....(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, बार बार सदन स्थगित नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट चलनी चाहिए।....(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): जे पी सी बननी चाहिए।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जो भी बात हो, यहां पर होनी चाहिए। यदि किसी को आपत्ति हो तो सदन में बोले। संसद में मामले को तय करना चाहिए। ये कुछ भी बोले जाते हैं। न इनके लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ है और न पार्लियामेंट कुछ है....(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जे पी सी बननी चाहिए। .....(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: जो भी हो, यह पार्लियामेंट चलनी चाहिए।

श्री दत्ता मेघे (नागपुर): पार्लियामेंट चलनी चाहिए....(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : करोड़ों रुपए प्रतिदिन पार्लियामेंट पर खर्च हो रहा है। देश के पैसे का नुकसान हो रहा है और ये कह रहे हैं कि सदन नहीं चलेगा ....(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : संसद किसलिए है ? कोई भी बात हो, पार्लियामेंट चलनी चाहिए। सारी बात पार्लियामेंट में होनी चाहिए। किसी को ऐतराज नहीं है....(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): जे पी सी द्वारा जांच करानी चाहिए।..(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: जो भी बात करनी है, पार्लियामेंट में हो... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय , आप विवेक से निर्णय लीजिए। पार्लियामेंट चलनी चाहिए और पार्लियामेंट चलेगी .....(व्यवधान) इन्हें देश की चिन्ता नहीं है। ये केवल इसे एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं लेकिन यह चुनावी मुद्दा बनने वाला नहीं है। (व्यवधान)

इन्होंने सारे नियमों को ताक पर रख दिया है। कभी ये पार्लियामेंट के बाहर धरना देते है कभी यहां शोर करते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी: हमें संयुक्त संसदीय समिति के गठन की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मेरी आपसे विनती है कि पार्लियामेंट हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है और

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: और यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसका असर हमारे देश की ऐसी ही दूसरी संस्थाओं पर और देश के लोगों पर भी पड़ता है। आपकी भावनाएं तीव्र और दोनों तरफ की भावनाए तीव्र है मगर यह सदन इसलिये बनाया गया है ताकि अलग अलग विचारों के लोग यहां पर आयें, अपनी वाणी से जो कुछ भी उन्हें कहना है, यहां कह दें और जो भी आप लोगों को मान्य हो, वही यहां पर करें। मैं यह बात तो समझ सकता हूँ कि आपने किसी विषय पर चर्चा करने के लिये समय मांगा मगर यह बात समझ में नहीं आती कि वह चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हो, न्यूजपेपर्स में हो, बाहर हो और यहां पर भी चर्चा हो।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कौन गलत है, कौन सही है इस पर हम न्याय देना नहीं चाहते और न देना चाहते हैं।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): जे पी सी बैठा दीजिए।....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसलिए सही यह होगा कि इस विषय पर पूरी तरह से चर्चा हो और उसके बाद आपको जो कुछ भी करना हो, आपको जिस प्रकार से करना हो, चाहे आप इस सदन में बैठकर करें, चाहे स्पीकर के चैम्बर में बैठकर करें या पार्टी लीडर्स एक दूसरे से अलग–अलग मिलकर तय करें, कुछ भी करना हो आप कर सकते है । मगर यह सदन चर्चा नहीं कर सकता और एक विषय के लिए अन्य विषयों के ऊपर ध्यान भी नहीं दे सकता, इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण करना मैं समझता हूँ, माफ कीजिए मैं बड़ी विनम्रता से आपके सामने रख रहा हूँ, यह संसद के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए कहां तक उचित है यह आप निश्चित कर सकते हैं। ऐसा न हो, लेकिन यहां पर ऐसा हो रहा है और हम सब लोग, दिमाज और सोचने वाले यहां पर बैठे है तथा उसमे से रास्ता नहीं निकाल सकते है ऐसी परिस्थिति भगवान के लिये यहां से निर्माण होकर बाहर नहीं जानी चाहिए। जो भी करना चाहिए उसके लिए आप साथ में बैठकर सोचिए, आप कीजिए। आप जो कहेंगे आपके कहने के मुताबिक होगा। लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते है और बाहर तो सब कुछ हो सकता है, इस प्रकार की परिस्थिति इस संसद की गरिमा के लिए ठीक नहीं रहेगी । मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, किसी से इसके जवाब की उम्मीद नहीं है। हम आपसे विनती कर रहे हैं कि आर सब बैठकर निश्चित कीजिए कि इसकी गरिमा कैसे बनाई रखी जा सके, इसकी उपयुक्तता कैसे बनाये रखें और यहां पर आने पर जटिल से जटिल विषयों पर हम कुछ हल ढूंढ सकते हैं यह चित्र बाहर जाना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि कुछ भी यहां पर आ जाए और हम लोग विचार ही नहीं कर सके और बाहर सारी संस्थाओं में उस पर विचार हो, यह कहां तक उचित है आप ही बता सकते हैं आप ही कह सकते है। मेरी सब तरफ के लोगों को, इधर के लोगों को, उधर के लोगों को, सामने के लोगों को यह विनती है कि आप सुनिएगा और सुनकर आपको जो न्याय देना है उस पर दे दीजिए और आप सब लोग जो करना चाहें वह कीजिएगा। ऐसा नही करेंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद बाहर के लोग और इतिहास हमारे बारे में क्या लिखेगा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

(व्यवधान)

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद): यह बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, संसद को शक्ति प्रदान करने की दिशा में एक छोटा सा कदम न उठाकर संसद को इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह छोटा सा कदम संयुक्त संसदीय समिति के गठन का है जिससे संसद की श्रेष्ठता बनी रहेगी और जिसे कार्यपालिका द्वारा अस्वीकार किया जा रहा है। कार्यपालिका संसद की सर्वोच्चता की उपेक्षा कर रही है दुर्भाग्यवश, इसी कारण अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। इसलिए, हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि कार्यपालिका के उपर संसद की श्रेष्ठता को बनाये रखने हेतु इस अवरोध को दूर करें (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई): सभा को इस संबंध में निर्णय करने दिया जाए। श्री चटर्जी यह कैसे कह सकते हैं कि सभा में चर्चा के बिना इस पर निर्णय ले लिया जाए? (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, वे संसद की श्रेष्ठता को अस्वीकार कर रहे है। वे संसद से भयभीत है (व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर: मैं श्री चटर्जी को स्मरण कराता हूँ कि यह सोवियत संघ नहीं है, यह सी पी एस यू नहीं है और न ही यह कम्युनिस्ट देश है। यह भारतीय लोकतंत्र है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: एक संसदीय समिति का गठन नहीं किया जा सका और पिछले दस दिनों से हमें इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि वह संसद में इस प्रकार की फासिस्ट बातें करें। वह एक ऐसे दल से सम्बद्ध हैं। जिसकी कोई लोकतांत्रिक परम्परा नहीं है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि संसद की श्रेष्ठता को बरकरार रखें। कार्यपालिका द्वारा संसद की श्रेष्ठता की इस रूप से उपेक्षा नहीं

को जा सकती । (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यरः इन लोगों–जिस दल से श्री चटर्जी सम्बद्ध हैं–ने एक बार भारत पर चीनी आक्रमण का स्वागत किया था। वह ऐसे दल से सम्बद्ध है जिसकी उत्पत्ति कम्यूनिस्ट है (व्यवधान) उन्हें लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। (व्यवधान) महोदय, सभा में बोलने का अधिकार हमें प्राप्त है और एक संसद सदस्य होने के नाते, श्री निर्मल कान्ति चटर्जी द्वारा मेरे इस विशेषाधिकार को छीना नहीं जा सकता। (व्यवधान) ये साम्यवादी और साम्यवादी बल एक साथ मिलकर देश की लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली को अवरुद्ध कर रहे हैं....(व्यवधान) । आप ऐसी चीजों की अनुमति कदापि नहीं दे सकते (व्यवधान)। अतः संसद सदस्य के नाते मेरा यह अधिकार है कि मैं अपने विचारों को प्रकट करूं (व्यवधान)। महोदय इस सभा में और पूरे देश में मेरे इस अधिकार की रक्षा करने का मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। ...(व्यवधान)।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): अध्यक्ष महोदय, हम आपसे सहमत हैं कि सदन चलना चाहिए, लेकिन यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई है कि सदन नहीं चल रहा है। (व्यवधान)

आप यदि मुझे पूरा नहीं करने देंगे, तो आप बेनकाब हो जाएंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस सदन के सारे नेतागण, अलग–अलग पक्षों के, बहुत सोच–समझकर, बहुत रेस्पांसिबिलिटी से बोलते हैं। उनका पाइंट आफ व्यू होता है। उनको भी बोलना पड़ता है। कृपया आप उनको बहुत ध्यान से सुनें। यदि जरूरत हुई, तो मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयीः अध्यक्ष महोदय, आपने जो कुछ कहा है, मैं उसके प्रतिक्रिया के स्वरूप खड़ा हुआ हूँ। जो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, उनको समझाना, तो मेरे बूते की बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि सदन चले। सदन में चर्चा भी हो, लेकिन आप यह भी स्वीकार करेंगे कि चर्चा का कोई परिणाम निकलना चाहिए, चर्चा का कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अगर अच्छे ढंग से बोलने वालों को आप नहीं सुनेंगे, तो फिर आपको यहां से सिर्फ आवाज सुननी पड़ेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयीः अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर, जो मामला विचाराधीन है, जो विवाद का विषय बना है, जिसको लेकर संसद में गतिरोध है, इस पर चर्चा हो चुकी है। आपके कक्ष में लगातार चर्चा होती रही है, मैं उसका यहां पर कोई उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा था कि सदन में बैठकर तय कर सकते हैं, चर्चा हो रही है। अब आज स्थिति यह है कि जो कुछ भी परिस्थिति बनी है, जो लाइसेंस दिए गए हैं, जिस तरह से लाइसेंस दिए गए हैं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट जांच कर सकती है, उसके बारे में मीडिया नतीजा निकाल सकता है, दोबारोपण कर सकता है। अगर कोई संस्था जांच नहीं कर सकती है, तो वह इस देश की सबसे बड़ी संस्था यह पार्लियामेंट है, जो जांच नहीं कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, क्या इसलिए जांच नहीं कर सकती है कि बहुमत उधर बैठा हुआ है (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यरः आप यहाँ बैठे हैं। आप मस्जिद तोड़ने वाले लोग हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयीः अध्यक्ष महोदय, इस सदन में तय हुआ था कि (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह पहले भी हुआ है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः वास्तव में आपने पूछा है.....

श्री पवन कुमार बंसलः महोदय, मेरा यह कहना है कि ऐसा पहले भी हुआ है। श्री वाजपेयी जी ने बोला, श्री अडवाणी जी ने बोला और हमने उन्हें बोलने दिया और तत्पश्चात उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया।

[हिन्दी]

मैं अपनी सफाई देना चाहता हूं, लेकिन यह गलत सफाई है।...,(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री फूलचंद वर्मा (शाजापुर): आप मणि शंकर अय्यर जी को रोकिए।....(व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम): महोदय, सबसे पहले इस पर एक चर्चा होनी चाहिए (व्यवधान) उन्हें पहले चर्चा के लिए सहमत होना चाहिए। किसी समिति का गठन चर्चा के पश्चात् ही किया जा सकता है...(व्यवधान) महोदय, एक मिनट.

अध्यक्ष महोदयः आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आप जवाब दे सकते हैं। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ए. चार्ल्सः क्या हमें जवाब देने का अधिकार नहीं है ?

अध्यक्ष महोदयः इस प्रकार से मैं हाउस नहीं चला सकता।....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्सः महोदय, क्या हमें जवाब देने की अनुमति नहीं है ?

अध्यक्ष महोदयः नहीं, वह अलग बात है। जहां कहीं भी आपको अनुमति नहीं दी जाती, आपकी गलती है यहाँ जब भी वाजपेयी जी खड़े हैं और आप हस्तक्षेप करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। हां, श्री वाजपेयी जी बोलें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयीः अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सदन में चर्चा हो रही थी। यह तब हुआ था कि इस मामले से संबंधित, इस घोटाले से संबंधित सभी फाइलें देख ली जाएं। फाइलें देखने के लिए हम इकट्ठे भी हुए थे। लेकिन हमने उस समय यह कहा था कि अगर फाइलें देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए तो क्या सरकार खुला दिमाग रख रही है? सरकार की ओर से कहा गया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम इस प्रस्ताव को रूल आउट करते हैं...(व्यवधान)

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)ः हमने यह नहीं कहा। गलत बात है।....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः अब मुझे इस मामले का निपटारा करने दें और कृपया मुझे व्यवधान न पहुंचाये। अब वाजपेयी द्वारा एक वक्तव्य दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री को जवाब देने दें। आपको जवाब देने का अधिकार नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयीः महोदय, मुझे पूरा करने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदयः हां, कृपया आप पूरा कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयीः अब आपको और भी जवाब देने पड़ेंगे, इसलिए सारे जवाब इकट्ठे दे दीजिएगा। ....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार बन्द दिमाग से चर्चा चाहती है – आप भी जोर दे रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, हम भी चर्चा चाहते हैं – चर्चा यदि बन्द दिमाग से होगी और अगर सरकार ने पहले से फैसला कर लिया है कि कुछ भी हो जाए इस मामले की जांच नहीं होनी है तो फिर चर्चा निष्फल है, चर्चा निरर्थक है। इसलिए विरोध हो रहा है।....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी पूरा नहीं किया है।

हमारी यह भी मांग थी कि जब तक चर्चा हो रही है तब तक और लाइसेंस नहीं दिए जाने चाहिएं। यह सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधने को तैयार हैं और सदन में चर्चा करके जो एक आम सहमति बनती है, उसके लिए तैयार नहीं हैं।....(व्यवधान) इस गतिरोध को हल करने के लिए और भी सुझाव आए थे। गतिरोध चलते हुए देश के हित को प्रमुख रखकर हमने आपसे कहा और सरकार से भी कहा कि यदि कश्मीर का मामला है, उत्तर प्रदेश का मामला है तो हम नहीं चाहते कि कोई गतिरोध पैदा हो और हमने उसके लिए रास्ता निकाला।...(व्यवधान) आज कश्मीर के मामले में भी हम रास्ता निकालने को तैयार है। मगर सत्ता पक्ष ने इस सदाशयता का क्या परिचय दिया है? ....(व्यवधान)

एक बात और, और मेरे कांग्रेस के मित्र बिगड़े नहीं।...(व्यवधान) नाराज होने की जरूरत नहीं है। इतने दिन से गतिरोध चल रहा है। सारा प्रतिपक्ष इकट्ठा है जो वैसे मतभेदों के कारण अलग–अलग रास्तों पर जाता है। यह मामला इतनी तीव्रता से अनुभव किया जा रहा है। लेकिन इस सारे गतिरोध को हल करने में इस सदन के नेता की कोई भूमिका नहीं है। प्रधानमंत्री कहीं नहीं हैं। क्यों नहीं हैं?...(व्यवधान) क्या प्रधानमंत्री विरोधी दलों के नेताओं को बुला नहीं सकते? अगर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना है और यह डर है कि यदि एक मामले पर जांच हुई तो जांच के लिए और भी मामले निकल आएंगे तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मगर सदन के नेता के नाते प्रधानमंत्री की भूमिका होनी चाहिए। कोई भूमिका नहीं है। अभी तक विद्याचरण शुक्ल जी अकेले सुखराम की मदद के लिए बोलते रहे। आज रूप कुछ बदला हुआ है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि जो प्रश्न उठाए गए हैं, उनके बारे में आप विद्याचरण शुक्ल जी का जवाब मांगिए। आप अगर रास्ता निकालना चाहते हैं तो प्रतिपक्ष को मना नहीं है। लेकिन रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमें किसी ठिकाने पर ले जाए। चर्चा के लिए चर्चा नहीं हो सकती। अब वह वक्त नहीं है कि चर्चा के लिए चर्चा हो और मामला टॉक आउट कर दिया जाए। वह स्टेज निकल गई।...(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्लः अध्यक्ष महोदय....

श्री शरद यादव (मधेपुरा)ः अध्यक्ष जी, बेहतर होता कि पहले हम लोग बोल लेते, इसके बाद वह बोलते।

श्री विद्याचरण शुक्लः नहीं आप सब लोग नहीं बोल सकते। ....व्यवधान

अध्यक्ष महोदयः खुलासा होने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो बाद में उनको बुलाएंगे, इसलिए कि वह बात रिपीट न हो।

श्री शरद यादवः इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अन्त में वह कहें तो ज्यादा अच्छा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सबको बाद में बोलने दो।

श्री विद्याचरण शुक्लः अध्यक्ष महोदय, जांच हम लोग भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए पर जांच सदन में बहस के बाद होनी चाहिए। प्रतिपक्ष के सदस्य महोदय आपके कक्ष में गुप्त रूप से जाकर चर्चा कर लेते हैं तो सार्वजनिक रूप से चर्चा करने से क्यों कतराते हैं। सब चर्चा यहां पर सदन के अन्दर होनी चाहिए, यह आपके कमेटी रूम में बैठकर तरह–तरह की बातें कहते हैं और गलत आरोप लगाते हैं।

सरकार की तरफ से यह कभी नहीं कहा गया कि हम किसी हाल में जांच नहीं चाहते। हम जांच चाहते हैं, इसके बारे में हम प्रारम्भ से कह रहे हैं।....(व्यवधान) जांच करने के पहले हम लोगों ने एक ऐसी बात मान ली, जो सामान्य रूप से नहीं होती है, हमने यह कहा कि आप बहस करने से पहले हमारी सरकारी फाइलों को देख लीजिए, यहां तक कि जो गुप्त कागज भी है, वह भी हम आपको दिखाने के लिए तैयार है, जिससे कि आपको बहस करने में सुविधा हो। हमारे पास कोई चीज छिपाने को नहीं है, सब चीज साफ रखी हुई है, खुली रखी हुई है, आप देखिये।

यहां सदन में जिनके पास बहस करने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, वह बहस से कतराते हैं और दूसरों को बहस करने से रोकते हैं। हम लोग बहस करने के लिए तैयार हैं और बहस करने का अनुरोध करते आ रहे हैं। आप के चैम्बर में, राज्य सभा के चैयरमैन साहब के चैम्बर में कई बार बात हो चुकी है कि हम हर एक मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार हैं। और कोई चीज हमने नहीं कही कि हमने अपना दिमाग बन्द कर लिया है या हम जांच नहीं चाहते। यदि बहस के बाद यह तय होता है, ऐसा लगता है कि जांच होनी चाहिए तो जांच जरूर होनी चाहिए और जे पी सी की जांच होनी चाहिए तो जांच होगी, पर कम से कम बहस तो कर ली जाय।

यह लोग चाहते हैं कि पहले....(व्यवधान) इन लोगों ने आपके सामने यह भी कहा, अब मैं कहने को मजबूर हूं, उन्होंने यह कहा कि आप इन्फोर्मल तरीके से तय कर दीजिए कि उस पर जे पी सी होगी, तब हम बहस करने देंगे। यह बहस के पहले निष्कर्ष चाहते हैं, बहस के पहले नतीजा निकालना चाहते हैं, निर्णय पहले चाहते हैं, बहस बाद में चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता । पहले आप बहस कीजिए और बहस करने के बाद यदि निर्णय होता है तो हम निर्णय करने को तैयार हैं।

जहां तक हमारे सदन के नेता का सवाल है, सदन को आपने अभी तक कोई कार्यवाही करने नहीं दी तो सदन के नेता का इसमें क्या रोल है। जब तक सदन में कोई कार्यवाही नहीं होगी, सदन के नेता इसमें आकर क्या करेंगे। सदन में कार्यवाही होगी तो सदन के नेता इसमें अवश्य आयेंगे और जो कार्यवाही होगी, उसमें पूरी तरह से भाग लेंगे। अभी तो आप बहस को रोकने में लगे हुए हैं, इस कारण से अकेले इसकी बहस नहीं रुक रही है, बल्कि इसके साथ–साथ बहुत से मुद्दे बहस के लिए हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किये थे कि हमको बहुत सी बातें करनी है। हैक ब्राउन की एक बहुत तकलीफदेह ऐसी बात हुई है, जिसके बारे में सदन के माननीय सदस्य यहां बोलना चाहते हैं, न्यूक्लियर के मामले को लेकर तरह–तरह के आरोप भारत के ऊपर लगाये जा रहे हैं, सर्व सम्मति से सदन इसके बारे में अपनी राय यहां व्यक्त करना चाहता है, लेकिन वह राय यहां व्यक्त नहीं करने दी जाती। इस तरह के और भी बड़े–बड़े मसले हैं, जिनके बारे में सदन के माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उनको आखिर क्यों नहीं बोलने दिया जाता है? यहाँ पर तरह–तरह के ऐसे प्रश्न हैं, जिनको कि माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं, हम लोग जवाब देने के लिए तत्पर हैं, लेकिन उनका जवाब नहीं देने दिया जाता है। आखिर इस तरह की बातें सदन में तो नहीं हो सकती।

हमने इस बात को कभी नहीं कहा, मैं आज पूरी ताकत से इस बात का खंडन करना चाहता हूं कि कभी भी हमने कहा हो कि हम लोगों ने तय कर लिया है कि कोई जांच नहीं होगी। हमने हरदम यह कहा है कि आप चाहें तो पहले कागज देख लीजिए और उस पर बहस कर लीजिए और यदि आवश्यकता होगी तो उसकी जांच भी हो सकती है, लेकिन जब तक दोनों तरफ के हमारे माननीय सदस्य अपनी पूरी बातें कह न लें, हम लोगों की कोई एक राय हो जाये, ...(व्यवधान) एक हम लोगों की कन्सेंसस बन जाय, कुछ हो जाय या हो सकता है न भी बने, यदि मतभेद भी हो जाय तो कम से कम मदभेद सदन में तो हो। चुपचाप गुपचुप बात करते हैं, दोस्ती की बाते करते हैं, वहां पर समझौते की बात करते हैं और यहां पर आकर अपनी इधर–उधर की बातें करते हैं, राष्ट्रपति भवन चले जायेंगे, सदन के बाहर धरने पर बैठ जायेंगे, लेकिन यहां सदन में बहस करने से वह लोग कतरायेंगे, जिनके पास कोई केस नहीं है, जिनका केस कमजोर है।

वे बहस करने से कतराते है। मैं चुनौती देता हूँ कि आप बहस करिये। आप अपना पक्ष सिद्ध कीजिये और हम अपना पक्ष सिद्ध करेंगे। देश की जनता और सदन तय करेगा कि जांच होगी या नहीं होगी।

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम): हम उन्हें इसकी अनुमति नहीं देंगे। यदि वे वाद–विवाद के लिए सहमत हों, तभी हम उन्हें अनुमति देंगे। पहले हमें यह निर्णय करना है कि वाद–विवाद होगा या नहीं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्षजी, आज आपने सदन में खड़े होकर अपनी बातों को कहा। हम सब लोगों की भावना 100 फीसदी, मैं तो यहां तक कहूंगा कि 200 फीसदी तक आपके साथ हैं और हम आपकी बात से सहमत हैं । अभी यहां पर अटलजी ने आपके सामने अपनी बात रखी। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले सात दिनों तक जो आपके साथ मीटिंग हुई तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी जिसमें हम आपके चेम्बर में हाजिर न हुए हों। संसदीय कार्य मंत्रीजी ने जो बातें कहीं उनको मैं भी साफ करके सदन के सामने, आपके सामने और देश की जनता के सामने रखना चाहता हूँ। सांच को आंच क्या, अगर कोई सवाल या कोई शंका होती है तो जे पी सी कोई हैं करने का काम नहीं करती । सदन की कमेटी सजा देने के लिए नहीं होती है, यह सलाह देने के लिए होती है।..(व्यवधान)

श्री शरद यादव: विद्याचरणजी जब बोल रहे थे तो हमारी तरफ से किसी भी सदस्य ने टोका–टाकी नहीं की।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप चाहें, तभी मैं आपको अनुमति दूंगा। परंतु कृपया व्यवधान न करें।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्षजी, मैं बहुत तकलीफ से यह बात कहना चाहता हूं कि इस सत्र में जिस तबियत से और जिस तैयारी से हम तैयार होकर आये थे... (व्यवधान)

श्री शरद यादव: मणि शंकरजी आप खड़े होकर जितनी गाली देना चाहे दे लें, फिर मैं बोलूंगा।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई): बाद में दूंगा।

श्री शरद यादव: मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप बोलें, फिर हम कहना चाहेंगे।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया): शरदजी, आप बैठ जायें। मणि शंकरजी को जो कहना है वह कहने दें, फिर आप कहें। अध्यक्षजी, क्षमा करें, कोई सीमा होगी या नहीं? क्या आखिरकार कांग्रेस पार्टी का हर सदस्य वही अधिकार रखेगा जो संसदीय कार्य मंत्री रखेंगे?

क्या सदन के विभिन्न दलों के नेताओं की कोई हैसियत है या नहीं?

श्री मणि शंकर अय्यरः खास नहीं है।

श्री चन्द्रशेखरः अगर कोई खास नहीं है तो जिनकी हैसियत हो उनको ले लें, फिर उसी हिसाब से सदन को चलायें, जिस तरह से चल रहा है।

श्री शरद यादवः मैं ट्रेजरी बैंचेज के सदस्यों से विनती करता हूँ कि आप में से भी बहुत से वहां नहीं थे। अध्यक्षजी, पिछले सात दिनों से आपके चैम्बर में इनकी तरफ से एक भी सुझाव नहीं आया। माननीय चतुरानन्दजी ने सुझाव दिया, सोमनाथ दादा ने सुझाव दिया। हमारे जो और नेता रहे हैं, उन्होंने लगातार सुझाव दिये हैं। इन्द्रजीत गुप्तजी ने बहुत सी बातें हम लोगों से कहीं। चाहे अटलजी हों या अन्य कोई हों, हम सब लोग प्रयास करते रहें।

हमारी बात भी महत्वपूर्ण है। इनके पास तो राज है, इनके पास तो एक्शन करने का तरीका है लेकिन हमारे प्राणों के लिए तो इस संसद के सिवाय कोई दूसरी जगह नहीं है। हम यदि यहां नहीं बोल सकते हैं, हम यदि यहां बहस नहीं कर सकते हैं, तो हमारे प्राण नहीं बचेंगे। हम अपने प्राण, अपनी जान, अपने समूचे व्यक्तित्व के खिलाफ काम नहीं कर सकते हैं। हमने सब तरह से प्रयास किया। सिर्फ जे पी सी भर की बात नहीं कही। चूंकि आज तो जे पी सी पर ही बात बिल्कुल अड़ गई है और इसलिए अड़ गई है कि हमारी हर बात को जिस लहजे और जिस तरीके से यह कह दिया गया कि यह बात भी नहीं मानी जायेगी और वह बात भी नहीं मानी जायेगी। यानी किसी मसले पर दो–तीन घंटे बहस के बाद सरकार की तरफ से जो जवाब आया, वह नकारात्मक था। एक नहीं, दो बार माननीय चंद्रशेखर जी अन्दर आये। पहले अन्दर आकर हम लोगों को कहा, मुझ से कहा कि शरद जी, क्या कर रहे हो? इस सदन को क्यों नहीं चलने दे रहे हो? इसके बाद यह अन्दर आये और अन्दर आने के बाद दूसरी बार एक बात फैसले तक पहुंच गई। सोमनाथ बाबू ने वह बात पूरी तरह से आर्टिक्यूलेट करके, लिखकर दे दी। चंद्रशेखर जी पहले इसके हक में बोल रहे थे, उसके बाद ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः एक मिनट सुनिये। चैम्बर में जो होता है, उसकी चर्चा आप यहां पर क्यों कर रहे हैं?

–(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्लः अध्यक्ष जी, इस सदन में जो चर्चा हुई है, उसके बारे में मैं भी जो सही बात है, उस पर अपना पूरा वक्तव्य रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदयः यह ऐसे हो जायेगा कि एक बात आपकी तरफ से आयेगी और दूसरी बात इनकी तरफ से आयेगी और फिर मुझे कहा जायेगा कि सही बात क्या है, आप बताइये।

श्री शरद यादवः अध्यक्षजी, जिन लोगों ने इस सदन में अपनी आधी उम्र गुजारी है, मैं उनमें से किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। शान्ति से बीस तरह के सुझावों को देने के बाद हमारी इच्छा यह थी कि हमारे सामने बहुत से सवाल हैं, अकेले टेलीफोन सर्विसेज का नहीं है। चाहे वह डुप्लीकेट शेयर का हो, चाहे चन्द्रास्वामी का हो, चाहे गन्ने का सवाल हो। आज गन्ना मिट्टी के भाव में खेत–खलिहानों में पड़ा सड़ रहा है जबकि पहले इसके दाम बहुत ऊंचे थे। यानी हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन होगा कि हम जनता के इतने सारे सवाल लेकर तथा महीनों से मेहनत करके यहां पर बैठे हैं। अध्यक्ष जी, आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है लेकिन मैं अपनी बात कहने के लिए मजबूर हूं कि सरकार ने इस मामले को हाथ से नहीं दांत से पकड़ा। आपको मालूम होगा कि लोक सभा के सत्र से पहले एक खबर छपी थी कि इस लोक सभा के सत्र को सरकार नहीं चाहती। मैं नहीं मानता कि यह खबर सही थी या गलत थी लेकिन आज मैं यह मानता हूँ कि आप नहीं चाहते थे। आपके कई तरह के ऐसे सवाल थे। मैं जानता हूं कि अब मैं कोई सवाल उठाऊँगा तो आपके बीच में से सदस्य आगे बढ़कर खड़े होंगे। आप इस सदन में बहस नहीं चाहते हैं। इसलिए आपने....(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्लः बहस आप लोग नहीं चाहते। हम तो मांग कर रहे हैं कि बहस होनी चाहिए।

श्री शरद यादवः शुक्ला जी, इतनी जल्दी फैसला मत सुनाइये। लेकिन मेरी जो शंकायें हैं, हो सकता है कि मैं जो बात रख रहा हूं वह पूरी सच न हो।

सरकार होती है ऑलमाइटी। मेरे पास जो सूचना है, मैं जो सोचता हूं, वह मैं रख रहा हूं। आप उसको बकायदा खड़े हो कर मेरी बात कह सकते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं। लेकिन, अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ, मेरी पक्की मान्यता है कि सदन में इतने सवाल थे काश्मीर का सवाल है और पाकिस्तान को जो आर्म्स सप्लाई हुई है, जो सवाल इस देश की एकता और अखण्डता से वास्ता रखता है, उस पर हम तबियत से बोलना चाहते हैं और इस देश को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन इस सवाल को जिस तरह से सरकार ने रखा, मैं अटल जी की बात से विनम्रता के साथ असमर्थ होता हूँ। मैं नहीं मानता कि शुक्ला जी अकेले बोल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि पूरी समूची सरकार, नरसिंह राव जी इस समूची बात के पीछे खड़े हैं। नहीं तो इतनी मजबूती के साथ ये लोग इस तरह से मना करने का काम नहीं करते, जो मामूली बात है। जे पी सी एक बार नहीं मांगी जा रही है। आपके सदन में तो हमने यह तक कहा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के शब्द से चिढ़ है, तो सदन की कोई एक कमेटी बना दीजिए, लेकिन ये लोग सदन की एक कमेटी बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। ..(व्यवधान) अध्यक्ष जी, हम मानते है पहली बार हो रहा है कि किसी आदमी के ऊपर आरोप लगा हो और वह आदमी कह रहा हो कि नहीं, जब सांच है, तो फिर आदमी को डर क्या, शंका क्या, लगाइए, मुझ पर कोई आरोप, मैं अभी कहता हूं कि जांच कराइए। यदि हमारे अन्दर सच्चाई है, हमारा आचरण साफ है, यदि हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है तो जांच तो मामूली चीज है। अध्यक्ष जी, यह बात भी आई थी कि जे पी सी को हम कैप्ट–इन–अबेयैंस रखते हैं। हमने अपनी बात कही थी। सोमनाथ बाबू ने सजैशन दिया था, हम कैप्ट–इन–अबेयैंस रखते हैं...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): मैंने उनसे कहा था।

श्री शरद यादव : आपसे सिर्फ यही कहा था कि प्रोसैस को थोड़े दिनों के लिए रोक दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको मानते हैं। सदन में 90 करोड़ जनता द्वारा चुने हुए लोग बैठे हैं।....(व्यवधान) श्री मणिशंकर अय्यर, एक बात जान लो, मुझे समझ में नहीं आता है कि आप क्यों मिर्गी के पैशेंट बनने जा रहे हैं।..... (व्यवधान) आपको कुछ समझ नहीं आता है...(व्यवधान) क्या मिर्गी आती है आपको..(व्यवधान)

श्री विद्याधरण शुक्ल : यह बहुत गलत बात है। वह ऐसा नहीं कह सकते (व्यवधान)

श्री शरद यादवः आप क्यों खड़े हुए हैं, इनको खड़े होने दो । मैं इनको जवाब दे लूंगा। मेरा कहना यह है कि ...(व्यवधान) हम बहस को चाहते हैं। आपने ठीक कहा, यह देश, यह दुनिया गोली से नहीं चलती। बाहर की बहस हमको अच्छी नहीं लगती है कि हम बाहर जा कर अखबारों में बोले। यहां हम ज्यादा महफूज हैं, बेहतर लगता है यहां बोलना क्योंकि एक–एक क्षण की बात पूरे देश के पास जाती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपकी जो भावना है, आप इसमें तकलीफ में थे और आपने बहुत कोशिश की कि कोई रास्ता निकले। लेकिन सरकार किसी रास्ते के लिए तैयार नहीं है। एक सुझाव नहीं जे पी सी का, शुक्ल जी एक सुझाव नहीं आया है, कई सुझाव आए हैं। इस सदन में जिनकी आधी उम्र हो गई, उन लोगों ने कोशिश की समझौता कराने की, लेकिन आप किसी कीमत पर किसी बात पर तैयार नहीं है। हम तैयार हुए। हम कई जगह झुके, लेकिन आप नहीं झुके। हमने दो हाउस की जगह एक हाउस, हमने कहा कि हम जे पी सी को कैप्ट–इन–अबेयैंस रखते हैं और आप अपने फैसले को थोड़ा कैप्ट–इन–अबेयैंस रखिए। इस पर भी तैयार नहीं हुए। हमने कहा, दोनों सर्वमाननीय प्रिसाइडिंग आफिसर–हमारे सदन के अध्यक्ष और उस सदन के अध्यक्ष – के ऊपर छोड़ दीजिए। ये कोई कमेटी बना दे, इस पर आप तैयार नहीं हुए। हमने कहा, कमेटी का कोई एक मकसद होना चाहिए कि वह जांच करेगी, लेकन आप इस पर भी तैयार नहीं हुए। हम इस सदन को चलाना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि सदन चलें, तो हम दो–तीन महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। इस सरकार को इस मामले से ज्यादा संकट में खड़ा कर सकते हैं, कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। हम नहीं चाहें कि आप कटघरे में न खड़े हों। हम चाहेंगे कि हम बाहर चले जाएं। आपके हाथ में तो राज है, ताकत है। हमारे पास सिर्फ बहस है, बोली है। आप उस बोली को जानबूझ कर हमसे छीनना चाहते हैं। हमको इस सदन में बोलने के लिए, इस मामले पर बहस करने के लिए आपने समूचे सदन के विपक्ष के लोगों को एक करके इस बात की तैयारी करा दी कि यह सदन न चले। यह सदन किसी कीमत पर बहस न करे। न चन्द्रास्वामी आए, न रिलायंस आए और न ही दूसरे भ्रष्टाचार के मामले आए। ....(व्यवधान) न ए. टी. आर. आएं।... (व्यवधान) शुक्ला जी, मैं एक मिनट में खत्म करता हूं। मैं आपसे अपील करूंगा, ...(व्यवधान)

श्री विद्याधरण शुक्लः अध्यक्ष जी, जो भी बातें अभी शरद जी ने कही हैं, आपके चेम्बर में जो बातें हुई थी। आपको याद होगा कि क्या – क्या बातें हुई थीं। जब आपकी और चेयनमैन की बात हो रही थी। आपको याद होगा कि क्या बातें हुई थीं। तो मैंने तत्काल उसके ऊपर कहा कि हम लोग इसके लिए तैयार हैं।..(व्यवधान) फिर बाद में संशोधन किया गया कि हम इसे अध्यक्ष को देने के लिए तैयार है, परंतु पहले उसमें एक इनफोर्मल अंडरस्टैंडिंग यह हो जानी चाहिए कि वह मोडेलटीज तय करें, तो हमारा कमिटमेंट पहले होना चाहिए। मैंने बार–बार यह कहा है कि हम लोग हर तरह की बातों के लिए तैयार हैं। हम लोग कोई चीज रूल आउट नहीं करते हैं, परंतु हमें जो भी कहना है हम सदन में बैठकर बात करेंगे। ....(व्यवधान) बहस होनी चाहिए। हर काम हो सकता है, कोई चीज रूल आउट नहीं है। हर तरह की विपक्ष की जो मांगे हैं या हम लोगों के जो विचार हैं, हर तरह की जो भी हमारे पास अपेक्षाएं हैं हम उसके लिए तैयार हैं। आप उन पर बहस कर लीजिए।..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठक में हमने जो कुछ चर्चा की थी, मेरे विचार से हमें उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए।

श्री शरद यादवः अध्यक्ष जी, मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं। ए. टी. आर., स्कूटनी स्केम का मामला, जिस पर जे. पी. सी. बैठी थी आप जरा गौर से सुनिए। ए. टी. आर. पर इस सदन को इसी तरह से 7–8 दिन तक बंद रहना पड़ा। ...(व्यवधान) उस मामले में आपने कहा था कि हम एक्शन टेकन रिपोर्ट पर एक्शन करेंगे। आपके ही सानिध्य में यह तय हुआ था। हम चाहते थे कि आप ए. टी. आर. पर भी रिपोर्ट देते। उस पर भी हम मांगते। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शुक्ला जी को जो कहना चाहता हूँ कि सत्ता में रहने वाले आदमी को उदार, दयावान होना चाहिए। लोकतंत्र में विरोधी पक्ष के प्रति सदृश्य होना चाहिए। लेकिन आपने पहले दिन से हम सब लोगों को हमेशा हर बात पर यहां से निकाले यां वहां से निकालें, मेरी अंटी, मेरा राम और मेरी बेटी एक है, हमेशा यही कहा। आप जो चाहते हो, वही आप रखते हो। आपने हमको सात दिन तक घूमा–फिरा कर इस हालत में खड़ा कर दिया कि इस सदन में हम रहें या हम इज्जत बचाने के लिए सदन से बाहर रहें। यह संकट इस सदन को नहीं चलने देगा।

अध्यक्ष जी, मैं आरोप लगाना चाहता हूँ, मेरा आपसे कहना है कि अभी भी वक्त है आप तैयार होइए और सदन की कार्यवाही को चलने दीजिए। हमने यह कोई बड़ी बात नहीं की है। हमने सिर्फ एक बात कही है कि जांच करा ले और ऐसी जांच, जिस पर सजा नहीं होती है। इस सदन में बहस होगी।....(व्यवधान) जब कमेटी बनेगी तो उसमें आपका बहुमत है। उसमें आपके सदस्य ज्यादा रहेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि आपने इस सवाल को इतना गंभीर क्यो बना दिया है आप इसको इतनी दूर तक क्यों खींच ले गए? मेरी आपसे अपील है कि ए. टी. आर. के मामले में हम लोग भुगत चुके हैं। सरकार ने ए. टी. आर. पर आज तक कोई एक्शन नहीं किया। इसका पूरा देश गवाह है। इसी तरह से एक इंकवायरी कमेटी बनाने में जो सलाह दी, इसी सदन में इस पर फैसला होता। आपने इसको मानने का काम नहीं किया। कौन है जो इस सदन को नहीं चलने देना चाहता? इसलिए मेरा आपसे कहना है कि हम तैयार हैं लेकिन आप तो तैयार होइए।....(व्यवधान) हम तो यहां बोलना चाहते हैं लेकिन पहले आप तो तैयार होइए। शुक्ला जी, लोकतंत्र में जो सत्ता में बैठता है वह यदि इस मामले को प्रेस्टीज इशु बना लेगा तो निश्चित तौर पर मामला गंभीर हो जाएगा। हम निहत्थे लोग हैं, हमारा कोई प्रेस्टिज इशू नहीं है, हमारा प्रेस्टिज इशू सिर्फ इतना ही है, हमने एक छोटी सी मांग की है और उसको आप मान जाइए, यही मेरी विनती है, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और आपकी बात से हम सहमत हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री मणि शंकर अय्यर, मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूं। परंतु ऐसी कोई बात न कहें जिस पर मुझे विनिर्णय देने की जरूरत पड़े। कृपया ऐसा न करें।

...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं और खासतौर से अपने विपक्ष के मित्रों का बहुत आभारी हूं कि हमें यहां 2 शब्द कहने का मौका दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी ने जो यहां कहा, मेरे मित्र शरद भाई ने जो कहा, मैंने बड़े गौर से सुना है और हम बहुत हर्षित है कि 9–10 दिन के पश्चात हमें यहां कुछ वाद–विवाद करने का मौका मिला है, क्योंकि हम अंधेरे में थे कि आप लोगों की राय क्या है और आपके चैम्बर में क्या बहस हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहते हुए कहना चाहता हूं कि आप इस सदन के अध्यक्ष इस कारण बने हैं क्योंकि पहले आप इस सदन में सदस्य के रूप में चुनकर आए हैं। हमारे

प्रधान मंत्री जी सदन के नेता और प्रधानमंत्री इसलिए बने, क्योंकि वे पहले 6 महीने के अंदर इस सदन के सदस्य के रूप में चुन कर आए। वाजपेयी जी विपक्ष के नेता इस कारण है कि पहले वे लखनऊ से चुन कर आए। इसी प्रकार से हम सब यहां पहुंचे हैं। यह ठीक है कि दास्तान ने हमें मंत्री नहीं बनाया, दास्तान ने हमें प्रधानमंत्री नहीं बनाया, दास्तान ने हमें विपक्ष में नहीं भेजा, लेकिन उसी दास्तान ने मुझे इस सदन का सदस्य बनाया और सदन के एक सदस्य की हैसियत से, एक सांसद की हैसियत से मेरा जो हक है, वह वही है जो नरसिंह राव जी का है, अटल जी का है या मेरे मित्र शरद यादव जी का है और यदि मुझे अपनी राय रखने का मौका नहीं दिया जाता तो इसका मतलब है कि मेरे जो हित हैं, उनकी सुरक्षा नहीं की जा रही और मेरे जो हक हैं, उनका इस्तेमाल करने का मुझे मौका नहीं दिया जा रहा।

अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि श्री विद्याचरण शुक्ल जी जो यहां पर कहते हैं या खासतौर पर पूर्व प्रधान मंत्री चन्द्र शेखर जी कहते हैं, उसको हमें गौर से सुनना चाहिए और हम सुनने को तैयार हैं, मगर इनकी बातें जो बिल्कुल गुप्त रूप में आपके चैम्बर में चल रही हैं, उनकी जानकारी हमें यहां नहीं है और हमें यह बताया जाता है कि क्योंकि आपके चैम्बर में कुछ बातें हो रही हैं, इसलिए हमें यहां राय–मशविरा रखने की इजाजत नहीं है। मुझको लगता है कि यह बहुत बड़ा अन्याय है एक सदस्य के प्रति, एक मामूली सांसद के प्रति और इस सदन के प्रति। इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और खासतौर पर अपने मित्र शरद यादव जी का आभारी हूं कि हमें यहां शब्द कहने का मौका दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं कि इल्जाम या आरोप कोई भी लगा सकता है और आरोप लगाना विपक्ष का काम है। मैं चाहता हूं कि वे हम पर आरोप लगाएं, क्योंकि यही लोकतंत्र है और यदि दास्तान हमें विपक्ष में भेजे और शरद यादव जी को मंत्री बनाए तो मैं उनको आश्वासन देता हूं कि मैं उन पर आरोप लगाऊँगा, क्योंकि आरोप या इलजाम लगाना, यही विपक्ष का काम है और वे करते रहें, मगर जब भी हम पर इलजाम लगता है आरोप लगता है, उसका जवाब देने का हमारा कर्तव्य बनता है।

12.00 मध्याह्न

अब शुक्ला साहब तैयार हैं, प्रधानमंत्री तैयार है, हमारा सारा मंत्रिमंडल यहां तैयार है और जो हमारे जैसे उनके समर्थक हैं, वे भी तैयार हैं कि इनके आरोपों को हम यहां सुनें और उसमें कोई मतलब हो, कोई वजन हो तो हम उसको स्वीकार करें और कहें कि हां, हो सकता है कि पंडित सुखराम जी ने कोई गलती की हो। साथ ही साथ यदि पंडित सुखराम जी का पक्ष हम इसमें रखते हैं, दो शब्द रखते हैं तो रखें और सदन तय करे कि हमारा जो कहना है उसका कुछ महत्व है या नहीं है। इस परिस्थिति में मैं आपके सामने यह नहीं कह सकता हूं कि किस कारण से मेरे लिए पंडित सुखराम बिल्कुल मासूम हैं क्योंकि यह विषय अब तक सदन में आया नहीं है। मैं चाहता हूं कि 193 में, कालिंग आटेंशन में, या जो भी तरीका यहां बताया जाए उसके अन्तर्गत हम इस विषय को लाएं। मैं यह श्रेय आपसे छीनना नहीं चाहता हूं। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके हाथ में बहुत से पार्लियामेंटरी डिवाइस हैं, उनके अन्तर्गत आप इस विषय को लाएं। जसवंत सिंह जी मेरे गुरु बने। उन्होंने क्लास ली और हम बैक–बैंचर्स को उन्होंने बताया कि संसद को कैसे चलाना चाहिए। हम जब उन्हें गुरु दक्षिणा देने के लिए आए तो जसवंत सिंह जी अपने साथियों के साथ चले गये। मैं अपने गुरु को याद दिलाना चाहता हूं कि जो सबक जुलाई 1991 में उन्होंने हमें सिखाया, उसको वे याद करें और देखें कि पार्लियामेंटरी डिवाइस के अन्तर्गत, नो–कोन्फिडेंस मोशन लाना है, एडजोर्नमेंट मोशन लाना है तो लाएं। रूल 193 में लाना है तो लाएं, रूल 184 जो है वह लाएं, कालिंग अटेंशन जो है वह लाएं। फिर देखिए कितना अच्छा शर्गिद हूं मैं जसवंत सिंह जी का। यदि आपको जो पी सी चाहिए तो जरूर उसकी मांग आपको करना चाहिए और यदि कोई आधार बने तो जरूर हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। मुझे याद है अध्यक्ष महोदय कि जब बोफोर्स पर चर्चा चल रही थी और महीनों तक यहां बात हुई यह पता करने के लिए कि क्या कुछ घपला हुआ है या नहीं हुआ है। अंत में जिस सरकार पर आप लोगों की तरफ से इलजाम लगाया जा रहा था उसी सरकार ने जे. पी. सी. को कायम किया। मैं तब इस संसद का मेम्बर था। 1992 में जब यह सिक्योरिटी स्कैम का विषय उठा था, जिसमें पता लगा कि कुछ घपला हुआ है जिसमें हजारों करोड़ों रुपये कहीं गुम हो गये हैं। हो सकता है कि हमारे मंत्रीगण ही इसके लिए दोषी हों। तो हमने कहा कि जे. पी. सी. लाइये और डेढ साल हमने इसमें काम किया। हमें जे. पी. सी. से कोई डर नहीं है। आप कहते हैं कि हमारी सरकार के दौर में और आपकी बदौलत सारी स्टैंडिंग कमेटीज बनी हैं। हम सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं लेकिन सदन की सीढ़ियों पर बैठक नहीं हो सकती है। मैंने कल देखा कि शरद यादव जी बैठ रहे हैं, उनकी जरा सी टांग ऊपर हो गयी, तो उस टाइम पर फोटो लेते हैं। इससे क्या हमारी शान बनती है। मेरे मित्र, मेरे प्यारे नेता का इतना गंदा फोटो अखबारों में छपे यह मैं बिल्कुल सह नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि शरद जी यहां आकर बैठें। यहां के कैमरे उनके चेहरे पर जाकर रुकें। उनके चेहरे पर जो नाराजगी है वह दुनिया देखे। वह जब हंसते हैं, उनके साथ हम हंसें। उनकी बात जनता तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि इनकी पूरी बातें जनता के पास पहुंचे। उन बातों के पहुंचने पर हमारी जनता कहेगी कि हाय राम, माफ करिये, इनको तो हम दुबारा वोट नहीं डालेंगे।

मैं चाहता हूं कि इनकी बात सामने आये और सामने आने के लिये मैं शरद जी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि आप यहां आइये। आपने शूगर स्कैंडल की बातें कीं और कल्पनाथ जी को निकाल दिया। देखिये, शूगर के दाम क्या हो गये? इस बात को छोड़िये, जो भी आपके आरोप हैं, इल्जाम हैं, सब हम पर लगाइये और बताइये, मैं सुनना चाहता हूं कि हम क्यों इतने निकम्मे हैं, हम क्यों इतने नाकाम हैं? हम अपने को सुधार सके तो सुधार लेंगे। यदि आपके आरोप हमने मंजूर नहीं किये तो 5–6 महीने के अंदर इस देश की अवाम को बहुत बड़ा मौका मिलेगा कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी, उनको सत्ता सौंपे या आप लोग जो खुद–ब–खुद बिखरते रहते हैं, उनको सत्ता सौंपे। आप 60–70 आये थे। अब पता नहीं नीतीश जी क्यों नहीं आप से बात करते हैं। समझ में नहीं आता कि राजनाथ सोनकर जी हमारे यहां क्यों आ गये। उन्होंने एक ढांचे को तोड़ा लेकिन आप खुद–ब–खुद टूटते और तोड़ते जाते हैं। आप अवाम के सामने जाइये। हम भी आवाम के सामने जाकर पता करवायेंगे कि हिमाचल फ्यूचरिस्टिक को यह कांट्रैक्ट देने में हम दोषी हैं या नहीं यदि जनता ने कह दिया कि हम दोषी हैं तो हम उसको स्वीकार करेंगे और वहां जाकर बैठेंगे। यदि जनता ने कहा कि आपकी बात सही नहीं है तो हम यहां वापस आ जायेंगे। एक लोकतांत्रिक तरीका खुदा के वास्ते अपनाइये जिस को कि स्पीकर साहब हर सैशन के आरम्भ में कहते हैं। आप हमें नोटिस भेजते हैं जिस में कहते हैं कि रूल्स के अनुसार कोई भी बैल आफ दि हाउस में नहीं पहुंच सकता है...(व्यवधान) हम पहुंचे या और कोई पहुंचा? उसमें यह लिखा जाता है कि जब तक स्पीकर न बुलायें तब तक कोई उठ कर बोल नहीं सकता है। आप यहां चोर–चोर कहते रहते हैं। ऐसे में आप अन्दर जाकर बैठने को मजबूर हो जाते हो। आप जब गालियां निकालते हो तो मेरे जैसे गर्म स्वभाव वाले लोग जो कि जानते हैं कि ऑन दी रिकार्ड नहीं है, जो मन में आता है, 2–4 शब्द सुना देते हैं। नियमानुसार यह सदन चलना चाहिये। उसी सभ्यता के साथ हम यहां बहस करने को

तैयार हैं जिस सभ्यता का प्रतीक बन कर अटल जी और शरद जी ने यहां बोला।

अध्यक्ष महोदय, मेरी आखिरी मांग यह है कि या तो आपकी तरफ से या विपक्ष की तरफ से या हाउस के इस साइड से कोई न कोई तरीका ढूंढा जाये और इस विषय पर और दूसरे मुद्दों पर यहां बहस हो। मैं एक बैक बेंचर हूं और मंत्रिमंडल में भी नहीं हूं। इसलिये कहना चाहता हूं कि आप कुछ ऐसे तथ्य बतायें या कुछ ऐसे आर्ग्यूमैंट्स करें जिनसे मैं सहमत हो जाऊं और वोट आपके साथ डाल सकूं, इनके साथ न डाल सकूं लेकिन आप पहले खुदा के वास्ते बहस तो करें और हमें बतायें कि आपके दिल में यह आग क्यों है, यह कैसी आग है? ज्वालामुखी फूट कर सदन में आये और स्पीकर साहब को बतायें। आपने इनको बहुत तंग किया है। आप यहां आकर खुदा के वास्ते हमें तंग कीजिये।

श्री सोमनाथ चटर्जीः अध्यक्ष महोदय, यदि श्री मणि शंकर अय्यर इस सदन में वापस आते हैं, तो मैं उनका स्वागत करूंगा यदि वह सत्तारूढ़ दल का सदस्य बने रहते हैं तो मैं उनके मंत्री बनने की कामना करूंगा। चाहे उनका मंत्रालय कोई भी रहे अथवा संभवतः उनके लिए बिना विभाग का मंत्री होना बेहतर रहेगा क्योंकि तब वह हर बात में अपनी टांग अड़ा सकेंगे।

महोदय, हममे से हरेक इस सदन के महत्व से पूरी तरह अवगत है तथा आपने भी हमें आज याद दिलाया है क यह सर्वोच्च निर्वाचित निकाय है जिसमें हमारे माध्यम से पूरे देश का प्रतिनिधित्व हो रहा है। इस स्थान पर हमें सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए।

महोदय, इस तरह की संस्थाओं को चलाने हेतु कुछ आपसी समझबूझ तथा सहयोग का रुख होना चाहिए। केवल हेकड़ी, छिछोरापन अथवा विवाद के माध्यम से इसे नहीं चलाया जा सकता।

महोदय, हमारे संविधान का एक बुनियादी सिद्धांत है– लोक सभा तथा संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही। यदि हम सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में असफल रहते हैं तो सदन के एक बुनियादी महत्वपूर्ण कृत्य का निर्वहन नहीं होगा।

महोदय, इस ठेके के द्वारा इस क्षेत्र के द्वारा पहली बार निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए हैं। मंत्री महोदय ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि भारत सरकार द्वारा यह अब तक का सबसे बड़ा ठेका किया जा रहा है। सिर चकरा देने वाली बात है कि 62 करोड़ रुपयों की संपत्ति वाली एक छोटी सी कंपनी 85,000 करोड़ का प्रस्ताव पेश कर रही है। यदि कोई इस संबंध में चिंता व्यक्त करता है, वह भी तब जबकि उस कंपनी ने ऐसे सहयोगी चुने हों जिनकी विश्वसनीयता विवादास्पद है, तो क्या हम इस संबंध में सवाल न उठाएं? क्या हम यहां मूक दर्शक हैं? संसदीय कार्य मंत्री इसे आंकड़ों का खेल बनाना चाहते हैं। क्या राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में यही रवैया अपनाया जाना चाहिए? वह एक ही बात हमेशा कहते रहे हैं। एक बार मैंने 'टूटे रिकार्ड की तरह' शब्द का उल्लेख किया था–वही बात कही जा रही है। महोदय, मैं वह सब नहीं कह रहा हूं जो कि इस सरकार के कुछ माननीय मंत्री तथा कई सांसद निजी तौर पर कह रहे हैं। जो कुछ आपके कक्ष में हुआ, मैं उसका भी उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं आपको किसी विवाद में नहीं डालना चाहता तथा शरद जी ने भी ऐसा नहीं किया होता। किसी ने किस संदर्भ में क्या कहा तथा किसी के दिमाग में क्या था, मैं इन बातों में नहीं पड़ना चाहता। परंतु जब इतना बड़ा ठेका दिया गया उस समय जवाबदेही तथा सांविधानिक प्रावधानों का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए था। बहुत से सांसदों को इस संबंध में गंभीर आपत्तियां हैं तथा इसमें देश की सुरक्षा का सवाल भी अन्तर्ग्रस्त है।

महोदय, मैंने एक बात साफ तौर पर देखी है कि कोई भी अन्य मंत्री पंडित सुखराम के समर्थन में आगे नहीं आया है। हम यह खुले आम कह रहे हैं तथा मैं यह भी पूछता हूं कि जब इस मुद्दे पर बात चल रही है तो देश के प्रधान मंत्री का इसमें क्या कहना है। मंत्री जी कहते हैं कि जब कोई चर्चा नहीं हो रही है तो सदन के नेता का यहां कोई काम नहीं है। क्या सदन के नेता की अवधारणा यही है तथा प्रधान मंत्री का यही कृत्य है कि वह सीट नं. 1 पर बैठे रहें तथा एक भी शब्द न बोलें? क्या वह समझते हैं कि यह ठीक है? क्या उन्हें यहां नेतृत्व प्रदर्शित नहीं करना चाहिए? भारत की संसद काम नहीं कर पा रही है। कोई यह नहीं कह सकता की कोई मुद्दा ही नहीं है। यहां तक कि मणि शंकर अय्यर जी को भी मानना पड़ा कि यह महत्वपूर्ण मामला है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रधानमंत्री के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री केवल एक बात कह रहे है तथा यहां वाद–विवाद से पहले संख्या पर अड़े हुए हैं। राज्य सभा, अपनी वर्तमान सदस्य संख्या के आधार पर अलग निर्णय ले सकती है। तब यह कहा जाएगा कि चूंकि सहमति नहीं है अतः संयुक्त संसदीय समिति नहीं बन सकती तथा उनका अभिप्राय पूरा हो जाएगा। अतः सदन में वाद–विवाद कराने का पक्ष इसीलिए लिया जा रहा है ताकि जांच से बचा जा सके। हमारा कहना यह है कि जांच करायी जानी चाहिए क्योंकि हम तथ्यों को जानना चाहते हैं। अभिलेखों के तथाकथित निरीक्षण कराने से क्या नतीजा निकला? मैं वहां नहीं था, परंतु हमने माननीय सांसदों, जो कि बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, से सुना है कि जो विपक्ष के नेता वहां गए, उनके साथ सहयोग करने का कोई प्रयास तक नहीं किया गया। अतः इस संदर्भ में, जब पूरे देश की दूर संचार प्रणाली के द्वारा खोले जा रहे हैं। रवैया बिल्कुल स्पष्ट है। कोई भी आ रहा है। थाइलैंड आ रहा है, इजराइल आ रहा है। गोपनीयता बरती जा रही है। एक विशेष स्तर पर ऐसा क्यों किया गया? क्या किसी ने सुरक्षा की दृष्टि से सोचा? आपने किस समय इसके बारे में सोचा? गोपनीयता के बारे में आपने कब सोचा? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। यदि सरकार सहयोग चाहती है तो अब तक इस पर फैसला हो जाना चाहिए था। कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए होते तथा मामले पर निर्णय हो चुका होता तथा सदन अपनी कार्यवाही जारी रख पाता। हर मुद्दे पर चर्चा हो गई होती। यदि सरकार ऐसा असंचिकर रवैया अपनाती है, दुराग्रह प्रदर्शित करती है तथा किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं करती तो उससे क्या फायदा? परमाणु मसले पर विचार विमर्श में सरकार किस प्रकार सहयोग कर रही है? डाऊन संशोधन पर चर्चा में आप हमारी सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? वोहरा आयोग, हवाला रिपोर्ट तथा अन्य बहुत से विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श की प्रक्रिया में आप कैसे सहायता कर सकते हैं?

धरने पर बैठने के लिए आप हम पर व्यंग्य कस रहे हो। यह भी विरोध प्रकट करने का एक लोकतांत्रिक तरीका है। अतः यदि हम विरोध प्रकट करने के लिए यह लोकतांत्रिक तरीका अपनाते है., यदि कुछ मित्र महसूस करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास जाना विरोध का एक अन्य लोकतांत्रिक तरीका है, तब आप हमें बुरा भला कह रहे हैं तथा हम पर व्यंग्य कस रहे हैं। हमें अपने इन मित्रों से संसदीय शिष्टाचार सीखने की जरूरत नहीं है। हम भी काफी लम्बे समय से यहां हैं। यह हमने देखा है तथा हमने वहां के दिग्गजों को भी देखा है। बिना सहयोग तथा समायोजन की भावना के आप किस तरह संसद में कार्य कर सकते हैं? आज आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे तथा भाजपा के बीच भारी मतभेद हैं तथा पूरा देश यह बात जनता है परंतु इसके बावजूद इस मुद्दे पर हमारी मांग

एक है....(व्यवधान) संयुक्त विपक्ष की इस मांग के प्रति सरकार कितनी संवेदनशील है? क्या वास्तव में कोई प्रयास किया गया है? आरोप लगाना बहुत आसान है। कोई इस बारे में नहीं जानता। हम भी जनता के समक्ष जाने के लिए तैयार हैं। हम आपको निमंत्रण देते हैं कि आप सोच विचार कर पहले ही जनता के समक्ष जाएं। हमें यह न बतायें कि हम जनता के समक्ष जाने से बच रहे हैं। जो कुछ भी उनका फैसला होगा, हमें उसे स्वीकार करना होगा। इस संबंध में तो कोई विवाद नहीं है। परंतु इस आधार पर कि आप जनता को बेहतर जानते हैं, आप आज यहां बैठे–बैठे फैसले कर रहे हैं। हमें उनकी सभी प्रकार की निःशुल्क सलाहें सुननी पड़ती हैं।

[अनुवाद]

महोदय, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हम यहां हम कोई संवैधानिक गतिरोध नहीं चाहते, इसी से हमारी प्रतिबद्धता का पता चलता है। महत्वपूर्ण मुद्दों की यहां चर्चा हो चुकी है और उन्हें पारित किया गया है। उत्तर प्रदेश तथा कश्मीर के मुद्दे को उस सम्बंध में प्रस्तावों को स्वीकृत करने के लिए सहमति द्वारा हल कर लिया गया है। हमने यहां भी कहा है। यदि हम गैर जिम्मेदार होते तो हम संवैधानिक संकट पैदा कर देते। लेकिन वह हमने नहीं किया है। अतः मेरी सरकार से अपील यह है कि अभी तीन दिन बचे हैं। आइये हम तीनों दिनों का सदुपयोग करें। खुले तौर पर आपको अपने आपको तैयार करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए उस अवसर का स्वागत करना चाहिये। लोगों को पूर्ण रूप से बताया जाना चाहिये। संसद को पूर्ण रूप से बताया जाना चाहिए कि स्थिति यह है और इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। अतः महोदय, मैं सम्मानपूर्वक सुझाव देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ कि आपको कुछ कर्त्तव्यों को निभाना है। मैं यहां बैठे माननीय मित्रों की कोई बात स्वीकार नहीं करता क्योंकि वे पूर्णतः चुप्पी साधे हुये हैं। आप 'मौनी' बनकर अपने प्रधानमंत्री का ही अनुसरण कर रहे हैं। अब कोई कार्यवाही होनी चाहिये। यदि संसदीय प्रजातंत्र में आपकी कोई निष्ठा है, संसद के प्रति आपके दिल में कोई सम्मान है, यदि यहां सरकार की विभिन्न दलीय प्रणाली के कार्यकरण के आधार के प्रति आपके दिल में कोई सम्मान है तो विपक्ष भी होगा। अतः कृपा करके इसे स्वीकार कर लीजिये। सभा को तीन दिन तो कार्य करने दीजिये। यदि यह कुछ करती है तो सरकार की ओर से यह अच्छी बात होगी महोदय, जब कभी आपने हमारी उपस्थिति चाही है हम हमेशा हाजिर रहे हैं और इससे हमारी प्रतिबद्धता का पता चलता है। निपटारा अथवा समझौते करने से हम कभी नहीं हिचके हैं। हमने सर्वदा आपके साथ सहयोग किया है। महोदय, जब भी आप अपने कमरे में हमारी उपस्थिति चाहें हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। चर्चा का जो भी तरीका आप चाहें हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हम कभी भी उससे दूर नहीं हुये हैं। अतः मैं अब भी कारण जानने के लिए सरकार से निवेदन कर रहा हूँ।

अतः इस देश के हित को देखते हुए आप विरोधी रुख न अपनायें। इस देश के भले के लिए आपको संयुक्त संसदीय समिति का यह अनुरोध स्वीकार कर लेना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जीः अध्यक्ष महोदय, हम आपके अत्यन्त आभारी है विशेषतः इसलिए कि आज आपने यह कहते हुए हम सभी से अपील की है कि आपको बड़ा दुख है क्योंकि सभा ठीक प्रकार से नहीं चल रही है। आपने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया। अब हमारे पास केवल दो ही कार्य दिवस बचे हैं। सभा ने 27 नवम्बर से कार्य शुरु किया था और यह दुःख की बात है कि हमारे पास केवल दो ही कार्य दिवस रह गये हैं। हां, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि विपक्षी सदस्यों के अपने प्रजातांत्रिक अधिकार होते हैं। वे मुद्दा उठा सकते हैं; वे अपनी शिकायतें उठा सकते हैं। वे मामले की जांच कर सकते हैं; वे सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे संविधान के अनुसार यह उनका प्रजातान्त्रिक तथा मौलिक अधिकार है। लेकिन महोदय, हमें भी मुद्दा तथा लोगों की आवाज उठाने के मामले में वही अधिकार है। गरीब लोग, कमजोर वर्गों के लोग यहां सभा में नहीं आ सकते हैं, प्रैस तक नहीं पहुंच सकते हैं, वे अति विशिष्ट व्यक्तियों तक नहीं पहुंच सकते हैं वे कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पास आते हैं। क्योंकि वे कमजोर वर्ग के हैं। आज मैं खुश हूं और मैं इस सभा के सभी नेताओं तथा इस सभा के सभी सदस्यों की आभारी हूँ और मैं समझती हूँ कि हमें विशेषतः अपनी बधाई देनी चाहिए बधाइयां ही नहीं अपितु आपको अपनी शुभकामनाएं भी देनी चाहिये। महोदय, यह कम से कम आपके इरादों तथा आपकी दयालुता के कारण हुआ है जिसकी वजह से हमने कुछ बातें शुरु की हैं। पहले मैंने कुछ विपक्षी मित्रों से पूछा था– मैं सौजन्य, व्यवस्था तथा शिष्टाचार के नाते उनके नाम नहीं लेना चाहती हूँ– कि उन्होंने सभा को क्यों नहीं चलने दिया। उन्होंने मुझे बताया था कि यह उनका चुनावी कार्यक्रम है। मैंने उनको बताया था "यदि आप इसे अपना चुनावी कार्यक्रम मानते हैं तो आप अब ये सभी समस्याएं क्यों पैदा कर रहे हैं? चुनाव तो मार्च अथवा अप्रैल में होंगे। और आपने तो चुनावी कार्यक्रम उससे तीन महीने पूर्व ही शुरु कर दिये हैं। आपके चुनावी मुद्दों की वजह से लोगों को सर्वाधिक कष्ट उठाना पड़ता है।"

यदि यहां भ्रष्टाचार सिद्ध हो सकता है तो सभा इस मुद्दे पर चर्चा कर सकती है। हम सभी नेताओं जिसमें वाजपेयी जी, शरद जी, सोमनाथजी तथा हमारे संसदीय कार्यमंत्री शुक्ल जी शामिल हैं, से सहमत है उन्होंने साफतौर पर कहा था कि सभा इस पर चर्चा कर सकती है और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो सभा यह निर्णय ले सकती है कि क्या संयुक्त संसदीय समिति होनी चाहिये अथवा नहीं। मैं भी संयुक्त संसदीय समिति के पक्ष में हूं हालांकि मैं सत्ताबद्ध दल की सदस्य हूँ। उन्होंने इस सभा के सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी है। हमें भी आवाज उठाने का अधिकार है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जन आधारित पार्टी है। हम सर्वदा जनता पर निर्भर रहते हैं....(व्यवधान) कृपया बीच में हस्तक्षप मत कीजिये। यदि वे मुझे इस मुद्दे पर पहले बोलने की अनुमति दे देते तो मैं इस मुद्दे को पहले रखती और इस पर अपने मंत्री से अपील करती। चर्चा के बाद सदस्य जो भी निर्णय लेंगे, सरकार उस निर्णय को स्वीकर करेगी। वे और क्या कर सकते हैं (व्यवधान)

[हिन्दी]

...कौन किसको हराता है, यह बाद की बात है।

[अनुवाद]

मैं एक कनिष्ठ सदस्य हूँ। इस सभा में बहुत से वरिष्ठ नेता हैं। कई दफा हमें वरिष्ठ जनों से तरीका सीखना होता है। लेकिन वरिष्ठ जनों को कनिष्ठ जनों की बात सुननी चाहिये। पहले उद्योगपतियों का एक वर्ग अपना व्यापार करने में व्यस्त हुआ करता था। अब क्या हो गया है? अब मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि मूल्य आधारित राजनीति के ह्रास के कारण उद्योगपतियों का एक वर्ग इस सभा को चला रहा है। यदि इसे रोका नहीं गया तो यह कहते हुए मुझे दुःख है कि प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रजातंत्र, प्रजातांत्रिक संस्थाएं तथा प्रजातंत्र की सर्वोच्च संस्था दूषित हो जायेगी। वोहरा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में इसके बारे में संकेत किया है। यही कारण है कि मेरा निवेदन उन सभी से है। यदि मैं कोई विवादास्पद मुद्दा लाना चाहती हूं तो आप जानते हैं कि मैं बहुत सी चीजें कह सकती हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री

को 'मौनी बाबा' कहा है। किसी ने हमारी सरकार पर भ्रष्टाचारी सरकार होने का आरोप लगाया है।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार से पहले शिष्टाचार होना चाहिये। अगर हाउस की गरिमा को आप लोग नहीं निभा सकते तो भ्रष्टाचार की बात कैसे कर सकते हैं। आपने जो कुछ कहा, उसे मैंने सुना, अब जो मैं कुछ कहना चाहती हूं, आप लोगों को मुझे बोलने का मौका देना चाहिए। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।

मैं कहना चाहती हूं कि आज भ्रष्टाचार कहां पर नहीं है। हर स्टेट मे भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के मामले में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिये। पश्चिम बंगाल की बात है तो वहां तो भ्रष्टाचार है।

[अनुवाद]

महोदय, वे कह रहे हैं कि हमारी सरकार भ्रष्ट है। पश्चिम बंगाल के एक वरिष्ठ वास्तविक मुख्यमंत्री – जिनका मैं बड़ा सम्मान करती हूं क्योंकि वे मूल्य आधारित राजनीति में विश्वास करते हैं – श्री विनय चौधरी ने कहा है कि सरकार ठेकेदारों की, ठेकेदारों के लिए और ठेकेदारों द्वारा बनायी गई है।....(व्यवधान) जब उन्होंने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री 'मौनी बाबा' हैं तो मैंने यही समझा कि मुझे कुछ नहीं कहना चाहिये। मैं किसी की निंदा करना नहीं चाहती हूँ अथवा मैं किसी विवादास्पद मुद्दे को भी लाना नहीं चाहती हूं....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे यहां नहीं हैं (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, समस्या इसी के कारण है। मुद्दे बहुत सारे हैं और विशेषतः उन्हीं के लिए मैं आये दिन सूचनाएं दे रही हूँ। आये दिन आपने सूचना अवश्य प्राप्त की होगी। मैं तो यही समझती हूँ कि हवालात में हुई मौतों तथा पुलिस हिरासत में हुई मौतों, अतिरिक्त रोजगार और उनके परिवारों को अतिरिक्त मुआवजा, उनका पुनर्वास, सहायता आदि से सम्बंधित मुद्दे की जितनी सूचनाएं मैंने आपको दी है, उस बात को 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकोर्ड', में सम्मिलित कर लिया जायेगा लेकिन इन मुद्दों को हम नहीं उठा पाते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बच्चो के माता पिता की मृत्यु के बाद स्थिति क्या होती है। कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं होता है।

महोदय, मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के बारे में यह बड़ा अच्छा विधेयक है। यह माना गया है कि इस विधेयक को यहां पुरःस्थापित किया जायेगा लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कहती हूं 'देर आयद दुरुस्त आयद'। जब आपने कोई चीज बड़े मैत्रीपूर्ण ढंग से शुरु की है तो महोदय, मैं उन सभी से आपके माध्यम से अपील करूंगी कि इस सभा को चलने दें। इसे लोगों की, लोगों द्वारा लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिये न कि चुनावी मुद्दों के लिए।

धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री रवि राय जी।

....(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, उन्होंने पश्चिम बंगाल के मंत्री के बारे जो कुछ कहा है वह पूर्णतः गलत है। आज यह अखबारों में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने यह वक्तव्य दिया है कि क्षेत्रीय अखबारों ने इसे गलत ढंग से रिपोर्ट किया है ....(व्यवधान) श्री विनय चौधरी ने वक्तव्य दिया है जो अखबार में प्रकाशित हो चुका है।

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर बोलने के लिए खड़ा तो नहीं होता लेकिन में सत्य बात बोलता हूं । जब आपके कहने के बाद अटल जी और दूसरे सदस्य जो बोले उससे लगता है कि कोई रास्ता निकल सकता है ।

अध्यक्ष महोदय, पिछले नौ दिन से हमारा हाउस चल नहीं रहा है । मैं जानता हूं कि इस हाउस में सबसे ज्यादा तकलीफ आपको है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार एक ऐसा सवाल है, मैं यह नहीं कहूंगा कि कांग्रेस दल में जितने दोस्त बैठे हैं ये सब इसको नजर–अंदाज करना चाहते हैं । जब मैं यह बात कह रहा हूं तो मुझके बहुत तकलीफ होती है । देश में यह मैसेज गया है कि प्रधान मंत्री और जो अन्य मंत्री हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वे शायद जिस तरीके से हाउस में बहस करानी चाहिए उस बहस से कतराना चाहते हैं । यह गलत है या सही है, लेकिन लोगों में एक मैसेज गया है ।

इस सदन का पिछले 20–30 साल का इतिहास देखें । मैं आज कांग्रेस के नेताओं से व सांसदों से कहना चाहता हूं । मैं कृष्ण मेनन जी का नाम लेना चाहता हूं । वे बहुत ही ख्याति प्राप्त नेता थे । आज कांग्रेस दल में उस तरह के नेताओं की कमी है । चीन के हमले के समय महावीर त्यागी जैसे लोगों ने इनसे इस्तीफा मांगा । जवाहर लाल जी ने कहा कि इनका इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे । हालांकि जवाहर लाल जी ने अंत में महावीर त्यागी जी का निवेदन मानकर उनका त्यागपत्र स्वीकार किया ।

मैं दो और घटनाएं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं जो इस सदन में जवाहर लाल नेहरूजी के जमाने में घटी थीं । दास कमीशन क्यों बना? के. डी. मालवीय बहुत कुशल मंत्री थे, लेकिन केवल डेढ़ हजार रुपए की शिकायत थी, उसकी जांच हुई । आप जानते हैं कि दास कमीशन क्यों बना? वे बहुत सही थे, लेकिन उनको भी अपने पद से हटना पड़ा । टी. टी. कृष्णाचारी, इतिहास गवाह है कि देश के बहुत कुशल वित्त मंत्री थे, लेकिन मूंदड़ा कमीशन बैठा और उनको हटना पड़ा ।

मैं जानता हूं कि पं. जवाहर लाल नेहरू खुद संसद की कार्यवाही में हस्तक्षेप करते थे और हिस्सा लिया करते थे, लेकिन आज यहां क्या हो रहा है, दुनिया की सबसे वृहद् पार्लियामेंट, देश की संसद काम नहीं कर रही है, नौ दिन से लोक सभा ठप्प है, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने चुप्पी साध रखी है ।

प्रधान मंत्री जी ने छः महीने पहले इस सदन में क्या कहा था? मैं शुक्ला जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि बोफोर्स कांड के बारे में प्रति दिन हर खबर से सदन को अवगत करवाता रहूंगा, सारी खबर देता रहूंगा। आपको मालूम है, प्रधान मंत्री उस बारे में पिछले छः महीने में कितनी बार आकर बोले। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सदन के सामने वचन दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ । ए. टी.

आर. के बारे में कुछ नहीं हुआ ।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मंत्रिस्तर पर भ्रष्टाचार पर जिस तरह से पं. जवाहर लाल नेहरू के जमाने में काबू पाया था, उसी प्रकार से काबू पाने के लिए मैं शुक्ल जी आपका और चव्हाण साहब आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह कहना चाहता कि देश भर में ऐसा संदेश न आए । अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि जब इतिहास लिखा जाएगा, तो यह लिखा जाएगा, तो मैं भी नहीं चाहता और आप भी नहीं चाहेंगे कि यह लिखा जाए कि–जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था । अर्थात्

[अनुवाद]

देश में सर्वत्र भ्रष्टाचार व्याप्त है और शासन वर्ग का उस ओर ध्यान ही नहीं है ।

[हिन्दी]

यह न लिखा जाए । इसलिए मैं बहुत तकलीफ से कह रहा हूं और मैं एक सुझाव देकर अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा । आज इस बहस के बाद, जो दलों के नेता है वे और उनके साथ चन्द्र शेखर जी, मैं उनका नाम विशेषरूप से जानबूझ कर ले रहा हूं और इसलिए ले रहा हूं कि वे मना नहीं करेंगे क्योंकि उनको इस वर्ष का, सर्वश्रेष्ठ सांसद होने का पुरस्कार मिला है, उनको भी बुलाएं और जिस तरह की मानसिकता मणि शंकर जी ने दिखाई है, उसको देखते हुए मुझे यह भरोसा है और मुझे पार्टी के नेताओं के ऊपर भरोसा है कि वे पार्टी से ऊपर उठ कर, देश की खातिर सोचेंगे और जिस तरह से उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा है, यदि उस पर हम काबू नहीं पाएंगे, तो राज्यों का क्या होगा । इसलिए हम एक माडल पेश करें और चारों और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है उसको दूर करें और संसद इस तरह का माडल पेश करे कि मंत्रियों के बारे में इस प्रकार की शिकायत आई है ।

[अनुवाद]

हमने उस स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है ।

[हिन्दी]

इसीलिए मैं चाहता हूं कि भले ही

[अनुवाद]

हमें रातभर बहस करनी पड़े किंतु हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए ।

[हिन्दी]

हां आप लोग नेताओं को बुलाइए और चन्द्र शेखर जी को भी बुलाइए ।

अध्यक्ष जी, मेरा मन कहता है कि जिस तरह से आज रचनात्मक सुझाव दिए गए और सारे लोग बहुत अच्छा बोले, उसको देख कर मेरे मन में अब कोई शंका नहीं है कि सदन में बहस चलेगी और इसकी छानबीन करने के लिए सदन की कमेटी बनेगी और इन चीजों को सामने रखकर फैसला करेगी और जो नौ दिन का समय पास हुआ है और जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है, वह दूर होगा ।

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स : महोदय, मैं आपको मात्र दो मिनट का समय देने के लिए निवेदन करता हूँ । दुःख और वेदना के साथ अपनी चिन्ता व्यक्त कर रहा हूं । मैं उस पक्ष के नेताओं के हस्तक्षेप को बहुत ध्यान और तल्लीनता से सुन रहा था । मैं बहुत संक्षिप्त में और ठीक मुद्दे की बात करूंगा ।

मेरे विचार से देश सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है । दूरसंचार के क्षेत्र में एक विशेष ठेके के बारे में सभा में बड़े–बड़े आरोप लगाये गए हैं । सभी सदस्यों और नेताओं ने उस मुद्दे पर बोला, हम उन्हें धैर्यपूर्वक सुन रहे थे । मंत्री महोदय भी यहां सभा में थे और उनकी बात सुन रहे थे । चर्चा समाप्त होने पर माननीय मंत्री आरोपों का उत्तर देने के लिए खड़े हुए, किंतु यह वास्तव में दुःखद स्थिति है कि हमने संसदीय परम्पराओं को त्याग दिया है । जब आरोप लगाये जाते हैं; किसी व्यक्ति पर आरोप लगाये जाते हैं तथा यदि कोई व्यक्ति आरोपों का प्रत्युत्तर दे रहा हो तो कम से कम उसे आरोपों का उत्तर देने का समय तो देना चाहिए । हमारा मानना है कि जिस व्यक्ति पर किसी आरोप का दोष लगाया गया है वह तब तक निर्दोष है जब तक कोई सर्वोच्च मंच या न्यायालय कोई भी हो निःसंदेह यह निर्णय कर देता है कि आरोप सिद्ध हो गए हैं । किंतु दुर्भाग्यवश इस माननीय सदन में सभी आरोप लगाने के बाद यह बहुत दुःखद स्थिति है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाये गए हैं उसे एक भी शब्द बोलने की अनुमति नहीं दी गई है तथा अन्त में इस माननीय सदन ने निर्णय किया कि वह एक वक्तव्य देंगे । उन्होंने वक्तव्य दिया, सभी विपक्षी सदस्यों में फूट पड़ी है । किन्तु हम जानते हैं कि नौवीं लोक सभा में क्या हुआ राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार दो बैशाखियों भा. ज. पा. तथा मार्क्सवादी पार्टी के सहारे शासन कर रही थी, वे एकजुट हैं। हमें उसके प्रति कोई शिकायत नहीं है क्योंकि अब हम सत्तापक्ष में हैं । संसदीय लोकतंत्र में हमें जनता को जवाब देना होता है । हम पर देश का शासन चलाने की जिम्मेदारी है...(व्यवधान) मित्र, हंसिये मत, मैं भी जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ, कृपया हंसिये नहीं, मैं जानता हूँ इस हंसी का कुछ और मतलब है...(व्यवधान) जब मंत्री जी वक्तव्य पढ़ने वाले थे तो उन्हें उसे पढ़ने तक नहीं दिया गया, उन्हें वक्तव्य को सभा पटल पर रखने के लिए मजबूर किया गया । अगले दिन जब दलों के नेता उपाध्यक्ष के कक्ष में गए तो एक आम सहमति बन पाई, मैं भी वहां था । मुझे बुलाया गया था । कई नेताओं और सदस्यों को भी बुलाया गया था, यह सहमति हुई थी कि वह फाइल वहां लाई जायेगी, तथा उस पर विचार किया जाए । उन्हें फाइल को देखने की पूरी सुविधा दी जाए । सभी गोपनीय दस्तावेज तथा फाइल वहां थी । किंतु दुर्भाग्यवश कुछ सदस्यों ने उस आरोप विशेष पर विचार किए बिना एक बात उठाई कि बुनियादी दूरसंचार सेवाओं पर विचार करने से पूर्व हमें सेलुलर दूरसंचार सेवाओं की फाइल देखनी चाहिए...(व्यवधान) उन्होंने साढ़े तीन घंटे का समय लिया गृह मंत्री तथा शुक्ल जी सहित अधिकांश मंत्री वहां मौजूद थे....(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये...(व्यवधान)

श्री राम कापसे (ठाणे) : हमारी मांग क्या थी ? हमारी मांग थी कि लाईसेंस जारी न किये जाएं, हमारी मांग यह थी....(व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स : साढ़े तीन घंटे बाद मात्र इस मुद्दे पर चर्चा की गई कि सेलुलर दूरसंचार सेवाओं के मुद्दे को लिया जाय । वह अलग मुद्दा था । मेरा कहना है कि जो भी आरोप लगाए गए है हम उनका उत्तर देने को तैयार हैं । हमें समय दिया जाना चाहिए तथा मैं पूरे

विपक्ष से अनुरोध करता हूँ कि उचित वाद–विवाद करने की अनुमति दे । वाद–विवाद के अन्त में यदि वे संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम संयुक्त संसदीय समिति या सभा की कोई समिति या किसी भी तरह की जांच करवाने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है । मुझे बहुत दुःख है कि एक बहुत वरिष्ठ सदस्य तथा लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष–मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ–कांग्रेसी सदस्यों पर आरोप लगा रहे हैं । मुझे इस पर गंभीर आपत्ति है । हम भ्रष्ट नहीं हैं, हम यहां कोई भ्रष्ट कार्य करने के लिए नहीं हैं । हम किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं दे रहे हैं । हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं..(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : किंतु कुछ मंत्री भ्रष्ट हैं....(व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स : हमारी महान परम्परा है, मैं भी आपके अधिकांश सदस्यों पर उंगली उठा सकता हूँ....ऐसी कोशिश मत करिये...(व्यवधान)

यही मेरा विनम्र निवेदन है, हम उचित ढंग से चर्चा करना चाहते हैं हम जवाब देने के लिए समय चाहते हैं । वाद–विवाद के अन्त में यदि वे संतुष्ट नहीं हैं तो हम किसी भी तरह की जांच करवाने के लिए तैयार है जिससे सम्पूर्ण देश जान सके कि वास्तव में क्या हो रहा है । मेरे विचार से देश में एक बहुत गलत मैसेज गया है । यह पुनीत सदन जनता के लिए है अतः यह किया जाना चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष जी, नौ दिनों से संसद में चर्चा चल रही है पर संसद नहीं चल रही है । जैसा आपने कहा, संसद के बाहर सब कुछ चल रहा है । आज प्रसन्नता इस बात की है कि आपके हस्तक्षेप से कम से कम हम यहां पर बात कर रहे हैं । दुख इस बात का है कि आपके कक्ष में जो बातें होती हैं, उसकी चर्चा यहां पर होती है । आपने एक बार मुझसे उलाहना दिया था, यह गुस्सा दिखाया था कि मैं आपके कक्ष में नहीं जाता। मेरी यही विवशता थी । वहां जो बातें होती हैं, उसको यहां कहने में मुझे बड़ा संकोच होता है ।

वह बातें मुझे एक अजीब दुविधा की स्थिति में डाल देती हैं । एक पक्ष से एक बात कही जाती है, दूसरे पक्ष से दूसरी बात कही जाती है और मैं उसका दृष्टा बना रहता हूं, चुपचाप सुन लेता हूं, लेकिन यह उचित नहीं है । मैं दोनों बार इसलिए गया कि दो ऐसे व्यक्ति थे, जिनकी बातों को मैं टाल नहीं सकता । पहली बार आपके कक्ष में गया, माननीय इन्द्रजीत गुप्त जी ने मुझे विवश किया और दूसरी बार अटल जी ने मुझे विवश किया, इस कारण मैं वहां पर गया था और मैंने सुझाव रखा ।

मैं माननीय विद्याचरण शुक्ल जी से कहूंगा, निवेदन करूंगा कि एक उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर रहते हुए आपके कक्ष में जो बातें हों, उनकी चर्चा वह न करें तो ज्यादा अच्छा है और अगर चर्चा करें तो इस तरह से न करें कि हमारे जैसे लोग उन बातों पर दुविधा में पड़ जायें । केवल इतना ही मैं कहना चाहता हूं ।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कितनी ही यहां पर बहस हो, उस बहस का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, जिस स्थिति में हम पहुंच गये हैं । अटल जी ने, नेता विरोधी पक्ष ने एक बात कही, जिसके ऊपर सोमनाथ जी ने भी कहा, जिसके बारे में कुछ अन्य मित्रों ने भी चर्चा की । नौ दिन पार्लियामेंट न चले और सदन के नेता उस पर चुप रहें, यह स्थिति संसदीय जनतंत्र में सोची नहीं जा सकती, क्योंकि प्रधान मंत्री केवल कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, वह सदन के नेता हैं । अगर किसी हालत में सदन नहीं चलता है तो हम लोग यहां पर किसलिए हैं और प्रधान मंत्री किसलिए सदन के नेता हैं ? मैं बिना कुछ कहे हुए आपसे आग्रह करूंगा कि इसे मान–सम्मान का सवाल न बनाया जाय ।

मुझे आश्चर्य होता है, जब कहा जाता है, आप प्रधान मंत्री से क्या बात करना चाहते हैं । मैं भी बहुत दिनों से इस सदन में हूं, मैंने भी बहुत से प्रधान मंत्रियों से बात की है । यह पहली बार मेरे सामने कहा गया कि पहले यह बता दीजिए कि आप प्रधान मंत्री से क्या बात करेंगे, तब प्रधान मंत्री जी आपसे मिलेंगे । यह स्थिति तो हमने कभी नहीं देखी है । अध्यक्ष महोदय, मुझे जीवन का यह पहली बार दुखद अनुभव हुआ । आप नेताओं को फिर बुलाऐंगे, मैं नहीं चाहता कि आपकी उच्च पद की गरिमा को हम लोग यहां पर बहस का विषय बनायें, इसलिए आपके द्वारा मैं सदन के नेता श्री पी. वी. नरसिंहराव से विनम्र निवेदन करता हूं कि वह दूसरे नेताओं को बुलायें, इसके पहले कि आप नेताओं को बुलायें, उसके पहले प्रधान मंत्री जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री शरद यादव श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री इन्द्रजीत गुप्त, चार लोगों को निमंत्रण देकर अपने घर पर, अपने कार्यालय में बुलाने का कष्ट करें । इससे उनके प्रधान मंत्री पद की गरिमा बढ़ेगी, घटेगी नहीं और उनकी बात के बाद ही कोई निर्णय निकल सकता है । यदि मेरी प्रार्थना का कोई असर हो तो मैं सार्वजनिक रूप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी प्रार्थना आप प्रधान मंत्री तक पहुंचा दें । इस विषय का अगर कोई निर्णय लेना है तो इन चार लोगों को बुलाकर प्रधान मंत्री बात करें।

प्रधान मंत्री कोई हो, यह लोग भी कल प्रधान मंत्री हो सकते हैं और जो लोग प्रधान मंत्री नहीं हुए हैं, उन लोगों का भी प्रधान मंत्री से कभी–कभी ऊंचा स्थान होता है । हम भी थोड़े दिन प्रधान मंत्री हो गये तो हमको यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम सबसे बड़े आदमी पैदा हो गये थे । प्रधान मंत्री अगर बुलाऐंगे तो उनका सम्मान बढ़ेगा और इस विषम परिस्थिति से हम निकल सकेंगे ।

मैं यह नहीं चाहता कि वह सब नेताओं को बुलायें, इन चार नेताओं को आपके कक्ष में बुलाने के बाद और नेताओं को बुलाकर प्रधान मंत्री जी और हमारे परम मित्र श्री विद्याचरण शुक्ल जी अगर बात करें तो कोई रास्ता निकाला जा सकता है । मुझे दुख इस बात का है, अध्यक्ष महोदय, जब मैंने आपसे कहा था, मीटिंग में नहीं कहा था, अलग से कहा था, हमारे कुछ संसद् सदस्य उच्चतम न्यायालय में गये हैं, क्यों गये, मेरी समझ में यह बात नहीं आती । मैं इतना ही कहूंगा और सरकारी पक्ष की ओर से भी यह सोचा जा रहा है कि चलो उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय दे देगा, हमारे पक्ष में निर्णय हो जायेगा तो विपक्ष के मुंह पर कालिख लग जायेगी, हम जीत जायेंगे । जनतंत्र में यह सबसे बड़ी कुत्सित प्रवृत्ति है और यह संसदीय प्रणाली के लिए सबसे बड़ा खतरा है । जो काम संसद् कर सकती है, उसे हम न करके सर्वोच्च न्यायालय ही सही, उसके पास अगर हम भेजते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस संसद् की मर्यादा नहीं रहेगी तो इन न्यायालयों की मर्यादा भी नहीं रह सकती । जनतंत्र के जितने दूसरे अवयव हैं, वह सब समाप्त हो जायेंगे । अच्छा होता कि संसद् के सदस्य उच्चतम न्यायालय में नहीं गये होते और अच्छा होता कि हमारे सरकार के लोग उसके निर्णय पर अपनी ख्याति अर्जित करने की कोशिश न करें । कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिये हैं और जनता ने उस निर्णय के विपरीत निर्णय दिये हैं ।

अगर इतिहास भूल गये हों तो उसको फिर से याद कर इस लोभ का संवरण करें । मेरा अंतिम निवेदन यही है कि प्रधान मंत्रीजी अगर मेरे निवेदन को सुन सकें तो इन नेताओं को बुलाकर पहल करें ।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह (सतना) : महोदय, इस अवसर के लिए मैं आपका आभारी हूँ। जो कुछ भी इस सदन के सम्मानित वरिष्ठ सदस्य श्री चन्द्रशेखर ने अभी कहा है, मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूँ।

यह मात्र औचित्य अथवा अनौचित्य का प्रश्न नहीं है। बड़े-बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं तथा एक संसदीय लोकतंत्र में यह कोई असामान्य बात नहीं है। परंतु संसद ने हमेशा ऐसे तरीके ईजाद किए हैं जिनके माध्यम से सच्चाई का पता किया जा सकता है अथवा जहां तक संभव हो सच्चाई के निकट पहुंचा जा सकता है तथा उसका किसी को बुरा भी नहीं लगता। मेरे विचार से सदन की एक समिति, चाहे उसमें कितने भी सदस्य हों, द्वारा इसकी जांच कराए जाने पर किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। किसी ऐसे विषय जिसमें विचारों में काफी मतभेद हो, पर किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए संसद यही तरीका अपनाती है। मेरे विचार से सरकार को यह अनुरोध मान लेना चाहिए। इसका आकार तथा नाम क्या हो, इस बारे में पीठासीन अधिकारी निर्णय ले सकते हैं। परंतु इस सदन के प्राधिकार के अंतर्गत अथवा अध्यक्षपीठ के विवेकानुसार इस सभा के सदस्यों की एक समिति गठित की जाए जो इस सारे मामले की जांच करे। क्या फर्क पड़ता है, जब आप दस सदस्यों को बुलाकर फाइल दिखाने के लिए तैयार हैं, तो आप उन दस सदस्यों को इस मामले की जांच करने तथा सदन को सूचित करने का अवसर तथा प्राधिकार क्यों नहीं प्रदान करते। समिति का और क्या मतलब होता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे विचार से इससे सरकार की अविश्वसनीयता नहीं बढ़ेगी। बल्कि रोजाना सदन के स्थगन होने से पूरे देश को यह विश्वास होता जा रहा है कि कुछ न कुछ गंभीर गड़बड़ी हुई है। मैं नहीं समझता कि यह अच्छी बात है। हम इस राष्ट्र की दसवीं लोक सभा के सदस्य हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, मैं कभी-कभी महसूस करता हूँ कि क्या हम इस सदन की विश्वसनीयता को बढ़ा रहे हैं अथवा हम मौन साधे संसदीय प्रणाली की मुख्य बात अर्थात् जवाबदेही को शनैः शनैः पूरी तरह लुप्त होते हुए देख रहे हैं। हम इस संसद तथा राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं।

मैंने बहुत साल पहले एक दर्शक के रूप में इस सदन में वाद-विवाद होते हुए देखा है जब हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू यहां सदन के नेता के रूप में बैठते थे। काफी जोरदार बहस हो रही थी। वह पूरे वाद-विवाद के दौरान अविचलित रूप से बैठे रहे तथा इसके अंत में वह उठे और यह कहा। मैं अपनी याददाश्त से बता रहा हूँ उन्होंने कहा, "मैंने हरेक की बात सुनी है। अब मैं बताता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए।"

इस सदन का नेता किसी दल अथवा सरकार का ही नेता नहीं होता। अपितु वह ऐसा नेता है जिसे इन छोटी बातों से ऊपर उठकर अंततः संसद तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि हम सब उसकी होड़ करने की स्थिति में नहीं हैं। परंतु यह मौका ऐसा है जब सदन के नेता को उपस्थित होना चाहिए, यदि वह उपस्थित नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं कह सकेंगे। दलगत बातों से ऊपर उठना एक बिल्कुल अलग बात है।

इसीलिए जो कुछ मेरे मित्र व वरिष्ठ सहयोगी श्री चन्द्रशेखर ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। यह अत्यंत आवश्यक है कि दिव्यवाणी अब मौन नहीं रहे। उसे दलगत स्वार्थों से ऊपर उठकर निर्भीकता से ऐसे स्वर में बोलना चाहिए जिसे पूरा देश सुनना चाहता है। इसे पूरे देश में गूंजना चाहिए और ऐसे व्यक्ति के माध्यम से व्यक्त होना चाहिए जिसे देश का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी तथा अवसर दिया गया हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय इस सत्र की निर्धारित अवधि के मात्र तीन दिन शेष रह गए हैं। बिना किसी पर लांछन लगाए मैं यह कहता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है उस पर सभी चिंतित तथा दुःखी हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। महोदय, हमें यह बात अच्छी लगे या बुरी, परंतु वास्तविकता यही है कि सदन की विश्वसनीयता कम होती जा रही है। आप सुनिए कि बाहर लोग क्या कह रहे हैं। तभी आप उसका मतलब समझेंगे जो मैं कह रहा हूँ। अब यदि हम इन तीन दिनों के समय में इस गतिरोध का कोई समाधान ढूंढ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ कि यह हमारे तथा इस पूरे सदन की परीक्षा है। यदि हम कोई समाधान न नहीं ढूंढ पाते और यदि आप 22 तारीख को इस गतिरोध के जारी रहते हुए इस सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देंगे तो इस सदन के बारे में जनता क्या सोचेगी? यह हम सबकी परीक्षा है। मैं जानता हूँ कि यह बहुत अनुकूल समय नहीं है क्योंकि दुर्भाग्यवश यह चुनाव का मौसम है। मुझे दुःख है कि एक सदस्य ने यहां इस तरह का लांछन लगाया है कि कुछ उद्योगपति इस सदन को चला रहे हैं। हो सकता है कि उद्योगपति किसी पार्टी को चला रहे हों। मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है। परंतु मैं, इस सदन के एक सदस्य की हैसियत से इस तरह के आरोप पर, कि उद्योगपति इस सदन को चला रहे हैं, रोष प्रकट करता हूँ। यदि ऐसा है तो मैं त्यागपत्र देकर बाहर चला जाना ठीक समझूंगा। मैं एक ऐसे सदन का सदस्य क्यों बना रहूँ जिसे उद्योगपतियों द्वारा चलाया जा रहा हो?

महोदय, पिछले दस दिनों में हमने इस सदन से बाहर कई जगहों पर तथा आपके कक्ष में कई तरह से बातचीत की है। अब मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। मैंने इस तरफ से अपने मित्रों से परामर्श नहीं किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं तथा इस मांग पर इस ओर से अभी एकमत हैं कि एक संसदीय समिति होनी चाहिए। मैं इस बात पर जोर नहीं देता तथा यह नहीं मानता कि यह पुरानी तरह की संयुक्त संसदीय समिति हो। यह किसी अन्य तरह की संसदीय समिति हो सकती है जो कि केवल इस सदन की हो। हम इस बात पर एकमत हैं कि एक संसदीय समिति द्वारा जाँच करवाई जाए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री रोज हमसे कह रहे हैं कि यदि हम चाहें तो पहले फाइलें देख ली जाएं। हम इस पर सहमत हुए तथा हमने फाइलों को देखने के कार्य के लिए प्रत्येक दल से एक-एक सदस्य भी नामनिर्दिष्ट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि वाद-विवाद होना चाहिए तथा इसके बाद सदन फैसला करेगा....(व्यवधान)... उनका कहना है कि बहस के बाद हम फैसला करेंगे कि समिति के गठन के लिए मामला बनता है अथवा नहीं। महोदय, हमने उनसे बार-बार पूछा है कि उनके यह कहने कि सदन फैसला करेगा का क्या मतलब है तथा वह कैसे निर्णय करेगा। स्पष्टतः उनके उत्तर को बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है कि उनके दिमाग में क्या है अर्थात् सदन मत-विभाजन के द्वारा फैसला करेगा। मैं नहीं जानता। मैं संसदीय मामलों का कोई बड़ा छात्र नहीं हूँ जो बड़े-बड़े खंडों की किताबों तथा वृहद् ग्रंथों को पढ़ सकता हो। क्या प्रत्येक संसद में संकट पड़ने पर प्रत्येक मामले पर बहुमत और अल्पमत से ही निर्णय किया जाएगा। क्या संसदीय लोकतंत्र की यही अवधारणा है? दूसरे देशों की बहुत सी संसदों में कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब गिनती के हिसाब से सत्ताधारी दल तथा विपक्ष में भारी अंतर रहा है। फिर भी उन्होंने इस तरह की कठोर प्रक्रिया नहीं अपनाई कि हर मामले का मतदान, बहुमत तथा अल्पमत से समाधान किया जाए। यह संसदीय लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। यह ठीक है कि बहुमत, बहुमत ही होता है। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि बहुमत को अल्पमत में बदल दिया जाए तथा अल्पमत बहुमत बन जाए। बहुमत तथा अल्पमत हो सकते हैं। परंतु मुद्दा यह है कि संसदीय लोकतंत्र के ढांचे में इन दोनों में क्या संबंध होना चाहिए?

इसलिए मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि जब उन्होंने कहा कि यदि विवाद–विाद होता है–और वास्तव में आधा वाद–विवाद आज हो चुका है–तो वाद–विवाद के अन्त में सभा निर्णय करेगी, किंतु क्या वे स्पष्ट रूप से कहने के लिए तैयार है कि इसका निर्णय आवश्यकीय रूप से बहुमत या अल्पमत से नहीं किया जायेगा? वाद–विवाद के अन्त में हमें पुनः एक साथ होना पड़ेगा तथा कोई रास्ता ढूंढ़ना पड़ेगा जिससे किसी आम सहमति या समझौते तक पहुंच सकें। यदि हम यह नहीं कर सकते हैं तो ठीक है। इससे इस व्यवस्था पर संकट और बढ़ जाएगा। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि अन्त में मामले का निर्णय मत विभाजन या मतों द्वारा किया जाएगा। हम इससे सहमत नहीं हो सकते हैं क्योंकि यह मामला अब बहुत आगे बढ़ गया है। यह बहुत गम्भीर मामला है। मुझे भी सुखराम की समस्या के प्रति दुःख है जब उन्होंने कहा कि उनकी बात नहीं सुनी गई, उन्हें बोलने नहीं दिया गया हो सकता है उन्हें गुमराह किया गया हो या कुछ और बात हो। मेरी सहानुभूति उनके साथ है, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि कोई व्यक्ति इस सदन में बोलना चाहता हो, तथा जो इस सदन में बोलने का अधिकारी हो उन्हें बोलने न दिया जाय, हमारा कभी भी ऐसा इरादा न था न ही हमने कभी ऐसा निर्णय किया कि उन्हें बोलने न दिया जाय, इसलिए यह बात नहीं है। बात यह है कि यदि अब हम कुछ समाधान चाहते हैं, जब इस सत्र के दो–तीन दिन बचे हैं लोगों को कुछ बताने में सक्षम हुए बिना तथा किसी समझौते का समाधान करने में सफल हुए बिना हम वापस नहीं जाना चाहते है तथा यह बहुत अच्छी बात नहीं होगी।

महोदय, मेरे साथियों ने सदन के नेता के बारे में जो कुछ कहा है मैं उसमें बहुत अधिक जोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं इस सदन का हिस्सा हूँ। जब आप कहते हैं कि वह सदन का नेता है तो इस प्रकार वे मेरे नेता भी बन जाते हैं। मैं भी इस सदन का हिस्सा हूँ। हम सभी इस सदन के अंग हैं। या हमें नेतृत्व का विचार छोड़ देना चाहिए, उस स्थिति में सदन का नेता नहीं होगा। इसका क्या तात्पर्य है? क्या इसका कोई महत्व है? मैं इस सभा में उस समय भी आया हूँ जब पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी कई स्मृतियां मेरे मन में छायी हैं कि वे यहां किस प्रकार का व्यवहार करते थे। मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता हूँ कि वे प्रतिदिन कितना समय सभा में बिताया करते थे, वे कैसे प्रतिदिन प्रश्नकाल के दौरान सभा में उपस्थित रहते थे तथा जब आवश्यक हो किस प्रकार हस्तक्षेप किया करते थे। किंतु मैं सदन के नेता की भूमिका और जिम्मेदारी को नहीं समझ सका जिन्होंने विगत दस दिनों कोई संकेत नहीं दिया कि जो कुछ हो रहा है उनकी उसमें कोई रुचि है, साफ है कि उन्हें रुचि लेनी चाहिए। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि क्या हो रहा है? मैं श्री शुक्ला को श्रेय देता हूँ कि वे सही या गलत सूचना उन्हें देते रहे हैं। इसलिए सदन के नेता पूरी बात स्पष्ट रूप से जानते है तथा मुझे विश्वास है कि सदन में उनकी रुचि है। अन्ततः वे सरकार के प्रमुख है।

1.00 म. प.

उनके एक मंत्री पर पक्षपात, भ्रष्टाचार आदि के अपराधों के गंभीर आरोप लगाये जा रहे हैं। पूरे मामले को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, किंतु कम से कम अब तक सदन के नेता ने ऐसा संकेत नहीं दिया है कि यहां आने में उनकी कोई दिलचस्पी है या प्रत्यक्षतः विपक्ष की भावना या इच्छा जानने या विपक्षी नेताओं से परामर्श करने में पर्याप्त रुचि रखते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, यह प्रश्न भी उठाया गया था और शुक्ल जी ने कहा "यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो वे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे" मैंने कहा "यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं" का क्या तात्पर्य है, मैं सदन का नेता नहीं हूँ, वे सदन के नेता हैं, क्या वे रुचि रखते हैं या नहीं? क्या वे यह नहीं समझते हैं कि यह मामला काफी गंभीर और नाजुक है इसलिए उन्हें विपक्ष के साथ सीधी बातचीत करनी चाहिए? ऐसा प्रतीत होता है वे नहीं चाहते हैं। मैं इस दृष्टिकोण की प्रशंसा नहीं कर सकता हूँ। महोदय न केवल संसद की साख समाप्त हो रही है अपितु सदन का नेता, जिसे संसद की संरचना में एक विशेष स्थान दिया गया है, भी अपनी सार्थकता खो देगा। यह निरर्थक बन जायेगा, पहले भी कुछ अवसरों पर ऐसा हुआ है मैं उसका उल्लेख करना नहीं चाहता हूँ।

श्री चन्द्रशेखर जी और श्री अर्जुन सिंह जी ने कुछ विशेष सुझाव दिए हैं। मेरे विचार से उन सुझावों पर कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि इससे कुछ समाधान मिल भी सकता है या नहीं। हमने हर कोशिश की किंतु हमें सफलता नहीं मिली, इसलिए यह कोशिश करने में कोई हानि नहीं है। स्पष्ट रूप से कोई भी पहले से यह वचन नहीं दे रहा है कि जो प्रधानमंत्री कहेंगे हम उसे स्वीकार कर लेंगे। हम स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं, किंतु मैं मंत्री महोदय से एक वचन चाहता हूँ। जब वे यह कहते है कि वाद–विवाद के बाद इस मामले का निर्णय सभा में किया जाएगा। यदि उनके कहने का तात्पर्य यह है कि यह बहुमत, मतदान या मत विभाजन द्वारा किया जाएगा तो हम इससे सहमत नहीं हैं, अब यह एक मुद्दा बन गया है, इसे एक विवाद का मुद्दा बनाया गया है तथा यह देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कम से कम उन्हें कहना चाहिए कि वाद–विवाद, चर्चा के बाद प्रत्येक सदस्य बोलने के लिए तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है उसके बाद हम क्या करेंगे इसका निर्णय भी पूरी सभा तथा दोनों पक्षों द्वारा साथ बैठ कर किया जाएगा। तब हमे पुनः परीक्षा देनी होगी। यदि हम उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो ठीक है, यदि हम असफल होते है और हमें लोगों को कहना पड़ेगा कि हम असफल हुए है, उनके दिमाग में जो यह बात है कि हम बहुमत में हैं इसलिए क्या फर्क पड़ता अन्ततः हम कुछ भी पारित कर सकते हैं जो हम चाहें, किंतु ऐसा होगा नहीं। यह संसदीय लोकतंत्र की भावना नहीं है।

इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक अपने सुझाव को दोहरा रहा हूँ। यदि वे उससे सहमत होते हैं या सदन का नेता उससे सहमत होता है तो पूरे मामले पर पुनः विचार किया जा सकता है। अब समय नहीं बचा है यह एक समस्या है, समय नहीं बचा है किंतु हम इस मुद्दे के समाधान के लिए उतने ही उत्सुक हैं जितना कोई और, कोई स्पष्ट, वस्तुपरक और निष्पक्ष समाधान मिलना चाहिए तथा यही इस मामले का मूल प्रश्न है। स्पष्ट, वस्तुपरक, तथा निष्पक्ष समाधान, जो किसी के अधिकारों पर कुठाराघात भी नहीं है तथा किसी के सम्मान को क्षति पहुंचाने वाला भी नहीं है ढूंढ़ना होगा, यही हम चाहते हैं। महोदय, इसलिए मुझे आशा है कोई रास्ता निकालने के लिए आप अपने प्रभाव और अधिकारों का प्रयोग करेंगे, धन्यवाद।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय क्या मैं वह बात कह सकता हूँ जिसे मैं बार–बार....(व्यवधान)

श्री पी. जी. नारायणन : महोदय मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कृपया एक मिनट रुकिए।

महोदय, संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाय या नहीं, इस बारे में मैंने बार–बार कहा है और मैं यहां स्पष्ट रूप से पुनः कहूंगा कि संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाय या नहीं इसका निर्णय बहुमत या मतदान द्वारा नहीं किया जाएगा....(व्यवधान) यह बिल्कुल साफ है (व्यवधान) क्या मैं संक्षेप में उत्तर दे सकता हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं पुनः कह रहा हूँ कि इस प्रश्न को बहुमत से हल नहीं किया जाएगा । जब वाद–विवाद होगा तो दोनों पक्ष अपने विचार सदन में व्यक्त कर सकते है । यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार के गंभीर मामलों का बहुमत द्वारा निर्णय किया जाय, यह आवश्यक नहीं है । दूसरा, मैं हाल में दो संयुक्त संसदीय समितियों के गठन का स्मरण करूंगा जब हम बहुमत में थे, तब भी हमने संयुक्त संसदीय समिति के गठन का निर्णय किया था क्योंकि उस समय एक आम सहमति या समझौता या जो कुछ भी आप इसे कहें की, तथा उस समय भी बहुमत या मतदान का कोई प्रश्न नहीं था । मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इसका निर्णय बहुमत या मतदान द्वारा करना पड़ेगा । मैं पुनः स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि व्यापक वाद–विवाद करने के बाद यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे प्रश्नों का निर्णय मात्र मतदान से किया जाय । इसका निर्णय करने के कई तरीके हैं । हमने उन तरीकों का पहले सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हम उनका अब भी परीक्षण कर सकते हैं । मैं इस बात को प्रारम्भ से ही कह रहा हूँ । हम इस बात को कह रहे हैं । किंतु किन्हीं कारणों से सारा मामला विवाद में बदल गया है जो मेरे विचार से बिलकुल अनावश्यक है तथा इससे सदन का बहुमूल्य समय नष्ट हुआ है ।

इस सभा में विपक्ष के स्तर या नेतृत्व के स्तर के बारे में मैं कहूँगा कि मुझे इस सदन में 1957 में आने का अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब पक्ष–विपक्ष दोनों ओर बड़े–बड़े दिग्गज थे । यदि पंडित नेहरू प्रतिदिन सभा में उपस्थित रहते थे, वाद–विवाद में ध्यानपूर्वक भाग लेते थे, सभा और सभा की कार्यवाही का सम्मान करते थे तो इसके संसदीय लोकतंत्र के महान प्रेमी होने के अतिरिक्त कई अन्य कारण भी थे । वे दिग्गज थे। (व्यवधान) मैं, वर्तमान में विपक्ष के नेतृत्व पर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ । (व्यवधान) एक ओर तो पंडित नेहरू थे और दूसरी ओर श्री हीरेन मुखर्जी और आचार्य कृपलानी थे । मैं ऐसे अनेक महान् नेताओं का नाम गिना सकता हूँ जो उस समय थे और हम लोग नौजवान होने के नाते पीछे बैठते थे और दोनों पक्षों की संसदीय मामलों में विशेषज्ञता की प्रशंसा करते रहते थे । अतः, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि मात्र एक ही ओर का स्तर गिरा है और दूसरी ओर का नहीं गिरा है । लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि सभा की कार्यवाही का संचालन कैसे होना है, हमें अनुशासन की जानकारी हो इसलिए, हमें अपने आप से संतुष्ट होना होगा । इस नेता अथवा उस नेता अथवा इस दल अथवा उस दल को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है । सभा का मतलब चर्चा और वाद–विवाद करना है । यदि किसी वायदे के लिए कहा जाता है, जैसा कि विगत सात दिनों से कहा जा रहा है–और चर्चा के पूर्व संयुक्त संसदीय समिति के गठन का वायदा किया जाता है, तो यह उचित तरीका नहीं है । इसे वाद–विवाद अर्थात् संसद के दोनों सभाओं में वाद–विवाद से निर्णय लिया जाना चाहिए । अन्य विभिन्न तरीके के बारे में उल्लेख किया गया है और कहा गया है । मैं उन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी इच्छा है कि इस वाद–विवाद से उद्देश्यपूर्ण निर्णय लिया जा सके । मैं इसे दुहराते हुए कहता हूँ कि–श्री सोमनाथ बाबू को इसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए–मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि यह आंकड़ों का खेल है । यह एक वाद–विवाद, एक उद्देश्यपरक वाद–विवाद होना चाहिए जिसमें दोनों पक्ष के लोग खुलकर भाग लें, अपने–अपने विचार रखें और फिर किसी निर्णय पर पहुँचे, जरूरी नहीं है कि वह निर्णय बहुमत से ही लिया जाए । ऐसे अहम तरीके भी हैं जिसके द्वारा हमने निर्णय लिया है और उसी तरीके से हम अब भी ले सकते हैं । महोदय, यही मेरी इच्छा है । (व्यवधान)

श्री पी. जी. नारायणन : मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस महान सभा को शांतिपूर्वक चलाया जाना चाहिए । सभा में हमें अनेक मुद्दों पर चर्चा करनी है । हम दूरसंचार मुद्दे पर भी चर्चा को तैयार हैं लेकिन चर्चा के पूर्व सरकार को यह आश्वासन देना होगा कि दूरसंचार के मुद्दे की जाँच करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया जाएगा ।

महोदय, दूरसंचार घोटाला कोई मामूली घोटाला नहीं है । इससे राजकोष को 25,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है । पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकमत है । सरकार विपक्ष की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रही है । प्रतिभूति घोटाले से सम्बद्ध संयुक्त संसदीय समिति का क्या हुआ? इसने सर्वमत से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था । संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को पूरा–पूरा स्वीकार किया जाना चाहिए था । लेकिन, सरकार अधिकांश सिफारिशों को मानने में असफल रही है ।

महोदय, यहाँ पिछले दस दिनों से गतिरोध जारी है । लेकिन, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री न तो इस मामले में कोई रुचि ले रहे हैं और न ही इस समस्या के समाधान हेतु कोई पहल कर रहे हैं ।

इसलिए, मैं इस समस्या के समाधान की मांग करता हूँ तथा इस घोटाले की जांच करने हेतु एक संयुक्त संसदीय समिति की गठन की मांग करता हूं ।

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, आज आपने बहुत खूबसूरती के साथ लीडर आफ दि अपोजिशन और सभी पार्टियों के लीडर्स की बातों को सुना और उन्हें बोलने का मौका दिया । सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि जब सब लोग बोल रहे थे तो किसी ने भी इस हाउस को चलने न देने के बारे में नहीं कहा । सभी ने कहा कि बदकिस्मती से हाउस नहीं चल पाया । सभी लोगों ने अपने–अपने दिल की बात को यहां कहा । इकबाल का एक शेर है "सारे जहां से अच्छा, हिन्दोस्तां हमारा" उन्हीं के शब्दों में मैं यह बताना चाहता हूं कि यह मत समझिये कि हम बड़े ऊंचे दर्जे के है–चाहे चन्द्रशेखर जी हों, चाहे सोमनाथ चटर्जी जी हों, चाहे इन्द्रजीत गुप्त जी हों, चाहे शुक्ला जी हों, चाहे वाजपेयी जी हों । मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि मैं जब सोने जाता हूं तो सोने के वक्त न चाहने पर भी अटल जी के बारे में सोचता हूं । यह कोई बड़ी बात नहीं है....(व्यवधान) आप मत हंसे । मैं क्यों सोचता हूं ? जब मैं बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि यह आदमी कितना बड़ा इन्सान है । इन लोगों के अन्दर मामूली डिफरेंसिज नहीं हैं । एक आदमी खड़े होकर सबके गुनाहों को अपने सिर पर ले लेता है । यह आर्डिनरी चीज नहीं है । चन्द्रशेखर जी ने खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में बिल्कुल ठीक कहा । मैं स्पीकर साहब की भी तारीफ करना चाहता हूं । वह चाहते तो हम सबको हाउस से निकाल सकते थे लेकिन इन्होंने बहुत ऊंचाई तक सब्र किया । मैं इनके सब्र की दाद देता हूं । आज कुछ रे आफ होप नजर आ रही है लेकिन इस नजर में जरा सी कोताही है । हमने हाउस को चलने नहीं दिया । ऐसे में दूसरे पर जिम्मेदारी आ जाती है कि वह देखे कि हाउस को कैसे चलाया जाये । ऐसे मौके मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं । अगर इसका मतलब आप लोग समझ गये, मैं और लोगों के बारे में और अपने बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लीडर्स के बारे में कहना चाहता हूं । खास तौर से इधर के साथी शेर सुनें ।

इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है,

गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी न बन सका ।"

गुफ्तार का मतलब है कि जो बोलते हैं और किरदार का मतलब है कि जो अमल

करते है । मैं अपने तमाम बुजुर्ग लीडर्स से कह रहा हूं कि इसमें से कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि कुछ लोगों को शक होने लगा दिमाग में भी और यह चीज समझें कि दिमाग और दिल में जब टकराव होता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि दिल की माने या दिमाग की । दिमाग की बात बड़े लोग मानते हैं जबकि दिल की बात छोटे लोग मानते हैं । एक दूसरे की शिकायत करते हैं लेकिन हम किसी की शिकायत नहीं करना चाहते हैं । हम लोगों की बदनामी हो गयी है और हम यह देखते हैं कि हमारे बहुत से सदस्यों ने स्पीकर साहब से कहा कि जे. पी. सी. बना दीजिये । स्पीकर साहब, हमारे दोस्त घबरा गये इसलिये मैं उसको छोड़कर आपकी बात मानकर बैठ रहा हूं लेकिन बैठने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि अब इसमें बहस न कराकर एक काम बड़ी आसानी से हो सकता है । एक प्रैक्टीकल चीज बताता हूं कि हमारी साईड के बुजुर्ग लीडर्स चन्द्र शेखर जी, अर्जुन सिंह जी और कुछ लोगों ने भी कहा कि लीडर्स और अपोजीशन, लीडर ऑफ पार्लियामेंट और पं. जवाहर लाल नेहरू का नाम भी लिया तो इसमें मैं शुक्ला जी को दाद देता हूं कि उसको बड़ी खूबसूरती के साथ, जिसने समझा होगा वे तो समझ गये होंगे कि डर उस वक्त रहता है कि हम अगर लीडर हो जायें तो देखेंगे कि हम से कमजोर है तो हाऊस में नहीं आयेंगे लेकिन यहां पर ऐसे लोग हैं, उनको आना चाहिये । ऐसी बड़ी बात है । हम लोग देखते थे कि कांग्रेस के लीडर प्राईम मिनिस्टर से कहते थे कि फलां को मिनिस्टर बनाओ । आज क्या बात है ? आप यहां आकर जरा सा एक मिनट के लिये आ जायें तो यह मामला आधे सैकिंड में तय हो जायेगा नहीं तो मैं शुक्ला जी से आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि आप 3–4 आदमी से कहिये कि उनको बुला लें । उनका बड़प्पन है कि पी. एम. बुला रहे हैं । अब हमको तो बड़ी खुशी है कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि सारा अपोजीशन युनाईटेड है लेकिन कल देखा कि जरा सा कुछ इधर–उधर हो गया था । इन्हीं शब्दों के साथ इकबाल का एक शेर कह कर अपनी जगह बैठ जाऊंगा ।

मस्जिद तो बना दी शब भर में, इमां की हसरत वालों ने,

मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका ॥

मैं समझता हूं कि सारी चीजों के देखने के बाद एक दूसरे से न कहें कि इलैक्शन कैसे जीतेंगे । इलैक्शन तो हम सब और आप सब हार गये हैं । सारे हिन्दुस्तान में यह बात हो गयी है कि वाजपेयी जी, चन्द्रशेखर जी, इन्द्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी और पी. वी. नरसिम्हा राव हों और हाऊस का यह हाल हो ।

आखिर में स्पीकर साहब शिवराज पाटिल जी भी है । यह हंसने की बात नहीं है। लोग कहेंगे कि शिवराज पाटिल जी के वक्त में हाउस नहीं चला, नरसिंह राव जी के वक्त में हाउस नहीं चला । इसलिए अपने को कलंक से बचाने के लिए अब जरूरत है कि आप एक दो मिनट में इन लोगों को बुलाकर ऐसा रास्ता निकालें कि किसी की हिम्मत नहीं हो कि हाउस में शोरोगुल करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरीके से अपने–अपने विचार व्यक्त किए हैं वह हम सभी के लिए, गतिरोध दूर करने हेतु तथा सभा का सम्मान सुरक्षित रखने के लिए लाभदायक होगा । मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ ।

जब मैं कक्ष में हुई बातचीत की चर्चा करता हूँ, जो कि वास्तव में लाभदायक और, सटीक थी तथा उसमें दोनों पक्षों को अपने–अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया तो मैं किसी गुप्त बातचीत को उजागर नहीं कर रहा हूँ । लेकिन हमारे लिए यह संभव नहीं कि कक्ष में हमने क्या चर्चा की उसे बतायें । कक्ष में कुछ ही लोग मौजूद हो सकते है ।

यह कहने के पूर्व कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है, मैं विपक्षी दलों के सदस्यों तथा सरकार के प्रति इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्होंने देश की महत्वपूर्ण समस्याओं का सबसे पहले समाधान करने का निर्णय लिया । वास्तव में उन्होंने बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से यह निर्णय लिया था और लोग इसकी भूरि–भूरि प्रशंसा करेंगे। संसद भी इसकी सराहना करेगी । आइए सर्वप्रथम, इसी महत्वपूर्ण मुद्दे का निपटान करें। आज में यह नहीं कहूंगा कि क्या किया जा सकता है अथवा क्या किया जाना चाहिए क्योंकि नेताओं द्वारा प्रत्येक शब्द सोच–समझ कर बोला गया था और बहुत ही उत्तरदायित्व के साथ बोला गया था तथा इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे । बहुत ही अच्छे सुझाव, जो व्यावहारिक प्रकृति के थे यहां दिए गए । उसका मूल्यांकन करना यहाँ कठिन है । अतः मैं उसका मूल्यांकन यहाँ नहीं करूंगा अथवा मैं यह नहीं कहूंगा कि क्या किया जा सकता है । अपितु उन सभी सुझावों पर हम ध्यान देंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि सभा कैसे कार्य करें । उन सदस्यों के साथ मेरी पूरी–पूरी सहानुभूति है जो बोलना चाहते हैं । उन सदस्यों के साथ मेरी पूरी–पूरी सहानुभूति है जो उत्तेजित महसूस करते हैं क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस पर हम निर्णय नहीं दे सकते और हम तब तक निर्णय देना भी नहीं चाहते जब तक अंतिम रूप से निष्पक्षता से, तथ्य पर चर्चा न की जाए और फैसला न दे दिया जाए । अतः मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जम्मू तथा कश्मीर संकल्प से संबंधित कार्य को शीघ्र निपटाया जाए और यदि आप उचित समझें तो अनुपूरक बजट (रेल) को भी निपटाया जा सकता है ।

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : क्या इसे बिना चर्चा के ही पारित किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा तो नहीं है, जम्मू–कश्मीर पर चर्चा की जा सकती है । जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे का भी अनुपूरक बजट है क्योंकि रेलवे कतिपय कार्यों को करने की कोशिश कर रहा है । मुझे कहा गया है, मैंने इसे पढ़ा नहीं है । अन्यथा हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं लेकिन पहले आज हम जम्मू–कश्मीर संकल्प पर चर्चा करेंगे। जम्मू–कश्मीर संकल्प पर कार्य पूरा करेंगे और तब हम निर्णय लेंगे ।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अभी कह दीजिए । बिना डिस्कशन पास करा लीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी. जी. नारायणन : क्या चर्चा किए बिना ही पारित किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : कुछ कहने के पहले आप सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी भावनाओं को समझें । यदि सभा की यह राय है कि इस मुद्दे को लिया जाए और इसे पारित किया जाए तो ऐसा किया जा सकता है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें सदस्यों की सहमति भी है, मैं चर्चा किए जाने पर जोर नहीं दे रहा हूँ । लेकिन इसके साथ–साथ दिए गए भाषणों में विहित भावना को भी समझें ।

अब, मुद्दा क्रमांक संख्या 50 से संबंधित है और यदि समस्त सभा का यह मत है कि इसे पहले लिया जाना चाहिए तो मैं इसे पहले लूंगा ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या कोई माननीय सदस्य कश्मीर से संबंधित इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कुछ बोलना चाहते हैं....(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि वे इसके लिए इच्छुक नहीं हैं तो हम उनके अनुसार बिना चर्चा के ही ऐसा कर सकते हैं । अनुवर्ती कार्यवाही अथवा ऐसा कुछ भी करने का प्रश्न ही नहीं उठता । यदि मतैक्य होना दर्शाने के लिए छोटी सी चर्चा की अनुमति दी जाती है तो वह ठीक है, अन्यथा इसे आप ऐसे ही कर सकते हैं....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : इतना महत्वपूर्ण मैटर है और आप बहस करने को तैयार नहीं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए सुझाव की मैं प्रशंसा करता हूं। लेकिन आज जिस स्थिति में हम है हमें उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए और निर्णय लेना चाहिए । यदि इस पर चर्चा करना आवश्यक है और सभी सदस्य ऐसा चाहते हैं, तो हम इसका समाधान ढूंढेंगे । हम इस स्थिति में भी चर्चा करने की प्रक्रिया ढूंढेंगे । लेकिन जैसा कि सदस्यों द्वारा सुझाया गया है हम पहले इस कार्य को पूरा करेंगे ।

श्री शंकर राव चव्हाण–मद संख्या 50

1.26 म. प.

[अनुवाद]

जम्मू–कश्मीर में राष्ट्रपति शासन जारी रखने संबंधी राष्ट्रपति की उद्घोषणा की अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प–स्वीकृत

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा जम्मू–कश्मीर के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई 18 जुलाई, 1990 की उद्घोषणा को 18 जनवरी, 1996 से और छह महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : मैं अब माननीय गृह मंत्री द्वारा पेश किये गये सांविधिक संकल्प को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ । प्रश्न यह है :

"कि यह सभा जम्मू–कश्मीर के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई 18 जुलाई, 1990 की उद्घोषणा को 18 जनवरी, 1996 से और छह महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, यदि सदन सहमत हो तो हम रेलों के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को ले सकते हैं....(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

एक माननीय सदस्य : हम केवल जम्मू–कश्मीर के लिए सहमत हुए है ।

श्री राम विलास पासवान : आज कोई अन्य मामला नहीं....(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, यह केवल एक औपचारिक मामला है....(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय, कोई अन्य मामला न लें ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.30 म. प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

1.28 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा 2.30 म. प. तक के लिए स्थगित हुई ।

2.30 म. प.

लोक सभा 2.30 म. प. पर पुनः समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

....(व्यवधान)...

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, संयुक्त संसदीय समिति के गठन के बारे में क्या हुआ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : उपाध्यक्ष जी, जे. पी. सी. का क्या हुआ? यह नहीं होगा । इस तरह से हाउस नहीं चलेगा ।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी विद्वान लोग है । हम सूचीबद्ध कार्य आरंभ करते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : पहले जी. पी. सी. का गठन करो । जे. पी. सी. का क्या हुआ, यह बताइये । हाउस नहीं चलेगा । (व्यवधान)

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लेता हूं ।

(व्यवधान)

2.31 म. प.

इस समय श्री सैयद मसूदल हुसैन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए तथा सभापटल के समीप खड़े हो गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लेंगे ।

2.32 म. प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, धनबाद के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां आदि ।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, श्री राम लखन यादव की ओर से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड, धनबाद के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) प्रोजैक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड, धनबाद का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए एल. टी. संख्या 8540/95]

(2) (एक) राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 8541/95]

केन्द्रीय भाण्डागारण निगम और खाद्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1995–96 के लिए समझौता ज्ञापन आदि ।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, श्री अजित सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम तथा खाद्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1995–96 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 8542/95]

(2) (एक) भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (ii) के अंतर्गत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 8543/95]

सुपर बाजार, दि कोऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण ।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, श्री बूटा सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) सुपर बाजार, दि कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) सुपर बाजार, दि कोआपरेटिव स्टोर, लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी.–8544/95]

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1995 और राष्ट्रीय श्रम संस्थान, गाजियाबाद का वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण, आदि।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग–अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, श्री जी. वेंकट स्वामी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1995, जो 25 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 2438 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी.–8445/95]

(2) (एक) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, गाजियाबाद के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, गाजियाबाद के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रो को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8546/95]

(4) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1995, जो 23 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 431 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं. एल. टी. 8547/95]

भारत गोल्ड माइन्स ऊरगाम के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां, आदि ।

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, ऊरगाम के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, ऊरगाम का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवदन, लेखापरीक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं. एल. टी. 8548/95]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8549/95]

(ग) (एक) खनिज उत्खनन निगम लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) खनिज उत्खनन निगम लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8550/95]

(घ) (एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के वर्ष 1994–95 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8551/95]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8552/95]

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8553/95]

(तीन) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8554/95]

(चार) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं. एल. टी. 8555/95]

सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडम के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां, आदि

रक्षा मंत्रालय (शिक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, श्री जगदीश टाईटलर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लिमिटेड, कोठागुडम के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोठागुडम का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8556/95]

(ख) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता और इसकी सहायक कंपनियों के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (खण्ड, I और II) ।

(दो) कोल इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता और इसकी सहायक कंपनियों का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड I और II, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8557/95]

(ग) (एक) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8558/95]

(2) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8559/95]

ऊन अनुसंधान एसोसिएशन, ठाणे का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की समीक्षा तथा लेखापरीक्षित लेखे, आदि ।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, मैं श्री कमल नाथ की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) ऊन अनुसंधान एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) ऊन अनुसंधान एसोसिशन, ठाणे के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8560/95]

(2) (एक) भारतीय सिल्क निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भरतीय सिल्क निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8561/95]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8562/95]

(ख) (एक) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8563/95]

(4) (एक) मैन मेड टैक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) मैन मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8564/95]

(5) (एक) सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8565/95]

(6) (एक) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं. एल. टी. 8566/95]

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन, आदि ।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, श्री सन्तोष मोहन देव की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8567/95]

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8568/95]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8569/95]

(ख) (एक) मेटालुर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मेटालुर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड

का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8570/95]

(ग) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापतनम के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापतनम का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8571/95]

(घ) (एक) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं. एल. टी. 8572/95]

(ङ) (एक) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणीयां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8573/95]

(च) (एक) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8574/95]

(छ) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड, का वर्ष 1994–95 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8681/95]

(ज) (एक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8682/95]

भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई के वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की समीक्षा तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री पी. चिदम्बरम की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) (एक) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये सं. एल. टी. 8683/95]

(2) कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत कॉफी (संशोधन) नियम, 1995, जो 25 अक्तूबर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 694 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं. एल. टी. 8684/95]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष

1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये सं. एल. टी. 8685/95]

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां आदि ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1)कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8686/95]

(2) धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उपधारा (4) के अंतर्गत धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) संशोधन नियम, 1995, जो 18 अक्तूबर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 684 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8687/95]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. पी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं श्री एम. राजशेखर मूर्ति की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये सं. एल. टी. 8575/95]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये सं. एल. टी. 8576/95]

(ग) (एक) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजिनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये सं. एल. टी. 8577/95]

(घ) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिये सं. एल. टी. 8578/95]

(ङ) (एक) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8579/95]

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 1994–95 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 1994–95 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8580/95]

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि ट्रेनिंग आफ हाईवे इंजीनियर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि ट्रेनिंग आफ हाईवे इंजीनीयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8581/95]

(5) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड और जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 1995–96 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8582/95]

इंस्टिट्यूट आफ पेस्टिसाइड फार्मुलेशन टेक्नालॉजी, गुड़गाँव के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन, और कार्यकरण की समीक्षा तथा लेखापरीक्षित लेखे, आदि ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री एडुआर्डो फैलोरो की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) (एक) इंस्टिट्यूट आफ पेस्टिसाइड फार्मुलेशन टेक्नालॉजी, गुड़गांव के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ पेस्टिसाइड फार्मुलेशन टेक्नालॉजी, गुड़गांव के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8583/95]

(2) (एक) भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं. एल. टी. 8584/95]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं. एल. टी. 8585/95]

(ख) (एक) पाइराइट्स, फासफेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, रोहतास के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पाइराइट्स, फासफेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, रोहतास का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं. एल. टी. 8586/95]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8587/95]

(घ) (एक) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8588/95]

(ङ) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं. एल. टी. 8589/95]

(च) (एक) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं. एल. टी. 8590/95]

बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुएं) पांचवां संशोधन नियम, 1995

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं कृष्णा साही की तरफ से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुएं) पांचवां संशोधन नियम, 1995, जो 21 अक्तूबर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 693 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8591/95]

बैंककारी कम्पनियों के अधीन अधिसूचनाएं (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 आदि ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 9 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) (दूसरा संशोधन) योजना, 1995 जो 10 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 907 (अ) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8592/95]

(दो) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) (दूसरा संशोधन) योजना, 1995 जो 10 नवम्बर, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 908(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8593/95]

(2) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) (संशोधन) नियम, 1995 जो 19 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 644(अ) में प्रकाशित हुये थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8594/95]

(3) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1995 को भारतीय जीवन बीमा निगम के पच्चीसवें मूल्यांकन संबंधी परिणामों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8595/95]

(4) सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा. का. नि. 598(अ) जो 25 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय पूंजीगत माल के विनिर्माताओं द्वारा संघटकों के निःशुल्क आयात की अनुमति देना है ताकि निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना के तहत ऐसे पूंजीगत माल का निःशुल्क आयात करने के लिए लाइसेंस धारकों को पूंजीगत माल की आपूर्ति की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा. का. नि. 599(अ) जो 25 अगस्त 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय 5 जून, 1995 की अधिसूचना संख्या 110/95–सी. शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा. का. नि. 643(अ) जो 18 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय 26 मई, 1995 की अधिसूचना संख्या 37/95–सी. शु. में कतिपय संशोधन करना है ताकि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 1995 में संशोधन किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा. का. नि. 649(अ) से सा. का. नि. 656(अ) जो 19 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय उस शुल्क पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की वसूली की व्यवस्था करना है। जो शुल्क छूट योजना और निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई. पी. सी. जी.) योजना के तहत जारी की गई अधिसूचना की शर्तों को पूरा न करने के मामले में अदायगी योग्य होगी तथा लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के साथ निष्पादित की जाने वाली कानूनी बाध्यता को समाप्त करने की दृष्टि से सहायक सीमा शुल्क आयुक्त की संतुष्टि हेतु निर्यात

बाध्यता के निर्वहन का प्रमाण प्रस्तुत करने की व्यवस्था करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा. का. नि. 688(अ) जो 20 अक्तूबर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय आयातित माल का पुनःनिर्यात (सीमा शुल्क की वापसी) नियम, 1995 में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा. का. नि. 689(अ) जो 20 अक्तूबर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 1995 में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा. का. नि. 703(अ) जो 27 अक्तूबर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 मई, 1995 की अधिसूचना संख्या 104/95–सी. शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा. का. नि. 732(अ) जो 9 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 7 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 10/95–सी. शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा. का. नि. 702(अ) जो 27 अक्तूबर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 जून, 1995 की अधिसूचना संख्या 110/95–सी. शु. तथा 111/95–सी. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा. का. नि. 709(अ) जो 1 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 अप्रैल, 1994 की अधिसूचना संख्या 117/94–सी. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा. का. नि. 760(अ) जो 22 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 110/86–सी. शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8596/95]

(बारह) क्रमशः 31 मई, 1995 और 20 जुलाई, 1995 के तदर्थ छूट आदेश संख्या 158 और 208, जो आस्ट्रेलिया की सरकार और भारत सरकार के बीच हुए एक सहायता करार की शर्तों के अनुसार मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा आयात किये जा रहे तथा बिना किसी लागत के सप्लाई किये जा रहे एक प्रगलक संयंत्र पर छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8597/95]

(तेरह) 31 जुलाई, 1995 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 215, जो दक्षिणी दूर–संचार क्षेत्र के लिए नेटवर्क प्रबंध प्रणाली की संस्थापना हेतु परियोजना को निष्पादित करने के लिए अपेक्षित उपस्करों पर छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8598/95]

(चौदह) 4 अगस्त, 1995 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 219, जो कापर–टी गर्भ निरोधकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित कापर–टी गर्भ निरोधकों के हिस्सों के आयात पर सीमा–शुल्क के भुगतान से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8599/95]

(पन्द्रह) 14 अगस्त, 1995 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 226, जो ग्रेटर कलकत्ता गैस सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा आयात किये जाने वाले मशीनरी और उपस्करों पर सीमा–शुल्क के भुगतान से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8600/95]

(सोलह) 8 सितम्बर, 1995 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 244, जो मैसर्स नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन द्वारा आयात किये जाने वाले निर्माण कार्य संयंत्र उपस्करों, अतिरिक्त पुर्जों, उपकरणों, निर्माण कार्य सामग्रियों और उपभोज्य वस्तुओं पर सीमा–शुल्क के भुगतान से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8601/95]

(5) आय–कर अधिनियम, 1951 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) आय–कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1995, जो 18 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 640(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) आय–कर (सोलहवां संशोधन) नियम, 1995, जो 23 अगस्त,

1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 734(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) आय–कर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 1995, जो 23 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 735(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) आय–कर (अठारहवां संशोधन) नियम, 1995, जो 25 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 741(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) आय–कर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 1995, जो 27 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 813(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं. एल. टी. 8602/95]

(6) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) इण्डियन ओवरसीज बैंक अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार की स्वीकारोक्ति (संशोधन) विनियम, 1994 जो 8 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई. आर. डी./184/311 में प्रकाशित हुए थे, तथा इसका एक शुद्धि पत्र जो 29 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8603/95]

(दो) बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार की स्वीकारोक्ति (संशोधन) विनियम, 1994 जो 22 जुलाई,1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई. एल./9596/597 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8604/95]

(तीन) पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार की स्वीकारोक्ति) (संशोधन) विनियम, 1995 जो 1 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. संख्या पी एन बी/डी ए सी/4/95 में प्रकाशित हुए थे तथा इसका एक शुद्धि पत्र जो 5 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8605/95]

(चार) यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार की स्वीकारोक्ति) (संशोधन) विनियम, 1995 जो 20 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ओ. ए. जे./1/1995 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8606/95]

(पांच) कारपोरेशन बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र को कंपनियों में रोजगार की स्वीकारोक्ति) (संशोधन) विनियम, 1994 जो 1 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी. ए. डी./आई. आर./158/95 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8607/95]

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8608/95]

(8) (एक) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8609/95]

(9) 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन) :–

(एक) ऋषिकुल्या ग्राम्या बैंक बेरहामपुर (उड़ीसा) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8610/95]

(दो) सीवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीवान (बिहार) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8611/95]

(तीन) कनकदुर्गा ग्रामीण बैंक, गुडीवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8612/95]

(चार) बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जगदलपुर (मध्य प्रदेश) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8613/95]

(पांच) चैतन्य ग्रामीण बैंक, तेनाली (आन्ध्र प्रदेश) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8614/95]

(छह) भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक, अरांह (बिहार) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8615/95]

(सात) शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहडोल (मध्य प्रदेश) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8616/95]

(आठ) विन्ध्यवासिनी ग्रामीण बैंक, मिर्जापुर, (उत्तर प्रदेश) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8617/95]

(नौ) सहयाद्री ग्रामीण बैंक, शिमोगा (कर्नाटक) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8618/95]

(दस) कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूर्णिया (बिहार) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8619/95]

(ग्यारह) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा (कर्नाटक) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8620/95]

(बारह) देवास शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देवास (मध्य प्रदेश) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8621/95]

(तेरह) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर (मध्य प्रदेश) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8622/95]

(चौदह) विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा (मध्य प्रदेश) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8623/95]

(पन्द्रह) देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोण्डा (उत्तर प्रदेश) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8624/95]

(सोलह) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर (कर्नाटक) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8625/95]

(सत्रह) अलकनंदा ग्रामीण बैंक, पौढ़ी गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8626/95]

(अट्ठारह) गोदावरी ग्रामीण बैंक, राजामुन्दरी (आन्ध्र प्रदेश) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8627/95]

(उन्नीस) हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हजारीबाग (बिहार) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8628/95]

(बीस) ठाणे ग्रामीण बैंक, ठाणे (महाराष्ट्र) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8629/95]

(इक्कीस) कोलार ग्रामीण बैंक, कोलार (कर्नाटक) ।[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8630/95]

(बाईस) सन्थाल परगना ग्रामीण बैंक, दुमका, (बिहार) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8631/95]

(तेईस) बुल्डाना ग्रामीण बैंक, बुल्डाना (महाराष्ट्र) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8632/95]

(चौबीस) बेगुसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बेगुसराय (बिहार) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8633/95]

(पच्चीस) विदुर ग्रामीण बैंक, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8634/95]

(छब्बीस) तुलसी ग्रामीण बैंक, बांदा (उत्तर प्रदेश) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8635/95]

(सत्ताईस) छिंदवाड़ा सिवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8636/95]

(अट्ठाईस) गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव (हरियाणा) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8637/95]

(उनतीस) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना (मध्य प्रदेश) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8638/95]

(तीस) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा (उत्तर प्रदेश) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8639/95]

(इकतीस) चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक, चित्रदुर्ग (कर्नाटक) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8640/95]

(बत्तीस) सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चाईबासा (बिहार) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8641/95]

(तैंतीस) साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मालापुरम (केरल) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8642/95]

(चौंतीस) अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, भरतपुर (राजस्थान)।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8643/95]

(पैंतीस) रीवा सिद्धि ग्रामीण बैंक, रीवा (मध्य प्रदेश) ।[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8644/95]

(छत्तीस) संघमेश्वर ग्रामीण बैंक, महबूब नगर (आन्ध्र प्रदेश) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8645/95]

(सैंतीस) शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शिवपुरी (मध्य प्रदेश) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8646/95]

(अड़तीस) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा (हिमाचल प्रदेश) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8647/95]

(उनतालीस) सारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छपरा (बिहार) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8648/95]

(चालीस) श्री गंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, श्री गंगानगर (राजस्थान) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8649/95]

(इक्तालीस) गुरदासपुर अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, गुरदासपुर (पंजाब) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8650/95]

(बयालीस) श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक, चित्तूर (आन्ध्र प्रदेश) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8651/95]

(तैंतालीस) श्री साधवाहन ग्रामीण बैंक, करीमनगर (आन्ध्र प्रदेश) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8652/95]

(10) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) सा. का. नि. 687 (अ) जो 20 अक्तूबर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा क्रमशः 10 नवम्बर, 1994 और 4 जनवरी, 1995 को अधिसूचना संख्या 136/94-के. उ. शु. और 1/95-के. उ. शु. में कतिपय संशोधन किए गये है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा. का. नि. 708 (अ) जो 1 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय उत्पाद शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए वातित जल, जिन्हें सामान्यतः साफ्ट ड्रिंक्स के नाम से जाना जाता है, पर टैरिफ मूल्यों को निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा. का. नि. 738 (अ) जो 13 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो रोलिंग स्टाक की विनिर्दिष्ट मदों, जब उनको कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड को सप्लाई किया जाए, को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अदायगी से छूट देने तथा जो माल भारतीय रेलवे या कोंकण रेलवे कारपोरेशन के स्वामित्व में न हो तो छूट की अनुमति न देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तेरहवां संशोधन) नियम, 1995 जो 17 नवम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 752(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा. का. नि. 595(अ) जो 23 अगस्त, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 22 सितम्बर, 1994 की अधिसूचना संख्या 40/94–के. उ. शु. का शुद्धि–पत्र दिया हुआ है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8653/95]

(11) उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 18 अक्तूबर, 1995 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अंतर्गत 4 अक्तूबर, 1995 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विलासिता कर (निरसन) अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 39) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8654/95]

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाईड्रोलाजी, रुड़की के वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और सभा पटल पर पत्रों आदि रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण ।

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ हाईड्रोलाजी, रुड़की के वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ हाईड्रोलाजी, रुड़की के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8655/95]

गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां आदि ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8656/95]

(ख) (एक) कर्नाटक मीट एण्ड पौल्ट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कर्नाटक मीट एण्ड पौल्ट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8657/95]

(2) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । र्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं. एल. टी. 8658/95]

(3) (एक) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन(।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8659/95]

(4) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोआपेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण को सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं. एल. टी. 8660/95]

(एक) नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994–95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं. एल. टी. 8661/95]

(एक) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट को–आपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994–95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994–95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन आफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं. एल. टी. 8662/95]

(एक) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबन्ध संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबन्ध संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1994–95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबन्ध संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं. एल. टी. 8663/95]

(8) एक) नेशनल फेडरेशन आफ फिशरमैन्स कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन आप फिशरमैन्स कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं. एल. टी. 8664/95]

(9) स्टेट फार्मस् कारपोरेशन आफ इण्डिया के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् निर्धारित नौ माह की अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं. एल. टी. 8665/95]

(10) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 969 (अ), जो 13 दिसम्बर, 1955 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 22 मई, 1995 की अधिसूचना संख्या का. आ. 459(अ) केवल अंग्रेजी संस्करण का शुद्धि–पत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं. एल. टी. 8666/95]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां आदि।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला बेन चिमनभाई पटेल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–

महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8667/95]

(2) (एक) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8668/95]

(3) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड तथा विद्युत विभाग के बीच वर्ष 1995–96 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8669/95]

(4) (एक) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण सस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8670/95]

असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 1994–95 और हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद आदि के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8671/95]

(2) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8672/95]

(3) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1994–95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8673/95]

(4) (एक) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8674/95]

लोक जुम्बिश परिषद, जयपुर का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा लेखापरीक्षित लेखे आदि ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री (डा. कृपासिंधु भोई): : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) लोक जुम्बिश परिषद, जयपुर के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोक जुम्बिश परिषद, जयपुर के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8675/95]

(2) (एक) महिला समाख्या समिति, उत्तर प्रदेश के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) महिला समाख्या समिति, उत्तर प्रदेश के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8676/95]

(3) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिय सं. एल. टी. 8677/95]

दिल्ली नगर निगम के अधिक्रमण की अवधि को बढ़ाने हेतु अधिसूचना

– **मानव संसाधन–विकास मंत्रालय (युवा मामले और खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक)** : महोदय, प्रो. एम. कामसन की ओर से मैं दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या यू. 14011/160/89–दिल्ली, जो 29 सितम्बर, 1995 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित थी तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 1990 की अधिसूचना संख्या यू.–14011/160/89–दिल्ली में प्रकाशित आदेश में कतिपय संशोधन किए गये हैं ताकि दिल्ली नगर निगम की अधिक्रमण अवधि को 1 अक्तूबर, 1995 से चार महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8678/95]

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा लेखापरीक्षित लेखे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा मामले और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री विनोद शर्मा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये सं. एल. टी. 8679/95]

नेशनल इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक कोआपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा लेखापरीक्षित लेखे और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी विमला वर्मा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :–

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक कोआपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड I और II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक कोआपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं. एल. टी. 8680/95]

2.35 म. प.

प्राक्कलन समिति चौवनवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री एम. वी. सिदनाल (बेलगाम) : महोदय, मैं वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग–बजट प्रभाग) की विस्तृत अनुदान मांगों के साथ संलग्न निर्माण कार्य अनुबंध में दर्शाए गए निर्माण कार्य की मूद्रा सीमा को बढ़ाने संबंधी प्राक्कलन समिति का 54वां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

2.35½ म. प

प्राक्कलन समिति

की–गई–कार्यवाही विवरण

श्री एस. वी. सिदनाल (बेलगाम) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) पूंजी–निगम नियंत्रक की भूमिका–पूंजी बाजार का विकास–छोटे निवेशकों का दर्जा संबंधी 25वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) ।

(2) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड संबंधी 32वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) ।

(3) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो संबंधी 37वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) ।

(4) रक्षा बल स्तरों, जनशक्ति, प्रबन्धन तथा नीति संबंधी 41वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) ।

(5) नवोदय विद्यालयों संबंधी 47वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) ।

(6) विदेशी मिशनों संबंधी 51वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) ।

2.36 म. प.

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

पैंतालीसवां प्रतिवेदन

स्वप्नेड्डन लीडर कमल चौधरी (होशियारपुर) : महोदय, मैं भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटड के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का पैंतालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

2.36½ म. प.

याचिका समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

श्री पी. जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपलम) : महोदय, मैं याचिका समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

2.37 म. प.

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

उन्नीसवां और बीसवां प्रतिवेदन

श्री खेलसाय सिंह (सरगुजा) : महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति का उन्नीसवां और बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं ।

2.37¼ म. प.

कृषि संबंधी स्थायी समिति

उन्नीसवां, तीसवां, बत्तीसवां और चौंतीसवां प्रतिवेदन

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

(1) भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) संशोधन विधेयक, 1994 संबंधी उन्तीसवां प्रतिवेदन ।

(2) धान–कुटाई उद्योग (विनियमन) निरसन विधेयक, 1995 संबंधी तीसवां प्रतिवेदन ।

(3) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों (1995–96) के बारे में बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में बत्तीसवां प्रतिवेदन ।

(4) जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995–96) के बारे में बाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही के संबंध में चौंतीसवां प्रतिवेदन ।

2.37½ म. प.

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति आठवां प्रतिवेदन, नौवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : महोदय, मैं विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

(एक) पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और उत्तरी क्षेत्रों में व्याप्त स्थिति के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में आठवां प्रतिवेदन ।

(दो) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बारे में नौवां प्रतिवेदन और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

2.38 म. प.

पेट्रोलियम तथा रसायन संबंधी स्थायी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मैं "सौरा–वितरण और मूल्य

निर्धारण" (रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के बारे में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (10वीं लोक सभा) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का बाईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

2.38½ म. प.

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

श्री नारायण सिंह चौधरी (हिसार) : महोदय, मैं जम्मू-कश्मीर की स्थिति के बारे में गृह-कार्य संबंधी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(व्यवधान)

2.39 म. प.

कार्य मंत्रणा समिति

कार्य मंत्रणा समिति के सत्तावनवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

"कि यह सभा 13 दिसम्बर, 1995 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के सत्तावनवें प्रतिवेदन से सहमत हो।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि यह सभा 13 दिसम्बर 1995 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के सत्तावनवें प्रतिवेदन से सहमत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री जगदीश टाइटलर विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का प्रस्ताव पेश करेंगे।

(व्यवधान)

2.39½ म. प.

कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक*

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, मैं विधेयक** पुरःस्थापित करता हूँ।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब लोक सभा कल, 20 दिसम्बर, 1995 को 11 म. पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

2.40 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 20 दिसम्बर, 1995/29 अग्रहायण, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-ii खंड-2 दिनांक 19.12.95 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर : स्थापित।